खण्ड-359, अंक-6
गुरूवार, 21 माघ, शक संवत् 1904
(10 फरवरी, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 359 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	...	601—604
प्रश्नोत्तर	...	605—697
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	697
एस0 एस0 पी0 गोरखपुर द्वारा श्रीमती किशोरी शुक्ल, सदस्य, विधान सभा के साथ किये गये व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	699
जनपद आगरा में नकली और मिलावटी खाद की बिक्री से रबी की फसल नष्ट होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	700
लखनऊ नगर की गल्ला मण्डियों के बन्द रहने से नागरिकों के समक्ष उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	700
श्री ब्रह्म दत्त शर्मा, प्रधानाचार्य, अ0वी0 इन्टर कालेज, कमला जूड़, मेरठ की हत्या एवं पुलिस की अकर्मण्यता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	701
टिहरी गढ़वाल में पनप रहे बास्या पौधे द्वारा फसलों की क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	701
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक 1982	....	702
विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	....	702
कार्य स्थगन-प्रस्तावों की सूचनाएं	....	703
राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) (स्वीकृत)	....	710
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	....	763
बजट साहित्य के वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना	....	764

वित्तीय वर्ष 1983–84 का आय-व्ययक.....(प्रस्तुत किया गया) 764

वित्तीय वर्ष 1983–84 के एक भाग के लिये लेखानुदान... ...
(प्रस्तुत किया गया) ... 784

नत्थियाँ ... 785

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 10 फरवरी, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य---278

अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
मजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिलसिंह) (फतेहपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अंसारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० मी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल, महेन्द्र , श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह श्री (जौनपुर)
कल्याण सिंह मोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुंबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (गोरखपुर)
केदार नाथ सिंह श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र श्री (एटा)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुशादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़ श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह श्री (बुलन्दशहर)
छेदी लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)

जनार्दन प्रसाद ओझा श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल,
'विकल साकेती' श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर गंगवार, श्री, (पीलीभीत)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फर नगर)
दीप नरायन वन महन्थ श्री, (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ अवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धरमवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नंकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया)
(उर्फ लाल बाबू)

नेत्रपाल सिंह श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री गोरखपुर
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बन्शीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री, (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भोखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा श्री (कानपुर)

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री, (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल युसुफ, श्री बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद श्री, (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह कुंवर (फर्रूखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह, श्री, (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रूखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रूखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायन, एडवोकेट, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपु)
राम रतन सिंह श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
रामुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बाँदा)

रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रुप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रुल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, श्री (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल शर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
वीरेन्द्र सिंह ढाला, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवनारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल राजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब श्री (शाहजहाँपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह, गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरिप्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरिबंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 10 फरवरी, 1983

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

स्वर्गीय श्री सच्चिदानन्द जोशी, बेसिक हेल्थ वर्कर की सामूहिक बीमा, पारिवारिक पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

×1—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री सच्चिदानन्द जोशी, बेसिक हेल्थ वर्कर, विकास खण्ड थैलीसैण, जिला पौड़ी गढ़वाल का सेवाकाल में निधन हो गया है ? यदि हां, तो उनकी पत्नी को सामूहिक बीमा की धनराशि, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी तथा भविष्य निधि का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें भुगतान कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री हरि सिंह) —

जी हां, उनका निधन सेवाकाल में ही हो गया। स्व० श्री सच्चिदानन्द जोशी के सामूहिक बीमा एवं पारिवारिक पेन्शन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक पत्रादि क्रमशः निदेशक, सामूहिक बीमा निदेशालय तथा महालेखाकार उत्तर प्रदेश को भेज दिए गए हैं। यह भुगतान शीघ्र ही कराने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, इनकी मृत्यु बहुत पहले हो गई थी और पेंशन आदि के कागज बहुत बाद में भेजे गये, इसका क्या कारण है ?

श्रीहरि सिंह—

मृत्यु के बाद मान्यवर, कर्मचारी के परिवार वालों को ग्रेच्युटी पेंशन, बीमा आदि के कागज, फार्म भर कर देने पड़ते हैं। परिवार वालों ने पूरे कागजों को समय से नहीं भेजा। जब भेजा तब कार्यवाही की गई।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

श्री सच्चिदानन्द जोशी की मृत्यु किस तारीख और किस सन् को हुई थी।

श्री हरि सिंह—

इनकी मृत्यु 11-[illegible]-81 को हुई थी।

(व्यावधान)

× × × ×

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

(इस समय इस तरह मे हजारों और लाखों समस्यायें हैं। अगर उनका काम समय से नहीं होगा तो उनके बच्चे भूखों मर जायेगे। अगर समय से इनको पेंशन, ग्रेच्युटी आदि का पैसा नहीं देंगे तो हम लोगों का यहां बैठना बेकार हो जायेगा)

श्री अध्यक्ष—

आप को मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठें। जो कुछ आप बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

नोट :—(× ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[बृहस्पतिवार, 10 फरवरी, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पी0 जी0 आई0 लखनऊ के निदेशक के पद पर डा0 बी0 सी0 जोशी की नियुक्ति

×1-श्री राम आसरे पासवान—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पी0 जी0 आई0 लखनऊ के एडमिनिस्ट्रेटिव डाइरेक्टर के पद पर वर्तमान टेकनीकल डाइरेक्टर की नियुक्ति न करके अवकाश प्राप्त डाइरेक्टर की नियुक्ति करने का क्या कारण है ? क्या सरकार पी0 जी0 आई0 के हित में इस पद पर वर्तमान डाइरेक्टर को नियुक्त करेगी ?

श्री हरि सिंह--

पी0 जी0 आई0, लखनऊ के निदेशक के पद पर डा0 बी0 सी0 जोशी की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के समय वे स्वास्थ्य सेवा निदेशक के पद पर आसीन थे तथा कुछ ही दिनों बाद सेवा-निवृत्त होने वाले थे। यह नियुक्ति पी0 जी0 आई0 के हित को ध्यान में रखते हुए की गई हैं। अतः उक्त पद पर अन्य डायरेक्टर को नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राम आसरे पासवान —

मान्यवर मैं जानता हूं कि जब टेक्निकल डाइरेक्टर मौजूद हैं तो अवकाश प्राप्त डाइरेक्टर की नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ मन्त्री श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्' संजय गाँधी संस्था का आर्डिनेंस आपके सम्मुख प्रस्तुत है उसके अन्दर यह एक स्वायत्त सेवा संस्था है और इसके गठन में पहला जो निदेशक है उसको नियुक्त करने का अधिकार शासन को है ! अतएव डा0 जोशी जो इस संस्था से शैशव काल से ही सम्बद्ध थे. उनको शासन ने पहला डायरेक्टर नियुक्त किया है। उसके बाद पी0 जी0 आई0 स्वतः निर्णय लेगी कि कौन डाइरेक्टर होगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय —

जैसा कि जानकारी है श्री बी0 सी0 जोशी केवल पी0 एम0 एस0 है कोई रिसर्च वगैरह भी नही किया है और न किसी संस्था को चलाने का इनको अनुभव है तो कौन सी परिस्थिति है क्या और कोई योग्य व्यक्ति नही मिला, जो इनको निदेशक बनाया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

कोन योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं। माननीय सदस्य बता दें ?

श्री मोहन सिंह —

क्या माननीय मंत्री जी को केन्द्र सरकार का कोई पत्र मिला है कि जो वरिष्ठतम पदों पर लोग हैं और उनकी सेवा निवृत्त हो गयी है, उनको किसी लाभ के पद पर न रखा जाय। इस बात को दृष्टिगत रखते हुये डाक्टर जोशी को मंत्री जी हटाने का आश्वासन देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं।

होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु गठित की गई चयन समिति में साक्षात्कार हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ी जाति के अधिकारी

×2-श्री राम आसरे वर्मा--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु 21 जुलाई से 3 अगस्त, 82 तक किये गये साक्षात्कार के लिए गठित की गई चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ी जातियों की नियुक्ति हेतु निर्धारित कोटे को सुनिश्चित करने के लिए समिति में किसी अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा पिछड़ी जाति के अधिकारी को रखा गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि डिग्रीधारियों को 5 नवम्बर का 'वेटेज' दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री हरि सिंह--

जी नहीं ! इन पदों के कार्य और स्वारुप को देखते हुये अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई उपयुक्त विशेषज्ञ साक्षात्कार की पूरी अवधि के लिए तत्काल उपलब्ध नहीं हो सका ताकि उनके परामर्श का लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार की चयन समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य का होना अनिवार्य नहीं है।

डिग्रीधारियों को 5 नवम्बर का वेटेज दिया गया है। क्योंकि होम्योपैथिक में डिग्री पाठ्यक्रम साढ़े पाँच वर्ष तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रम चार वर्ष का है।

श्री राम आसरे मिश्र--

मान्यवर माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मैं यह जानना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के लोगों की तलाश की गयी जिनका साक्षात्कार के लिये चयन समिति में शामिल किया जाता। दूसरी बात वेटेज के सम्बन्ध में जानना चाहूँगा। होम्योपैथिक कालेज, आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं और उसी परिनियमावली में डिप्लोमा और डिग्री को समकक्ष माना गया है. 58 से पहले डिग्री और डिप्लोमा का कोर्स एक था। तो क्या विज्ञापन में इसे उल्लेख किया गया ?

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मान्यवर, जो 5 नवम्बर का वेटेज डिग्री कोर्स वालों को दिया गया है इसका औचित्य क्या है और कौन सा आधार माननीय मंत्री जी ने बनाया है, बताने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

अधिग्रहण के पूर्व होम्योपैथिक डिप्लोमा की जो मान्यता थी, उसमें यह था कि हाईस्कूल पास व्यक्ति भी उसको ज्वाइन कर सकता था। जबकि डिग्री कोर्स के अन्दर इन्टरमीडिएट की शिक्षा अनिवार्य है। एक तो यह कारण था। दूसरा आगरा विश्वविद्यालय से करने के बाद सी० पी० एम०टी० से जो आ रहे हैं, उन सब को शिक्षा डिग्री की दी जा रही है कोई डिप्लोमा की नहीं। सन् 58 के पहले परिस्थिति क्या रही है, मेरी को उसकी जानकारी नहीं। चयन समिति में किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित/जनजाति या पिछड़ी जाति की अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता यह है कि उनको जो जगहें हैं, वह उनको दी जाय। उनका कोटा था, उसमें जो लोग मिले उनको रखा गया जो नहीं मिले वे जगहें खाली हैं।

श्री सन्त बक्स रावत—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो अनुसूचित जाति का कोटा खाली है, वह कब तक भर देगें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जब पात्र मिल जायेंगे।

श्री धनीराम वर्मा—

मेरा प्रश्न यह है कि अधिकतर चयन समितियों में उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। तो क्या इन चयन समितियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जाति के लोगों को भी रखेंगे ताकि इन वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके और इनके साथ अन्याय न हो।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कोई अन्याय नहीं हुआ है किसी के साथ। जो स्थान थे उनके लिए जो उपयुक्त लोग मिले उनको दिया गया जो नहीं मिले वह खाली है। जहाँ तक चयन समिति में रखने का प्रश्न है, अगर उपयुक्त पात्रता के व्यक्ति मिलेंगे तो रखे जायेंगे कोई रोक नहीं है इनको रखने के लिए। पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछड़ी जाति के लोग हैं। लेकिन इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि डिग्री और डिप्लोमा के कोर्स में अनाटामी में डिग्री वालों को 100 लेक्चर और डिप्लोमा वालों को 150 लेक्चर तथा, फिजियोलोजी में डिग्री वालों को 100 और डिप्लोमा वालों को 200 लेक्चर दिया जाता है। इसके बाद भी कौन सा ऐसा अर्हता सम्बन्धी आधार माननीय मंत्री जी ने तय किया जिसके आधार पर उनको 5 नवम्बर का चयन में वेटेज दिया गया हैं। क्या मेरे सुझाव को मानकर माननीय मंत्री जी इस वेटेज को समाप्त करने की कृपा करेंगे ताकि जो ज्यादती हुई है वह दूर की जा सके।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

कोई ज्यादती नहीं हुई है।

श्री चेतराम गंगवार---

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मंत्री जी ने कहा पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं है, जो था पूरा कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या नियुक्ति से पहले ही यह मन बना दिया जाता है कि जो आरक्षण का कोटा है, उसके अलावा अगर कोई उपयुक्त उम्मीदवार मिलता है, तो उसको नहीं रखा जायेगा। क्या मंत्री जी बताने को कृपा करेंगे कि कोटे के अलावा अगर उपयुक्त उम्मीदवार मिलता है तो उसको वरीयता दी जायेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

जो कोटा है उसमें सक्षम उम्मीदवार का ही चयन किया गया है।

डा0 के0 एल0 अरोडा0 भूतपूर्व संयुक्त सेवा निदेशक को पेंशन पर लगी रोक को समाप्त कराने के निर्देश

3— श्री रियासत हुसैन---

द्वितीय सत्र 82 के 2रे गुरु0 दिनांक 26-8-82 के अता0 प्र0 सं0 156 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि सी0 एस0 आर0 अनुच्छेद 351-ए में स्पष्ट प्राविधान है कि पेंशन पाने वाले की पेंशन रोकने का अधिकार केवल राज्यपाल महोदय को है और वह उस अधिकार का आरबिटरी तरह से प्रयोग में नहीं लायेंगे ? यदि हां, तो स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने राज्यपाल महोदय के आदेश प्राप्त करने के उपरान्त कार्यवाही क्यो नहीं की ! राज्यपाल महोदय को उक्त विषय पर कब लिखा गया, उनकी अनुमति कब प्राप्त हुई और डाक्टर अरोड़ा को क्या कोई चार्जशीट दी गयी।

श्री हरि सिंह---

जी हाँ !

डा0 के0 एल0 अरोडा, भूतपूर्व संयुक्त स्वास्थ्य सेवा निदेशक की पूर्व स्वीकृत पेंशन पर महालेखाकार द्वारा सी0 एस0 आर0 केअनुच्छेद 351-ए की कार्यवाही की प्रत्याशा में जो रोक लगाई गयी थी, उसे समाप्त कराने के निर्देश दिनांक 8-12-1982 को दिये गये है। शेष प्रश्न नहीं उठता है। (लोकपति)

सराय थोक (पूर्वी) जिला हरदोई में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था

4—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

विधान सभा में दिनांक 19-8-82 के अता० प्रा० सं० 109 के उत्तर के संदर्भ में नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सराय थोक (पूर्वी) जिला हरदोई में सभी सरकारी तथा निजी हैण्डपम्पों तथा कुओं में पानी खारा है ? यदि हाँ, तो शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु शासन कोई व्यवस्था करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)

जी नहीं, सराय थोक (पूर्वी) जिला हरदोई में सभी सरकारी तथा निजी हैण्डपम्पों तथा कुओं में पानी खारा नहीं है। इस क्षेत्र में 8 सरकारी हैण्डपम्प लगे हैं जिनका

पानी पीने योग्य है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुल 363 हैण्ड पम्प तथा 11 निजी कुएँ हैं, जिनमें से केवल 6 हैण्डपम्प तथा 5 कुओं का पानी खारा है। इस प्रकार 357 निजी हैण्ड पम्पों एवं 6 निजी कुओं तथा 8 सरकारी हैण्डपम्पों द्वारा पीने योग्य पानी उपलब्ध है।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा० मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने निजी हैण्ड पाइप लगे हैं जिला हरदोई में और इनका सार्वजनिक उपयोग नहीं हो पा रहा है। 11 गाँवों में से 5 गांव का पानी खारा है। हैंड पाइप का पानी खारा होने की बात स्वीकार की गयी है। जन जीवन की सुरक्षा हेतु इस बात का अनुभव करते हुये कि गांव का पानी खारा है, इसे दूर करने के लिये वाटर सप्लाई की व्यवस्था करेगें,?

श्री राम सिंह खन्ना---

पानी की उपलब्धता है। जो कमी है उसके लिये विचार करेगें, देख लेंगें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि पानी खारा है, इस बात को स्वीकार करते हुये इसे दूर करने की व्यवस्था करेंगे कृप्या स्पष्ट उत्तर दें।

श्री राम सिंह खन्ना--

पानी की पूरी व्यवस्था है। जहां कहीं कमी होगी अवश्य पूरी करायेंगे, हमारा कर्तव्य है। केवल 35 सौ की आबादी है। इतने कुयें और इतना पानी उपलब्ध है। 1268 के लिये पाइप लाइन से पानी उपलब्ध है। कहीं विशेष ध्यान दिलायें तो और भी देख लेंगें। पानी की इतनी कमी नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा--

पानी खारा है और अच्छे पानी की व्यवस्था वहां के लोगों के लिये नहीं की जा रही है, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में यह बात है। क्या मा० मंत्री जी इस बात का आश्वासन देंगें कि जो वहां वाटर पाइप लगे हैं उन वाटर पाइप लाइन को इस आबादी वाले क्षेत्रों में बढ़ाने के लिये वह आदेश देंगें ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैंने बताया कि यह व्यवस्था पूरी है। जहाँ तक इसको बढ़ाने का आश्वासन देने का सवाल है, निरन्तर कह ही रहा हूं कि इसको देखेंगे। संसाधनों के अन्तर्गत जितना हो सकेगा अगर उपलब्धता है खारे पानी पर निवहन नहीं हो रहा है तो पाइप लाइन को बढ़ाने पर अवश्य ही विचार करेगें।

श्रीमती प्रेमावती तिवारी--

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकरी है कि जो माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर आया है, 8 सरकारी हैंड पाइप लगे हैं जिनका पानी पीने योग्य है। क्या मा० मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह 8 हैंड पाइप अभी बने नहीं है। जो एक दो बने हैं

उनमें मिटटी का मिला हुआ पानी आ रहा है। मान्यवर, मीठे पानी की बात तो दूसरी है, अभी हैंड पाइप काम नहीं करते हैं। क्या इसकी जानकारी है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

मुझे इसकी जानकरी नहीं है लेकिन आपने जानकारी दी है, इसकी छानबीन करायेंगे, अगर सही होगा तो उचित कार्यवाही करेगें।

भूमि विकास बैंक व पी० सी० यू० में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पदों पर स्थायी करण हेतु चयन

5--श्री फखरे आलम—

श्री मोहन सिंह तथा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सहकारिता मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1978-79 में पी० सी० एफ०, भूमि विकास बैंक व पी० सी० यू० में अस्थाई तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थाईकरण हेतु इमरजेन्सी रिक्रयूटमेंट करते हुए निबन्धक ने विशेष अर्हतायें निर्धारित की थी और उनको नियमित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो उसी आधार पर उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को भी स्थायी किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)

जी हां। वर्ष 1978-79 में पी० सी० एफ० भूमि विकास बैंक व पी० सी० यू० में रेगुलर चयन हेतु तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश संस्थागत सेवा मण्डल के माध्यम से विज्ञापित कराया गया था और निबन्धक, सहकारी समितियां द्वारा शैक्षिक अर्हताओं में छूट देते हुए एक निश्चित अवधि का अनुभव भी सम्मिलित कर दिया गया था, जिसके आधार पर सभी कार्यत कर्मचारियों का सेवा मण्डल द्वारा चयन संभव हो सका और इस प्रकार सभी अस्थायी कर्मचारा नियमित एवं स्थाई हो सके। तब से इस प्रकार की छूट नहीं दी गई है। ऐसा करते समय निबन्धक द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं की जावेगी। प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि०, लखनऊ से तृतीय श्रेणी के उनके बैंक के अस्थाई कार्यरत कर्मचारियों के विषय में विशेष अर्हतायें निर्धारित किये जाने तथा तद्नुसार उनके विधिवत् नियमित चयन के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव हुआ है उस पर अन्तिम निर्णय विचाराधीन है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, पहले तो मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने श्री पाठक जी को हटाकर आपको सहकारिता मंत्री बनाया।

श्री अध्यक्ष—

आप सवाल कीजिए।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरा सवाल है कि पी० सी० एफ०, भूमि विकास बैंक व पी० सी० यू० ये तीनों सिस्टर संस्थायें हैं। तीन संस्थाओं में से एक संस्था में नियम दूसरा तथा दो संस्थाओं में नियम दूसरा, यह उचित प्रतीत नहीं होता है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो वह कह रहे हैं कि विशेष अर्हतायें निर्धारित की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है, जो प्रबन्ध निदेशक ने भेजा हैं। वे विशेष अर्हतायें क्या हैं और उस प्रस्ताव पर विचार कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, जो बैंक हैं, प्रबन्ध निदेशक, श्री पी० सी० शुक्ला ने जो पत्र लिखा है, उसको मैं पढ़कर सुना देना चाहता हूँ।

"उ० प्र० सहकारी भूमि विकास बैंक, उ० प्र० सहकारी यूनियन, एवं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फैडरेशन में अस्थाई सहायकों को रेगुलर नियुक्त करने के परिप्रेक्ष्य में सहकारी समिति निबन्धक द्वारा उ० प्र० सहकारी अधिनियम, 1968 (उ० प्र० अधिनियम 1966 की धारा 120 के अन्तर्गत इन संस्थाओं में कार्यरत सहायकों के हेतु पूर्व में निर्धारित शैक्षिक योग्यता में आंशिक संशोधन स्वीकार किया गया था जिसके फल स्वरुप इन संस्थाओं में सभी कार्यरत कर्मचारियों को उ० प्र० सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा संशोधित शैक्षिक योग्यता के अनुसार संस्था की सेवा में स्थाई कर दिय गया। उक्त संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता में संशोधन करने सम्बन्धी निबन्धक के पत्र की प्रतिलिपि क्रमशः पताका 'अ' एवं 'ब' तथा 'त' पर अवलोकनार्थ संलग्न है जिसके अन्तर्गत इन तीनों संस्थाओं मे जितने भी कार्यरत अस्थाई सहायक थे, वे सभी स्थाई नियुक्त कर लिये गये। यू० पी० कोआपरेटिव बैंक ने इस बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं अपनाया जिसके कारण अस्थाई कर्मचारी सेवा मण्डल से चयनित अभ्यर्थियों के ज्वाइन करने के उपरांत सेवा से मुक्त कर दिया गया। इससे बैंक एक ओर तो अनुभवी कर्मचारियों की सेवा से लाभ उठाने से वंचित हो गई और दूसरी ओर ऐसे कुछ निकाले गये कर्मचारी जिन्होंने इंड्रस्टियल कोर्ट के वाद दायर कर दिया और एवार्ड हासिल कर लिया, बैंक की सेवाओं में पुर्नस्थापित करना पड़ा। 1977 से 81 तक बैंक में सेवा मण्डल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति निम्नवत है जिससे प्रतीत होता है कि बैंक बढ़ते हुए कार्य को सुचारु रुप से सम्पन्न कराने की दृष्टि से अस्थाई कर्मचारियों पर ही निर्भर रहा। इसके अतिरिक्त बैंक के द्वारा 1979 में 25 असिस्टेन्ट कैशियर। टाइपिस्ट की भर्ती के लिये जो विज्ञापन दिया गया था बैंक से अधिकार हटने के बाद चयन करने हेतु सेवा मण्डल को 26-3-81 को रेफर कर दिये गये। 1977 में 11, 1978 में कुछ नहीं, 1979 में 55, 1980 में कुछ नहीं, 1981 में कुछ नहीं। एक दूसरा अधियाचन जो कि अप्रैल, 81 में सेवा मण्डल को भेजा गया था उसके अन्तर्गत 21 असिस्टेन्ट कैशियर। टाइपिस्ट के रिक्त पदों को भरने हेतु लिखा गया था। इसके बाद सहकारी निबन्धक द्वारा स्टाफिंग पेटर्न के अन्तगर्त अतिरिक्त पदों की स्वीकृति की गई।

श्री अध्यक्ष—

यह पत्र कितना लम्बा है, आप संक्षेप में उत्तर दें।

श्री बलराम सिंह यादव—

इस प्रकार सेवा मण्डल से तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कुल 120 पदों पर चयन लम्बित है। सहकारी समिति निबन्धक द्वारा पत्र दिनांक 10-2-82 के अन्तर्गत जिन अतिरिक्त पदों को सृजन को स्वीकृति किया गया है उसमें 59 तृतीय श्रेणी के पद हैं। इस प्रकार बैंक में कुल। 179 तृतीय श्रेणी के नियमित पद रिक्त हैं। अतएव विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की विधि अड़चनों को दूर करने एवं कार्यरत कर्मचारियों के अनुभव को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान निर्धारित शैक्षिक योग्यता में निम्न प्रकार संशोधन करने पर विचार करना चाहें स्नातक एवं यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक के सहायक पद पर अस्थाई पद पर अस्थाई तौर पर 28-2-82 को कार्यरत तथा बैंक में कम से कम 6 माह का अनुभव"

आपसे निवेदन है कि शैक्षिक योग्यता में उक्त संशोधन को स्वीकृत प्रदान करने की कृपा करें : उ) प्र0 सहकारी अधिनियम की धारा 120 के अन्तर्गत सहकारी समिति निबन्धक से विधिवत अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। तदुपरान्त सेवा मण्डल से अनुरोध किया जाना सम्भव होगा कि अब तक अधियाचित 120 अस्टिटेन्टस के पदों को भरने हेतु बैंक में कार्यरत असिस्टेन्टस को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न के दो भाग हैं, एक तो अर्हता के सम्बन्ध में था, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने केवल थोड़ा सा संकेत ही दिया है, हमारे ख्याल से मानमीय मंत्री जी पूरी तरह से तैयारी करके नहीं आ सके और दूसरा पक्ष था छूट में अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में, तो माननीय मंत्री जी कृपा करके अब यह बता दें कि यह छूट पर अनुमति कब तक प्रदान करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यह शासन के विचाराधीन है और शासन का इस सम्बन्ध में यही प्रयास है कि इस मामले पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाए।

श्री फखरे आलम—

हमारा सवाल कुछ है और जबाब कुछ आया है, यानी निशाना कहीं पर है और निगाहे कहीं पर। मान्यवर, सवाल मेरा यह है कि उन लोंगों को कब स्थायी कर दिया जायेगा, उसको कोई टाईम लिमिट निश्चित की गयी है ? यदि नहीं, तो इसकी वजह क्या है ? दूसरे यह पत्र कब का लिखा हुआ है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के प्रति जितनी इन प्रश्नकर्ता माननीय सदस्यों को सहानुभूति है, उससे कम सरकार को नहीं है। इस मामले पर विचार कर रही है और प्रयास यही होगा कि शीघ्रतिशीघ्र निर्णय ले लिया जाय।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

माननीय, मैं माननाय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जिस प्रकार से यू0 पी0 कोआपरेटिव बैंक से बारे में निर्णय लिये जा रहे हैं उसी प्रकार टेहरी गढ़वाल को-आपरेटिव बैंक के कर्मचारियों, जिसकी सेवा 5 सालों के ऊपर की हो गयी है, को भी स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय, इसके लिए मा० सदस्य यदि आप लोग से प्रश्न कर लें जो ज्यादा उचित रहेगा ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय किसी एक अधिकारी का पत्र मा0 मंत्री जी को इस आदरणीय सदन में नहीं पढ़ना चाहिए, इन्हें तो वह पढ़ना चाहिए, जो शासन निर्णय लेने जा रही है, दूसरे यह जो पत्र इन्होंने पढ़ा, उस पर जो निर्णय लिया, वह कौन सी तारीख थी । और उस पर निर्णय लेने में देरी के क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव

माननीय, 10-2-82 को पत्र लिखा गया है ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मेरे प्रश्न का दूसरा भाग रह गया कि एक साल हो गये उस पत्र के आए हुए एक साल हो गये, उस पर शासन ने निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों की इसके कारण क्या हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय, इस देरी के सम्बन्ध में पहले ही मैं कह चुका हूँ कि शासन अब यथा शीघ्र निर्णय लेगा ।

गोरखपुर, जिला अस्पताल में ज्यादा भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतों की जाँच

×6—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिला अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध गत 19 जुलाई, 1982 से अगस्त, 82 तक जन प्रतिनिधियों द्वारा क्रमिक अनशन चलता रहा ? यदि हाँ, तो जनप्रतिनिधियों की मांगें क्या थीं और क्या शिकायतों की जाँच कराई गई ? यदि हाँ, तो जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरि सिंह—

जी हाँ, प्रतिनिधियों की माँगों की शिकायतों की जाँच तत्कालीन विशेष सचिव डा0 वी0 एन0 श्रीवास्तव द्वारा कराई गई । जाँच पर ज्ञात हुआ कि माँगों की सूची में उल्लिखित कुछ मामलों में जाँच पहले भी की जा चुकी थी और तद आधार पर जिला अस्पताल के तत्कालीन अधीक्षक डा0 टी0 सी0 पाण्डेय, कार्यवाहक अधीक्षक डा0 एस0

के0 श्रीवास्तव, लेखा लिपिक सर्वश्री एम0 पी0 सिंह तथा पौहारी शरण, स्टोर क्लर्क श्री अम्बुद श्याम श्रीवास्तव, डा0 आर0 एस0 गोयल, मैट्रन, श्रीमती बेन्चुरा, श्री बुद्धि सागर, फार्मेसिस्ट तथा स्टाफ नर्स माया जोजेफ को दोषी पाया गया था। उनसे राजकोय धन की क्षतिपूर्ति हेतु वसूली की जा रही है तथा डा0 गोयल की सेवायें समाप्त कर दी गई है। अन्य मांगो में उल्लिखित मामले साधारण प्रकार के पाये गये और उसके निराकरण हेतु स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(देखिए नत्थी "क" पृष्ठ विषय सूचि में देखें।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में डा0 श्रीवास्तव ने जांच की और उन्होंने बताया कि कुछ मामलों को पहले भी जाँच हो चुकी है, जिसमें सम्बन्धित लोग अभियुक्त पाये गये, रिकवरी हो रही है। इसमें दो प्रश्न किये गये, एक तो डा0 श्रीवास्तव ने अपने स्तर पर क्या जाँच की? जो 33 मामें हैं, उसमें डा0 श्रीवास्तव ने अपने स्तर पर जाँच की, उसका क्या निष्कर्ष निकला? दूसरा, जिनके नाम अंकित हैं, उन पर क्या आरोप हैं और किन-किन से कितने-कितने धन की वसूली की जा रही है?

श्री हरि सिंह

इसमें एक तो मैट्रन गोदाम दोषी पायी गयी हैं, श्रीमती बेन्चुरा। लगभग 1000 रु0 की शिकायत थी। वसूलयाबी की जा रही है। सी0 एम0 डी0 स्टोर में 7000/- रु0 की धनराशि की कमी पायी गयी थी। इसमें फार्मासिस्ट बुद्धि सागर के खिलाफ कार्यवाही के आर्डर दे दिये गये हैं। मरीजों की मौत के लिए जिम्मेदार डा0 आर0 एस0 गोयल की सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं। नकली दवाओं की रोक हेतु ड्रग इन्सपेक्टर द्वारा दवा की सैम्पलिंग की जाती है। उसका इस्तेमाल फौरन बन्द कर दिया गया है। इस तरह की उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैंने स्पष्ट प्रश्न किया था कि डा0 श्रीवास्तव को जाँच के लिए भेजा गया, उन्होंने जाँच की, उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की? दूसरा, जिन लोगों के नाम दिये हुए हैं, उनके विरुद्ध कौन से आरोप सिद्ध हुए थे और उसमें क्या कार्यवाही की गयी? रिकवरी तो दो आदमियों से हो रही है, बाकी लोगों के विरुद्ध, जिन पर आरोप सिद्ध हो गये हैं, उन पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री हरि सिंह—

जाँच रिपोर्ट के ही आधार पर यह सूचना दी गयी है। डा0 श्रीवास्तव सेवा निवृत हो चुके हैं। डा0 गोयल बरखास्त कर दिये गये हैं। दो आदमियों से, जिनकी बात आप कह रहे हैं, वसूली हो रही है। अन्य लोगों के खिलाफ गम्भीर आरोप नहीं थे, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भ्रमित हो गये । मैं उन डा० श्रीवास्तव की बात कर रहा हूँ, जो इन्क्वायरी आफीसर नियुक्त करके भेजे गये थे शासन की ओर से उनका नाम इसमें दिया हुआ है, विशेष सचिव, डा० बी० एन० श्रीवास्तव, जो जांच अधिकारी होकर गये थे, जिन्होंने जांच की। मेरा स्पष्ट प्रश्न यह है कि उनकी जांच रिपोर्ट क्या है, उसका परिपालन हुआ या नहीं। जिनका नाम दर्ज है, उनके विरुद्ध क्या आरोप है मेरा स्पष्ट आरोप है कि अभी तक दोषी अधिकारियों का वहां से स्थानान्तरण नहीं हुआ है।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

विशेष सचिव को मा० मोहन सिंह जी के पत्र पर जांच के लिए भेजा गया था उनको अधिकृत किया गया था कि तत्काल कार्यवाही करें। उन्होंने जो कार्यवाही की, उनका लेखा आपके सामने रख दिया। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इससे सम्बद्ध है और आपकी जानकारी में है कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है, आप नाम दे दीजिये, उसके ऊपर भी कार्यवाही हो जायगी।

प्लाट नं० 98 से 100 तक सराय मौज, कीटगंज की भूमि पर पर अनधिकृत कब्जा किये जाने की जांच

×7—श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

क्या नगर विकास मंत्रीबताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद स्थित प्लाट नं० 98 से 100 तक सराय मौज, कीटगंज की भूमि गवर्नमेंट स्टेट की है ? यदि हाँ, तो उस भूमि पर कुछ लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है और क्या यह भी सही है कि उन मकानो में रह रहे किरायेदारों को उत्पीड़ित किया जा रहा है और उसका विक्रय भी किया जा रहा है यदि हां, तो किसके आदेश से ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इस समय प्लाट नं० 98 से 100 तक सराय मौज, कोटगंज गवर्नमेंन्ट इस्टेट की भूमि नहीं है यद्यपि राजस्व अभिलेखों में ऐसा ही दर्ज है। परन्तु सब-रजिस्ट्रार (चायल) के अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 5 जनवरी, 1909 की हकत भूखण्डों सहित अन्य भूखंड तत्कालीन म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा अधिगृहीत करके बाई का बाग नामक एक आवासीय योजना बनाकर विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में बेंच दिये गये। प्रश्नगत प्लाट वर्ष 1913 में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा श्री मूलचन्द्र मालवीय के पक्ष में बेचा गया है। चूँकि संदर्भित भूमि गवर्नमेंट इस्टेट की नहीं है। इसलिए अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। उत्पीड़न अथवा विक्रय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

माननीय मंत्री जी ने स्वयं अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि सम्बन्धित विवाद ग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेखों में गवर्नमेंट प्रापर्टी के रूप में दर्ज है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यह बात स्वीकार की है लेकिन इसके साथ ही साथ उनका यह कहना कि तत्कालीन म्यूनिस्पल कोर्ड द्वारा अधिगृहीत करके बाई का बाग बनाकर उसे विभिन्न व्यक्तियों को बेच दिया। तो एक तो ये विभिन्न व्यक्ति कौन हैं? दूसरे उसमें अधिग्रहण कब किया गया?

श्री राम सिंह खन्ना—

माननीय, यह तो मूल उत्तर में ही दिया है कि उक्त भूखंड 1909 में अधिगृहीत किया गया और 1913 में बेचा गया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस सदस्य ने बेचा और आवासीय योजना सरकार के दिमाग में आयी कि इसका आबंटन कर दिया जाय तो जिनको यह दिया गया वह पात्र व्यक्ति हैं या नहीं? वास्तव में सही व्यक्ति को वह भूमि दी गयी या नहीं?

श्री राम सिंह खन्ना—

सही के पास गयी है जिसने खरीदा उसको दी गयी है। जिसने बेचा उसके नाम की सूचना यदि आप चाहें तो मैं आपको दिये देता हूँ।

श्री बैंजनाथ प्रसाद कुशवाहा—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उस भूमि का अधिग्रहण कब किया गया?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, यह तो मूल उत्तर में साफ दिया हुआ है कि वह जमीन 1909 में तत्कालीन म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा अधिगृहीत की गयी और उसे 1913 में बेच दिया।

कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ में सहकारी पर्यवेक्षक पद हेतु साक्षात्कार

×8—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, लखनऊ के विज्ञापन संख्या 3-ए/80 दिनांक 4-11-80 द्वारा उ0 प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड, लखनऊ के लिए सहकारी पर्यवेक्षक पद हेतु रिक्त 125 पदों के लिए आवेदन पत्र जमा कराये थे? यदि हाँ, तो पर्यवेक्षकों का इन्टरव्यू कराकर रिक्त पदों पर अब तक नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ।

जी नहीं, अभी तक परिणाम घोषित नहीं किये जा सके हैं। प्रश्नगत पदों, के लिए साक्षात्कार अक्टूबर 1982 में पूर्ण किया जा चुका था किन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं0 5359/82 में दिनाक 5-11-82 को पारित स्थगन आदेश के कारण चयन परिणाम अब तक घोषित नहीं किये जा सके है। मंडल स्तर पर विविध कार्यवाही जारी है।

श्री हरिवंश सहाय—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि मण्डल स्तर पर किस प्रकार की विधिक कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मण्डल में जो सब-रजिस्ट्रार होता है वह इसकी विधिक कार्यवाही यानी पैरवी कर रहे हैं। हाईकोर्ट के अन्दर।

×9 श्री गोपीनाथ वर्मा—

(माननीय सदस्य ने वापस ले लिया)

आवास एवं विकास परिषद द्वारा बनाये जा रहे भवनों के आवंटन में वर्तमान विधायकों का आरक्षण

×10–श्री राज कुमार राय—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्तमान विधायकों को आवास विकास परिषद द्वारा बनाये जा रहे विभिन्न नगरों में भवनों के आवंटन में कोई आरक्षण दिया गया है ? यदि हां, तो इसकी शर्त क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ !

आवास एवं विकास परिषद द्वारा बनाये जा रहे भवनों के आवंटन में वर्तमान विधायकों के लिए स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के साथ मध्यम आय वर्ग तथा उच्च आय वर्ग के भवनों एवं भूखण्डों के प्रदेशन में 4 प्रतिशत के आरक्षण का प्राविधान है। शर्तें संलग्न हैं।

(देखिए नत्थी "ख" पृष्ठ विषय सूचि में देखें।)

श्री राजकुमार राय—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा कि क्या उन सुविधाओं की सूचना विधायकों को भेज दी गयी थी ? क्या आवास विकास द्वारा बनाये गये भवनों की सूची प्रकाशित कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो कितनी एप्लीकेशन्स आयी थीं और उसमें से कितनी का डिसपोजल हो गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका बहुत ही व्यापक सवाल है । आप अपना सवाल पुनः करें । मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राज कुमार राय—

क्या इन सुविधाओं के लिए और जिन नगरों में सूची बन गयी है और जहां पर मकान बन रहे हैं, तो क्या ऐसे भवनों की सूची विधायकों को देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

इसकी जानकारी तो विधायकों को होनी ही चाहिए और उनको और जानकारी नहीं है तो करा दी जायेगी ।

श्री भीखा लाल—

मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आपके पूर्ववर्ती जो स्वायत्त शासन मंत्री, श्री गोयल थे उन्होंने सदन में एलान किया था कि लखनऊ में ऐसे भूखण्डों का चुनाव करके भूखन्ड या मकान जैसी भी स्थिति होगी सा0 विधायकों को दी जायेगी । इसी लिए एक प्रयोजन समिति भी बनायी गयी थी । उस समिति ने अपनी सिफारिशें की थीं कि लखनऊ में किसी भूखन्ड का चुनाव करके मकान या प्लाट दिया जायेगा । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसे किसी भूखन्ड का चुनाव किया है ? यदि हाँ, तो कब तक वे एलाट किए जायेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वह योजना तैयार हो गयी है । इस योजना के अन्तर्गत 200 भूखन्ड तैयार करने की योजना है । सारी चीजों पर कार्यवाही चल रही है और उम्मीद है कि वह जल्दी ही हो जायगी ।

आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता श्री राज नारायन राय के विरुद्ध जाँच

×11—श्री मुन्शी लाल तथा श्री हरिद्वार पाण्डेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाबूगंज नई बस्ती, लखनऊ के निवासियों का कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 17-8-82 तथा दिनांक 21-8-82 को जिलाधीश लखनऊ को आवास विकास परिषद के अधिशासी अभियन्ता (श्री राजनरायन राय) द्वारा नजूल की भूमि पर अनियमित कब्जा तथा नगर महापालिका द्वारा आज से 40 साल पहले 16000 की लागत से बस्ती के हरिजनों के लिए बनवाए गए कुएं को तुड़वाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जाँच कराई ? जाँच का क्या परिणाम रहा और सरकार ने उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री राम सिंह खन्ना —

जी हाँ, जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा ये प्रार्थनापत्र मूल रूप में प्रशासक नगर महापालिका को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिये गये थे। इसी विषय पर सर्वश्री कन्हैया लाल महेन्ट्रू, राम समुझ वन तथा दीप नरायन वन प्रार्थना पत्र दिनांक 3-8-1982 मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ था जिस पर लखनऊ विकास प्राधिकरण से जांच कराई गई जिससे यह ज्ञात हुआ कि श्री राजनरायन राय को तत्कालीन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा दिनांक 28-5-1969को 56 फीट×44फीट का एक भूखण्ड पट्टे पर दिया गया था जिसके अन्दर प्रश्नगत कुआं भी स्थित था। इस पट्टे का रजिस्ट्रेशन-दिनांक10-1-1972 किया जा चुका है।

चूंकि यह मामला सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का नहीं है अतएव बिकास-प्राधिकरण द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया गया।

श्री मुन्शी लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कुएँ में 16 हजार रुपया लखनऊ नगर महापालिका का कितना खर्च हुआ है क्या लखनऊ नगर महापालिका को वह रुपया दिया गया था अथवा नहीं दिया गया था? यदि नहीं दिया गया तो किस कारण यह कुआं राज नारायण राय के कब्जे में हो गया, मंत्री जी बतायेंगे?

श्री रामसिंह खन्ना—

जैसा मैंने बताया कि तत्कालीन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने 20-5-1969 का 56 फीट× 44 फीट का एक भूखन्ड पट्टे पर दिया गया था जिसके अन्दर वह कुवां आ गया।

श्री मुन्शी लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह भूखन्ड 44 फीट 56 फीट न होकर 44 फीट 66 फीट है क्या इसके जांच मन्त्री जी किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे।

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप जिस तरह भी चाहें और जैसे आप विश्वास करें मैं जाँच की हर प्रक्रिया अपनाने के लिये तैयार हूँ। जो सुझाव आप देंगे, वह मैं मान लूंगा। क्योंकि यह एक गवर्नमेन्ट सरवेन्ट को दिया गया है। और गवर्नमेन्ट सरवेन्ट ही इसका मालिक है। आप जिससे भी इसकी जानकारी करना चाहे और यदि किसी तरह से नियमों का उल्लंघन किया गया हो अथवा जनभावना का उल्लंघन किया गया हो तो मैं हर कार्यवाही करने के लिये तैयार हूँ।

श्री प्रियदर्शी जेटली—

क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है और उसको सही मानते हुये महा-पालिका के पूर्व प्रशासक, श्री मधुकर गुप्त इस प्लाट नम्बर 9 के बारे में तहसीलदार श्री कृष्ण मिश्रा को पैमाइश सौंपी थी जिसमें तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था

कि इसका अतिक्रमण किया गया है। क्या मंत्री जी तहसीलदार की रिपोर्ट मांगकर देखने की कृपा करेगें जिसके आधार पर जिन लोगों ने गोलमाल किया है, उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिये सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, जो सूचना उपलब्ध है उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है। मैं सारे सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो संदेह किया गया है उसका समाधान किया जायेगा और जानकारी की जायेगी। साथ ही जिन्होंने अगर कोई गलत काम किया होगा तो उनको सजा भी दी जायेगी।

जय प्रकाश नगर पूर्व भाग, आलमबाग लखनऊ को मलिन बस्ती सुधार योजना में शामिल किये जाने का प्रस्ताव

×12—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

प्रथम सत्र 82 के 3 रे गुरुवार के ता0 प्र0 सं0 3 के उत्तर के क्रम में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त मोहल्ले को अब तक मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या इस मोहल्ल को उक्त योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करके शीघ्र सुधार कार्य आरम्भ किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना

किसी भी बस्ती। क्षेत्र को मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित माप दण्ड निर्धारित किये गये हैं :—

1. नगर की जनसंख्या। लाख से अधिक होनी चाहिए।
2. ऐसी ही बस्तियां सुधार कार्य हेतु ली जानी चाहिए जिनका निपातन अगले दस वर्ष तक प्रस्तावित न हो।
3. मलिन बस्ती योजना में वही बस्तियां प्रस्तावित की जायेंगी जिनकी दशा अत्यन्त शोचनीय हो तथा जिसमें अधिकतर समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के व्यक्ति निवास करते हों।
4. नगर के विभिन्न मलिन बस्तियों में से सर्वप्रथम ऐसी बस्तियों की ही योजनाएं तैयार की जाएं जो नगर की सबसे खराब मलिन बस्तियां कही जा सकती हों तथा वहां नागरिक सुविधाओं का अभाव हो।
5. साधारणतया ऐसी मलिन बस्तियां पहले ली जाय जिनमें पानी, बिजली, सीवर, की सुविधाएं बस्ती के निकट ही उपलब्ध हों।
6. अनधिकृत रुप से बसी मलिन बस्तियों को उक्त योजना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
7. बस्ती के निवासियों की आर्थिक दशा ऐसी होनी चाहिए जिससे उन्हे समाज का निर्बलतम् वर्ग कहा जा सके।

जहाँ तक अयप्रकाश नगर का सम्बन्ध है, वहाँ पर अधिक समाज के मध्यम तथा अल्प आय वर्ग के लोग निवास करते हैं तथा वहाँ पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोग नगण्य हैं। लगभग सभी भवन पक्के बने हैं। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र मलिन बस्ती के अन्तर्गत नहीं आता है।

चूंकि वह मोहल्ला निर्धारित माप दण्ड के अन्तर्गत नहीं आता, अतः मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत लिये जाना संभव नहीं हो सका।

श्रीमती प्रेमा तिवारी—

मान्यवर, मेरे को वहां की जानकारी है, वहाँ निम्न वर्ग के लोग काफी संख्या में में रहते है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के दौरान बिजली पानी अदि चीजों की बात कही, उनकी वहां पर बहुत आवश्यकता है और वह पास में ही हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी इसे पुनः दिखवाकर इस क्षेत्र को 1983-84 में मलिन बस्ती योजना के अंतर्गत लाने पर विचार करेगें ?

श्री राम सिंह खन्ना—

आपकी जानकारी को आधार मानते हुए मैं फिर से निर्देशित करूंगा। अगर इस मापदण्ड में वह आता है तो अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिये।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, स्वायत्त शासन मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ जो हम समझ पाये हैं, वह यह है कि मलिन बस्ती वह है जहाँ पर लोग गंदगी में रहते हैं जहाँ पर रहने की ठीक व्यवस्था नहीं है, सफाई बिजली पानी की सुविधा नहीं है। लेकिन जो मापदण्ड आपने बनाया है कि एक लाख से उपर आबादी होगी वही मलिन बस्ती होगी तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई बस्ती मलिन बस्ती होगी जो मलिन बस्ती में आये और उनका सुधार हो सकेगा। तो क्या इसको शिथिल करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना—

शनैः शनैः बस्तियाँ ली जा रही हैं ? पहले यह योजना दो बड़े शहरों में थी अब 10, 12 में है। जो यह एक लाख की आवादी की बात है, यह टाउन की है, बस्ती की नहीं। यानी जिस टाउन की अबादी एक लाख से ऊपर होगी उसकी मालिन बस्ती की बात है।

इन्दिरा नगर योजना, लखनऊ में विकसित भूखण्डों का आवंटन

×13—श्री रामेश्वर प्रसाद—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकरी है कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित इंदिरा नगर योजना, लखनऊ में सैकड़ों आवासीय भूखंड विकसित किये हुये पड़े हैं परन्तु अनेक वर्षो के बीत जाने के बावजूद भी उनका आवंटन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या जो भूखंड विकसित किये गये हैं उनको लाटरी के आधार पर शीघ्र ही आवंटित कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना

प्रश्नानुसार इन्दिरा नगर योजना में 91 उपलब्ध विकसित भूखण्डों में से 68 भूखण्डों का प्रदेशन दिनांक10 नवम्बर, 1982 को किये जा चुके है और शेष 23 भूखण्ड समितियों हेतु आरक्षित हैं जिनका प्रदेशन बाद में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अन्य कोई विकसित भूखण्ड प्रदेशन हेतु उपलब्ध नहा है। अत: लाटरी के आधार पर आवंटित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम बनत को टाउन एरिया बनाने का निर्णय

×14—श्री हुकम सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बनत जनपद मुजफ्फरनगर जिसकी जनसंख्या 15 हजार से भी अधिक है और जिसे जिला प्रशासन द्वारा अपने पत्रांक 774/21-189 (76-79) टा0 ए0 दिनांक 24-11-1979 द्वारा टाउन एरिया घोषित करने की संस्तुति की गयी है, को टा0ए0बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

ग्राम बनत को टाउन एरिया बनाने का प्रशासनिक निर्णय लिया जा चुका है।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, निर्णय तो आपने ले लिया लेकिन कब उसे गठित कर देगे समय बता दें।

श्री राम सिंह खन्ना—

आप जितने समय की उम्मीद कर रहे हैं उससे जल्दी कर देंगे।

होम्योपैथिक कालेजों का प्रान्तीय करण

×15—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के सभी होम्योपैथिक कालेजों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद भी इलाहाबाद तथा कानपुर के कालेजों के सभी अध्यापकों को समायोजित नहीं किया गया है ? यदि हां तो समायोजित न किये जाने वाले अध्यापकों को 15 माह से उनका वेतन भी नहीं दिया गया है ? यदि हाँ तो इनका भुगतान सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अर्जन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत 9 होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का प्रान्तीयकरण दिनांक 11-12-1981 से किया गया है। प्रान्तीय कृत कालेजों में इलाहाबाद होम्यौपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद तथा दयानन्द जनवादी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर सम्मिलित नहीं है। चूँकि इन दो कालेजों के कर्मचारी राजकीय कर्मचारी

नहीं हैं अतः इनके अवशेष वेतन का भुगतान, राज्य सरकार द्वारा करने का प्रश्न नहीं उठता है। (लोकपति)

श्री रमाकान्त मिश्र—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज तथा दयानन्द जनवादी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर को अब डि-रिकगनाइज कर दिया गया है तो उनके कर्मचारियों की स्थिति क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमान, उनको समायोजित नहीं किया गया है। मगर शासन के विचार में है। जब अध्यादेश बना था उसके अन्दर विद्यालयों के नाम दिये गये थे और जिस समय आध्यादेश विधेयक के रुप में पारित हुआ उस समय तक इन दो कालेजों को स्वीकृत नहीं मिली थी। अब यह शासन के विचाराधीन है कि इनके कर्मचारियों और अध्यापकों को समायोजित किया जाय।

श्री रमाकान्त मिश्र।—

मान्यवर, कब तक समायोजित करा देगें। क्योंकि 15 महीनों से वे भूखों मर रहे हैं और तीन महीने बढ़ गये हैं ।

श्री लोकपति त्रिपाठी —

श्रीमन्, वह अभी हमारे कर्मचारी नहीं हैं। शासन निर्णय कर रहा है, संमाधान देखने होते हैं।

फाजिल नगर, देवरिया में कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा
शीत गृह में रखागया आलू

×16—श्री मती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिले में उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 के फाजिल नगर स्थित शीतगृह में मार्च, 1981 तक कुल कितना आलू किसानों द्वारा रखा गया था ? क्या किसानों का अधिकांश आलू सड़ गया ? यहि हाँ, तो किसानों को क्षतिपूर्ति अब तक न देने का क्या कारण था ?

श्री बलराम सिंह यादव—

फाजिल नगर जिला देवरिया में उ0 प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन द्वारा संचालित शीतगृह में मार्च, 1981 तक किसानों में द्वारा 1851.90 कुन्तल आलू रखा गया था।

जी हां, किसानों द्वारा भन्डारित आलू में से 1058.09 कुन्टल आलू सड़ गया था।

किसानों का 60 रु० प्रति कुन्टल की दर से कुल 63, 485-40 रुपये की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

श्रीमती गौरी देवी —

मान्यवर, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि किन-किन किसानों को कितनी-कितनी धन-राशि का भुगतान किया गया। क्या यह भुगतान मेरे द्वारा प्रश्न करने के बाद किया गया है ?

श्री बलराम सिंह यादव —

जितने किसान थे, जिनका क्लेम बनता था, सभी का भुगतान हो गया है एक भी किसान नहीं रह गया है।

श्रीमती गौरी देवी —

किस अधिकारी के समक्ष भुगतान किया गया है। यदि भुगतान नहीं किया गया है। तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव —

मैं मान्यवर, निश्चित सूचना दे रहा हूँ कि सभी किसानों का भुगतान हो चुका है। फिर भी मा0 सदस्या को यदि स्पेसिफिक जानकारी है कि किसी को नहीं मिला है तो मैं उसकी जाँच करा लूँगा और दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करूँगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा —

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि 60 रुपये प्रति क्विंटल आलू जो देना बताते हैं तो उसका आधार क्या था ? मेरी तो निश्चित जानकारी है कि अधिकांश किसानों को भुगतान नहीं हुआ है। तो क्या इसकी जाँच मंत्री जी करायेंगे और गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव —

60 रुपये प्रति क्विन्टल देने का आधार जिला अधिकारी ने तय किया है कि गतवर्ष 1980-81 में आलू का जो कम से कम रेट था और अधिक से अधिक जो रेट था। उसका औसत निकाला तो वह 60 रुपये होता है और उसी हिसाब से भुगतान हुआ है।

दूसरे प्रश्न के संबन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूं कि यदि किसी किसान को पैसा नही मिला है चूंकि शासन को कोई शिकायत नही मली है, लेकिन फिर भी मा0 सदस्य सूचना दे दें तो पेमेन्ट करा दूंगा।

श्री रियासत हुसैन —

उस कोल्ड स्टोरेज में 1851 क्विंटल आलू रखा गया और 1053 क्विंटल सड़ गया, आधे से ज्यादा। तो इन कारणों की क्या आपने जाँच करायी है कि इतना आलू क्यों सड़ गया जिसका कपंसेशन भी देना पड़ा ?यदि कोई जाँच कराई गयी है तो कौन दोषी पाया गया और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव —

मान्यवर, इतनी विस्तृत सूचना नहीं है लेकिन इतनी सूचना है कि मेकनिकल डिफेक्ट हो गया था और वह ऐसा था कि जिसको बहुत शीघ्रता से, ठीक किया जा सकता था, इसलिये यह आलू सड़ गया था।

ग्रामीण क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों द्वारा गैर सरकारी प्रशासकों की नियुक्ति

×17—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारिता विभाग ने वर्ष 1982 में ग्रामीण क्षेत्र की साधन सहकारी समितियों में गैर सरकारी प्रशासक नियुक्त किए लेकिन उनको कोई अधिकार नही दिये गये जिस कारण उनका समितियों के सचिव पर कोई अंकुश नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रशासकों को अधिकार देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

ग्रामीण क्षेत्र की सकारी समितियों में गैर सरकारी व्यक्ति प्रशासक नियुक्त किये गये हैं।

उ0 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 122 के अन्तर्गत साधन सहकारी समितियों के समस्त सचिवों के लिए एक सवर्ग का गठन किया गया है और इस सम्बन्ध में जो नियमावली बनाई गई है उसी से इस सवर्ग के सदस्यों की भर्ती की प्रणाली और सेवा शर्तें नियमित होती हैं। उक्त नियमों के अधीन बनाए गये विनियमों में समिति के अध्यक्ष को सचिवों का आकस्मिक अवकारी स्वीकृत करने, अपने कार्य से अनुपस्थित होने की अनुमति देने तथा सचिवों के विरुद्ध अध्यक्ष द्वारा की गई रिपोर्ट पर अनुशासनिक कार्यवाही करने का तथा सचिव को सेन्सर का दण्ड देने का तथा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सचिव के विरुद्ध बाद या फौजदारी के मामले में सहायक निबन्धक की स्वीकृति के उपरान्त समिति के व्यय पर प्रतिवाद करने की स्वीकृति देने का प्रबन्ध कमेटी को अधिकार है। समिति के अध्यक्ष/प्रबन्ध कमेटी के अधिकार उन समितियों में जहां प्रशासक नियुक्त हैं, का उपलब्ध है। उपरोक्त नियमानुसार दिए गये अधिकार द्वारा सचिवों पर प्रशासक का समुचित अंकुश उपलब्ध है।

क्षय रोग की बीमारी हेतु व्यवस्था तथा योजना

×18—श्री बिहारी लाल—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल की तीनों जिलों में बढ़ती हुई क्षय रोग की बीमारी के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ? नैनीताल के भवाली सेनिटोरियम में विशेष अनुदान देकर इसमें विस्तार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरि सिंह—

कुमांऊं मण्डल में क्षय रोग की स्थिति सामान्य है और उसे वहां बढ़ता हुआ मानने का कोई आधार नहीं है।

क्षय रोग के रोकथाम तथा उपचार के लिये मण्डल के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर टी0 वी0 केन्द्रों की स्थापना हुयी है और प्रत्येक केन्द्र पर उपचार की सुविधा के साथ निरोध कार्य के लिये बी0 सी0 जी0 दल कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मण्डल मे क्षय रोग के तीन बड़े चिकित्सालय भी हैं।

भुवाली सैन्टोरियम के विस्तार या सुदृढ़ीकरण के लिये अभी कोई नयी योजना नहीं है ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

श्री मान, पावर्तीय क्षेत्र में टी0 बी0 बहुत फैल रही है, यह बहुत अहम प्रश्न है, इसलिए हमें आप अभी इस प्रश्न पर प्रश्न कर लेने दें । वहां इसकी ठीक से रोकथाम की व्यवस्था नहीं हो पा रही है—

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए ।

(व्यवधान)

× × ×

×19—श्री पंचानन राय—

(8वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

सहकारो समिति दरौली व दुबौली के सचिवों द्वारा बेची गयी खाद के विरुद्ध दायर मुकदमा

×20— श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर थाना महाराजगंज की पुलिस दिनांक 1-8-82 में सहकारी समिति, दरौली व दुबौली ब्लाक महाराजगंज, गोरखपुर के सचियों द्वारा कालेबाजार में बेची गयी खाद की क्रमशः 200 व 250 बोरी पकड़कर जब्त कर मुकदमा कायम किया है ? यदि हां, तो अब तक अग्रेतर कार्यवाही क्या की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

गोरखपुर थाना महाराजगंज के थानाध्यक्ष ने दिनांक 1-8-82 को अभियोग सं0-अ0 स0 122/82 धारा 23/7 ई0 सी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये जाने के उपरान्त पी0 सी0 एम0 गोरखपुर से ट्रक द्वारा साधन सहकारी समिति दरौली को भेजी गई 200 बोरो में से दिनांक 2-8-82 को 133 बोरी खाद श्री पवन कुमार अग्रवाल, पादरी बाजार, गोरखपुर से बरामद की ।

उपरोक्त मामले से सम्बन्धित श्री फुलई यादव, ट्रक चालक तथा श्री कृष्ण दत्त तिवारी, सहायक सचिव, साधन सहकारी समिति, दरौली तथा श्री पवन कुमार अग्रवाल, पादरी बाजार, गोरखपुर के विरुद्ध विवेचना पूर्ण करने के पश्चात पुलिस द्वारा दिनांक 18-8-82 को आरोप पत्र संख्या-69 प्रेषित गया ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न)

सम्पूर्ण ग्रामींण क्षेत्र को उपभोक्ता योजना का क्रियान्वयन

××1—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को उपभोक्ता योजना

के अन्तर्गत लाने को सरकार की कोई योजना है ? यदि हां तो यह कब तक कार्यन्वित हो जायेगी ? इस पर कितना खर्च हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हाँ।

आगामी एक वर्ष में इस योजना के कार्यान्वित हो जाने की सम्भावना है।

इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य सरकार पर नाम मात्र का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

श्री शंकर सिंह --

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह योजना है, उसकी रूपरेखा क्या है ? किस एजेंसी के द्वारा आप इसका कार्यान्यन करने जा रहे हैं ? और कौन-कौन सी वस्तुएं आपके इन उपभोक्ता भांडरो पर उपलब्ध कराई जाऐगी।

श्री बलराम सिंह यादव--

इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि निजी व्यवसाइयों के शोषण से ग्रामीण जनता को बचाया जाय। यह एन० सी०डी० सी०की योजना है और उसका पूरी वित्तीय भार वही वहन करेगा, राज्य सरकार पर नाममात्र का वित्तीय भार आयगा। इन भंडारों पर एक तो नियन्त्रित वस्तुएं जैसे चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराया जाएगा और अनियन्त्रित वस्तुओं में जैसे मोटा कपड़ा, खाद्य तेल, नहाने व कपड़ा धोने का साबुन, चाय, नमक, व साइकिल के टायर व ट्यूब स्कूली अभ्यास पुस्तिकाएं आदि वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस तमाम प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं को इन भंडारों से उपलब्ध कराने का उसका लक्ष्य है।

श्री शंकर सिंह---

मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय सम्पूर्ण प्रदेश में न सही तो अधिकांश शहरी क्षेत्रों में जो आपके उपभोक्ता भंडार चल रहे, हैं उनमें कितने फायदे में आप हैं और कितने नुकसान में हैं ? यदि नुकसान में है तो कितने नुकसान में हैं ? और मेरे इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है कि आप किस एजेंसी द्वारा यह कार्य करवायेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव --

यह जो योजना है इसके लिए अलग से सोसाइटी खोलने की योजना नहीं हैं, जो मौजूदा सोसाइटियां हैं, उन्हीं सोसाइटियों के जरिये से इस योजना का चलाया जाएगा।

श्रीधनीराम वर्मा---

उपभोक्ता भंडार खोलने की मुख्य मंशा यह है कि जनता को जीवन की आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें, इस सन्दर्भ में मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या सरकार जनता को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राइमरी सोसाइटी क्षेत्र में एक के बजाऐ दो उपभोक्ता भंडार खोलेगी और उन्हें उस सोसाइटी के क्षेत्र में आनेवाले बाजारों में खोलेगी, ताकि ग्रामीण जनता कम समय खर्च करके बाजार की वस्तुओं के साथ-साथ भंडारों से भी आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

हमारे प्रदेश में कुल 8201 ऋण समितियां हैं और इन 8201 ऋण समितियों को 400 लीड समितियों से लिंक कर दिया जाएगा, इस प्रकार से जितनी सोसाइटियां हैं, उन सबका इन्वालमेंट इस योजना के अन्तर्गत हो जाएगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

वर्तमान ऋण सोसाइटियां वितरण का काम कर रही हैं, लेकिन उनकी अछमता की जानकारी सरकार को अच्छी तरह से है, ऐसी स्थित में उन पर यह अतिरिक्त भार देना कहाँ तक उचित है ? और क्या मंत्री जी इस बात का प्रयास करेगें कि शासन प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक जनरल उपभोक्ता भंडार का संगठन करे और वही नये सिरे इस काम को संभाले ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, अलग से कोई सोसायटी इस उद्देश्य के लिए खोलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि यह सम्पूर्ण योजना जो है वह एन० सी० डी० सी० से वित्त पोषित है, इस योजना से प्रदेशीय सरकार को वित्तीय भार नहीं है।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया था, उसका माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे सके। मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि जो उपभोक्ता भंडार शहरी और ग्रमीण क्षेत्र में अभी चल रहे हैं, उनके फायदे और नुकसान की कथा स्थित है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, यह बड़ा विस्तृत प्रश्न है। सदस्य यदि चाहें तो अलग से प्रश्न कर लें, उनको उसका उत्तर दे दिया जायगा।

श्री गोपी नाथ वर्मा—

मान्यवर, आपकी वितरण की दो व्यवस्था चल रही हैं एक तो कंट्रोल मान्यवर, दूकानों पर एक तो कंट्रोल के सामान होते हैं और दूसरे नान-कंट्रोल के सामान होते हैं। मान्यवर, आप जो सस्ती दरो पर सामान दूकानो पर भेजते है, उनको तो दूकानदार ब्लैक-कर लेते हैं और जो नान-कट्रोल के सामान होते हैं, उनके लिए यह कहा जाता है कि यह सामान बचा है, इसको आप खरीद लीजिए। क्या इस व्यवस्था को माननीय मंत्री जी खत्म करने की कृपा करेगें ?

श्री बलराम सिंह—

मान्यवर, जो गाँव के दूकानदार हैं, वह अनाप-सनाप कीमतें किसानों से लेते हैं। इस अनियमितता को दूर करने के लिए तथा किसानों को सस्ती दरों पर समान उपलब्ध करने के लिए शासन का प्रयास है।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम है, दूकानों पर सामान बहुत व्यापक रूप में सस्ती दरों पर जाता है और वह जो सस्ती दरों पर सामान जाते हैं, वह ब्लैक हो रहे हैं। अब नेशनल लेबिल पर उसको आप और व्यापक एन0सी0 डी0 सी0 के अन्तर्गत कर रहे हैं। क्या आप कोई विशेष रुप से इस बात का प्रबन्ध करने का विचार करेंगे कि जो सोसायटियों को सामान पहुँचे, उनका ब्लेक न हो ?

श्री बलराम सिंह यादव --

मान्यवर, शासन इसकेलिये कटिबद्ध हैं कि ब्लेक न हो, जो वस्तुयें जाती हैं, उनकी ब्लेक मार्केटिंग आदि न हो सके। इसके लिए शासन जो है कटिबद्ध है और जहाँ तक कोई विशेष प्रबन्ध की बात है, वह तो मुश्किल है, लेकिन इतना अवश्य है कि नजर रखी जाती है। जहां पर हर तरह के किसी भ्रष्टाचार आदि की शिकायत आती है तो उसमें सख्त कार्यवाही की जाती है।

श्री विजय सिंह राणा --

मन्यवर, वितरण व्यवस्था के दोषों को रोकने में माननीय मंत्री जो से पूछना चाहता हूं कि शासन इस विषय में क्या उपाय कर रहा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, क्रिमिनल ला, सी0-आर0 पी0 सी0 हमारे पास है यह सारी व्यवस्था हमारे पास है। इनके द्वारा मान्यवर, इनको, सबको रोका जा सकता है।

श्री भीखा लाल- -

क्या माननीय सहकारिता मंत्री जो बताने की कृपा करेंगे कि जो उपभोक्ता भंडार खोले जा रहे हैं, उनका निरीक्षण करने के लिये और उनका समय-समय पर आडिट करने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे, ताकि कोई वित्तीय अनियमितता न हो या कोई इसके लिए प्रबन्ध किया है ताकि कोई गड़बड़ी न हो, जैसा कि अभी अखबारों में पढ़ा है कि लखनऊ के उपभोक्ता भंडार में 58 लाख का घाटा है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेगें जिससे इनका आडिट और चेकिंग वगैरह हो सके ?

श्री बलराम सिंह यादव---

मान्यवर, 6 समितियों के ऊपर एक निरीक्षक को नियुक्त किया जायगा जो तमाम समितियों के कार्य कोदेखेगा, वित्तीय व्यवस्था को भी देखेगा। इस प्रकार हैं समझता हूं कि सारा कंट्रोल ठीक तरह से हो सकेगा।

गेहूँ संकट से निपटाने हेतु शासन द्वारा उठाये गये कदम

××2— श्री सरदार सिंह --

श्री कुबेर भण्डारी--

श्री गोपी नाथ वर्मा तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी --

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान गेंहू संकट से निपटाने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता विधायकों का पत्र खाद्य मन्त्री को दिनांक 15-1-1983 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार राशन की दुकानों पर कब तक सस्ता गेहूँ उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

1. प्रश्नकर्ता विधायक महोदय का पत्र दिनांक 15-1-1983 को प्राप्त हुआ था।

2. भारत सरकार से जनवरी, 1983 के लिए जन वितरण प्रणाली हेतु 40 हजार टन गेहूँ का आवंटन प्राप्त हुआ जो विभिन्न जिलों को सस्ते गल्ले की दुकानों के

माध्यम से वितरण करने के लिये आवंटित कर दिया गया। इसके अलावा, सस्ते गल्ले का दुकानों के माध्यम से गेहूँ की उपलब्धि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये :--

(1) भारत सरकार से गेहूँ का अतिक्ति आवंटन प्राप्त कर जिलों को वितरण हेतु आवंटित किया गया।

(2) प्रदेश की रोलर फलोर मिलों को निर्देश दिये गये हैं कि आवंटित गेहूँ के कम से कम 60 प्रतिशत मात्रा का होल मील आटा बनाया जाय, जिनकी बिक्री केवल सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से कराई जाय।

(3) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत प्राप्त 28318 टन गेहूँ का आवंटन जिलों को भेजा गया है।

(4) फरवरी, 1903 का मासिक आवंटन, जो 45,000 टन है, भी जिलों को भेज दिया गया है।

(5) भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि फरवरी, 1983 में राज्य को कम में कम 30,000 टन का अतिरिक्त आवंटन दें।

मूल प्रश्न के मूल उत्तर के पैरा 5 के आगे

श्री वासुदेव सिंह—

और मान्यवर, 15 हजार मीट्रिक टन प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त हमने दो, तीन दिन पहले 20 हजार टन गेहूँ की अतिरिक्त माँग भी कर रखी है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जो आपने अलग से सूचना दी है तो उसको इसमें लिखा होना चाहिये था।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, गेहूँ, चावल आदि की प्राप्ति की स्थिति घंटे-घंटे दिन-दिन में बदलती रहती है। यह मैं आपके सम्मुख कह रहा हूँ। तो जो ताजे आंकड़े हैं, मैंने यहां बतायी हैं। यह गेहूँ चावल का मामला है। तथ्य का सम्बन्ध है। जो रोज आता है अभी कल आया तो क्या मैं सदन से छिपाऊँ कि यह नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

लेकिन इसकी आपको मेरे पास लिखकर भेज देना चाहिए और उसके आधार पर आपको कहना चाहिए था।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, अगर मुझ से कोई अनुपूरक में पूछेगा तो मैं उत्तर दे सकता हूँ।

श्री ऊदल—

माननीय मंत्री जी को अपने उत्तर में कुछ संशोधन करना था तो उसे हमें देना चाहिए था और आपको बताना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप पढ़े। (माननीय मंत्री जी ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या—2 के उत्तर का शेष भाग पढ़कर सुनाया)

(6) उपरोक्त गेहूँ। आटा के आवंटन की सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से उठाने की व्यवस्था जिलाधिकारियों द्वारा की गयी है।

(7) सभी जिलाधिकारियों को आदेश भेजे गये हैं कि गेहूँ की जखीरेबाजी के विरुद्ध कड़ा अभियान चलायें परिणामतः 25 जनवरी, 1983 तक 1834 छापे मारे गये, 83 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी तथा 23,67,339 रुपये मूल्य का माल पकड़ा गया।

(8) थोक व्यापारियों के लिए गेहूँ की स्टाक सीमा 250 कुन्तल से घटा कर 150 कुन्तल कर दी गयी है।

इस प्रकार सामान्य रूप से प्रतिमास प्राप्त होने वाले 40 हजार टन गेहूँ के आवंटन के विरूद्ध जनवरी के महीने गेहूँ/होल मील आटे के रूप में कुल लगभग 80 हजार टन खाद्यान्न सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि जो लिखित उत्तर इन्होंने मेरे पास भेजा है और जो इन्होंने यहाँ पढ़ा है, तो जो मेरे पास आया है वह कुछ और है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस संशोधित उत्तर को पुनः भेजने की कृपा करेंगे अथवा इस प्रश्न को स्थगित रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें, मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया है।

श्री सरदार सिंह

मान्यवर, आप देख लें। माननीय मंत्री जी ने इतना लम्बा उत्तर पढ़ा उसके बावजूद सभी दुकानों पर ताले पड़े रहे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इन दुकानों पर ताले पड़े रहने का क्या कारण है।

श्री बासुदेव सिंह—

हमारी सभी दुकाने चल रही हैं, लखनऊ में सभी दुकानें खुली हुई हैं।

श्री रियासत हुसैन

श्री मान, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो गेहूँ इनको केन्द्र से मिला या इन्होंने जहां कहाँ से इन्तजाम किया तो उसका कितना गेहूँ इन्होंने प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, बुन्देलखंड एरिया और पूर्वांचल क्षेत्र के रुरल एरिया से को इन्होंने डिस्ट्रब्यूट किया, एलाट किया ?

श्री वासुदेव सिंह—

सारा विवरण मेरे पास मौजूद है, कहिये तो मैं पढ़ दूँ, हर जिले की स्थिति बता दूँ ?

श्री रियासत हुसैन—

श्री मान, एलाटमेंट की बात हो रही थी तो यह लखनऊ की ओर दौड़ जाते हैं, मेरा प्रश्न यह है कि बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल और पहाड़ी क्षेत्र-इन तीन क्षेत्रों के डिस्ट्रिक्ट ओर उरल एरियाज में कितना कितना गेहूँ आंबटित कर भेजा है ?

श्री बासुदेव सिंह--

जिलों का जितना आवंटन होता है वह जिलों में भेज दिया जाता है जिलाधिकारियों को यह निर्देश है कि दुकानों के माध्यम से या सचल दस्ते द्वारा आवश्यकतानुसार बटवायें।

अतारांकित प्रश्न

श्री के० पी० सिंह, वरिष्ठ नियोजक को दिये गये वेतनक्रम, वेतन, मंहगाई भत्ते एवं प्रतिनियुक्ति भत्ते की सूची

1--श्री राम आसरे वर्मा--

प्रथम सत्र 82 के 4थे गुरुवार के अता० प्र० सं० 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ एवं आगरा विकास आधिकरण ने मार्च, 1979 अगस्त, 1981 तक प्रत्येक माह में श्री के० पी० सिंह को किस वेतन क्रम किस दर से वेतन, मंहगाई भत्ता एवं प्रतिनियुक्ति भत्ते का का भुगतान किया और प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने के आदेश शासन ने किस-किस तिथि को पारित किये ?

श्री रामसिंह खन्ना--

श्री के0 पी0 सिंह का मार्च 1979 से अगस्त, 1981 तक दिये गये वेतनक्रम, वेतन, मंहगाई भत्ता एवं प्रतिनियुक्ति भत्ते की सूची संलग्न है।

शासन ने श्री सिंह की प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने के आदेश दिनांक 28-3-78, 25-10-78, 4-4-79 तथा 7-5-80 को पारित किये।

(देखिए नत्थी "ग" पृष्ठ विषय सूचि में देखें।)

नलकूपों में डाली गयी पी0 ग्रेविल की जाँच

2--श्री रुद्र प्रताप सिंह--

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 से 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित ता० प्र० सं० 14 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक श्री नन्द किशोर सिंह, क्षेत्र गौरी बाजार, जिला देवरिया का जो पत्र दिनांक 3-2-82 को लोकदल विधान मण्डल कार्यालय से उनको प्राप्त कराया गया था उस पत्र में दिए गये नलकूपों में से किन-किन नलकूपों में डाली गयी ग्रेविल (बजड़ी) की जाँच करवाई गयी, जांच किसने की व पूरी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

निम्नलिखित नलकूपों में डाली गई पी0 ग्रेविल की जांच कराई गयी :

(1) गोबिन्दपुर नलकूप नं0 1 --जनपद गाजीपुर
(2) धोसी नलकूप नं0 2 जनपद-आलमगढ़
(3) पकौली नलकूप नं0 1 जनपद देवरिया
(4) सीरजम नलकूप नं0 1 जनपद-देवारिया
(5) गगहानलकूप नं0 1 जनपद गोरखपुर।

नोट : अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।)

(6) नथवा नलकूप नं0 1 जनपद गोरखपुर

(7) भौवापुर नलकूप नं0 1 जनपद आजमगढ़

जाँच श्री श्रीराम शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, षोडस मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, वाराणसी ने की।

जाँच आख्या संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ब" पृष्ठ विषय सूचि पर देखें)

अस्थायी निर्माण शाखा, जल निगम, गोरखपुर द्वारा सामानों हेतु माँगे गये टेंडर तथा क्रय हेतु ठोस आदेश।

3—श्री रुद्र प्रताप सिंह

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 164 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 व 1979-80 के दौरान जिन-जिन सामानों की आपूर्ति लेनी दिखलाई गयी है उसमें क्रय किए गये प्रत्येक सामान के लिए जो भी टेंडर आमंत्रित किए गये थे, उनकी प्रतिलिपिया क्या हैं? जिन-जिन सामानों को बिना टेंडर के क्रय किया गया है उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम सिंह खन्ना—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के प्रथम गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या—164 के दिये गये उत्तर में वर्ष 1978-79 व 1979-80 के दौरान जो सामग्री का क्रय दिखाया गया है उसके लिए अस्थायी निर्माण शाखा (वि0/पा0) उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर द्वारा टेंडर नहीं आमँत्रित किये गये।

प्रारम्भिक जांच के अनुसार सामान के क्रय में अनियमिततायें पाई गई हैं। इस जाँच के आधार पर आगे की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है।

4—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि भविष्य में जल निगम में सामानों के क्रय हेतु कौन से ठोस आदेश दिए गये हैं?

श्री रामसिंह खन्ना

जल निगम में सामग्री क्रय करने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम लागू हैं जिनका कड़ाई से पालन हेतु समय-समय पर निर्देश पारित किये जाते हैं। बहुत सी मुख्य सामग्री जैसे पाइप इत्यादि का क्रय केन्द्रीय रूप से किया जाता है जिसके लिए एक क्रय समिति, मुख्यालय में गठित है।

अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्रविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर दिया गया वैकल्पिक वेतनमान।

5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल फेकेल्टी द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता न रखने वाले कितने चिकित्सा संवर्ग में अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर वैकल्पिक वेतनमान प्रशिक्षित का दिया गया? क्या

प्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर बिना पैथालाजिस्ट के कार्यरत हैं को इस प्रकार की छूट देकर कोई वैकल्पिक वेतनमान दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ पद नियुक्ति प्राधिकारी जिला मुख्य चिकित्साधिकारी एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी हैं। अतः जिला स्तर से यह सूचना एकत्र की जानी थी कि कितने अनशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिशों को प्रशिक्षण से छूट देकर वैकल्पिक वेतनमान दिया गया है। पूरी सही सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुयी। अतः उपर्युक्त अधिकारियों से मांगी गयी सूचना आने पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

केन्द्रीय उपभोक्ता भंडारों की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत भंडारों को स्वीकृत वित्तीय सहायता

6--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

क्या सहकारिता मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गत 5 वर्षों में कितने भण्डारों को शासन द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी तथा इनमें से जितने उपभोक्ता भण्डारों ने परियोजना रिपोर्ट के अनुसार व्यवसाय से लक्ष्य एवं ऋण की अदायगी की है ? जिन भण्डारों ने परियोजना रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत धनराशि का उपयोग नहीं किया है उनके सचिवों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक

केन्द्रीय उपभोक्ता भंडारों की पूनवार्स योजना के अन्तर्गत प्रदेश में गत वर्षों में आठ भंडारों को शासन द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी।

वर्ष 80-81 में सभी भंडारों में परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य किया तथा वर्ष 81-82 में पाँच भंडारों ने लक्ष्यों की पूर्ति की। ऋण की शर्तों के अनुसार उसकी अदायगी वर्ष 1984-85 व 1985-86 से प्रारम्भ होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ जनपद की तहसीलों में अलग-अलग यूनिटों तथा राशन कार्ड की संख्या

7—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 2रे गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 146 के उत्तर में क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न-भिन्न तहसीलों में अलग-अलग कितनी यूनिटें हैं तथा राशन कार्डों की संख्या अलग-अलग कितनी है ?

श्री वासुदेव सिंह---

आजमगढ़ जनपद की सभी तहसीलों में अलग-अलग यूनिटों तथा राशनकार्डों की संख्या

क्रम सं०	तहसील का नाम	यूनिट संख्या ग्रामीण क्षेत्र	यूनिट संख्या शहरी क्षेत्र	राशनकार्ड संख्या ग्रामीण क्षेत्र	राशनकार्ड संख्या शहरी क्षेत्र
1.	सगड़ी	45762	26569	57969	4838
2.	मुहम्मदाबाद	460205	151606 1/2	72997	27566
3.	लालगंज	516865 1/2	14640	58602	2884
4.	फूलपुर	589324	16091	100065	2977
5.	घोसी	567150 1/2	85141	84319	15482
6.	सदर	454955 1/2	79163	87799	26594

ग्राम परसाराजा में पागल कुत्ते के आतंक के सम्बन्ध में शिकायतें

8--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महाराजगंज के ग्राम परसाराजा में पागल कुत्ते के आतंक के सम्बन्ध में माह फरवरी, 81 से माह नवम्बर, 81 के बीच कितनी शिकायतें शासन एवं स्थानीय अधिकारियों को प्रश्नकर्त्ता ने तार एवं पत्रों द्वारा दी ? क्या सरकार गोरखपुर के अस्पतालों में कुत्ते के काटने के इलाज की शीघ्र व्यवस्था कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

ग्राम परसाराजा में पागल कुत्ते के आतंक के सम्बन्ध में दो शिकायत शासन को प्राप्त हुई थी। स्थानीय विभागीय अधिकारियों को कोई शिकायती पत्र या तार प्राप्त नहीं हुआ। गोरखपुर के जिला अस्पताल में कुत्ते काटने के इलाज की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। जनपद के अन्य अस्पतालों में अभी यह सुविधा उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

शेखूपुरा योजना में मध्यम आय वर्ग भवनों के आवंटियों से मासिक किश्तों का भुगतान तथा दिया गया कब्जा

9--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा शेखूपुरा योजना में मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत ड्रा के आधार पर नवम्बर, 1981 में कुछ भवन आवंटित किए गये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त उक्त भवनों के मूल्य की अदायगी की पहली किस्त का भुगतान आवंटियों द्वारा 31 दिसम्बर, 1981 तक किया जाना था ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि 1 जनवरी, 1982 से प्रति माह किस्त का भुगतान आवंटियों से नियमित रूप से लिया जा रहा है तथा सामयिक भुगतान न करने पर उनसे ब्याज भी वसूल किया जाता है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

(1) शेखूपुरा योजना में 37 मध्यम आय वर्ग भवनों का प्रदेशन दिनांक 23, 24 अक्टूबर 1981 को संपन्न हुए लाट्री ड्रा में हुआ था।

(2) इन भवनों के आवंटन पत्र में प्रथम एक मुस्त किस्त की धनराशि जमा करने हेतु दिनांक 31 दिसम्बर 1981 तक का समय दिया गया एंव जनवरी, 1982 से मासिक किस्तें नियामत रूप से पहली तारीख को देय होती हैं जिनका भुगतान एक माह के अनुग्रह समय के अन्दर अर्थात् उसी माह विशेष की अन्तिम तिथि तक नियमानुसार मासिक किस्तों का भुगतान कर दिया जाता है तो दंड व्याज नहीं लिया जाता है यदि अनुग्रह समय के बाद किया जाता है तो अपेक्षित धनराशि पर देय वास्तविक तिथि से 12 प्रतिशत की दर से दण्ड व्याज लिया जाता है।

10— श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उक्त भवनों का कब्वा आवंटियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं ? तो क्यासरकार इस आशय के आदेश उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को देगी कि जब तक आवंटियों को उक्त भवनों का कब्जा न मिल जाय, तब तक उनसे अग्रिम किस्तों व ब्याज को कटौती न की जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उपरोक्त 37 भवनों में से 36 भवनों के आवंटियों ने वांछित औपचारिकताएं पूर्ण कर दी है जिहें विलेख निष्पादन हेतु पत्र जारी किये जा चुकें हैं। शेष भवन भवन सं0–16 के आवंटी द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की गई है अतएव उन्हे विलेख निष्पादन हेतु पत्र जारी नहीं किया गया है।

(2) 36 भवनों में से 27 आवंटियों ने विलेख निष्पादन कर दिया है शेष 9 आवंटियों ने चूंकि विलेख निष्पादन नहीं किया है अतः उन्हें कब्जा नहीं दिया गया है। कब्जा विलेख निष्पादन के उपरान्त ही दिया जाता है। इस प्रकार उक्त 10 भवनों के आवंटियों के नाम एवं भवन सख्या निम्न प्रकार है : जिन्होंने वांछित औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की हैं।

क्र0 स0	भवन संख्या	आवंटी का नाम
1.	4	श्री कृष्ण मोहन श्रीवास्तव
2.	7	श्री मो0 अनस फारुकी
3.	13	श्री प्रद्युम्न कुमार
4.	16	श्री मो0 अली खां
5.	18	श्री वी0 पी0 गोपाल जी
6.	39	श्री जगदीश नरायन चौबे
7.	45	श्री अनिल रिसाल सिंह
8.	48	श्री सुनील कुमार अग्रवाल
9.	49	श्री महादेव प्रसाद
10.	72	श्री विष्णु शरण शर्मा

भवनों के आवंटन के उपरान्त कब्जा लेने के पूर्व आवटियों द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण कराने में कुछ समय लग जाताहै अतः परिषदनियमानुसारमासिक किस्तें आवटन पत्र में उल्लिखित तिथि से ही वसूल की जाती है ।

औषधियों के क्रय में पाई गयी अनियमितताओं पर दोषी अधिकारियों का निलम्बन

11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत वित्तीय वर्ष में विभिन्न जिलों को विभागीय अधिकारियों द्वारा सब स्टैंडर्ड दवाओं की खरीद की जानकारी होने पर उन्हें निलम्बित किया गया तथा जेल भेज दिया गया ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गोरखपुर जिले के अधिकारियों से विरुद्ध उसी प्रकार की कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ? जबकि इस जनपद में भी लाखों रुपये की नकली दवायें पकड़ी गयीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जनपद आजमगढ़, सीतापुर, उन्नाव एवं फरुखाबाद में जाँच किये जाने से उपरान्त औषधियों आदि के क्रय में पाई गई अनियमितताओं पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को शासन द्वारा निलम्बित किया गया तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 डी तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 120 बी/465/468-471 ए/409 के अन्तर्गत अभियोजित करके तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त अपराधों का संज्ञान करने की अनुमति प्रदान की गई है ।

गोरखपुर जनपद में कोई नकली दवाइयां नहीं पकड़ी गई है । अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी चिकित्साधिकारी खड्डा, देवरिया के विरुद्ध शिकायती पत्र

12—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, खड्डा, देवरिया के विषय में कोई शिकायती-पत्र दि0 20-1-82 को पत्रांक संख्या 3411-82 जिलाधिकारी देवरिया को मिला है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी खड्डा, देवरिया के विषय में जिला अधिकारी देवरिया को दिनांक 20 जनवरी, 1982 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । शेष प्रश्न नही उठता । लोकपति

विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत बीज भण्डार का निर्माण

13—श्री राम आसरे वर्मा

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां के ग्राम अरसेलिया में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत बीज भण्डार के निर्माण

सम्बन्धी निर्देश 30 अप्रैल, 1982 को उप निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद सहायक निबन्धक, हरदोई को भेजे गये ? यदि हां, तो तदनुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बच्चा पाठक

जी हां,

गोदाम का निर्माण स्थल तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त न पाये जाने के कारण निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका ।

मुख्य—चिकित्साधिकारी, बस्ती के कार्यालय से राजकीय अस्पताल में भेजी गयी दवाइयां

14—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के कठेला नामक राजकीय अस्पताल में विगत 1 जनवरी, 1981 से लगातार 1 जनवरी, 1982 तक कितने रुपये की दवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्ती के कार्यालय से भेजी गयी है ? क्या बाढ़ के समय इस चिकित्सालय पर विशेष दवाइयां बाढ़ पीड़ितों के लिए भेजी गयीं ? यदि हां, तो कौन-कौन ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती के कार्यालय से 1 जनवरी, 1981 से 1 जनवरी, 1982 तक रुपये 5423.86 की दवायें राजकीय चिकित्सालय कठेला को भेजी गई। बाढ़ के समय इस चिकित्सालय पर जो दवाइयां भेजी गई उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "ड़" पृष्ठ विषय सूची में देखें ।)

जिला मुख्य चिकित्सालय, जनपद फैजाबाद में गम्भीर आर्थिक अनियमिततायें

15—श्री मित्रसेन

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुख्य चिकित्सालय, जनपद फैजाबाद में जनवरी, 1982 से जून, 1982 तक कौन-कौन सी गम्भीर आर्थिक अनियमिततायें प्रकाश में आयी हैं ? इस सम्बन्ध में अब तक प्रशासन को कितना शिकायती-पत्र प्राप्त हुए ? उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

जनवरी 1982 से जून, 1982 के बीच स्टाक बुक में 5 मदों के सम्बन्ध में स्टाक की स्थिति सही नहीं अंकित थी । जाँच में स्टाक में कमी पाई गयीं । दोषी कर्मचारियों से कमी की वसूली किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

इस सम्बन्ध में प्रशासन की किसी शिकायती पत्र का प्राप्त होना नहीं पाया जाता ।

सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0, आगरा के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जाँच

16—श्री वदन सिंह

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0, आगरा के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जाँच करने के लिए कोई शिकायती-पत्र दिनांक 6 मार्च, 1982 को प्रेषित किया था ? यदि हां तो सहायक निबन्धक, आगरा के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच की गयी ? यदि हाँ तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बच्चा पाठक

जी हाँ।

जी नहीं, मुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच करायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

विभागीय जाँच के फलस्वरूप प्राप्त रिपोर्ट मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

अलीगंज योजना के सेक्टर "जी" में हाईटेन्शन विद्युत लाइन को हटाये जाने हेतु पत्र

17—श्री राम आसरे वर्मा

द्वितीय सत्र 82 के 1 ले गुरूवार दिनाँक 19 अगस्त, 82 के अता0 प्र0 सं0 11 के उत्तर के सम्बन्ध में में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सम्बन्धित विषय पर भूखण्ड स्वामियों को शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में दिनांक 10-9-82 तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री रामसिंह खन्ना

अलीगंज योजना के सेक्टर "जी" के कुछ भूखण्डों के ऊपर गुजरने वाली हाईटेन्शन विद्युत लाइन को हटाये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को पत्र दिनांक 8-9-82 द्वारा अनुस्मरण कराया गया और व्यक्तिगत रूप से भी सम्पर्क स्थापित किया गया था। लखनऊ विकासप्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि अब कार्य प्रारम्भ हो गया है और प्रगति पर है।

लखनऊ नगर में कार्यरत उपभोक्ता सहकारी समितियाँ

18—श्री राम आसरे वर्मा

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां कार्यरत हैं तथा उनमें से किसके पास कितनी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं ? शहर में कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियां ऐसी हैं जिन्हें कोई भी सस्ते गल्ले की दुकान अभी तक आवंटित नहीं की गयी और आवंटित न किए जाने का क्या कारण हैं ?

श्री वासुदेव सिंह

लखनऊ नगर में कुल 53 उपभोक्ता सहकारी समितियां हैं इनमें से 35 सहकारी समितियों के पास 58 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हैं। शेष 18 सहकारी समितियों के पास कोई सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान नहीं है क्योंकि इन समितियों ने दुकान आवंटन हेतु आवंटन नहीं किया है।

कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ के तृतीय श्रेणी के अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने हेतु अर्हतायें

19—श्री राम आसरे वर्मा
श्री फखरे आलम
श्री मोहन सिंह
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री
तथा
श्री सन्त बक्स रावत

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ के तृतीय श्रेणी के अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु बैंक द्वारा प्रस्तावित विशेष अर्हतायें निबन्धक द्वारा स्वीकृत की गयी है? यदि नहीं, तो बैंक के अस्थायीं कर्मचारियों को नियमित करने हेतु प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

श्री बच्चा पाठक

जी नहीं, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ के तृतीय श्रेणी के अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने हेतु बैंक द्वारा प्रस्तावित विशेष अर्हतायें, निबन्धक द्वारा स्वीकृत नहीं की गई हैं। उक्त बैंक में तृतीय श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों को उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा भरने हेतु चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जो भी कार्यरत अस्थाई कर्मचारी योग्यता के आधार पर चयन का पात्र होगा, उसी को नियमित किया जा सकेगा।

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में दवाओं के नमूने

20—श्री गोपीनाथ वर्मा

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि राजकीय जनविश्लेषण प्रयोगशाला, लखनऊ में दवाओं के नमूनों के विश्लेषण का कार्य खाद्य संवर्ग के विश्लेषकों द्वारा कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी

जी हाँ, अनुभाग में कार्य की अधिकता के कारण नमूनों के विश्लेषण का कार्य खाद्य संवर्ग के अर्द्ध (क्वालीफाइड) विश्लेषकों द्वारा कराया जा रहा है। यह नियमानुकूल है।

राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में जूनियर एनालिटिकल असिस्टेन्ट के स्थायीकरण के आदेश

21—श्री गोपीनाथ वर्मा —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला, लखनऊ में जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट (फूड) के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित विश्लेषकों का स्थाईकरण, प्रोबेशन पीरियड पूरा होने के लगभग 4 वर्षों के बाद भी किन परिस्थितियों में नहीं किया गया है ? इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

राजकीय जनविश्लेषण प्रयोगशाला लखनऊ में जूनियर एनालिटिकल असिस्टेन्ट (फूड) के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश दिनांक 25-1-1983 को जारी कर दिए गए हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्राप्त सुविधायें

22—श्री राम आसरे वर्मा

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को मालूम है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मेसिस्टों एवं अन्य कर्मचारियों से राजपत्रित अवकाश एवं महीने के दूसरे शनिवार, निर्बान्धित एवं स्थानीय अवकाशों में कार्य लिया जाता है ? जबकि इन्हीं, परिस्थितियों में जेल एवं पुलिस कर्मियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन एवं 30 आकस्मिक अवकाश की सुविधा प्राप्त है ? यदि हां तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ऐसी सुविधा कब तक दे दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्तमान व्यवस्था में कोई संशोधन इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है।

फार्मेसिस्ट संवर्ग की सेवाओं को प्रान्तीय स्तर पर बनाने का निर्णय

23—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि 9 मई, 1979 को सदन में यह घोषणा की गयी थी कि फार्मेसिस्टों की सेवाओं को जनपदीय संवर्ग से प्रान्तीय संवर्ग बनाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां तो शासनादेश अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया और कब तक जारी कर दिया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ।

फार्मेसिटर संवर्ग की वरिष्ठता सूची प्रान्तीय स्तर पर तैयार की जा रही है। इसके तैयार हो जाने के बाद ही अन्य आवश्यक कार्यवाही सम्भव होगी।

चिकित्सा स्वास्थ्य के बजट पर चर्चा के दौरान की गई घोषणा तथा निर्गत शासनादेश

24—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने सदन में दिनांक

15-2-82 को चिकित्सा स्वास्थ्य के बजट पर चर्चा के दौरान फार्मेसिस्टों के लिए 30 प्रतिशत सेलेक्शन ग्रेड, विशेष कार्याधिकारी फार्मेसीय का पद के सृजन तथा जिन चिकित्सालयों में अधीक्षक के पद हैं वहाँ पर सीनियर फार्मेसिस्ट (चीफ फार्मेसिस्ट) के पदों के सृजन इत्यादि की घोषणा की थी ? यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में शासनादेश कब तक निर्गत कर दिये जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ ।

फार्मेसिस्टों को वेतन आयोग की संस्तुति तथा शासकीय संकल्प के अनुसार 20 प्रतिशत सेलक्शन ग्रेड स्वीकृत कर दिया गया है। विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) के पद के सृजन के आदेश भी दिसम्बर 14, 1982 को जारी किये जा चुके हैं। ऐसे राजकीय अस्पतालों में जहां 50 अथवा उससे अधिक शैय्यायें हैं वहाँ चीफ फार्मेसिस्ट के पद सृजित किये जाने का निर्णय ले लिया गया है तथा तत्सम्बन्धी आदेश शीघ्र ही निर्गत कर दियें जायेंगे ।

डिप्लोमाधारी फार्मेसिस्टों का निर्धारित वेतनमान

25—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के फार्मेसिस्टों को अन्य डिप्लोमाधारी कर्मचारीयों के समान वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत डिप्लोमा धारी कर्मचारियों के कार्यो एवं दायित्यों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वेतन आयोग ने जो संस्तुतियां की थी उन्हीं के अनुसार ही डिप्लोमाधारी फार्मेसिस्टों का वेतन मान निर्धारित किया गया है ।

26—श्री राम आसरे—

माननीय सदस्य ने वापस लिया ।

मोहल्ला कस्बा टांडा, फैजाबाद का नाम परिवर्तन करने संबंधी पत्र

27—श्री राम आसरे वर्मा---

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मोहल्ला कस्बा टांडा, फैजाबाद का नाम परिवर्तित करके गिरजा नगर रखे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 28 मई 1982 को को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र का पूर्ण विवरण क्या है तथा इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना —

जी नहीं। शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रमुख हिन्दी साप्ताहिक मुक्तियुद्ध, गाजियाबाद के कार्यालय स्थापना हेतु पत्र

28—श्री राम आसरे वर्मा---

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख हिन्दी साप्ताहिक मुक्तियुद्ध

गाजियाबाद के कार्यालय स्थापन हेतु प्राधिकरण के किराएदारो के आधार पर भवन हाल के आवंटन के सिलसिले में प्रश्नकर्त्ता द्वारा अग्रसारित एक प्रार्थना-पत्र श्री शिव कुमार मिश्र, सम्पादक की ओर से 11 जून, 1982 को मुख्य मन्त्री को प्रेषित किया गया ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हा

उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को मामले में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

मोहल्ला चमरयाना प्रेम नगर, झांसी में नाले की सफाई तथा बिजली लगाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

29--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सी० एम० लवानिया सेक्टर वार्डन, मकान नं० 26, मोहल्ला चमरयाना प्रेम नगर, गड़िया फाटक, झांसो का पत्र प्रश्नकर्त्ता विधायक के दो पत्र दिनांक 3-7-1982 के साथ नगर विकास सचिव को नाले की सफाई तथा उक्त मोहल्ले मे बिजली लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुए थे ? यदि हाँ तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जी हाँ

उक्त दोनों पत्र जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी के पास दिनांक 14-7-82 को इस अभ्युक्ति के साथ भेज दिये गये थे कि वे उन पत्रों में उल्लिखित समस्याओं का निराकरण हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें ।

यू० पो० बैंक इम्प्लाइज कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लि० लखनऊ के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्तों का भुगतान

30- श्री राम आसरे वर्मा ---

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू० पो० बैंक इम्प्लाइज कोआपरेटिव लि०, रेडगेट होटल, गोलागंज, लखनऊ के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिकर भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो सरकार उपरिलिखित सोसायटी के कर्मचारियों को कब तक उक्त भत्ते उपलब्ध कराए जाने की कार्यवाही पूर्ण करेगी ?

श्री सच्चा पाठक---

जी नहीं !

प्रश्नगत सोसाइटी के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता तथा नगर--प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है । अतः अग्रेतर कार्यवाही आपेक्षित नही हैं ।

श्री इन्द्रपाल, कम्प्यूटर कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी के विरुद्ध शिकायती पत्र

31—श्री राम आसरे वर्मा,—श्रीसन्त बक्स रावत तथा विमल प्रसाद तिवारी

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रपाल, कम्प्यूटर कार्यालय

मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर के विरुद्ध श्री परमात्मा प्रसाद सिंह, विधायक ने दिनांक 28-1-82 को श्री जमुना प्रसाद विधायक ने दिनांक 17-3-82 को सतर्कता सचिव तथा श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय सभापति, प्राक्कलन समिति ने दिनांक 30-4-82 को स्वास्थ्य मन्त्री को शिकायती पत्र लिखे थे ? यदि हाँ, तो इन पत्रों पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह तथा श्री जमुना प्रसाद जी के पत्र मिले थे। चूँकि श्री इन्द्रपाल ने निर्धारित शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर ली है अतः इस संबंध में कोई अन्य कार्यवाही करना उचित नहीं समझा गया।

अलीगंज योजनान्तर्गत सेक्टर 'एम' में विद्युत व्यवस्था का कार्य

32--श्री राम प्रसाद तथा श्री शिव नरेश---

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगंज विस्तार योजना के अन्तर्गत सेक्टर 'एम' में निर्मित भवनों में बिजली, पानी, सीवेज आदि जीवनोपयोगी साधनों की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

अलीगंज योजना के अन्तरगत सेक्टर "एम" में आन्तरिक विद्युत व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है। ट्रानसमिशन लाइन चालू करने हेतु राज्य विद्युत परिषद को रु0 4,69,799-00 भुगतान किया जा चुका है और उसके लिए उन्हें अनुस्मरण भी कराया गया है। इस सेक्टर में पानी व सीवेज की व्यवस्था विकास प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है। इस योजना में भवन स्वामियों को बिजली पानी एवं सीवेज लाइन से अपने भवनों तक कनेकसन स्वयं अपने व्यय पर लेना है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में लिपिकों का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

33--श्री रियासत हुसैन---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में कितने लिपिक ऐसे कार्यरत हैं जिनको इस जनपद में एक ही जगह पर दस वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुके हैं परन्तु उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया ?

श्री लोकपति त्रिपाठी-

मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में ऐसा कोई लिपिक नहीं है जो इस जनपद में एक ही जगह पर दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हो।

मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत के कार्यालय में भ्रष्टाचार सम्बंधी पत्र

34--श्री रियासत हुसैन-

क्या स्वास्थ्य मन्त्री के पास जिला पीलीभीत के निवासियों से ऐसी

शिकायतें रजिस्ट्री द्वारा प्राप्त हुई हैं कि मुख्य चिकित्साधिकारी पीलीभीत के कार्यालय में 12-12 साल से एक ही जगह पर नियुक्त रहने के कारण भ्रष्टाचार फैला हुआ है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी नहीं

नगरपालिका, हरदोई के अधिशासी अधिकारी के स्थानान्तरण को निरस्त तथा अनुचित सम्पत्ति अर्जन के सम्बन्ध में जांच

35--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

विधान सभा के दिनांक 19--8-82 के अता0प्र0सं0 90 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि किन कारणों से अधिशासी अधिकारी का स्थानान्तरण किया गया तथा बाद में उसे निरस्त किया गया ? क्या सरकार इनके हरदोई नियुक्ति के समय की सम्पति तथा वर्तमान (सितम्बर, 1982) समय तक अर्जित की गयी सम्पत्ति की जांच सी0आई0डी0 शाखा द्वारा करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर पालिका हरदोई के अधिशासी अधिकारी को वर्ष 1981 के वार्षिक समान्य स्थानान्तरण के समय स्थानान्तरित करने के आदेश किये थे बाद में विचारोपरान्त प्रशासनिक करणों से उक्त स्थानान्तरण आदेश निरस्त कर दिया गया था।

उक्त अधिकारी के विरुद्ध अनुचित सम्पत्ति अर्जन के सम्बन्ध में शासन की जानकारी में कोई विशिष्ट तथ्य नहो लाये गये हैं। यदि ऐसे तथ्य शासन की जानकारी में लाये जाते हैं तो उसकी समुचित जांच करायो जायेगी।

संडीला व हरदोई नगरपालिका को दिया गया धन तथा व्यय की उच्चस्तरीय जांच, कर्मचारियों का वेतन व अन्य बकाया देयों का भुगतान

36--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि हरदोई नगरपालिका व संडीला नगरपालिका को कितना-कितना धन वर्ष 1982-83 में उपलब्ध कराया क्या तथा शासन ने इसे किस मद से दिया ? इस धन का उपयोग कहाँ-कहाँ पर किया गया ? क्या सरकार व्यय किए गये धन की उच्च स्तरीय जाँच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

सूचना एकत्र की जा रही है।

37--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका संडीला तथा नगर पालिका हरदोई में अगस्त, 1982 को कितने कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य देय बकाया हैं ? उनके भुगतान की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम सिंह खन्ना

नगरपालिका संडीला में केवल दो कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य देय बकाया थे। इन देयों के भुगतान हेतु इस वर्ष बजट में प्राविधान कर दिया गया है।

नगरपालिका, हरदोई में किसी कर्मचारी का वेतन बकाया नहीं था। 394 कर्मचारियों का भविष्य निर्वाह निधि का तथा 322 कर्मचारियों के अतिरिक्त मंहगाई भत्ते का भुगतान बकाया था। उक्त धनराशि को प्रत्येक माह की बचत से भुगतान किया जा रहा है।

नगरपालिका हरदोई का किया गया आडिट तथा आपत्तियाँ

38--श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र---

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 में नगरपालिका, हरदोई का कितनी बार आडिट किया गया ? इस अवधि में कौन-कौन सी आपत्तियाँ आडिट द्वारा की गयीं ?

श्रीराम सिंह खन्ना

केवल दो बार आडिट किया गया।

केवल एक आडिट रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसका विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "च" पृष्ठ विषय सूचि में देखें।)

लखनऊ मास्टर प्लान की स्वीकृति उपरान्त सिनेमा गृहों के भवन निर्माण की स्वीकृति

39--श्री राम आसरे वर्मा---

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मास्टर प्लान की स्वीकृति के उपरान्त लखनऊ नगर में जिन दस सिनेमा गृहों के भवनों की स्वीकृति तथा स्थिति नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र या उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण लखनऊ द्वारा दी गयी, उनमें से किन-किन सिनेमा गृहों का पर्किंग स्थल का क्षेत्रफल 0.50 एकड़ से कम था ?

श्री रामसिंह खन्ना

लखनऊ मास्टर प्लान की स्वीकृति उपरान्त दस सिनेमा गृह (1) लीला (2) प्रतिभा (3) अंजुमन (4) तुलसी (5) जयभारत (6) श्री संजय सिंह द्वारा निर्माणाधीन सिनेमा (7) गुलाब (8) श्री डी० एन० सिंह न्यू हैदराबाद सिनेमा भवन का प्लान (9) अलंकार (10) शिल्पी भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई, उन सभी में पार्किंग स्थल का क्षेत्रफल 0.50 एकड़ से कम है।

शिवाजी मार्ग, लखनऊ को व्यावसायिक क्षेत्र घोषित किये जाने का विचार

40---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार ने लखनऊ महायोजना में संशोधन करके शिवाजी मार्ग लखनऊ के दोनों ओर के 25-25 फुट क्षेत्र को व्यावसायिक क्षेत्र घोषित कर दिया है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उक्त संसोधन को प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री राम सिंह खन्ना

प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्विंटन रोड, लखनऊ को आवासीय क्षेत्र घोषित किये जाने का विचार

41--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या नगर विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें कि क्विंटन रोड, लखनऊ

महायोजना में कम्यूनिटी इंस्टीट्यूशन हेतु आरक्षित हैं, में लखनऊ मास्टर प्लान के प्रवृत्त होने के पश्चात श्री आर० एन० सिन्हा का आवासीय भवन चित्र 21-5-79 को स्वीकृत किया गया ? यदि हाँ, तो क्या उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 41 (8) के अन्तर्गत इसे पुनरीक्षित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्या सरकार लखनऊ मास्टर प्लान में विंवटल रोड को आवासीय क्षेत्र घोषित करने के लिए आवश्यक संशोधन करने की कृपा करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं। कथित भवन चित्र, जैसा कहा गया है, स्वीकृत नहीं किया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता। विंवटल रोड को आवासीय क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

जिला सहकारी बैंक, सुल्तानपुर के संचालक श्री इन्द्र भद्र सिंह को शाखा धनपतगंज के भवन निर्माण हेतु दिया गया ऋण

42—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला सहकारी बैंक सुलतानपुर के संचालक मंडल द्वारा अपने एक संचालक को रु० 20,000 का भवन निर्माण अग्रिम असुरक्षित एवं ब्याज रहित रूप में स्वीकृत किया गया है और उक्त धनराशि का भुगतान दो किश्तों में दिनांक 18-6-81 व 18-8-81 को किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त कार्यवाही बैंकिंग रेगूलेशन ऐक्ट की धारा 20 के प्रतिकूल होने के कारण आडिट विभाग ने आपत्ति की है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

दिनांक 18-6-1981 को अंकन 10,000/— तथा 18-8-1981 को अंकन 10,000/— कुल अंकन 20,000/—रुपया ऋण श्री इन्द्र भद्र सिंह को उनके द्वार शाखा बैंक धनपत गंज के लिये भवन उपलब्ध करने पर दिया गया है। उक्त ऋण ब्याज सहित तथा प्रतिभूति सहित है। ऋण के विरुध श्री सिंह द्वारा सम्बन्धित भूमि व भवन जिसमें शाखा कार्यालय स्थित है, बंधक कराया गया है। श्री इन्द्रभद्र सिंह बैंक के संचालक भी है। आडिट विभाग द्वारा उपविधि संख्या 13 के अन्तरगत आपत्ति की गई, जिसका मुख्य आशय है कि ऋण प्रतिभूति एव ब्याज रहित है। बैंकिग रेगुलेशन ऐक्ट की धारा 20 जो सहकारी बैंको पर प्रभावी है, के प्राविधानो का उल्लघन नहीं हुआ है, क्योंकि ऋण के लिए रेहननामा प्राप्त कर लिया गया है।

चूंकि ऋण प्रतिभूति सहित तथा ब्याज युक्त है, इस लिए कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में कुव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें

43—श्री संत बक्श रावत—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में दिनांक 2-6-82 को

कांग्रेस (ई) समेत कई राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण फैजाबाद मंडल फैजाबाद को एक संयुक्त ज्ञापन दिया था जिसमें जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय फैजाबाद मे कुव्यवस्था तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को दन्डित करने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जी हाँ ।

संबंधित शिकायतों की जांच संयुक्त निदेशक, फैजाबाद द्वारा की गई थी । जाँच रिपोर्ट के आधार पर एक कम्पाउडर का स्थानान्तरण कर दिया गया तथा दो को चेतावनी दी गई ।

साधन सहकारी समिति जगुई ब्लाक टांडा, जनपद
फैजाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्र का जांच

44---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या सहकारी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि साधना सहकारी समिति जगुई ब्लाक टांडा जनपद फैजाबाद के विरुद्ध उक्त समिति के 12 सदस्यों द्वारा लिखित शिकायती पत्र के साथ मन्त्री को दिनांक 28-5-82 को प्राप्त हुआ यदि हाँ तो प्राप्त पत्रों पर जांच कराकर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हां !

जाँच कराई गयी, सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय की कार्यवाही की गयी है । समिति के सचिव श्री राधे श्याम पाण्डेय निलम्बित हैं ।

फैजाबाद मंडल के संयुक्त निदेशक स्वाथ्य को स्थानान्तरण एवं जाँच

45--श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मंडल के संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य को स्थानान्तरित करके जाँच कराने के सम्बन्ध मे संलग्नक सहित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 25 अगस्त, 82 का पत्र मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त मामले की जाँच किसी अधिकारी द्वारा करायी गयी ? जाँच रिपोर्ट क्या है, जाँच के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 25-8-83 प्राप्त हुआ है । शिकायतों की जाँच अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक (चिकित्सा उपचार) द्वारा करायी गयी है । जांच रिपोर्ट के अनुसार समस्त आरोप निराधार है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

ग्राम गोहड़ा विधान सभा क्षेत्र धामपुर में अस्पताल के उच्चीकरण पर विचार

46—श्री श्याम सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन की विकेन्द्रीकरण नीति के अनुसार जनपद बिजनौर की चिकित्सा समिति द्वारा ग्राम मोहड़ा विधान सभाक्षेत्र धामपुर में एक अस्पताल को उच्चीकृत होना तय किया गया था ? यदि हां, तो क्या अस्पताल चिकित्सा समिति के अनुसार बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ। मामला शासन के विचाराधीन है।

जल निगम में सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इन्जीनियर्स के रुप में नियमित किये जाने पर विचार

47—श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती—

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जल निगम में कितने सिविल इलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स इस समय हैं जिनकी सेवायें वर्कचार्ज की हैसियत से 3 वर्ष से अधिक हो गयी हैं ? क्या सरकार ऐसे लोगों की सेवा जूनियर इन्जीनियर्स के रूप में नियमित करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जल निगम में 48 सिविल, इलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल डिप्लोमा होल्डर्स है जिनकी सेवाये वर्कचार्ज की हैसियत से 3 वर्ष से अधिक हो गई हैं। इन्हे जूनियर इन्जीनियर के रुप में नियमित करना सम्भव नहीं क्योंकि उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्त्रण अधीनस्थ सेवा विनियमावली में ऐसे मामलों को विनियमित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

ब्लाक मोती चक, देवरिया के सहकारी संघ मथौली के गोदाम में गबन संबंधी शिकायती पत्र

48-श्री हरिवंश सहाय—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया ब्लाक मोतीचक के सहकारी संघ मथौली के गोदाम में 40 हजार रुपये के गबन सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र दिनांक 2-9-82 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण का प्रस्ताव

49—श्री हरिवंश सहाय—

क्या स्वास्थ्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 6ठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत करने का प्रस्ताव है तथा उसमें से कितने

का उच्चीकरण किया जा चुका है ? क्या उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्य केन्द्रों पर एक लैब टैक्नीशियन का पद सृजित किया जाना है ? यदि हां, यो क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि शासना देश संख्या 1692/पांच-7/297/76 दिनांक 7-4-1982 द्वारा जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वीकृत किया गया हैं उनमें लैब टैकनिशियन का पद सृजित नहीं है ? इसका क्या औचित्य है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

छठी पंचवर्षीय आयोजना काल में मैदानी क्षेत्रों में कुल 112 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण का लक्ष्य रखा गया था। प्रथम चरण में आवश्यक आवासिक तथा अनावासिक भवनों के निर्माण को स्वीकृति दी जाती है और जैसे-जैसे भवन निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित कर दिये जाते हैं वैसे वैसे उनमें उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के आदेश जारी कर दिये जाते हैं। अब तक प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के 20 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उच्ची कृत किये जा चुके हैं।

2—उच्चीकृत किये जाने वाले केवल उन्हीं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैबोटरी टेक्नीशियन के पद सृजित किये जाते हैं जहाँ ये पद पहले से स्वीकृत नहीं हैं। चूंकि शासना देश एवं 1692/पांच-7-297/76, दिनांक 7-4-1982 में उल्लिखित प्राथमिक स्त्रास्थ्य केन्द्रों में लैब टैक्नीशियन के पद पहले ही से स्वीकृत थे, अतः इन केन्द्रों के लिये लैब टैक्नीशियन के पद सृजित नहीं किये गये ?

श्री प्रभू नाथ मिश्र, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में इस्तेमाल की गयी यू0 पी0 निवास की गाड़ी तथा निर्धारित दर से जमा किया गया किराया

50—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रभूनाथ मिश्र, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण दिनांक 7-9-82 को लखनऊ से हवाई जहाज द्वारा दिल्ली गये थे ? यदि हां, तो किस सरकारी कार्य से ? क्या यह सत्य है कि श्री मिश्र जितने भी दिन दिल्ली रहे यू0 पी0 निवास की यू0 आर0 ए0 2727 का पूरा उपयोग किया ? क्या दिल्ली में श्री मिश्र सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने में सक्षम है ? यदि नहीं, तो क्या शासन श्री मिश्र से बाजार की दर से गाड़ीं प्रयोग का पैसा वसूल करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की छड़को (हाउसिंग अरबन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन) में विचाराधीन योजनाओं में शीघ्रता कराने, दिल्ली विकास प्रधिकरण के विधि, सम्पत्ति विभाग एवं कैंटिल कमलोनी की कार्य प्रणाली एवं पद्धति का अध्ययन करने के लिए श्री मिश्र, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिल्ली भेजा गया था। उक्त अधिकारी द्वारा यू0 पी0 निवास की गाड़ी सुलभ हो जाने से उसका उपयोग किया गया। उपलब्ध होने पर दिल्ली में सरकारी अधिकारी द्वारा गाड़ी का उपयोग करने का प्राविधान नियमों में है। यू0 पी 0 निवास की गाड़ी के उपयोग के लिए निर्धारित दर से किराया जमा किया गया है।

आलमबाग, लखनऊ के बड़ा बरहा, छोटा बरहा, कैलाशपुरी दौदारवेड़ा में सार्वजनिक तालाबों पर अनधिकृत कब्जा

51--श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित आलम बाग क्षे बड़ा बरहा, कैलाशपुरी, दौदा खेड़ा में सार्वजनिक तालाबों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है? इसकी सूचना कितनी बार प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को जनवरी, 1982 से जुलाई तक प्राप्त हुई? क्या यह सही है कि इन तालाबों पर सार्वजनिक पार्क बनाने के सुझाव वहां के क्षेत्रीय जनता द्वारा नगरमहापालिका, लखनऊ को दिये गये थे? यदि हां, तो उपरोक्त स्थानों पर पार्क कब तक बन जायेंगे?

श्री राम सिंह---

यह सही है कि लखनऊ स्थित आलमबाग क्षेत्र से बड़ा, बरहा छोटा बरहा, कैलाश पुरी दौदा खेड़ा में सार्वजनिक तालाबों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अनाधिकृत कब्जा कर लिया गया है। अनाधिकृत कब्जों को हटाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। दौदा खेड़ा के तालाब के बारे में जनवरी, 1982 से जुलाई, 1982 तक तीन शिकायती पत्र प्राप्त हुये हैं।

दौदा खेड़ा तालाब के लिये वहाँ की क्षेत्रीय जनता द्वारा पार्क बनाने के लिये दो प्रार्थना-पत्र नगर महापालिका लखनऊ को प्राप्त हुये। उस तालाब पर एक अनाधिकृत कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही के फलस्वरूप अतिक्रमण कर्ता ने न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर लिया है जो अब भी न्यायालय में विचाराधीन है। न्यालालय का निषेधाज्ञा समाप्त होने पर तालाब का जलोत्सारण तथा आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर ही नगर महापालिका द्वारा उस तालाब को पार्क में परिवर्तित किया जाना सम्भव हो।

पूरन नगर, आलमबाग लखनऊ में लोचन की भटिया में हरिजनों द्वारा आवासि हेतु किसी अन्य जगह भूमि दिये जाने संबन्धी प्रार्थना पत्र

52--श्रीमती प्रेमवती तिवारी---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित पूरन नगर, आलम बाग में लोचन की भटिया में स्थित 10 हरिजनों के घरों को तोड़ दिया गया जिसके सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र माह जुलाई 1982 में उन्हें मिला है? क्या यह सही है कि प्रार्थना पत्र में यह भी कहा गया है कि उन्हें किसी अन्य जगह आवास के लिए जगह दे दी जाय? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

श्री राम सिंह खन्ना---

लखनऊ स्थित पूरन नगर आलमबाग में लोचन की भटिया में स्थित 10 हरिजनों के घरों को लखनऊ नगर महापालिका द्वारा नहीं बल्कि उस व्यक्ति द्वारा तोड़ा गया है, जो प्रश्नगत भूमि पर अनाधिकृत रुप से काबिज है। यह सही है कि उक्त हरिजनों द्वारा आवास के लिये किसी अन्य जगह भूमि दिये जाने का प्रार्थना-पत्र माननीय सदस्या के

पत्र के साथ नगर महा पालिका को प्राप्त हुआ था। मामला लखनऊ नगर महापालिका के विचाराधीन है ।

श्री एस0 डी0 पी0 निगम की पुनर्नियुक्ति की अवधि तथा समाप्त सेवायें

53.—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के प्रथम गुरुवार के अतां0 प्र0 स0 87 के उत्तर के संदर्भ में खाद्य मंत्री बतायेगे कि पुनर्नियुक्ति की अवधि 31 अक्टूबर, 1982 को समाप्त हो रहीं है यदि हां, तो क्या श्री एस0 डी0 पी0 निगम की नियुक्ति समाप्त कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हाँ,

श्री एस0डी0 पी0निगम की पुनर्नियुक्त की अवधि दिनांक 31-10-82 को समाप्त हो गई और श्री एस0 डी0पी0निगम की सेवायें उसी दिनांक से समाप्त कर दी गयी हैं।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की द्वितीय कैफेटेरिया में सहायक प्रबन्धक तथा सेल्स मैन की छटनीं, लगाये गये आरोपों के विरुद्ध कुन कार्यवाही

54—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम गुरुवार के अतां0 प्र0 सं0 85 के उत्तर के संदर्भ में क्या खाद्य मंत्री बतायेगें कि कितने कर्मचारियों की छठनी की गई थी और उनके पद, क्या-क्या थे ? सम्बंधित सहायक प्रबन्धक की सेवायें 6 दिसम्बर 1973 को समाप्त की गई और 10 दिसम्बर, 1973 को मात्र चारों दिन में ही उसे पुनः सेवा में ले लिया गया तो अन्य छटनी शुदा कर्मचारियों को कब सेवा काल में लिया गया ?

श्री वासुदेव सिंह —

निम्नांकित दो कर्मचारियों छटनी की गयी थीं :—

नाम	पद
1-श्री लीला रेवाचन्द्र गुरुदासनी	सहायक प्रबन्धक
2-श्री अवध राज सिंह	सेल्स मैन

बाद में एक कूपन सेलर श्री निर्मल कुमार खरे के त्याग-पत्र देने के फलस्वरुप किये गये प्रबन्ध में श्री गुरुदासनी को 10-12-73 से कूपन सेलर के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। दूसरे छटनी किए गए कर्मचारी श्री अवध कराज सिंह ने दोबारा निगम में सेवा करने की इच्छा व्यक्त नहीं की ।

55—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या उक्त सम्बन्धित सहायक प्रबन्धक पर माह दिसम्बर, 1973 में डालडा टिन की चोरी/अनियमितता का आरोप था ? यदि हां, तो उसे पुनः सेवा में लेने का क्या औचित्य है ? क्या इसको जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं तो क्यों ।

श्री वासुदेव सिंह---

अभिलेखों से यह प्रतीत होता कि श्री गुरूदासनी के विरूद्ध डालडा की चोरी अथवा अनियमितता का आरोप था। श्री गुरूदासनी की निगम में पुर्ननियुक्त उनकी दीर्घ कालीन सेवा को दृष्टि में रखकर एवं मानवीय आधार पर की गयी थी। ऐसी स्थिति में इस मामले में कोई जांच कराने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के सेवा निवृत उप निदेशक, श्री एस0 डी0 पी0 निगम की पुर्नियुक्ति का औचित्य

56—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी --

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 आतां0 प्र0 प0 8 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेगे कि वे प्रशासनिक आधार क्या थे जिन पर श्री एस0 डी0 पी0 निगम की सेवा निवृत्ति आयु समाप्ति होने के बाद भी उनकी नियुक्ति उप निदेशक, उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के पद पर की गई? श्री निगम की पुर्ननियुक्ति की अवधि पुनः एक वर्ष बढ़ाने का क्या आधार है?

श्री वासुदेव सिंह --

श्री निगम की राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में 8 वर्ष का अनुभव था। वर्ष 80 में निगम के कार्य कलापों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। अतः उनके विशेष अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए संस्था के हित में उन्हें राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में पुर्न नियुक्त किया गया था और बाद में संस्था के हित में ही श्री निगम की पुर्ननियुक्ति की अवधि एक वर्ष के लिये तत्कालीन मुख्य मंत्री जी के आदेश दिनांक 15-10-81 द्वारा बढ़ाई गयी थी जो 31-10-82 को समाप्त हो गयी हैं।

57—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का पद पदोन्नति से न भर कर अनुबंध के आधार पर पुनर्नियुक्ति से भरने का क्या औचित्य है? क्या इस व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह—

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में उप निदेशक का पद पदोन्नति से नहीं वरन शासन की नीति के अनुसार सामान्य या किसी पी0 सी0 एस0 श्रेणी के अधिकारी की नियुक्ति से भरा जाता है। बीच में उप निदेशक के पद पर अनुबन्ध के आधार पर श्री एस0 डी0 पी0 निगम, सेवा निवृत पी0 सी0 एस0 अधिकारी की पुर्ननियुक्ति का कारण यह था कि श्री निगम को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कार्य का 8 वर्ष का अनुभव था और निगम की योजना के सफलतापूर्वक विस्तार के हित में उन्हें पुर्ननियुक्त किया जाना उपयोगी समझा गया। अनुबन्ध 31-10-82 को समाप्त हो गया और अब 12-11-82 से श्री श्रवण कुमार शर्मा, सीनियर पी0 सी0 एस0 अधिकारी, उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं।

नगरपालिका हरदोई तथा सन्डीला के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनता को उपलब्ध सुविधायें

58- श्री हरिवंश सहाय--

क्या नगर विकास मन्त्री बतायेंगे कि नगरपालिका हरदोई तथा संडीला में स्वास्थ्य विभाग नगरपालिका द्वारा वर्ष 1982-83 में जनता को कौन कौन-सी सुविधायें उपलब्ध करायी गयी ?

श्री रामसिंह खन्ना

वर्ष 1982-83 में नगरपालिका हरदोई तथा सन्डीला के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनता कों उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "छ" पृष्ठ विषय सूची में देखें ।)

नगरपालिका हरदोई एवं संडीला मार्ग प्रकाश व्यवस्था

59—श्री हरिवंश सहाय--

क्या नगर विकास मन्त्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में नगरपालिका हरदोई तथा संडीला में मार्ग प्रकाश विभाग को वित्तीय वर्ष 1981-82, 82-83 में शासन द्वारा कितना धन उपलब्ध कराया गया तथा उससे कितने बल्ब, राड आदि क्रय किये गये ? उस पर कितना व्यय हुआ ?

श्रीरामसिंह खन्ना--

उल्लिखित वर्षों में नगरपालिका हरदोई एवं संडीला को मार्ग-प्रकाश व्यवस्था हेतु कोई धन नहीं दिया गया । अतः उससे किसी वस्तु के क्रय किए जाने अथवा कोई अन्य व्यय होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

संडीला व हरदोई नगरपालिकाओं में सड़कों का निर्माण तथा व्यय की गई धनराशि

60--श्री हरिवंश सहाय—

क्या नगर विकास मंत्री बतलायेंगे कि हरदोई जनपद की संडीला व हरदोई नगरपालिकाओं में वर्ष 1980-81, 82-83 में किन किन सड़कों का निर्माण (डामर द्वारा) कराया गया, इसमें कितना धन व्यय किया गया ? क्या मन्त्री जी बनायी गयी सड़कों को उच्च अधिकारियों द्वारा प्राविधिक जाँच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

वांछित सूचना निम्नवत् है :—

नगरपालिका हरदोई

वित्तीय वर्ष	व्यय की गयी धनराशि	कराये गए निर्माण कार्य
	रु0	
1980-81	2,46,212.00	(1) रफी अहमद कालेज से धर्मशाला चौराहे तक ।
		(2) सीतापुर रोड से बेनी पुरवा तक ।

(3) श्री राम बाजपेयी स्मारक तिराहे सेअस्पताल चौराहे तक
(4) धर्मशाला चौराहे से सिनेमा चौराहे तक।
(5) बेटगंज मोहल्ले में गुलजारी की चक्की से नारायन निवास तक।

1981-82 85,849. 13 (1) श्रीराम बाजपेयी स्मारक तिराहे से अस्पताल चौराहे तक ।
(2) गुलजारी की चक्की से नारायन निवास तक अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराया गया।
(3) शाहजहांपुर रोड से सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय तक डामर द्वारा प्रिमिक्सिग का कार्य।
1982-83 64, 197.64 (4) मंगली पुरवा तिराहे से रेलवे फाटक तक डामर द्वारा सड़क का निर्माण

सड़क निर्माण से सम्बन्धित बिलों का भुगतान प्राविधिक उच्च अधिकारियों के जाँच के उपरान्त ही किया गया है। अतएव पुनः प्राविधिक जाँच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, यदि कोई शिकायत है तो देखभाल अवश्य की जाएगी।

नगरपालिका संडीला

प्रश्नगत पालिका द्वारा उक्त वर्षों में डामर द्वारा किसी भी सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। अतएव किसी धन के व्यय होने तथा प्राविधिक जाँच का प्रश्न ही नहीं उठता।

टांडा, जनपद फैजाबाद का नाम गिरिजा नगर रखने का औचित्य

61--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मो0 कस्बा पूरब न0 प0 टांडा जनपद फैजाबाद का नाम गिरिजा नगर रखने के संबंध में दिनांक 28-5-82 को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन ने नाम परिवर्तन की कार्यवाही कर दी है ?

श्रीराम सिंह खन्ना

जी हां। किन्तु ऐसे मामलों में आवश्यक कार्यवाही यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन सम्बन्धित पालिका द्वारा की जाती है। अतः शासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

माननीय सदस्य का पत्र जिला मैजिस्ट्रेट, के पास, जो नगरपालिका के प्रशासक भी हैं, आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

श्री सियाराम श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक के संबंध में नगरपालिका टाँडा से प्राप्त आख्या

62—श्री गोपीनाथ वर्मा—

द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 21 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सियाराम श्रीवास्तव, कार्यालय

अधीक्षक नगरपालिका टांडा, फैजाबाद के संबंध में नगरपालिका टांडा से जो आख्या प्राप्त हुई है उस संबंध में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

श्री रामसिंह खन्ना

प्रश्नगत मामले पर नगर पालिका टांडा से प्राप्त आख्या पर विचारोपरांत अस्वीकार कर दिया गया ।

नगरपालिका टांडा, फैजाबाद में सफाई कर्मचारियों हेतु आवासों का आवंटन

63—श्री गोपीनाथ वर्मा—

द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरु के अता0 प्र0 सं0 20 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नगरपालिका टांडा फैजाबाद में सफाई कर्मचारियों हेतु नजूल भूमि पर आवास निर्माण करा कर उन्हें आवास आवंटन कर दिया गया ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां ।

20 कर्मचारियों को ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित एलोपैथिक सरकारी अस्पतालों में मुख्य लिपिक का कार्यकाल तथा स्थानान्तरण

64—श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित एलोपैथिक सरकारी अस्पतालों में कितने ऐसे मुख्य लिपिक है जो ज्येष्ठ लिपिक से मुख्य लिपिक में पदोन्नति पाने के बावजूद भी उसी अस्पताल में तैनात हैं ? क्या यह सही है कि इस प्रकार इनकी कुल सेवायें लखनऊ के ही अस्पतालों में 5 या 5 वर्ष से अधिक हो गई हैं ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी तत्काल इनके लखनऊ से बाहर अन्य किसी जनपद में स्थानान्तरण आदेश देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

केवल एक मुख्य लिपिक ऐसा है जिसे ज्येष्ठ लिपिक से मुख्य लिपिक के पद पर प्रोन्नत करते हुये उसी अस्पताल में तैनात किया गया है । यह सही है कि उक्त मुख्य लिपिक की कुल सेवायें लखनऊ के ही अस्पताल में 5 वर्ष से अधिक हो गयी है । मध्य सत्र होने के कारण अन्य जनपद में स्थानान्तरित करने का औचित्य नहीं समझा गया ।

गोरखपुर के जिला पूर्ति अधिकारी, श्री गोवर्धन लाल के विरुद्ध शिकायतें

65—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र —

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के जिलापूर्ति अधिकारी (श्री गोवर्धन लाल) के पूर्ति अधिकारी पद पर नियुक्ति के बाद 30 जून 1982 के बीच कुल कितने गंभीर आरोप व अनियमितताओं की शिकायतें शासन को प्राप्त हुईं ? उसमें कितने की जांच पूरी हो गई है ? और क्या इस सिलसिले में इनके चरित्र पुस्तिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

कथित अवधि में जिला पूर्ति अधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध कोई भी शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता है।

गोरखपुर के वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा निलम्बित किये गये सीमेन्ट के लाइसेन्स

66—श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के वर्तमान जिलापूर्ति अधिकारी ने जिले के कुल कितने दुकानों का सीमेंट का लाइसेन्स निलम्बित किये किये ? क्या यह सही है कि सीमेंट सम्बन्धी अनियमितता की कोई प्रारम्भिक जांच भी नहीं की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह

गोरखपुर के वर्तमान जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा कुल 7 (सात) नान-लेवी सीमेंट लाइसेंसियों के लाइसेंस निलम्बित किये गये। इन सभी लाइसेंसियों के विरुद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जाँचोपरान्त प्रथम सूचना रिर्पोट पुलिस में दर्ज की गई और इनके लाइसेंस निलम्बित किये गये।

सहायक राजकीय विश्लेषक के पद पर चयन की प्रक्रिया

67—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला उ0 प्र0 में सहायक राजकीय विश्लेषक का राजपत्रित पद विज्ञप्ति हेतु लोक सेवा आयोग को अभी तक क्यों नहीं भेजा गया तथा तदर्थ रूप से उक्त पद पर प्रोन्नत अधिकारियों का प्रतिवर्ष कार्य संचालनार्थ अनुमोदन भी लोक सेवा आयोग से नहीं कराया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

सहायक राजकीय विश्लेषक के पद चयन की प्रक्रिया के अभी तक निर्धारित न होने के कारण इस मामले में लोक सेवा आयोग को परामर्श नहीं प्राप्त किया जा सका है। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायगी।

टान्डा, जिला फैलाबाद में शैय्यायुक्त अस्पताल भवन निर्माण तथा श्री हरी चन्द्र मिश्र, एडवोकेट, फैजाबाद द्वारा मुक्त भूमि दिये जाने का प्रस्ताव

68—श्री गोपीनाथ वर्मा —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को जानकारी है कि निदेशक चिकित्सा स्वाथ्य एवं परिवार कल्याण उ0 प्र0 द्वारा संयुक्त निदेशक, ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उ0 प्र0 के माध्यम से शासन को पत्र सं0 17 फ0 (नि0) 133/81 (118)/416 लखनऊ दिनांक मई, 1982 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टांडा फैजाबाद में उच्चीकरण 30 शैय्या के स्थान पर 100 शैय्या का अस्पताल स्थापित किये जाने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो निदेशक, चिकित्सा स्वा0 सेवा एवं परिवार कल्याण उ0 प्र0 द्वारा भेजे गये प्रस्ताव का पूर्ण विवरण क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

माननीय विधायक के प्रश्न में उल्लिखित स्वास्थ्य सेवा निदेशक उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक मई, 1982 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है, किन्तु टान्डा, जिला फैजाबाद में एक 100 शैय्यायुक्त अस्पताल भवन निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

69---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या यह सही है कि उक्त अस्पताल निर्माण हेतु श्री हरी चन्द्र मिश्र, एडवोकेट (मुबारकपुर) टांडा फैजाबाद द्वारा 5 एकड़ भूमि मुफ्त दिये जाने का प्रस्ताव है ? यदि हां तो क्या प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार करके अस्पताल निर्माण हेतु आदेश दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी---

जी हाँ। प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

नगर पालिका हरदोई में जल आपूर्ति हेतु जेनरेटर का क्रय

70---श्री गोपी नाथ वर्मा---

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19-8-82 को विधान सभा में उत्तरित अता0 प्र0 सं0 72 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेगें कि जेनरेटर खरीदने में क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी ? तथा जेनरेटर खरीदने की तिथि (5-6-80) से अब तक मरम्मत आदि पर कितना धन व्यय किया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना---

जनरेटर निम्नतम कोटेशन दर के आधार पर क्रय किया गया तथा 5 जून, 1980 से अब तक मरम्मत पर 840 रुपया व्यय किया है।

लखनऊ स्थित राजाजी पुरम कालोनी का नगर विकास मंत्री द्वारा आकस्मिक निरीक्षण तथा दिये गये निर्देश

71---श्री गोपीनाथ वर्मा---

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4-9-82 को उनके द्वारा लखनऊ स्थित राजाजी पुरम कालोनी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया ? यदि हां, तो उन्होंने वहां की दशा सुधारने के सम्बन्ध में कौन कौन से निर्देश दिये तथा इन सभी निर्देशों पर कब तक कार्यवाही पूर्ण करा ली जायेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना---

प्रश्नानुसार मा0 नगर विकास मंत्री जी द्वारा दिनांक 4-9-82 को लखनऊ स्थित राजा जी पुरम कालोनी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया और माननीय मंत्री जी द्वारा सड़कों की मरम्मत तथा वृक्षारोपण के निर्देश दिये गये जहाँ निर्माण सम्भव नहीं है। उक्त के अनुपालन में सड़कों की मरम्मत तथा वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित किया जा चुका है।

राजाजी पुरम तथा इन्दिरा नगर कालोनी में कार्यरत जूनियर इंजीनियरों का सेवा काल तथा स्थानान्तरण, आरोपों की जांच

72—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित आवास विकास परिषद मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, राजाजी पुरम कालोनी तथा इन्दिरा नगर कालोन में कौन कौन जूनियर इन्जीनियर ऐसे हैं जिन्हें 3 से 5 वर्ष तक कार्य करते लखनऊ जनपद में हो गया है ? क्या सरकार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरण करने के आदेश देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

प्रश्नानुसार राजाजी पुरम तथा इन्दिरा नगर कालोनियों में कार्यरत जूनियर इन्जीनियरों की सूची संलग्न है।

परिषद द्वारा स्थानान्तरण नीति के अनुसार जूनियर इन्जीनियरों को एक खन्ड/इकाई में पाँच वर्षों तक तथा एक स्थान पर सात वर्षों से अधिक नहीं रखा जाएगा। कुछ मामलों में कार्यों की प्रगति तथा व्यक्तिगत समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त नीति में शिथिलीकरण करना पड़ा है।

(देखिए नत्थी "ज" पृष्ठ विषय सूचि में देखें।)

73—श्री गोपीनाथ वर्मा —

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास विकास परिषद, लखनऊ (राजाजी पुरम तथा इन्दिरा नगर सहित कितने जूनियर इंजीनियर/सहायक अभियन्ता ऐसे हैं जिन पर भ्रष्टाचार या घपले के आरोप हैं ? इस संबंध में परिषद सरकार द्वारा क्या विभागीय कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की (राजाजी पुरम इन्दिरा नगर सहित) 12 सहायक अभियन्ता तथा 33 जूनियर इन्जीनियर के विरुद्ध भ्रष्टाचार या घपले के आरोप हैं। इनमें से 9 सहायक अभियन्ता तथा 24 जूनियर इन्जीनियरों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और शेष 3 सहायक अभियन्ता तथा 9 जूनियर इन्जीनियरों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच चल रही है।

श्री आर० सी० सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता के निलम्बन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

74—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या नगर विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सितम्बर 1982 के प्रथम सप्ताह में लखनऊ स्थित राजाजी पुरम कालोनी के निर्माण में लाखों रुपये के घपले के आरोप में आर० सी० सक्सेना, अधीक्षण अभियन्ता को निलम्बित किया गया है ? यदि हां तो इन पर कौन कौन से आरोप हैं और उनके आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ !

श्री आर0सी0 सक्सेना अधीक्षण अभियन्ता निलम्बित के विरुद्ध कुल 6 मामलों में विभागीय कार्यवाही चल रही है।

(1) परिषद की इन्दिरा नगर आचार्य योजना देहरादून में 36 तिमंजिले दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री के प्रयोग करने के सम्बन्ध में।

(2) राजाजी पुरम आवास योजना लखनऊ में निर्मित निजी अल्प आय वर्ग के भवनों के निर्माण में पर्यवेक्षण की शिथिलता, अवर स्तर की सामग्री का प्रयोग तथा दोष पूर्ण प्रबन्ध पद्धति के सम्बन्ध में।

(3) माल एवेन्यू आवास योजना लखनऊ में निर्मित उच्च आय वर्ग के भवनों में प्रयुक्त अवर स्तर की सामग्री तथा निम्न स्तर के कार्य कौशल के प्रदर्शन के सम्बन्ध में।

(4) अलीगढ़ की मालवीय पुस्तकालय योजना अलीगढ़ में 2-1/2 ब्लाक के दुकानों के निर्माण में आमंतित निविदाओं में अनियमितता तथा अपने अधिकार सीमा के अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में।

(5) राजाजी पुरम आवास योजना लखनऊ में निर्मित 1000 मिनी अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य निविदा देने वाले ठेकेदारों से भिन्न व्यक्तियों को आफर रेट पर कराये जाने के सम्बन्ध में।

(6) राजाजी पुरम आवास योजना लखनऊ में प्रस्तावित 1003 दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य सेलेक्शन के आधार पर बगैर टेन्डर के भिन्न व्यक्तियों से कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रश्नगत् विभागीय जांच में से 4 मामलों में (क्रम संख्या 2, 4, 5 तथा 6) पर जांच आख्या प्राप्त हो चुकी है जो परिषद के विचाराधीन हैं और शेष 2 मामलों में आरोप पत्र दिये जा चुके हैं जिसमें श्री सक्सेना का उत्तर और जांच अधिकारी की आख्या प्रतीक्षित है। अधीक्षण अभियन्ता के नियुक्ति अधिकारी परिषद है जो उक्त प्राप्त जांच आख्याओं का परीक्षण कर रही है।

सिकरोहर चन्दनपुर सीसिस्कन ब्रदर्स सामूहिक कृषि समिति लि0 का गठन तथा फांलिंग से अवमुक्ति

75—श्री गोपी नाथ वर्मा—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में सिकरोहर चन्दनपुर फांसिस्कन ब्रदर्स सामूहिक सहकारी कृषि समिति का गठन कब हुआ और उसके अधीन अचल सम्पति का पूर्ण ब्योरा क्या है ? क्या सहकारी समितियों की कृषि भूमि को लैण्ड सीलिंग से अवमुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री बच्चा पाठक —

सिकरोहर चन्दनपुर फ्रांसिस्कन ब्रदर्स सामूहिक कृषि समिति लि0 का गठन दिनांक 22-11-73 को हुआ था, अचल सम्पत्ति के रुप में 279 बीघा 8 बिस्वा 13 धूर भूमि हैं जो इसे फ्रासिस्कन माउन्ट पैन्सूर आफ बाम्बे से प्राप्त हुई हैं।

सिकरोहर चन्दनपुर का फ्रांसिस्कन ब्रदर्स कृषि समिति की 279 बीघा 8 बिस्वा 13 धूर भूमि सीलिंग से अवमुक्त की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदोई तथा अन्य जिला चिकित्सालयों में जेनरेटर लगाने का निर्णय

76 श्री रामलाल वर्मा--

क्या चिकित्सा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई में स्थित चिकित्सा लय हेतु मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखकर जेनरेटर उपलब्ध करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

हरदोई तथा अन्य जिला चिकित्सालयों में जनरेटर लगाने का निर्णय शासन ने ले लिया है। सन्साधनों की उपलब्धता के आधार पर जनरेटर लगा दिये जायँगे। उपरोक्त परिपेक्ष्य में अवधि इंगित करना सम्भव नहीं।

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों पर वेतन आयोग की रिपोर्ट तथा चिकित्सा भत्ता, स्थायीकरण एवं पदोन्नति हेतु आदेश

77—श्री रामलाल वर्मा--

क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी यू0 में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों पर वेतन आयोग की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं लागू हो सकी है जबकि यूनियन के अन्य समस्त कर्मचारियों पर रिपोर्ट लागू कर दी गयी।

श्री बच्चा पाठक---

उत्तर प्रदेश सहकारी यूनियन में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षकों पर वेतन आयोग (1979-80) की रिपोर्ट की संस्तुतियां जुलाई, 1979 से लागू हो चुकी है, इसके आदेश पी0 सी0 यू0 के कार्यालय आदेश संख्या 28/सी-शिक्षा दिनांक 30-8-82 द्वारा प्रसारित किये जा चुके हैं।

78—श्री राम लाल वर्मा—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारी यू0 के शिक्षा प्रशिक्षकों को चिकित्सा भत्ता, स्थायीकरण, ग्रेच्युटी तथा सहायक शिक्षा अधिकारी के स्वीकृत पदों पर वरिष्टता क्रमानुसार पदोन्नति हेतु आदेश वर्ष 1981 में पारित कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का क्रियान्वयन कब तक सम्भव होगा ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं !

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगरपालिका को रिक्शा, खड़खड़ा, ठेला से आय

79—श्री रामलाल वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर महापालिका को वित्तीय वर्ष 1981-82 तथा 82-83 में 31 जुलाई, 1982 तक रिक्शा चालक लाइसेंस में कितनी आय राजस्व के रुप में प्राप्त हुई और कुल कितने लाइसेन्स

लाइसेन्स प्रतिवर्ष निर्गत किये गये ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेगें कि लखनऊ नगर महापालिका के रिक्शा, खड़खड़ा तथा ठेला आदि से रोड टैक्स के रुप में उक्त अवधि में प्रतिवर्ष कितने राजस्व की प्राप्ति होती है तथा इनकी सुख-सुविधा हेतु अब तक क्या प्रयास किये गए हैं ?

श्री राम सिंह खन्ना—

लखनऊ नगर महापालिका को रिक्शा चालक लाईसेन्स से वित्तीय वर्ष 198182 में रु0 1, 23, 915/– एवं 1982-83/ में 31 जुलाई, 1982 तक रु0 15, 738/- की आय राजस्व के रुप में प्राप्त हुयी और 1981-82 में 42, 125 तथा 1982-83 में 31 जुलाई, 1982 तक 4,450 रिक्शा चालक लाइसेन्स निर्गत किये गये।

लखनऊ नगर महापालिका को रिक्शा, खड़खड़ा तथा ठेला से वर्ष 1981-28 में रु0 11,06,000/- तथा वर्ष 1982-83 में 31 जुलाई, 1982 तक रु0 27,000/- आय हुयी।

उनकी सुख सुविधा के लिये रिक्शा स्टैण्ड, सार्वजनिक मूत्रालय शौचालय एवं सड़कों के निर्माण और उनके सुधार की कार्य वाही नगर महापालिका द्वारा की की गयी है।

80—श्री रामलाल वर्मा—

(7 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

81—श्री राम लाल वर्मा—

(7 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 112 के अन्तरगत स्थानान्तरित ।)

नगर महापालिका आगरा को जल कल कर्मचारी संघ की ओर से दिया गया ज्ञापन

82—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12 जुलाई, 1982 को प्रशासक महोदय नगर महापालिका आगरा को जल कल कर्मचारी संघ को ओर से कोई ज्ञापन मिला ? यदि हाँ, तो वह ज्ञापन क्या था और शासन द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला क्षय रोग नियंत्रण केन्द्र, बाँदा में एक्सरे प्लेट की आपूर्ति

83—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या चिकित्सा मन्त्री को इसकी जानकारी हैं कि जिला क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र बाँदा में 4 माह से एक्सरे प्लेट नहीं है जिससे कि रोगियों को अत्यन्त कष्ट हो रहा ? यदि हाँ तो प्लेट की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

जी हाँ। जिला क्षय नियंत्रण केन्द्र बाँदा में दिनाँक 14-10-80 को एम0एम0आर0 एक्सरे रोल्स विदेशों से आयात किये जाते हैं। कभी कभी इनकी प्राप्ति में देरी हो जाती है। अब इनकी आपूर्ति प्राप्त हो गयी है तथा उक्त केन्द्र को इन रोल्स की पूर्ति की जा रहा है।

निबन्धक, सहकारी समितियाँ उ0 प्र0, लखनऊ कार्यालय में लेखाकार सहायक लेखाकार का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

84- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

क्या सहकारिता मन्त्री बतायेंगे कि निबंधन सहकारी समिति लखनऊ के कार्यालय में कितने ऐसे लेखाकार तथा सहायक लेखाकार हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से मुख्यालय पर ही है, उनका स्थानान्तरण अब तक न करने का क्या कारण है और कितने एसे सहायक लेखाकार हैं जिनका अल्पावधि में बिना किसी कारण मध्यकाल में लखनऊ से बाहर स्थानान्तरण किया गया ? यदि हाँ. तो ऐसा क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 लखनऊ कार्यालय में 4 लेखाकार एवं 8 सहायक लेखाकार ऐसे हैं, जो पाँच वर्षो से अधिक समय से मुख्यालय पर ही कार्यरत हैं।

कार्यहित में इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया।

ऐसा मामला केवल एक है, जिसमें स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया।

स्वदेशी काटन मिल, मऊ, आजमगढ़ के निलम्बित कर्मचारियां को प्रदत्त कथित दोहरी सुविधा

85—श्री राजकुमार राय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वदेशी काटन मिल, मऊ, आजमगढ़ के निलम्बित कर्मचारी सर्वश्री भीमनाथ, नगीना चौहान व राम और पाण्डेय को वर्ष 82 के फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीनों में जीवन निर्वाह भत्ता के साथ-साथ बीमारी के बहाने 10 रु0 प्रतिदिन प्रति श्रमिक राजकी कर्मचारी अस्पताल से अदा किया गया ? यदि हाँ, तो इस दोहरी सुविधा देने का कारण क्या है और उसके लिए कौन अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया।

पी0सी0एफ0 के हल्द्वानी, मेरठ, आगरा, कानपुर क्षेत्रों में कार्यरत रीजनल आफिसर्स तथा दिया गया वेतन

86—श्री राजकुमार राय—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पी0 सी0 एफ0, उ0प्र0 के अधीन कार्यरत हल्द्वानी मेरठ, आगरा तथा कानपुर के क्षेत्रों के रीजनल आफिसर्स अपने

पदों के लिये अर्ह नहीं हैं ? यदि हाँ, तो उन्हें क्षेत्रीय अधिकारियों का वेतन क्यों दिया जा रहा है ?

श्री बच्चा लाल पाठक—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमेन्ट की बोरियों का निकासी के समय वजन कराकर देने की व्यवस्था

87—श्री राज कुमार राय—

क्या खाद्य मन्त्री को यह जानकारी है कि आजमगढ़ में स्टाकिस्टों को सीमेन्ट फैक्टरियों द्वारा निकासी के समय सीमेंट तौल कर नहीं मिलती और कम मिलती है। यदि हां तो क्या सरकार सीमेन्ट के बोरियों का निकासी के समय ही वजन कराकर देने को व्यवस्था करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह –

सीमेंट फैक्ट्रियों द्वारा निकासी के समय तौलकर सीमेंट की बोरियां न देने तथा कम भार की बोरियां देने की शिकायत आजमगढ़ के स्टाकिस्टों से प्राप्त नहीं हुई ।

प्रत्येक सीमेंट फैक्ट्री में निकासी के पूर्व सीमेंट तौलकर दिये जाने की व्यवस्था है। बाँट तथा माप अधिनयम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित भार की जांच समय-समय पर की जाती है और कम भार होने की दशा में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्य वाही की जाती है ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सूरजपुर में सीमेंट वितरण

88—श्री राज कुमार राय –

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट विकास क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर में इस समय सीमेंट वितरण के लिए कोई दुकान नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह –

आजमगढ़ जनपद के दोहरी घाट विकास क्षेत्र के ग्राम सूरजपुर में इस समय सीमेंट वितरण के लिए कोई दुकान नहीं है । दोहरी घाट विकास क्षेत्र में सीमेंट के सात लाईसेंसी हैं जहाँ से उक्त ग्राम सूरजपुर के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है ।

द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा, जल निगम, आजमगढ़ में क्रय की गयी सामग्री का मूल्य

89—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा, जल निगम, आजमगढ़ में वर्ष 1980, 1981 व 1982 में पी0 ग्रेविल पम्प व मोटर तथा टी0 पी0 के क्रय, रिंग मशीनों की मरम्मत तथा कन्टीन्जेन्सीज के आइटमों के खरीद पर प्रत्येक वर्ष में अलग-अलग प्रत्येक मद में कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गयी है व उन सामानों के क्रय हेतु कब-कब टेन्डर निकाले गये व प्रत्येक में किन-किन टेन्डर दाताओ के रेट सब से कम थे तथा उन कम रेट वाले लोगों से कितने-कितने रुपए की आपूर्ति ली गयी और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना

द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, आजमगढ़ में वर्ष 1980, 1981 व 1982 में पी0 ग्रेविल, पम्प व मोटर, टी0 एन्ड पी0 के रिंग क्रय मशीनों की मरम्मत तथा कटी जस्टीज के आइटमों को खरीद के लिए न्यूनतम टेन्डर दाताओं से सम्बन्धित तथा क्रय की गयी सामग्री के मूल्य के विवरण नत्थी में दर्शाये गये हैं।

(देखिए नत्थी "ञ" पृष्ठ विषय सूचि में देखें।)

द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा जल निगम, आजमगढ़ में रिंग मशीन व एल0एम0पी0 द्वारा बनाये गये नलकूप

90—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या नगर विकासमन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय अस्थायी निर्माण शाखा जल निगम, आजमगढ़ में वर्ष 1981 व 1982 में रिंग मशीन आर0 सी0 600/-27 व एल०एम० पी० मशीन से कहां कहां नलकूप बनाये गये है व उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में उस मशीनों के इन्चार्ज कौन-कौन जे0ई0 कब से कब तक रहे हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना—

द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा, उत्तर प्रदेश जल निगम, आजमगढ़ में वर्ष 1981 व 1982 में रिग मशीन आर0सी0 600/27 एवं एल0एम0पी0 द्वारा जिन-जिन स्थानों नलकूप बनाए गए उनके नाम तथा प्रत्येक वर्ष में उन मशीनों के जे0ई0 इन्जार्ज रहने की अवधि नत्थी में दर्शायी गयी है।

(देखिए नत्थी "ञ" पृष्ठ विषय सूची में देखें)

देवरिया जिले के बैतालपुर कस्बा को नोटीफाइड (एरिया बनाने की मांग

91—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के बैतालपुर कस्बा जिसकी आबादी 5 हजार से ऊपर है, को नोटिफाइड एरिया बनाने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं !

वांछित अर्हतायें न होने के कारण।

अस्थाई निर्माण शाखा उ0 प्र0 जल निगम, गोरखपुर के कार्य प्रसारित अधिष्ठान में किये गये कार्य एवं भुगतान

92—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थाई निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, गोरखपुर में कार्यरत प्रभारी, अधिष्ठान के किन-किन कर्मचारियों को रिंग मशीनों, कम्प्रेशर मशीनों, पम्प, ट्रक व ट्रैक्टर पर अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य करने व इतवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में कार्य करने पर वर्ष 1981 के

शुरु से लेकर अब तक अलग-अलग कुल कितने-कितने रुपए के ओवर टाइम का भुगतान किन-किन महीनों का किया जाना शेष है तथा भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

अस्थाई निर्माण शाखा, उ0 प्र0 जल निगम, गोरखपुर में वर्ष 1981 से जुलाई 82 तक कार्य प्रभारित अधिष्ठान के अन्तर्गत रिंग मशीनों, कम्प्रेशर मशीनों, पम्प, ट्रक व ट्रेक्टर पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी का अपने कार्य के अतिरिक्त कार्य करने व इतवार तथा अन्य अवकाश के दिनों में कार्य करने पर ओवर टाइम का भुगतान किया जाना शेष नहीं है।

षोडष मंडल, उ० प्र० जल निगम, वाराणसी में सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण

93—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि षोडश मण्डल, उ० प्र० जल निगम, वाराणसी के अन्तर्गत किन-किन विद्युत एवं यांत्रिक शाखाओं में क्रमशः तीन साल, चार साल व पांच साल से अधिक समय से विभिन्न श्रेणी के अभियन्तागण कार्यरत हैं व उनके क्या नाम हैं व उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में आदेश दिये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना—

षोडष मंडल, उ० प्र० जल निगम, वाराणसी के अन्तर्गत निम्नलिखित विद्युत एवं यांत्रिक शाखाओं में तीन साल, चार साल व पांच साल से अधिक समय से सहायक अभियंता व अवर अभियंता कार्यरत हैं :—

(अ) द्वितीय निर्माण शाखा उ० प्र० जल निगम, वाराणसी।

(ब) द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम आजमगढ़।

(स) अस्थाई निर्माण शाखा, उ० प्र० अल निगम गोरखपुर।

(द) जल निगम यांत्रिक शाखा, (द्वितीय), वाराणसी।

ऐसे सहायक अभियन्ताओं के नाम एवं तैनाती की अवधि संलग्नक—1 तथा अवर अभियन्ताओं के नाम एवं अवधि संलग्नक 2 में दर्शाये गये हैं। इन शाखाओं में 3 साल, 4 साल व 5 साल से अधिक समय से कोई अधिशासी अभियंता कार्यरत नहीं हैं। इनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अभी कोई आदेश नहीं दिये जा रहे है क्योंकि शासन की नीति के अनुसार सामान्यतया मध्य सत्र में स्थानान्तरण नहीं किया जाना है।

(देखिए नत्थी "ट" पृष्ठ विषय सूचि में देखें।)

देवरिया जिले के गौरी बाजार देसई देवरिया, बैतालपुर, रामपुर कारखाना विकास खण्डों में अस्पताल का निर्माण

94—श्री नन्दकिशोर सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के गौरी बाजार, देसही, देवरिया, बैतालपुर, रामपुर कारखाना विकास खंडों में ग्रामीण स्तर पर कहां-कहां अस्पताल बन रहे हैं और यह कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

देवरिया जिले के गौरी बाजार देसई देवरिया, बैतालपुर, रामपुर कारखाना विकास खण्डों में ग्रामीण स्तर पर शासन द्वारा अभी अस्पताल नहीं बनाये जा रहे हैं।

टाउन एरिया कुरावली में सीवर लाईन का निर्माण कार्य

95—श्री जगदीश सिंह यादव—

श्री रघुवीर सिंह यादव तथा बंशीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के टाउन एरिया कुरावली में जो सीवर लाईन बिछाई जा रही है क्या इस कार्य को पूर्ण कराने का सरकार द्वारा निर्धारित समय निकल चुका है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं, शासन द्वारा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था। निर्माण कार्य जून, 1983 तक पूरा हो जाने की आशा है।

टाउन एरिया कुरावली में ट्रकों व बसों आदि से टैक्स वसूलने के दफ्तर की समाप्ति

96—श्री रघुवीर सिंह यादव श्री जगदीश सिंह यादव तथा श्री बंशीधर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के टाउन एरिया कुरावली में ट्रकों व बसों आदि से टाउन एरिया टैक्स वसूल करने के लिए जो दफ्तर बने थे वह किस तारीख से खत्म कर दिये गये हैं और जो कर्मचारी टाउन एरिया दफ्तरों में कार्य कर रहे थे वह सब बिना कार्य किये कई हजार रुपया माहवार सरकार से वेतन ले रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

टाउन एरिया कुरावली में ट्रकों व बसों से टैक्स वसूलने के दफ्तर समाप्त कर दिये गये हैं तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों को अन्य कार्यों में लगा दिया गया है। प्रश्न ही नहीं उठता है।

भूमि विकास बैंक राया, जिला मथुरा के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

97—श्री सरदार सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 जून, 1982 को एक शिकायती-पत्र श्री चन्द्रपाल शर्मा, अध्यक्ष, जिला किसान मजदूर वाहिनी, मथुरा ने भूमि विकास बैंक, राया, जिला मथुरा में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में उनको दिया था ? यदि हां, तो उसकी मुख्य शिकायतें क्या थीं ? भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक

जी हां। इसमें मुख्य शिकायत ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने की है। मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान शाखा। (सहकारिता),

आगरा मण्डल द्वारा की गई, जांच रिपोर्ट के आधार पर बैंक की शाखा राया के शाखा प्रबन्धक तथा सहायक फील्ड आफिसर को निलम्बित कर दिया गया है तथा अग्रत्तर अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

दोहरी घाट योजना, आजमगढ़ के अन्तर्गत भवन निर्माण

98—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 82 के 1 ले गुरुवार के अता० प्र० स० 17 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट रोड आवास योजना में भवन निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

दोहरी घाट योजना, आजमगढ़ में 15 मध्यम आय वर्ग, 10 अल्प आय वर्ग तथा 100 दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है योजना स्थत पर अगस्त 1981 में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था।

तत्पश्चात् 25-30 हरिजनों ने मिलकर जिलाधिकारी, आजमगढ़ से शिकायत की कि इस योजना के फलस्वरूप वे सर्वथा असहाय हो जायेंगे। जिलाधिकारी ने परिषद से अनुरोध किया कि हरिजनों में उनकी भूमि परिषद द्वारा दिये जाने के कारण आक्रोश व्याप्त है अतः परिषद योजना के अन्तर्गत भवनों के निर्माण के लिये किसी दूसरे स्थल पर चयन करने का विचार किया जाए। अतः परिषद द्वारा निर्माण कार्य अस्थाई रूप से रोक दिया गया तथा यह मामला परिषद के समक्ष रखा गया। दिनांक 23-11-82 को परिषद ने यह निर्णय लिया कि इस योजना पर कार्य पुनः प्रारम्भ कराया जाए तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व जिलाधिकारी का सहयोग भी प्राप्त किया जाए। अतः यह कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।

99—श्री पंचानन राय—

(5 वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद गोरखपुर की तहसील मुख्यालय महाराजगंज को टाउन एरिया घोषित न किये जाने का कारण

100—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

क्या नगर विकास मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर की तहसील मुख्यालय महाराजगंज (कस्बा महाराजगंज, मऊ पाकड़, चिउरहा आदि की जन-संख्या लगभग 15 लाख है ? यदि हां, तो इसे टाउन एरिया घोषित न करने का क्या कारण है ? तथा इसकी घोषणा कब तक कर दी जायगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में नव निर्वाचित ग्राम प्रधान

101--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में कितने ऐसे नव निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं जो साधन सहकारी समिति के सचिव हैं ? क्या साधन सहकारी समिति के सचिव ग्राम प्रधान का चुनाव बिना त्याग-पत्र दिए लड़ सकते हैं ? यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री बच्चा पाठक --

जनपद गोरखपुर की तहसील महाराजगंज में दो ऐसे नव-निर्वाचित ग्राम प्रधान हैं जो साधन सहकारी समिति के सचिव हैं।

साधन सहकारी समिति के सचिव ग्राम प्रधान का चुनाव बिना त्यागपत्र दिये लड़ सकते हैं।

102 श्री श्याम नरायन तिवारी तथा श्री कुबेर भण्डारी -

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

जय प्रकाश नगर, आलमबाग के नागरिकों की ओर से सुविधाओ को उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र

103- श्रीमती प्रेमवती तिवारी --

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जय प्रकाश नगर, आलमबाग, लखनऊ के नागरिकों की ओर से वहां की नागरिक सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, जल निकासी एवं सड़क व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में जनवरी, 1981 से अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं.? उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जय प्रकाश नगर, आलमबाग के नागरिकों की ओर से वहाँ नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु जनवरी 1981 से अब तक लगभग 10 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उनकी मुख्य मांगें, बिजली, सड़क निर्माण, सफाई, जल निकासी एवं जल सम्भरण आदि से सम्बन्धित हैं। उन प्रार्थना-पत्रों पर निम्न कार्यवाही की गयी :--

(क) उक्त क्षेत्र की सफाई नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार नियमित रूप से की जा रही है।

(ख) जल भराव की समस्या के निराकरण के लिए जय प्रकाश नगर के पूर्व में सुन्दर नगर में स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण किया गया है, शेष कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।

(ग) जय प्रकाश नगर, नटखोरा रोड पर 3 फिट व्यास व 2 फिट व्यास का ह्यूम पाईप डालकर स्टार्म वाटर ड्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(घ) सुख लाल अड्डा से मधुवन नगर होते हुए जय प्रकाश नगर तक नाली एव खड़न्जे का कार्य कराया जा चुका है।

(ङ) जय प्रकाश नगर से विशेश्वर नगर तक नाली व खड़न्जे का कार्य कराया जा रहा है।

(च) शक्ति नगर में नाली, खड़न्जे के कार्य का निविदा प्राप्त की जा चुकी है। कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

(छ) कुछ गलियों के निर्माण का कार्य धन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जायेगा।

(ज) वर्तमान प्रकाश व्यवस्था का सुधार फ्यूज बल्ब, राड व लाईनों की मरम्मत कराकर प्राय: किया गया है।

(झ) नये पोल लगाने हेतु तथा कुछ वर्तमान पोलों पर स्ट्रीट लाईट वायर खींचे जाने के लिए लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डर टेकिंग, लखनऊ से दो इस्टीमेट मांगे गये हैं। इनके प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जायेगी।

श्री आर० एल० गुप्ता, भूतपूर्व सर्वेलेन्स इंस्पेक्टर के बकाया भुगतान दिये जाने के निर्देश

104—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री आर० एल० गुप्ता, भूतपूर्व सर्वेलेन्स इस्सपेक्टर एन० एम० ई० पी० यूनिट (दक्षिणी), रायबरेली के दिनांक 1-6-62 से 13-7-62 तक के अवकाश वेतन 200 रुपए की प्रतिभूति वापस करने एवं जी० पी० फण्ड का भुगतान किए जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निदेशक (मलेरिया द्वारा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली को अपने पत्र सं० माल एवेन्यू (XV) /75/1186 दिनांक 3-2-1976 द्वारा कोई निर्देश निर्गत किए गये थे ? यदि हां, तो उनके अनुपालन में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चीनी अधिकृत थोक विक्रेताओं/बल्क कन्ज्यूमर्स को बिक्री के आदेश

105—श्री राजकुमार राय—

द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता० प्र० स० 136 के सम्बन्ध में क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी उपभोक्ता भण्डारों द्वारा समस्त चीनी न बिक्री कर सकने का क्या कारण है ? किस शासनादेश के अधीन चीनी अधिकृत थोक विक्रेताओं बल्क कन्ज्यूमर्स को बिक्री के आदेश दिए ?

श्री बच्चा पाठक

बाजार में चीनी का निर्धारित भाव नीचे गिर जाने के कारण उपभोक्ता भण्डारों द्वारा समस्त चीनी नहीं बेंची जा सकी।

शासनादेश संख्या-5732 (1) उन्तीस-8, दिनांक-8-7-80 एवं रेडियोग्राम संख्या एस/7826/29-8-एस-147/80, दिनांक 30 अगस्त, 1980 तथा /एस-7881/29-8-एस-147/80, दिनांक 4 सितम्बर, 1980 में प्रदत्त अनुमति से चीनी की अधिकृत थोक विक्रेताओं बल्क कन्ज्यूमर्स को बिक्री की गयी।

जनपद आजमगढ़ की मधुवन शीत गृह का सर्वे

106—श्री राजकुमार राय—

द्वितीय सत्र 1982 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 स0 140 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मधुवन शीतगृह का सर्वे किस अधिकारी ने और कब कराया था ओर उस क्षेत्र में कितना आलू होना पाया गया जो शीतगृह के लिए कम था ?

श्री बच्चा पाठक—

आजमगढ़ जनपद की घोसी तहसील, जिसमें मधुवन स्थित है, की आलू की उपज तथा शीतगृहों की सूचना जिला उद्यान अधिकारी आजमगढ़ से वर्ष 1976-81 के सम्बन्ध में प्राप्त की गई थी, जिसके अनुसार घोसी तहसील में 0213 मै0 टन से 9852 मै0 टन तक आलू का उत्पादन विभिन्न वर्षों में हुआ था। उक्त क्षेत्र में 6000 मै0 टन क्षमता के दो शीतगृह पहले से कार्यरत है। किसानों द्वारा सामान्य रूप से अपनी उपज का 40% आलू शीतगृहों में रखा जाता है। अतः मधुवन में एक तीसरे शीतगृह की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया।

फर्टीलाइजर, बाराबंकी के मैनेजर श्री शकील अशरफ के विरुद्ध आरोपों की जांच तथा स्थानान्तरण

107 —श्री राम कुमार राय —

द्वितीय सत्र 1982 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 सं0 139 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और निरीक्षण तथा कर्मचारियों के शिकायतों के कितने और कौन-कौन तथ्य मिलते हैं तथा जांच रिपोर्ट क्या है ? श्री शकील अशरफ के स्थानान्तरण के अतिरिक्त और क्या किया गया ?

श्री बच्चा पाठक—

श्री शकील अशरफ के विरुद्ध फर्टीलाइट बाराबंकी सम्बन्धी शिकायतों की जाँच श्री डी0 सी0 अग्रवाल जनरल मैनेजर (ट्रेडिंग) पी0 सी0 एच0 मुख्यालय द्वारा की जा रही है। शिकायतों के बारे में श्री शकील अशरफ का स्पष्टीकरण दिनांक 6-10-82 द्वारा मांगा गया है किन्तु उनका स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, जिससे जाँच अधिकारी द्वारा जाँच निष्कर्ष नहीं दिये जा सके है। अतः अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निरीक्षण रिपोर्ट तथा कर्मचारियों की शिकायतों के कौन-कौन तथ्य सही हैं। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। श्री शकील अशरफ को उनके पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

रसूलपुर, जनपद आजमगढ़, चिकित्सालय में बढ़ायी गयी शैय्यायें

108 — श्री राज कुमार राय—

द्वितीय सत्र 82 के 1ले गुरुवार के अता0 प्र0 स0 144 के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रसूलपुर जनपद आजमगढ़ चिकित्सालय में पाँच शैय्यायें कब तक बढ़ा दी जायेंगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

इंसेफेलाइटिस से ग्रसित जनपदों के नाम तथा उनको भेजी गयी बी० एच० सी० की मात्रा

109—श्री राजकुमार राय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82-83 में कौन-कौन से जनपद इंसफलाइटिस ग्रस्त घोषित हैं और उन जिलों में कब-कब और कितनी बी० एच० एस० दवा भेजी गयी है? क्या यह सही है कि उन जिलों को भी सन्दर्भित वर्ष में दवा भेजी गयी है, जो इन्सफलाइटिस ग्रस्त नहीं हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

वर्ष 1982-83 में इन्सेफेलाइटिस से ग्रसित जनपदों के नाम तथा उनको भेजी गयी बी० एच० सी० की मात्रा संलग्न तालिका में अंकित कर दी गयी है। यह बी० एच० सी० वर्ष 1981-82 में भेजी गई थी जो 1982-83 के पूर्वार्ध के लिए पर्याप्त थी।

यह सही है कि संदर्भित वर्ष में बी० एच० सी० उन जिलों को भी भेजी गयी जो इन्सेफेलाइटिस ग्रस्त नहीं थे क्योंकि यह मलेरिया तथा अन्य संक्रामक रोगों आदि की रोक थाम के लिए भी प्रयोग में आती है।

(देखिए नत्थी (ठ) पृष्ठ विषय सूचि में देखें।)

जनपद आजमगढ़ को साधन सहकारी समिति सूरजपुर के प्रस्ताव के अनुसार ग्राम चकउथ में गोदाम का निर्माण

110—श्री राजकुमार राय—

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सा०स० समिति सूरजपुर के प्रस्ताव दि० 26-8-82 "कि विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण गोदाम निर्माण योजना के अन्तर्गत ग्राम चकउथ के गाटा संख्या 158 व 159 पर ग्रामीण गोदाम बने" तथा इस सम्बन्ध में डी० आर० गोरखपुर और ए०आर० आजमगढ़ के कई आदेशों के बावजूद सूरजपुर में गोदाम का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यो? क्या शासन दोषी व्यक्तियों को दंडित करने पर विचार करेगी?

श्री बच्चा पाठक —

जनपद आजमगढ़ की साधन सहकारी समिति सूरजपुर के प्रस्ताव दिनांक 26-8-82 के अनुसार ग्राम चकउथ में गोदाम का निर्माण कार्य दिनांक 24-10-82 को प्रारम्भ कर दिया गया है। इस गोदाम का निर्माण छत्त स्तर तक हो चुका है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

चूँकि निर्माण कार्य प्रगति पर है, अतः किसी व्यक्ति को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री एच० एन० सिंह के बारे में शिकायतों की जांच

111—श्री राजकुमार राय—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता के संस्तुति पत्र के साथ

दिनांक 14-9-82 की ग्राम सभा देवकली, जिला आजमगढ़ के भूतपूर्व प्रधान श्री श्याम नारायण सिंह का पत्र जिसमें श्री एच0एन0 सिंह के बारे में शिकायतें की गयी थीं मिला था ? यदि हां, तो शासन ने उनमें क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हाँ।

प्राप्त शिकायत की जाँच कराई जा रही है।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धक सूर सदन के पद हेतु प्रार्थना पत्र

112—श्री राजकुमार राय---

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भवन सूर सदन के मैनेजर पद हेतु मार्च, 1980 फरवरी, 1981 में आवेदन-पत्र प्राधिकरण द्वारा मांगें गये और प्रत्याशियों से आवेदन पत्र के साथ-साथ 10 रु0 शुल्क भी लिया गया ? यदि हां, तो अब तक उक्त पद के लिए कोई साक्षात्कार क्यों नहीं कराया गया ?

श्री राम सिंह खन्ना

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा प्रबन्धक सूर सदन के पद के लिए प्रार्थना पत्र मार्च, 80 व फरवरी 81 में नहीं बल्कि मई 79 व जून 1 में आमन्त्रित किये गये थे। सूर सदन से होने वाली आय से उस पर व्यय अधिक था और इस पद के कार्यों के सम्पादन हेतु अंश कालीन व्यवस्था संतोषजनक होने के कारण बाद में इस पद पर नई नियुक्ति करना व्यवहारिक नहीं पाया गया। अतः अभ्यार्थियों का साक्षात्कार नहीं किया गया।

अभ्यार्थियों के आवेदन पत्रों के साथ प्राप्त शुल्क रु0 10-00 की धनराशि अभ्यर्थियों को लौटाने हेतु विकास प्राधिकरण को निर्देश दे दिये गये हैं।

सांडी पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़क व मरम्मत का कार्य

113—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका सांडी द्वारा जल निगम, लखनऊ को सड़कों के क्षतिग्रस्त सम्बन्धी कोई आंकड़े हाल ही में भेजे गये ? यदि हां, तो क्या जल निगम द्वारा वहां की सड़कों के सुधार हेतु कोई धनराशि आवंटित की गयी ? यदि नहीं, तो क्या शासन वहां की सड़कों को सुधारने हेतु विशेष सड़क अनुदान देगी ?

श्री राम सिंद खन्ना

नगर पालिका सांडी द्वारा सड़कों के क्षतिग्रस्त सम्बन्धी कोई आंकड़े जल निगम को नहीं भेजे गये है। निर्माणधीन सांडी पेयजल योजना के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने हेतु काटी गयी सड़कों की मरम्मत के लिये रु0 58,06600 का प्राविधान है, जो उक्त योजना पर कार्य समाप्त होते ही नगरपालिका की मांग पर जल निगम द्वारा दे दिया जायेगा।

114--श्री राम आसरे वर्मा—

9 वे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या—88 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

संयुक्त निदेशक (क्षय रोग) द्वारा लिपिकीय वर्ग में की गई नियुक्तियों में नियमों का पालन

115—श्री किरनपाल सिंह—

द्वितीय सत्र 82 के 1 ले गुरुवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बतायेंगे कि प्रश्नगत नियुक्तियों में रोजगार कार्यालय से नाम मंगा कर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर अथवा चयन समिति बनाकर कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई ? क्या मन्त्री जी उस प्रक्रिया की पूरी कार्यवाही सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्ग सीधी भर्ती चतुर्थ संशोधन नियमावली, 1979 जो अधिसूचना संख्या 27/2/1974 कार्मिक-2, दिनांक-11 अक्टूबर, 1979 द्वारा प्रकाशित हुई, को ध्यान में रखाते हुए तथा आरक्षण के सम्बन्ध में जारी हुये शासनादेशों को ध्यान में रखाते हुए नियुक्तियां की गयीं । इस तरह से नियुक्त व्यक्तियों के प्रार्थना पत्रों पर विचार करते समय यह सुनिश्चित कर लिया गया था कि वे सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत थे ।

नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ के अन्तर्गत कर्मचारियों की पदोन्नति

116—श्री भागीरथ —

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ग 4 कर्मचारियों को वर्ग-3 में प्रोन्नत किए जाने के बारे में शासन के कोई आदेश हैं ? यदि हां, तो नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ के अन्तर्गत उक्त शासनादेश लागू होने से 30 अगस्त, 82 तक कुल कितनी रिक्तियां हुई तथा प्रोन्नति हेतु कुल कितने वर्ग—4 के कर्मचारी पात्र पाए गये तथा ऐसे कर्मचारियों के नाम तथा सेवा अवधियां अलग-अलग क्या हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी

जी हाँ, आदेश है । उक्त शासनादेश लागू होने से 30 अगस्त, 1982 तक नगरीय मलेरिया योजना, मेरठ के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी की 9 रिक्तियों पर नियुक्तियां हुई । उक्त शासनादेश के अनुसार प्रत्येक वर्ष वर्ग 3 के रिक्त पदों का केवल 10% कोटा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु निर्धारित है । इस अनुपात से नगरीय मलेरिया योजना मेरठ में वर्ग 3 के इतने पद रिक्त नहीं हुए कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति निर्धारित कोटे के अनुसार की जाती । अतः पात्र कर्मचारियों का नाम आदि देने का प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 जल निगम के मुख्यालय में अधीक्षण अभियन्ता का निलम्बन तथा उनके द्वारा लिये गये अवकाश

117—श्री सुरेन्द्रकुमार मुन्नी —

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1981-82 में उ0प्र0 जल

निगम के मुख्यालय के कितने अधीक्षण अभियन्ता निलम्बित किए गये तथा उनके अलग-अलग क्या कारण थे ? क्या इन लोगों के विरुद्ध निलम्बित करने से पूर्व कोई प्रारभिक जांच कराई गयी थी तथा उनको स्पष्टीकरण देने का कोई अवसर दिया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

वर्ष 1981-82 में उ0प्र0 जल निगम मुख्यालय पर कार्यरत श्री वीरेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियन्ता शोध एवं श्री के0 के0 गोविला, अधीक्षण अभियन्ता अप्रेजल को निलम्बित किया गया था।

श्री वीरेन्द्र कुमार ने दिनाँक 5-8-81 से 5-9-81 तक की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र दिया था दिनांक 5-9-81 के बाद उपस्थित न होने एवं तार द्वारा बुलाने पर भी कार्यभार न ग्रहण करने एवं इस प्रकार कार्यभार को छोड़कर जानबूझ कर बिना छुट्टी स्वीकृत कराये अपनी डियूटी से अनुपस्थित रहने की अनुशासनहीनता के लिए उन्हें निलम्बित किया गया था। अतएव किसी प्राथमिक जांच की आवश्यकता नहीं थी।

श्री के0 के0 गोविला, अधीक्षण अभियन्ता अप्रेजल को अस्थाई निर्माण शाखा उ0प्र0 जल निगम हल्दवानी में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कार्यरत रहते समय विभिन्न अनियमिततायें करने के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया था। इनका निलम्बन सर्तकता अधिष्ठान द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप उनके विरुद्ध प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर लिए गये निर्णय के फलस्वरूप कया गया था अतः किसी स्पष्टीकरण को आवश्यकता नहीं थी।

118—श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल निगम लखनऊ में कार्यरत कौन-कौन अधीक्षण अभियन्ता क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता या मुख्य अभियन्ता सन् 1979 से 1981 तथा 1982 में अब तक बिना पूर्व स्वीकृति के कितने समय अवकाश पर रहे ? उन्हें उक्त अवधि का अवकाश कब स्वीकृत किया गया ? बिना स्वीकृति अवकाश पर रहने के कारण उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सन् 1979 से 1982 तक जल निगम में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता संलग्न तालिका में उनके नाम के समक्ष अंकित अवधि में (कालम 3 के अनुसार) अवकास पर रहे। श्री वीरेन्द्र कुमार (द्वितीय) अधीक्षण अभियंता (तालिका के क्रमांक-71 पर) को छोड़कर अन्य सभी का अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा सूची के कालम-4 के अनुसार स्वीकृत होने के कारण किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। श्री वीरेन्द्र कुमार को दिनांक 5-9-81 के बाद उपस्थित न होने एवं तार द्वारा बुलाने पर भी कार्यभार न ग्रहण करने एवं इस प्रकार कार्यभार को छोड़कर जानबूझ कर बिना छुट्टी स्वीकृत कराये अपनी डियूटी अनुपस्थित रहने की अनुशासन हीनता के लिये निलम्बित किया गया था।

(देखिए नत्थी "ड" पृष्ठ विषय सूची में देखें)

उ0प्र0 जल निगम के यु0 भू0 मुख्य अभियन्ता, श्री श्रीप्रकाश गुप्ता द्वारा कार्यालय का एक हिस्सा अपने निजी प्रयोग में रखे जाने की जांच

119—श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ0 प्र जल निगम के भू0 पू0 मुख्य अभियन्ता (श्री प्रकाश गुप्त) लखनऊ में उसी भवन में निवास करते थे जिसे उन्होंने स्वयं अधीक्षण अभियन्ता, 19 वां मंडल के पद पर आसीन रहकर मंडल कार्यालय के लिए किराये पर लिया था ? उनके द्वारा कार्यालय के लिए किराये पर लिये गये भवन का कितना क्षेत्रफल अपने निजी प्रयोग में रखा तथा उसका कितना किराया विभाग में जमा किया ?

श्री राम सिह खन्ना—

जी हां, लेकिन मंडल एवं शाखा कार्यालयों के लिये एक सम्मिलित लीज वर्षवार निष्पादित की जाती रही है जबकि श्री श्रीप्रकाश गुप्ता, सेवा निवृत मुख्य अभियन्ता के निवास के बारे में उनके द्वारा अपने हिस्से के सम्बन्ध में सीधे मकान मालिक से कार्यवाही की जाती थी।

श्री गुप्ता ने कार्यालय के भाग का बिना क्षेत्रफल अपने निजी प्रयोग में रखा और उसका कितना किराया दिया, इसके बारे में जल निगम द्वारा जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किये गये कर्मचारी

120—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतलायेंगे कि राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में वर्ष 81 में कितने कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किए गए ? क्या इस संस्था में इस प्रकार दैनिक मजदूरी पर रखे गये कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक में वर्ष 81 में कुल 764 कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर नियुक्त किये गये। इस प्रकार दैनिक मजदूरी पर रखे गये कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने की कोई योजना नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में नियमित कर्मचारियों की बैंक को कोई आवश्यकता भी नहीं है।

ग्राम मझगवां में नलकूप का निर्माण

121—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के अन्तर्गत ग्राम मझगवां का पेयजल नलकूप कब से निर्माणाधीन है ? क्या सरकार इसे शीघ्र पूरा कर क्षेत्रीय जनता को जल उपलब्ध करायेगी ?

श्री राम सिह खन्ना—

मझगवां ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्राम मझगवां में नलकूप का निर्माण कार्य दिनाक 12 अप्रैल, 1979 को प्रारम्भ किया गया था।

इस नलकूप को चालू किया जा चुका है।

वर्तमान मे इस योजना में सम्मिलित सभी 16 ग्रामों को सीधी पम्पिग द्वारा पेयजल सुलभ कराया जा रहा है।

गौरा बादशाहपुर कस्बा, जौनपुर को टाउन एरिया घोषित जाने पर विचार

122—श्री प्रभुनारायण सिह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर में स्थित गौरा बादशाहपुर कस्बा अत्यधिक घनी आबादी और व्यापारिक महत्व का है ? क्या सरकार इस घनी आबादी और व्यापारिक महत्व के कस्बे के त्वरित विकास के लिए शीघ्र टाउन एरिया घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हाँ।

निदेशक, स्थानिय निकास उत्तर प्रदेश तथा निदेशक, पंचारतराज उत्तर प्रदेश कि आख्या/संस्तुति प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायगा।

प्रश्न नही उठता।

जनपद जौनपुर मे निर्माणाधीन गोदाम

123—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या सहकारितां मंत्री बतलाने की कृपा करंगे कि जनपद जौनपुर में वर्ष 81 में कौन-कौन ग्रामीण गोदाम या बीज गोदाम निर्माणाधीन थे ? क्या ये बीज गोदाम समय से पूरे हो गए ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन अधूरे बीज गोदामों को शीघ्र निर्मित करायेगी और अधूरे कार्यं के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री वच्चा पाठक—

जनपद जौनपुर में 81 वर्ष में 37 गोदाम निर्माणाधीन थे जिनकी सूची संलग्न है। इनमें से 11 गोदाम पूर्ण हो चुके हैं तथा 26 गोदाम निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन गोदामों में से 6 गोदामों को मार्च 1983 तक पूर्ण हो जाने की आशा है तथा शेष 20 गोदाम पूणं कराने का प्रयास किया जा रहा है। विलम्ब के लिए दोषी व्यतियों विरुद्ध का कार्यवाही को जा रही है।

(देखिए नत्थी "ढ़" पृष्ठ विषय सूचि में देखें)

जिला देवरिया में विभिन्न साधन सहकारी समितियों में सेल्समैनो के रिक्त पदों पर नियुक्तियां तथा सचिव, सहायक सचिव, सेल्समैन हेतु निधारित अर्हताए

124--श्री रुद्र प्रताप सिह--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के किन-किन साधन सहकारी समितियों में रिक्त सेल्समनों की जगहों पर नियुक्त हेतु वर्ष 1981 में सेल्स मैनों का चुनाव सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 देवरिया के कार्यालय मे किया गया था व उनमें से किन-किन लोगों की नियुक्त की गयी थी ?

श्री बच्चा पाठक—

जिला देवरिया में विभिन्न साधन सहकारी समितियों में सेल्समैन के सम्भावित पदों हेतु 50 विक्रेताओं के चयन की कार्यवाही की गई थी किन्तु चयन में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न होने के कारण किसी की नियुक्ति नही की गई।

125—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के किन किन साधन सहकारी समितियों में सेल्स मैनों की जगहें वर्ष 81 में सेल्समैनों के सहायक निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 देवरिया के कार्यालय में किये गये चुनाव के बाद भरी गयी हैं व उनमें से किसानों की स्वीकृत सहायक निबंधक, देवरिया द्वारा प्रदान की गयी है तथा शेष रिक्त जगहों पर नियुक्तियां कैसे की जावेंगी और क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

कोई नहीं—

प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार नियुक्तियां की जावेंगो।

126—रुद्र प्रताप सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सहकारिता विभाग में कार्यरत विभिन्न साधन सहकारी समितियों के सचिवों सेल्स मैनों व सहायक सचिवों की नियुक्ति हेतु कम से कम क्या योग्यतायें, निर्धारित हैं और उन निर्धारित योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला देवरिया में विभिन्न सहकारी समितियों के सचिव, सहायक सचिव व सेल्स मैन क्या अपनी नियुक्ति के समय निर्धारित योग्यता रखते थे ? यदि नहीं, तो क्यों व कैसे नियुक्ति की गयी।

श्री बच्चा पाठक—

सचिवों, सेल्समैनों एवं सहायक सचियों के पदों के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धाअित हैं :

सचिव—

1—स्क्रीनिंग के जरिये :—

कक्षा 8 पास तथा 10 वर्ष का अनुभव

कक्षा 10 पास तथा 5 वर्ष का अनुभव

कक्षा 12 पास तथा 2 वर्ष का अनुभव

2—सीधी भर्ती :—

कक्षा 12 पास–अर्थशास्त्र/गणित

सेल्समैन—

1—सीधी भर्ती

इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण

2—सेवा रत होने पर :—

हाई स्कूल उत्तीर्ण तथा। 1 वर्ष का विभागीय अनुभव।

3—कक्षा 8 पास एवं 3 वर्ष का विभागीय अनुभव।

सहायक सचिव—

वार्षिक ऋण 3 लाख से 5 लाख तक की समिति में :—

हाई स्कूल पास। वार्षिक ऋण 5 लाख से ऊपर की समिति में :—

इण्टरमीडिएट, वाणिज्य/अर्थशास्त्र/गणित।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देहसी, देवरिया में मरीजों की आउटडोर व इनडोर में चिकित्सा तथा मरीजों को दवा पैसे से दिये जाने के विरुद्ध जांच

127—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देसही, देवरिया जिला देवरिया जिला में वर्ष 1981 व 1982 में कितने मरीजों की आउटडोर व इनडोर में चिकित्सा की गयी व कितने रुपये की दवा मरीजों को उपरोक्त वर्षों में बांटी गयी ?

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि उपरोक्त प्रा0 स्वा0 केन्द्र में कोई दवा बिना पैसा लिये मरीजों को नहीं दी जाती व मरीजों से सुई लगाने के लिए भी दो-दो रुपये फी मरीज लिये जाते है, सम्पूर्ण मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही।

उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक अभियन्ताओं, सिविल विद्युत यांत्रिकी के स्वीकृत पद, प्रत्येक संवर्ग में पदोन्नतियां तथा रिक्त पदों पर नियुक्तियां

129—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में सिविल व विद्युत यांत्रिकी कैडर के सहायक अभियन्ताओं की अलग-अलग कुल कितनी जगहें स्वीकृत है व वर्तमान में कितनी जगहें रिक्त है तथा उन रिक्त जगहों को पूरा करने के लिए निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उत्तर प्रदेश जल निगम में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 744 एवं वि0 यां0 संदर्भ के 101 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान समय में सहायक अभियन्ता (सिविल) के 87 पद तथा वि0/यां के 14 पद रिक्त है।

सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद को पूर्ति के लिये प्रतियोगितात्मक परीक्षा सम्पन्न की जा चुकी है तथा साक्षात्कार के लिये कार्यवाही की जानी है।

जहां तक सहायक अभिवन्ता (वि0/यां) के पद की पूर्ति का प्रश्न है, वर्ष 1980 में प्रतियोगितात्मक परीक्षा हुई थी, उस समय वर्ष 1977 में हुई प्रतियोगितात्मक परीक्षा में प्रतीक्षा सूची में सफल अभ्यर्थियों की सूची निरस्त कर दी गई थी। अतः

वर्ष 1977 की प्रतीक्षा सूची में 3 सफल अभ्यर्थियों (सर्वश्री बच्चन सिंह, अनिल कुमार वर्मा एवं मो0 आरिफ़ रिजवी (द्वारा) माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश पारित करा लिया गया था। इस कारण वर्ष 1980 में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों की नियुक्ति नहीं की जा सकी थी। अब उक्त स्थगन आदेश निरस्त कराने के संबन्ध में नवम्बर, 1982 से कार्यवाही की जा रही हैं। स्थगन आदेश निरस्त होने पर रिक्त पदो के विरुद्ध नियुक्ति करने की कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

130—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 जल निगम में सहायक व अधिशासी अभियन्ता सिविल व विद्युत यांत्रिक के प्रत्येक संवर्ग में अलग-अलग कुल कितनी जगहें पदोन्नति प्राप्त अभियन्ताओं के कोटे से भरी गयी हैं ? क्या यह कोटा जल निगम के द्वारा निर्धारित कोटे के अनुरूप है ? यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

उ0प्र0 जल निगम में सहायक अभियंता सिविल के 208 पद तथा सहायक अभियंता वि0 यां0 संवर्ग के 34 पद पदोन्नति से भरे हुये हैं।

अधिशासी अभियंताओं के समस्त पद सहायक अभियंताओं में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं चाहे वे पदोन्नति प्राप्त सहायक अभियंता हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त हों

अधिशासी अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति हेतु पदोन्नति प्राप्त अभियंताओं के लिये कोई कोटा नहीं है।

केवल सहायक अभियंताओं के पदों पर नियुक्ति हेतु कोटा निर्धारित है तथा सेवा विनियमावली के अनुसार इन पदों पर भर्ती यथा व्यवहार्य इस प्रकार की जाती है कि 75 प्रतिशत रिक्तियों पर पदोन्नति प्राप्त व्यक्ति (अवर अभियन्ताओं एवं संगणको के संवर्ग में) से एवं 5 प्रतिशत रिक्तियों पर सेवा में कार्यरत ऐसे अवर अभियन्ता एवं संगणक जिन्होंने विभाग में 5 साल की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उक्त सेवा के दौरान ए0 एम0 आई0 ई0 अथवा बी0ई0 की अर्हता प्राप्त कर ली हो। इस प्रतिशत का पालन तभी किया जाना है यदि विहित संख्या तक उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध हों।

सहायक अभियन्ताओं के पदों पर नियुक्तियां उपरोक्त प्राविधानानुसार हो की गई है।

131—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम में सिविल व विद्युत यांत्रिक संवर्ग से अवर अभियन्ताओं की अलग-अलग प्रत्येक संवर्ग में कितनी जगहें जल निगम द्वारा स्वीकृत हैं ? वर्तमान में प्रत्येक संवर्ग में उन स्वीकृत जगहों में कितनी-कितनी जगहें रिक्त है तथा डिप्लोमा इंजीनियरों की बेकारी को देखते हुए उन रिक्त जगहों पर कब तक नियुक्तियां की जावेगी और नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना---

उत्तर प्रदेश जल निगम में अवर अभियंताओं के 2340 पद सिविल संवर्ग के एवं 247 पद विद्युत/यांत्रिक संवर्ग के स्वीकृत हैं। इस समय अवर अभियन्ताओं के 280 पद (सिविल) संवर्ग में रिक्त है एवं (वि0 यां0) संवर्ग में कोई पद रिक्त नहीं है। जल निगम में रिक्त पदों पर नियुक्तियां कार्यों को आवश्यकता के अनुरूप उन पदों पर कर्मचारियों की आवश्यकता को देखते हुए की जाती है।

साधन सहकारी समिति धमऊर, विकास खण्ड देसही देवरिया में चीनी व मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था में अनियमितता

132—श्री रुद्र प्रताप सिंह –

क्या सहकारिता मंत्री साधन सहकारी समिति धमऊर विकास क्षेत्र देसही देवरिया, जिला देवरिया के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों में चीनी व मिट्टी के तेल के दोषपूर्ण व अनियमित व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए वितरण के दोषी सचिव व वितरण इंचार्ज, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) को अन्यत्र स्थानान्तरित करने के आदेश देंगे और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी नहीं।

समिति में चीनी व मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

जल निगम के मुख्यालय पर कार्यरत मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध अनियमितता की जांच तथा कृत कार्यवाही

133—श्री रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री, बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम लखनऊ के मुख्यालय पर कार्यरत किन-किन वरिष्ठ अभियन्ताओं के विरुद्ध (जो कि अधीक्षण अभियन्ता व उसके ऊपर के दर्जे के हैं) भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं कर्त्तव्यहीनता के आरोप के मामले शासन के पास जांच हेतु विचाराधीन पड़े हैं व उनमें से प्रत्येक अधिकारी के विरुद्ध अलग-अलग मुख्य-मुख्य आरोप क्या हैं व कब तक उनकी जांच की कार्यवाही पूरी करा ली जायगी और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना

केवल एक मुख्य अभियन्ता श्री एस0 एन0 माथुर के विरुद्ध पी0 एस0 टैंकों के क्रय में तथाकथित अनियमितता के बारे में जांच का मामला विचाराधीन है। जांच के निर्णय के पश्चात शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

134 - रुद्र प्रताप सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जब तक जांच की कार्यवाही शासन से पास विचाराधीन पड़ी है तब तक क्या उन अधिकारियों के आगे के सभी पदोन्नतियों को रोकने के आदेश दिये जायेंगे और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी नहीं। अभी प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

गेहूँ क्रय योजना हेतु अस्थाई रूप से स्वीकृत सीजनल पदों पर नियुक्तियां

135—श्रीराम लाल वर्मा

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रीजनल फूड कन्ट्रोलर लखनऊ क्षेत्र के अधीनस्थ चलायी जाने वाली गेहूँ क्रय योजनान्तर्गत कितने कर्मचारी पदवार कार्यरत हैं ? क्या उनमें हरिजनों का कोटा पूर्ण है ? यदि हां, तो पदवार कितने हरिजन कार्यरत हैं ? क्या इन्हें नियमित किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

प्रत्येक वर्ष गेहूँ क्रय योजना के लिये अस्थायी रूप से स्वीकृत सीजनल पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं जो कि योजना की समाप्ति पर समाप्त हो जाती है। गेहूँ क्रय योजना 1982-83 में लखनउ क्षेत्र में नियुक्त कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। प्रश्नगत नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के आरक्षण का कोटा पूर्ण था। जो कि तृतीय वर्ग एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर क्रमशः 20 तथा 18 प्रतिशत था।

सीजनल पदों पर रखे गये कर्मचारियों के मामले में ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर नियमित नियुक्तियों के समय नियमानुसार विचार किया जाता है।

ज्येष्ट हाट निरीक्षक एवं हाट निरीक्षक के स्वीकृत पदों में पदोन्नति के कोटे में आरक्षित कोटा

136—श्री राम लाल वर्मा—

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 50 प्रतिशत पदोन्नतियों के कोटे के अन्तर्गत 65 हाट निरीक्षक से ज्येष्ठ हाट निरीक्षक (हरिजन कोटे से) तथा 171 लिपिक वर्ग से हाट निरीक्षक के पदों पर पदोन्नतियां अभी तक न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी बतायगे कि प्रश्नगत पदोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

ज्येष्ठ हाट निरीक्षक एवं हाट निरीक्षक के स्वीकृत पदों में 50 प्रतिशत पदोन्नति के कोटे में आरक्षित कोटे के क्रमशः 46 तथा 112 पद होते हैं जिनके विरुद्ध क्रमशः 31 व 44 कर्मचारी कार्यरत हैं।

वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार शत-प्रतिशत पद ज्येष्ट हाट निरीक्षक के पदोन्नति द्वारा तथा हाट निरीक्षक के सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। परन्तु इस विषय में शासन द्वारा अभी पुनर्विचार किया जा रहा है। अन्तिम निर्णय होने पर आरक्षण के नियमों को ध्यान मे रखते हुये इन पदों पर नियमों के अन्तर्गत नियुक्तियाँ की जायेंगी।

नगर भूमि सीमा रोपण विभाग के अन्तर्गत सर्वेयर्स के पदों की अवधि

137—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर भूमि सीमा रोपण विभाग के अन्तर्गत अभी हाल में 31 अगस्त, 82 तक नियुक्त किये गये सर्वेयर्स की नियुक्ति की अवधि आगे बढ़ा रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

दिनांक 31-12-82 तक सभी 113 सर्वेयर्स के पदों की अवधि बढ़ाई गयी। उसके उपरान्त आवश्यकतानुसार 53 पदों की कमी करके शेष 60 पदों की अवधि 29-2-83 तक बढ़ाई गयी है।

138— श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

ग्राम बरडीहा में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने का औचित्य

139—श्री पंचानन राय—

क्या सत्र 82 के दूसरे गुरुवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा ग्राम बरडीहा में एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने का औचित्य पाया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो उसके क्या आधार हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

ग्राम बरडीहा में एलोपैथिक चिकित्सालय खोलने का औचित्य नहीं पाया गया। शेष प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा नगर योजना, लखनऊ में आवासीय भूखण्डों को आवंटित करने का आधार

140—श्री रामेश्वर प्रसाद—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचालित इंदिरा नगर योजना, लखनऊ में सत्र 1978 से अब तक कितने व्यक्तियों को आवासीय भूखंडों का आवंटन किया गया है ? क्या यह आवंटन लाटरी पद्धति के अनुसार किया गया है या परिषद के अधिकारियों ने अपने विवेक से किया है ? यदि आवंटन नियमों के अनुसार नहीं हुआ है तो क्या उसको रद्द कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना—

प्रश्नानुसार इन्दिरा नगर योजना में वर्ष 1979 से अब तक 474 आवासीय भूखण्डों को आवंटित किया गया है। इन भूखण्डों में से 413 भूखण्डों का प्रदेशन लाटरी पद्धति से किया गया है तथा अवशेष 61 भूखण्डों को रिक्त सम्पत्ति के रूप मे परिषद द्वारा स्वीकृत प्रदेशन विनियमावली के आधार पर उक्त प्रयोजन हेतु गठित समिति अथवा आवास आयुक्त द्वारा आवंटित किया गया है। चूंकि उपरोक्त कार्यवाही नियमानुसार की गई है इसलिए आवंटन रद्द किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सी0 पी0 एम0 टी0 तथा मेडिकल कालेज में आरक्षण

141 श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री को ज्ञात है कि सी0पी0एम0टी0 तथा मेडिकल सर्विसेज में राजनीतिक पीड़ितों के आश्रितों के लिए कोई आरक्षण नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त आरक्षण की शीघ्र व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी --

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए सी0पी0एम0टी0 तथा मेडिकल सर्विसेज में आरक्षण है ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

रायबरेली विकास प्राधिकरण में निर्बल वर्ग के लोगों के लिये आवासीय योजनाएं

142—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि रायबरेली में जो विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत निर्बल वर्ग के लोगों के लिए भवन बन रहे हैं वह एक मंजिल के हैं या दो मंजिल के और उनका आवंटन किस आधार पर होगा ?

श्री रामसिंह खन्ना—

रायबरेली विकास प्राधिकरण की निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए दो आवासीय योजनाएं हैं। पहली आवासीय योजना (मलिकमऊ) में 24 एक मंजिले भवनों तथा 52 दो मंजिले भवनों का निर्माण हो चुका है। दूसरी आवासीय योजना (फिरोज गांधी) मे कुल 114 एक मंजिले भवनो का निर्माण कराया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत भवनों का आवन्टन विकास प्राधिकरण द्वारा शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण की नीति एवं प्रतिशत के आधार पर किया गया है ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए विभिन्न श्रेणी के भवन

143—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1979-80, 1980-81 व 1981-82 में कितने भवन किस स्तर के किस वर्ग के लोगों के लिए बनाने की योजना थी और उसमें से किस वर्ग के कितने लोगों के लिए कितनी कालोनियां बनाई गई ? क्या वित्तीय वर्षों के अनुपात में योजना पूर्ण हो गई ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

श्री रामसिंह खन्ना--

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए निर्मित विभिन्न श्रेणी के भवनों का विवरण संलग्न है।

प्राधिकरण द्वारा विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए पृथक कालोनियाँ न बनाकर एक ही योजना में विभिन्न वर्ग के लोगों के लिए भवन निर्मित किये गये हैं ।

इन वित्तीय वर्षो में योजनाओं का जो लक्ष्य रखा गया था वह पूरा न हो सका जिसका मुख्य कारण सीमेंन्ट का उपलब्ध न होना तथा धन की कमी थी।

(देखिए नत्थी "त" पृष्ठ विषय सूची में देखें।)

ग्राम बरहा कलां तहसील मेजा में टंकी का निर्माण

144—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री यह बतलायेंगे कि ग्राम बरहा तहसील मेजा, जनपद इलाहाबाद में टंकी का निर्माण पिछले 6 वर्षों से हो रहा है? इसका निर्माण कब पूरा होने की संभावना है?

श्री रामसिंह खन्ना—

ग्राम बरहा कलां तहसील मेजा में टंकी का निर्माण कार्य 6 वर्ष पूर्व से नहीं वरन् वर्ष 1979 में प्रारम्भ हुआ था। यह टंकी उरवा ग्राम समूह पेयजल योजना के अन्तर्गत बनाई जानी है। टंकी का निर्माण कार्य स्टेजिंग तक पूर्ण हो जाने के बाद ठेकेदार एवं विभाग में कुछ वैधानिक मतभेद हो गये हैं, जिसके कारण निर्माण पूर्ण नहीं हो सका है। आशा है मार्च, 84 तक टंकी का निर्माण कार्य पूर्ण हो जायेगा।

नगर महापालिका लखनऊ में नया पंचवर्षीय कर निर्धारण

145—राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका लखनऊ में नया पंचवर्षीय कर निर्धारण 1-4-81 से लागू हो गया है? यदि हां, तो इसके कारण नगर महापालिका को जो हानि हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी उपभोक्ता समितियों, शाहजहांपुर को नियंत्रित सस्ते कपडे के आवंटन का आधार

146—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद शाहजहांपुर की सहकारी उपभोक्ता समितियों को नियंत्रित सस्ते कपड़े के आवंटन का आधार क्या है? क्या दिनांक 20-2-82 को श्री आर0के0 ओझा (डी0एस0पी0सी0एफ0) द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित नियमों के अन्तर्गत नियंत्रित कपड़े की 5 गांठों को पुराने मूल्यों के आधार पर प्रजातांत्रिक महिला उपभोक्ता भंडार को आवंटित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बच्चा पाठक—

सस्ते कपड़े के आवंटन के सम्बन्ध में शासन द्वारा सभी प्रतिबन्ध समाप्त कर दिये गये हैं। सहकारी उपभोक्ता समितियों को उनकी आवश्यकता एवं स्टाक की उपलब्धता के आधार पर सस्ते कपड़े की आपूर्ति की जाती है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिकाओं में दैनिक भुगतान के आधार पर नियुक्तियाँ

147—श्री सिकन्दर अली खां नवाब

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगर पालिकाओं में धारा 70 तथा दैनिक भुगतान के आधार पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं ? यदि हाँ, तो इन नियुक्तियों का मानक क्या है ? यदि नहीं तो जो अधिकारी राजाज्ञी का उल्लंघन कर नियुक्तियाँ कर रहे हैं, सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रामसिंह खन्ना—

जी हाँ।

कार्यहित में आवश्यकतानुसार ऐसा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला अस्पताल में डाक्टरों की एक स्थान पर कार्य करने की अवधि की अधिकतम सीमा

148—श्री सिकन्दर अली खां नवाब—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सेवा में कार्यरत जिला अस्पताल में डाक्टरों के एक ही स्थान पर कार्य करने की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है तथा यह भी बतायेंगे कि इनके स्थानान्तरण की प्रक्रिया क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जिला अस्पताल में डाक्टरों के एक ही स्थान पर कार्य करने की अधिकतम अवधि की सीमा सात वर्ष रखी गयी है परन्तु प्रशासनिक कारणों से अथवा जनहित में इसे शिथिल भी किया जा सकता है।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय द्वारा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव बनाये जाते हैं।

नगरपालिका मुरादाबाद की कम्पनी बाग कालोनी में किरायेदारों पर बकाया किराया तथा अनधिकृत निर्माण हटाने हेतु कार्यवाही

149—श्री रियासत हुसैन—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कम्पनी बाग कालोनी म्युनिसिपल बोर्ड, मुरादाबाद में रहने वाले लोगों पर दिनांक 1-7-82 तक कितना किराया बकाया है ? क्या यह भी सही है कि उसमें कुछ लोग अनधिकृत रूप से निर्माण कार्य करा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बकाये की वसूलयाबी, अनधिकृत निर्माण रोकने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री रामसिंह खन्ना—

नगरपालिका, मुरादाबाद की कम्पनी बाग कालोनी में रहने वाले, 9 किरायेदारों पर दिनांक 1-7-82 तक रु० 60,385.00 किराया अवशेष है। उन्हीं में से दो किरायेदारों ने अनधिकृत निर्माण कर लिये हैं। किराये के अवशेषों की वसूली एवं अनधिकृत निर्माण हटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 की स्थापना तथा कर्मचारियों का स्थायीकरण

150—श्री केशरी प्रसाद पाण्डेय—

क्या सहकारिता मन्त्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 की स्थापना 1960 में की गयी और उसमें कार्यरत शाखा प्रबन्धकों को इतने दिनों की सेवा के बाद भी स्थाई नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि किये गये तो कितने एवं किस आधार पर ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 की स्थापना के समय निबन्धक, सहकारी समितियाँ के कार्यालय से सहकारी निरीक्षकों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर लेकर उन्हें शाखा प्रबन्धक के पद पर नियुक्त किया गया। इन सहकारी निरीक्षकों में से जो बैंक सेवा में संविलीन होना चाहते थे उन्हें 1974 में बैंक सेवा में संविलीन किया गया। बैंक की स्थापना के कई वर्ष बाद शाखा प्रबन्धकों की बैंक द्वारा सीधी भर्ती भी की गयी। प्रतिनियुक्ति से बैंक सेवा में संविलीन किये गये शाखा प्रबन्धकों एवं सीधी भर्ती से आये शाखा प्रबन्धकों की ज्येष्ठता विवादास्पद होने के कारण इनकी ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप अभी तक नहीं दिया जा सका और ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रुप देने के लिए उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल की राय मांगी गयी है जो अभी तक अपेक्षित है। साथ ही सहकारी निरीक्षक जो बैंक सेवा में शाखा प्रबन्धक के पद पर संविलीन किये गये थे उन्होंने निबन्धक, सहकारी समितियाँ के समक्ष उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम के अधीन मध्यस्थता हेतु भी अपना मामला पेश किया है। अतः ज्येष्ठता सूची विवादास्पद होने के कारण अभी तक शाखा प्रबन्धकों को स्थायी नहीं किया जा सका है।

रेहटी सहकारी समिति के गोदाम से खाद व चीनी की चोरी

151 - श्री प्रभूनारायण सिंह

क्या सरकार को मालूम है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर के रेहटी गोदाम से माह अगस्त, 82 में पचासों बोरी खाद की चोरी हो गई ? क्या यह भी सत्य है कि इसी गोदाम से इससे पूर्व चीनी की भी चोरी हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण कृषकों के हित में इन चोरियों का पता लगायेगी और दोषी व्यक्तियों को दंडित करेगी ?

श्री बच्चा पाठक

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र जलालपुर की रेहटी सहकारी समिति के गोदाम से न तो खाद की कोई चोरी हुई है और न ही चीनी की। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

152— श्री प्रभूनारायण सिंह

(4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

153 श्री प्रभूनारायण सिंह—

(दिनांक 26-8-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 51 द्वारा उत्तरित।)

अर्ध कुम्भ मेले के समय इलाहाबाद में सड़कों पर व्यय की गई धनराशि

154—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद के गत 1982 के अर्ध कुम्भ मेला के समय कितनी धनराशि नगर के किन-किन सड़कों पर व्यय की गई ? इन सड़कों पर कब तक कार्य हुआ ? और किन-किन ठेकेदारों को कितनी धनराशि कब दी गई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पी0 एच0 सी0 भनवापुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

155—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे की जिला बस्ती के मुख्य चिकित्साधिकारी श्री के0 एम0 चन्द्रा ने पी0 एच0 सी0 भनवापुर के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अनुशासनहीनता, सरकारी कार्यों में रुचि न लेने तथा गायब रहने एवं उच्च अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में अर्ध शासकीय पत्र सं0 886 दिनांक 20-7-82 को निदेशक स्वास्थ्य सेवायें उ0 प्र0 को लिखा है ? यदि हां, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी हां, फिलहाल सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

जनपद आजमगढ़ की साधन सहकारी समिति लि०, मर्यादपुर के सचिव, श्री लहरमन प्रसाद द्वारा अंकित गलत रिपोर्ट कराये जाने हेतु निलम्बन

156—श्री राजकुमार राय—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि ए0 आर0 सहकारिता आजमगढ़ को साधन सहकारी समिति लि0 मर्यादपुर, आजमगढ़ के सचिव लहरमन प्रसाद का पत्र दिनांक 30-4-82 इस आशय का मिला था कि चोरों ने ट्रक से समिति का 139 बोरा खाद्य उन्हें बांध कर और सम्पत मौर्य को मार कर उठा ले गये तथा क्या उसी तारीख में उक्त लहरमन प्रसाद ने कोई रिपोर्ट भी थाना मधुबन में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो शासन ने उसमें कौन सी कार्यवाही की ?

श्री बच्चा पाठक—

आजमगढ़ जनपद की साधन सहकारी समिति लि0 मर्यादपुर के सचिव श्री लहरमन प्रसाद का खाद की चोरी से संबंधित पत्र दिनांक 30-4-82 को प्राप्त नहीं हुआ।

श्री लहरमन प्रसाद ने थाना मधुबन जिला आजमगढ़ में इस आशय की प्रथम सूचना अंकित कराई थी कि दि0 29/30-4-82 की रात में बदमाशों ने समिति का दरवाजा खोलकर, सचिव का हाथ-पैर बांधकर 139 बोरी खाद, घड़ी, पैन्ट व 700 रुपये नकद लूट ले गये।

पुलिस द्वारा विवेचना किये जाने पर सचिव लहरमन प्रसाद द्वारा दिखायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत पायी गयी। इसी आधार पर क्षेत्रीय अधिकारी, मऊनाथभंजन के आदेश द्वारा श्री लहरमन प्रसाद के विरुद्ध अपराध धारा 409 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया, जिसकी विवेचना पुलिस द्वारा की जा रही है।

157—श्री राजकुमार राय—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 14-9-82 श्री लहरमन प्रसाद द्वारा फर्जी रिपोर्ट दिनांक 30-8-82 करने के संबन्ध में उनमें मुख्य सुझाव क्या थे और शासन ने उस पर कहाँ तक अमल किया ?

श्री बच्चा पाठक —

जी हाँ

प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र में सहकारी समितियों के सचिवों के विरुद्ध आरोप लगाया है कि वह गोदामों से गायब रहते हैं, स्थानान्तरण रुकवा लेते हैं, चीनी आदि अधिकांश चोर बाजार में बेंच देते हैं तथा सहकारी समिति के सामान को स्वयं हड़प एवं गायब करने के पश्चात फर्जी रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। उन्होंने तहसील घोसी में मर्यादपुर साधन सहकारी समिति के सचिव लहरमन प्रसाद द्वारा पुलिस में 139 बोरी खाद चोरी की फर्जी रिपोर्ट लिखाये जाने का उदाहरण देते हुए ऐसे काण्डों को रोकने की समुचित व्यवस्था किये जाने का सुझाव भी दिया है ?

जाँचोपरान्त प्रश्नकर्ता का कथन सही पाया गया तथा श्री लहरमन प्रसाद सचिव को निलम्बित कर दिया गया।

सहकारिता विभाग के मंडलीय कार्यालयों के लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण

158— श्री चन्दन सिंह —

क्या सहकारिता मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सहकारिता विभाग के मंडलीय कार्यालयों के ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारियों जो एक ही स्थान पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं के स्थानान्तरण अन्यत्र किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हाँ, अन्य कर्मचारियों की भाँति इनका भी स्थानान्तरण किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर एवं इलाहाबाद के विकास खण्ड, सुकुल बाजार व कौधियारा में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

159—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सुल्तानपुर एवं इलाहाबाद में क्रमशः दो नए विकास खंड सुकुल बाजार एवं कौधियार में खोले गये हैं जहाँ प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्वीकृति दी गई है किन्तु धनराशि न होने से पी0 एच0 सी0 केन्द्र नहीं बन पा रहे हैं ? यदि हाँ, तो इन केन्द्रों को कब तक धनराशि देकर निर्माण कार्य पूरा कराया जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जो हां, जनपद सुल्तानपुर एवं इलाहाबाद में क्रमशः दो नये विकास खण्ड सुकुल बाजार एवं कौधियारा सृजित किये गये हैं।

जनपद सुल्तानपुर के सुकुल बाजार विकास खण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। जहां तक उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण का प्रश्न है इसके लिये जिला नियोजना एवं अनुश्रवण समिति से प्रस्ताव अपेक्षित है। जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड कौधियारा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का मामला विचाराधीन है।

जनपद इलाहाबाद को स्वीकृत पीढ़ी, नौगवाँ तथा करछना ग्राम समूह पेयजल योजनाएं

160—श्री रमाकान्त मिश्रा—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के करछना तहसील में पीड़ी, नौगवां, करछना खाई पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई थी जिनमें 30-35 गांव एक योजना में आते हैं तथा अब उक्त योजना के स्थान पर हैण्डपम्प योजना कर दिया है ? क्या हैण्ड पम्प लगवा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जी हां, उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा केवल तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। नौगवां एवं पीढ़ी ग्राम समूह में कोई अभावग्रस्त ग्राम न होने से कारण शासन की वर्तमान नीति के अनुसार छठी पंच वर्षीय योजना में कार्य नहीं कराया जाना है। करछना ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित 2 अभावग्रस्त ग्रामों में, निर्मित नलकूप से वर्ष 1982-83 में पाइप द्वारा लाभान्वित कराने का लक्ष्य है।

खाई ग्राम जो बर्राव ग्राम समूह योजना का एक ग्राम है में एक नलकूप बन चुका है, जिससे खाई ग्राम सहित 5 ग्रामों को पाइप पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। शेष ग्राम अभावग्रस्त न होने के कारण शासन के नीति के अनुसार छठी, पंचवर्षीय योजना अवधि में पेयजल से लाभान्वित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जनपद गाजीपुर में चुंगी चौकियां तथा दैनिक वसूली

161—श्री राम नरायन एडवोकेट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगर में इस समय कितनी चुंगी चौकियां हैं तथा इनकी औसत दैनिक वसूली क्या है ? क्या यह सच है कि यहां के टैक्स निरीक्षक एवं अधिकारीगण की उदासीनता से प्रतिदिन आधी चुंगी की चोरी कर दी जाती है और नगर पालिका का काफी घाटा होता है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

12 चुंगी चौकियाँ हैं जिनकी औसत दैनिक वसूली लगभग रु० 2800 है।

जी नहीं। विगत तीन वर्षों का चुंगी की आय का तुलनात्मक विवरण यह प्रदर्शित करता है कि चुंगी की आय में निरन्तर वृद्धि हुई है।

नगरपालिका, गाजीपुर द्वारा गाजीपुर नगर में लगाई गई स्ट्रीट लाइट व रोड लाइट के रख रखाव पर व्यय

162—श्री राम नरायन एडवोकेट—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगर में नगरपालिका द्वारा कितनी स्ट्रीट लाइटें एवं रोड लाइट लगायी गयी है तथा प्रतिवर्ष इनके रखरखाव पर क्या खर्च होता है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका, गाजीपुर द्वारा गाजीपुर नगर में लगभग 1600 स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट लगाई गई है। इनके रखारखाव पर प्रतिवर्ष लगभग एक लाख रुपया पालिका द्वारा व्यय किया जाता है।

समथर पीपरी मार्ग पर पालिका की भूमि पर कब्जा कर चक्की लगाने के विषय में कार्यवाही

163—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5-6-82 को प्रश्नकर्त्ता द्वारा जिलाधिकारी झांसी को समथर में पुराने डाकघर के पूर्व की ओर समथर पीपरी मार्ग पर श्री हबीब खां मेवती द्वारा नगरपालिका की भूमि पर कब्जा कर चक्की लगाने के विषय पर दिये गये पत्र के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम सिंह खन्ना—

जिलाधिकारी, झांसी के प्राप्त सूचना के अनुसार उन्हें प्रश्नकर्त्ता का तद् विषायक पत्र दिनांक 5-6-82 प्राप्त नहीं हुआ। अतः उस पत्र पर किसी कार्यवाही का प्रश्न नही उठता। किन्तु उन्होंने यह सूचित किया है कि समथर नगरपालिका में स्थित पुराने डाकघर के पूर्व की ओर समथर पीपरी मार्ग पर पालिका की भूमि पर श्री हबीब खां मेवती की कोई चक्की नहीं लगी है और न ही किसी अन्य प्रकार का अतिक्रमण ही है।

नगरपालिका गाजीपुर में सफाई कर्मचारियों की संख्या तथा स्थायीकरण

164—श्री राम नारायन एडवोकेट तथा श्री यदुनाथ सिंह—

क्या नगर विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या क्या है ? अब तक उन्हें स्थायी न किये जाने और उन्हें नकदीकरण, चिकित्सा सुविधा, वर्दी धुलाई, झाड़ू, मसक, टोकरी आदि भत्ता नहीं दिये जाने का कारण क्या है ? क्या सरकार उपरोक्त सुविधायें देने एवं स्थायी करने हेतु कदम उठाने का आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना—

नगरपालिका, गाजीपुर में सफाई कर्मचारियों की संख्या 160 है। उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध न हो पाने के कारण उन्हें स्थायी नहीं किया जा सका। अब स्थायीकरण की कार्यवाही की जा रही है। नगदीकरण, चिकित्सा व अन्य सुविधायें सामान्य कर्मचारियों की भांति उन्हें दी जा रही है। मसक भत्ता भी दिया जा

रहा है। झाड़ू व टोकरी नगरपालिका उन्हें स्वय' देती है, अत: इसके लिए भत्ता देने का प्रश्न नहीं उठता।

धुलाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, जिसको देने के लिए प्रशासक को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

आवास विकास परिषद में अल्प आय वर्ग के भवनों का पंजीकरण

165—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि फरवरी, 1978 में आवास विकास परिषद में अल्प आय वर्ग के लिए कितने रजिस्ट्रेशन हुए और उनमें से जून 1982 तक कुल कितनों को आवास मिल सके तथा कितनों को मिलना शेष हैं तथा शेष लोगों को कब तक आवास मिल जायगा ?

श्री राम सिह खन्ना—

फरवरी, 1978 में परिषद की समस्त योजनाओं में 2237 व्यक्तियों द्वारा अल्प आय वर्ग के भवनों के लिये पंजीकरण कराया गया जिसमें से 1392 व्यक्तियों को भवनों का प्रदेशन किया जा चुका है। शेष व्यक्तियों को लगभग एक वर्ष में भवन मिलने की सम्भावना है।

पंजीकरण के उपरान्त सम्पत्ति के प्रदेश में साधारणत: पंजीकृत लोगों को उसे 5 वर्ष का समय लग जाता है। प्रदेशन दौर की वरीयता के आधार पर लाट्री पद्धति से किया जाता है और आरक्षित श्रेणियों में आने वाले पंजीकृत क्रेताओं को भवनों के प्रदेशन में कुछ समय लग जाता है।

सीतापुर नगरपालिका में छप्पर की जगह टीन डलवाने की स्वीकृत

166—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22 मई, 82 जिसमें सीतापुर नगरपालिका की जमीन पर छप्पर की जगह टीन डलवाने की प्रार्थना की है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा अभी तक इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम सिह खन्ना—

166—जी हां।

प्रशगत भूमि नजूल भूमि है जिस पर टिन डलवाने की स्वीकृति किसी को दिया जाना संभव नहीं है।

जनपद सीतापुर के ग्राम मधवापुर-दारानगर में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के उपकेन्द्र हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति

167—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या चिकित्सा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद के ग्राम मधवापुर दारानगर में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र हेतु

भवन के निर्माण की प्रगति क्या है ? भवन कब तक बनकर तैयार हो जाना वांछित था तथा कब तक बन जायगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी--

जनपद सीतापुर के विकास खंड खैराबाद के ग्राम मधवापुर-दारानगर में बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र हेतु भवन निर्माण की स्वीकृति मार्च 1980 में दी गई थी। उपकेन्द्र हेतु उपयुक्त भूमि मिलने में कुछ कठिनाइयां आ रही हैं जिनका निराकरण किया जा रहा है।

भूमि मिलते ही भवन के निर्माण कराये जाने का प्रयास किया जायेगा।

168--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

(2 रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम सिमल्टी में पेयजल की योजना एवं प्रगति

169--श्री बिहारी लाल--

क्या नगर विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम सिमल्टी, पो0 आ0 सत्यं, ब्लाक जलना में पेयजल की कोई योजना कार्यान्वित की गयी थी ? यदि हां, तो उसकी प्रगति वर्तमान में क्या है एवं उक्त योजना से कितने गांव लाभान्वित हुए हैं ? क्या ग्राम सिमल्टी में पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामसिंह खन्ना--

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम सिमल्टी पो0 ओ0 सत्यं ब्लाक लमगड़ा में जल निगम द्वारा जलना ग्राम समूह पेयजल योजना से पेयजल की व्यवस्था हेतु निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और इस योजना को कुमायूं जल संस्थान को हस्तगत किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है।

उक्त योजना के अन्तर्गत 29 ग्राम लाभान्वित होंगे।

जलना ग्राम समूह पेयजल योजना से सिमल्टी ग्राम में पर्याप्त मात्रा में पेयजल, उपलब्ध कराया जा रहा है।

170 श्री हरिद्वार पाण्डेय—

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

श्री राजेन्द्र सिंह की पेंशन की स्वीकृति हेतु महालेखाकार के विचाराधीन मामला

171--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 82 के प्रथम गुरुवार के अता0 प्र0 सं0—93 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजेन्द्र सिंह की पेंशन की स्वीकृति हेतु आवश्यक कागजात महालेखाकार को भेजे जाने का निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया को कब दिया गया ? 2 वर्ष तक पेंशन स्वीकृत न किए जाने

के लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है तथा पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जायगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी —

आवश्यक निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी, बलिया को दिनांक 14 अगस्त, 1982 को भेजे गये थे। श्री राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध न्यायालय में मुकददमा लम्बित रहने के कारण उनके पेंशन प्रपत्र महालेखाकार को समय से नहीं भेजे जा सके थे। अतः विलम्ब के लिये किसी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। श्री राजेन्द्र सिंह की पेंशन स्वीकृति का मामला अब महालेखाकार के विचाराधीन है।

सर्वदलीय अनुकुष्ठ निवारण समिति के अध्यक्ष, श्री दिनेश शाही के नेतृत्व में अनशन

172—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक, गोरखपुर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यालय पर दि0 21 जून, 1982 से सर्वदलीय अनुकुष्ठ निवारण समिति के अध्यक्ष श्री दिनेश शाही के नेतृत्व में 31-सूत्रीय माँगों के समर्थन में अनशन प्रारम्भ हुआ था ? यदि हाँ तो मांगें क्या थीं तथा उन पर क्या कार्यवाही हुई।

श्री लोकपति त्रिपाठी—

1—जी हां, मांगों की सूची संलग्न है। इन मांगों में उल्लिखित मामलों में से कतिपय मामलों में जांच की जा चुकी थी और दोषी पाये गये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध धन के वसूली की कार्यवाही की जा रही है तथा डा0 आर0 एस0 गोयल की सेवायें समाप्त कर दी गई है। कतिपय मांगे स्थानीय समस्याओं से संबंधित थी जिनके निराकरण हेतु अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(देखिये नत्थी "थ" पृष्ठ विषय सूचि में देखें)

जनपद गोरखपुर में जिला परिषद द्वारा संचालित चिकित्सालयों का प्रान्तीयकरण

173—श्रीमत गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में जिला परिषद् द्वारा संचालित चार चिकित्सालयों जो दुबौली, बिशुनपुर, अड्डा बाजार और डोहरिया में स्थापित हैं, का प्रान्तीयकरण किया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जो नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति

174—श्रीमती गौरी देवी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर विगत एक साल से (डाक्टरों) चिकित्सकों की नियुक्ति नही की

गयी ? क्या यह सच है कि ग्रामीण इलाके के लगभग 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं है तथा वे चिकित्सकों के अभाव में बन्द हैं ? यदि हां तो वहाँ चिकित्सक कब तक नियुक्त किए जायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनपद गोरखपुर में ऐसे हैं जहाँ लगभग एक साल से कोई डाक्टर नियुक्त नहीं हैं। जी नहीं, स्थानीय व्यवस्था पर इनमें कार्य चलाया जा रहा है। कोई भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्द नहीं है।

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को अधियाचन भेजा गया है। उन्होंने पद विज्ञापित कर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी आरम्भ कर दिया है। चयनित चिकित्सकों के उपलब्ध होते ही नियुक्तियां कर दी जायेंगी।

जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड, कौड़ीराम में मिटटी तेल के "जे" लाइसेन्सी द्वारा मिटटी के तेल के वितरण की जांच

175—श्रीमती गौरी देवी —

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास खन्ड कौडीराम में स्थित मिटटी के तेल के वितरक जे0 लाइसेन्सी द्वारा माह फरवरी, 82 से 15 जून, 82 तक फुटकर मिटटी तेल विक्रेताओं की लाईसेन्सी दूकानदारों के कितना मिटटी का तेल वितरण के लिए दिया गया तथा अब सितम्बर, 82 तक कितना मिटटी का तेल जे0 लाइसेन्सी द्वारा उठाया गया है ? क्या मिटटी के वेल के वितरण की जांच कराकर जे0 लाइसेन्सी के विरुद्ध कार्यवाही होगी।

श्री वासुदेव सिंह—

गोरखपुर जनपद के विकास खन्ड कौड़ीराम में स्थित मिटी तेल के 'जे' लाइसेन्सी द्वारा माह फरवरी, 82 से 15 जून, 1982 तक उस क्षेत्र के फुटकर मिटटी तेल विक्रेताओं, को 1, 06, 500 लीटर मिटटी का तेल वितरण के लिये दिया गया। उत्तर प्रदेश मिटटी तेल का नियंत्रण आदेश, 1982 के अन्तर्गत मिटटी तेल की फुटकर बिक्री हेतु केवल फुटकर विक्रेता होते हैं, 'वी' लाइसेन्सी नाम के कोइ दुकानदार मिटटी तेल की फुटकर बिक्री नहीं करते हैं।

उपर्युक्त "जे" लाइसेन्सी द्वारा फरवरी, 1982 से सितम्बर, 1982 तक की अवधि में 4,40 000 लिटर मिटटी का तेल गोरखपुर से उठाया गया।

उक्त 'जे' लाइसेन्सी द्वारा प्रश्नगत अवधि में किये गये मिटटी तेल के वितरण की विस्तृत जांच करायी जा रही है यद्यपि अभी तक अनियमितता की कोई सूचना प्रकाश में नहीं आयी।

गोरखपुर जिला कोआपरेटि सोसायटी इम्प्लाईज यूनियन की मांगें

175—श्रीमती गौरी देवी —

क्या सहकारिता मन्त्री कृपया बतायेगें कि गोरखपुर जिला कोआपरेटिव सोसाइटी इम्प्लाज यूनियन ने जून, 82 में अपनी मांगों के सन्दर्भ में हड़ताल की थी ? यदि हां, तो मांगें क्या थीं और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बच्चा पाठक--

जी हाँ।

हड़ताल के सम्बन्ध में मांगों की सूची तथा कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी "द" पृष्ठ विषय सूची में देखें)

गोरखपुर जिले के बांसगांव, ठूठीवारी, सहजनवां, पिपरौली, गजपुर व

भौवापार को टाउन एरिया बनाने का विचार

177—श्रीमती गौरी देवी--

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेगें कि गोरखपुर जिले के बांसगांव ठूठीवारी, सहजनवां, पिपरौली, गजपुर तथा भौरापार को टाउन एरिया घोषित न करने का क्या कारण है ? इन स्थानों को कब तक टाउन एरिया घोषित किया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना—

बासगांव को अपेक्षित अर्हताएं न होने के कारण टाउन एरिया बनाना संभव नहीं पाया गया। ठूठीवारी, सहजनवां तथा पिपरौली, गजपुर व भौवापार को मिलाकर टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायगा।

नगरमहापालिका गोरखपुर में गाँवों के विकास के लिए दिये गये निर्देश

178—श्रीमती गौरी देवी —

क्या नगर विकास मन्त्री कृपया बतायेगें कि गोरखपुर नगरपालिका में जिन गाँवों को लिया गया है उनके विकास के लिए कौन कदम उठाए जायेगें ? क्या इन जगहों के विकास के लिए सरकार जल निकासी तथा सड़कों के निर्माण का कार्य शीघ्र कराएगी ?

श्री राम सिंह खन्ना--

नगर महापालिका, गोरखपुर में सम्मिलित किये गये गांवों के विकास के लिये प्रशासक को निर्देशित कर दिया गया है। प्रस्ताव होने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्नों के संबन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

[समय 12 बजकर 20 मिनट]

×श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हर माननीय सदस्य आपके माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से सही जानकारी की अपेक्षा करता है, जिन प्रश्नों का उत्तर मंत्रियों के पास रहता है उत्तर देते हैं, जिसका उत्तर नहीं होता, कह देते हैं सूचना एकत्रित की जा रही है और प्रश्न स्थगित हो जाती है। आज दूसरी प्रक्रिया देखने को मिली है हमारे प्रश्न संख्या 5

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी प्रश्न के बारे में जितनी व्यवस्था आपको उठानी थी परम्परा यह ही है कि आप हमको लिखकर देते हैं और उसको देख लेते और अपने सचिवालय से से पूछ लेते तब कोई निर्णय दे पाते। आपको चाहिये था कि आप हमको लिख कर देते।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर आया हैं, न उसको उत्तर माना जा सकता है और न प्रश्न स्थगित हुआ मान्यवर, उत्तर दिया गया है प्रयोगशाली प्राविधिज्ञ पद के नियुक्ति प्राधिकारी, जिला मुख्य चिकित्साधिकारी है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। आगे है जिला स्तर से यह सूचना एकत्र की जानी थी कि कितने अप्रशिक्षित प्रयोगशाला प्राविधिज्ञों को प्रशिक्षण से छूट देकर वैकल्पिक वेतनमान दिया गया है। पूरी सही सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुयी अतः उपयुक्त अधिकारियों से मांगी गयी सूचना आने पर उचित निर्णय लिया जायेगा। मान्यवर जब सूचना एकत्रित की जा रही है तो मंत्री जी कह देते और मेरा प्रश्न स्थागित हो जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर टालने की आज प्रक्रिया की शुरुआत की गयी है, आप विचार करलें और उसके बाद अपना निर्णय दें, नहीं तो मान्यवर, हम अपने अधिकारों से वंचित रह जायेगे।

श्री भोखा लाल—

मान्यवर मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। खाद्य मन्त्री जो चले जा रहे हैं उनको रोक लें उन्हीं से सम्बन्धित है। अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि एन0 आर0 पी0 का 35 हजार टन गेहूँ मैंने जिलों में दे दिया यह गेहूँ ग्रामीण रोजगार के लिये दिया जाता है। इसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काम कराया जाता है और गेहूं लेबर्स को दिया जाता है। आप इस गेहूँ को राशन की दुकानों पर बटवा रहे हैं तो एक केन्द्र सरकार और प्रान्तीय सरकार दोनों के नियमों के विरुद्ध खाद्य मन्त्री जी कार्य कर रहे हैं। इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, गांव में एक कहावत है घरी में घर जरै ढाई घरी भदरा। यह समय शीतलहरी का है आज जरुरत है। हमने यह गेहूँ बटवा दिया यह सरकार की व्यवस्था है। जितना गेहूँ ग्रामीण रोजगार का हम ले रहे हैं उतना उनको दे देंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ मंत्री जी ने कहा कि एक मद का गेहूँ दूसरी मद में में खर्च कर लिया। अभी तक रुपये पैसे का मिसएप्रो प्रियेशन सुना था। आज अनाज का भी सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय सदस्य प्रश्नों के उत्तर से सन्तुष्ट नहीं है तो वह नियम 49 में चर्चा कराने की मांग कर सकते हैं। माननीय वर्मा जी ने कहा है उस पर मैं अपनी रूलिंग रिजर्व करता हूँ बाद में निर्णय दूँगा।

(व्यवधान)

श्री पन्चानन राय—

विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के तहत किसी प्रश्न को एक माह से अधिक स्थगित....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अगर प्रश्नों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो लिखकर दे दें। अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

एस0 एस0 पी0 गोरखपुर द्वारा श्रीमती किशोरी शुक्ला, सदस्य, विधान सभा

के साथ किये गये व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हुईं। जिनमें श्रीमती किशोरी शुक्ला, श्री बचन सिंह, श्री कुंवर सिंह नेगी एवं श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री पन्चानन राय तथा श्री विद्यासागर नौटियाल की सूचनायें स्वीकृत हुई और माता प्रसाद पान्डेय का जहाँ तक प्रश्न है यह नियम 52 में चर्चा के लिये निर्धारित है। इस पर चर्चा होगी माननीय राम चन्द्र गोविन्द्र एवं श्री रियासत हुसैन की सूचना नियम 51 में विचाराधान है शाम को मैं इस पर निर्णय दूंगा। श्री सन्त बक्श रावत की सूचना नियम 52 के अन्तर्गत स्वीकार है।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुई।

श्रीमती किशोरी शुक्ला—

महोदय आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस महत्वपूर्ण विषय को लान चाहती हूँ :—

मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की लड़की की शादी में आने के लिये गोरखपुर से 11 बजे के ट्रेन से चली। ज्योंही विश्वविद्यालय के मोड़ पर पहुँची त्योंही 4 गुण्डों ने मुझे चाकू दिखाकर घेर लिया। मेरे शैडो ने रिवालवर निकाल कर उन्हें भगाया, मैं उस दिन शादी में नहीं सम्मिलित हो सकी। जब जान-माल की सुरक्षा के लिये एस0एस0 पी0 महोदय को सूचना देने गयी तो उन्होंने यह कहकर मुझे धमकी दी कि बड़े लोगों से लड़ाई लड़ोगी तो यही हालत होगी, जान से मार दी जाओगी। एस0 एस0 पी0 के खिलाफ एफ0 आई0 आर0 सिटी, एस0 पी0, कैन्ट इन्सपेक्टर तथा आई0 जी0 पुलिस, मुख्य मंत्री जी को टेलीग्राम किया। उन्होंने यह भी कहा कि मैं एस0 एस0 पी0 हूँ, आप विधायक हैं, विधायक माने कुछ नहीं होता न मैं विधायकों से डरता हूँ। परन्तु आज तक कोई भी कार्यवाही एस0 एस0 पी0, गोरखपुर के खिलाफ नहीं की गयी। मान्यवर, यह मेरा ही नही, अपितु इस प्रकार के घृणित व्यवहार से समाज के अराजक तत्वों को प्रश्रय मिलता है तथा आज यह दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ है कल दूसरे के प्रति भी हो सकता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है।

सन्दर्भित प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुये आपसे विनम्र निवेदन है, कि मेरे साथ किये गये इस दुर्व्यवहार से सम्बद्ध अधिकारी को दण्डित किया जाय तथा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुये माननीय गृह मंत्री जी से वक्तव्य दिलाने का कष्ट करें।

जनपद आगरा में नकली और मिलावटी खाद की बिक्री से रबी की फसल नष्ट होने के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अति लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूँ।

आगरा जनपद के सभी ब्लाकों पर विशेषतः ब्लाक अकोला, फतेहपुर सीकरी और अछनेरा में इस वर्ष सभी सरकारी व प्राइवेट खाद विक्रेताओं ने नकली व मिलावटी खाद बेचकर किसानों के साथ धोखाधड़ी की है। उन्होंने रबी की फसल बोने के समय डी0 ए0 पी0 व एन0 पी0 के0 खाद के बोरों में सुपर दानेदार, जिपसम, पाइराइट या पत्थर की बजड़ी भर कर तथा टोपड्रेसिंग के साथ यूरिया खाद के बोरों में सफेद पुटाश भर कर धड़ाधड़ किसानों को बेचा है। इस जिले के फतेहाबाद, समसाबाद, संदोली और सिकन्दराजोवन मण्डी आदि स्थानों पर मिलावटी व नकली खाद बेचने के कारखाने कृषि विभाग के अधिकारियों की साठगाँठ से अब भी चल रहे हैं और वे डी0 ए पी0 और एम0 पी0 के नये बोरों में इस दो नम्बर के खाद को बेचकर किसानों को खुली लूट करने में संलग्न हैं। उल्लेखनीय है कि सुपर दानेदार खाद की कीमत 45 से 55 तक प्रति बोरी जिप्सम पाइराइट की कीमत 2 रुपया से 6 रुपया तक प्रति बोरी और बजरी की कोई कीमत नहीं होती जिसको 188 रु0 80 पैसे में बेचा गया है। इस खुली लूट के अतिरिक्त इन नकली और मिलावटी खाद के बोने से किसानों की रबी की फसल बुरी तरह से कुप्रभावित हो गयी है जिसका प्रदेश की रबी उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। शिकायत करने पर भी जिले के कृषि विभाग ने इन नकली और मिलावटी खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। जनपद का करोड़ों रुपये की फसल नष्ट होने के कारण वहाँ का किसान दुखी है। उनमें हाय-हाय और त्राहि-त्राहि मची हुई है।।

अतः मेरी शासन से मांग है कि इस खाद के व्याप्त भ्रष्टाचार से संलग्न अधिकारियों और खाद विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय और जनपद के प्रभावित किसानों को उनकी रबी की फसल का उचित मुआवजा दिया जाय।

लखनऊ नगर की गल्ला मण्डियों के बन्द रहने से नागरिकों के समक्ष उत्पन्न संकट के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

×श्री कुंवर सिंह नेगी—

महोदय, पिछले 10 दिनों से लखनऊ शहर की सभी गल्ला मण्डियों के बन्द होने के कारण उ0 प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की ओर से ट्रकों पर खाद्यान्न बेचे जा रहे हैं, जिसमें गेहूँ उपलब्ध नहीं है। इनसे लोगों को काफी परेशानी के बाद भी काफी कम मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो रहे है। आम बाजार में उपभोक्ताओं को दुकानदारों द्वारा मनचाहे दाम लेकर लूटा जा रहा है। लखनऊ की जनता अत्यधिक परेशान है एवं गम्भीर संकट में है। लोगों में अन्न की अपर्याप्त आपूर्ति से भयंकर रोष एवं असन्तोष व्याप्त हो गया है।

+वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ नगर की गल्ला मण्डियों के बन्द रहने से नागरिकों के समक्ष उत्सन्न 701 संकट के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अतएव, हम लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय खाद्य मंत्री से निवेदन करते हैं कि अविलम्ब लखनऊ शहर में अन्न आपूर्ति की उचित व्यवस्था करें तथा उपभोक्ताओं को अन्न सस्ते दामों पर उपलब्ध करायें।

श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य अ0 वी0 इण्टर कालेज, कमला जूड, मेरठ की हत्या एवं पुलिस की अकर्मण्यता के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

× श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन तथा राज्य सरकार को संज्ञान में एक लोक महत्व की धरना लाना चाहता हूँ।

श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य, अ0 वी0 इन्टर कालेज, कमला जूड़ मेरठ की दिनांक 11 जनवरी, 1983 को प्रातः सवा नौ बजे मेरठ नगर में गोली मारकर हत्या कर दी गयी। श्री शर्मा प्रमुख समाज सेवी थे और निरन्तर अन्याय के प्रति जूझते रहे। इस क्षेत्र के कुछ अवांछनीय एवम् हिंसक तत्व इसके कारण इनके विरुद्ध थे ओर उन्होंने इनको दिनदहाड़े अपनी गोली का निशाना बनाया।

इन हिंसक और असामाजिक तत्वों को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है और इन्होंने इस क्षेत्र में दर्जनों हत्याएं, लूट, डकैती और बलात्कार किया है किन्तु भय और राजनीतिक संरक्षण के कारण कोई इनके विरुद्ध कुछ कहने का साहस नहीं करता।

सबसे दुख की बात यह है कि श्री शर्मा की हत्या करने वाले इस गिरोह के विरुद्ध उच्चाधिकारियों को अनेक शिकायतें की थीं जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और परिणामस्वरूप श्री शर्मा को ही अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा।

हत्या के बाद भी हत्यारे स्वतंत्र घूम रहे हैं तथा श्री शर्मा एवं इनके भाई के शेष परिवार को भी खुलेआम समाप्त करने की धमकी दे रहे हैं। इससे पूरे क्षेत्र में भय और आतंक का वातावरण व्याप्त है।

मेरठ जनपद के शिक्षकों ने इस घटना की सी0 बी0 आई0 द्वारा जाँच कराये जाने तथा हत्यारों की तत्काल गिरफतारी की मांग को लेकर 1 फरवरी को पूरे जनपद में हड़ताल रखी और 15 मार्च से माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया है, स्थिति अत्यन्त ही गम्भीर है।

हमारी राज्य सरकार से मांग है कि इस घटना की सी0 बी0 आई0 द्वारा जाँच करायी जाय जिससे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त इन हत्यारों के विरुद्ध निष्पक्ष जाँच हो सके।

टिहरी गढ़वाल में पनप रहे बास्पा पौधे द्वारा फसलों की क्षति के संबन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

× श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, टिहरी गढ़वाल जनपद में पिछले 6 वर्षों से एक विषाक्त पौधा बड़े

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पैमाने पर फैलने लगा है। इसे स्थानीय जनता बास्या के नाम से जानती है। यह छोटी पत्ती वाला एक पौधा है जो 6 सात फुट तक ऊँचा हो जाता है। बास्या कृषि तथा वन-भूमि को समान रूप से अपनी चपेट में ले रहा है। जहां बास्या पैदा हो जाता है वहां अन्य कोई वनस्पति नहीं उठ सकती। आबाद खेतों में लाखों किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं और वन-भूमि में प्रकृति के द्वारा उगाये जा रहे नये पौधों का जीवन खतरे में पड़ गया है। बास्या एक दुष्ट पौधा है जो काटने से बढ़ता है और जलाये जाने से उसके नये कल्ले और भी मजबूती से उगने लगते हैं।

मैंने 11 नवम्बर, 1982 को देहरादून में आयोजित मंडलीय नियोजन गोष्ठी में इस प्रश्न को उठाया था तथा बास्या पौधों का नमूना माननीय पर्वतीय विकास मंत्री श्री बल्देव सिंह आर्य को देकर निवेदन किया था कि वे कृषि वैज्ञानिकों से बास्या की पहचान करवाने तथा उसे नष्ट करने के उपाय सुझाने का आदेश दें। इस विषय में कोई कार्यवाही दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। गेहूँ के खेतों में बास्या फैलता जा रहा है। मैं श्रीमन्, के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि बास्या को नष्ट करने हेतु समुचित कदम उठाये जायें और पर्वतीय जनपदों में किसानों की आबाद भूमि, फसलों तथा वन भूमि की वनस्पति की रक्षा की जाये।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से 9 फरवरी, 1983 को यह सन्देश प्राप्त हुआ है कि विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 7 फरवरी, 1983 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :--

"यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा से यह सिफारिश करता है कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा इस सदन में 'लम्बित' उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1982 को वापस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे।"

और उक्त प्रस्ताव पर इस सदन की सहमति मांगी है।

विधान सभा के उपाध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन

कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं सदन को सूचना देना चाहता हूँ कि अष्टम विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मैंने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 9 (1) (ख) के अन्तर्गत शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी, 1983 की तिथि निर्धारित की है। यह निर्वाचन उस दिन प्रश्नोत्तर काल के बाद होगा। उक्त नियमावली के नियम 9 (2) के अनुसार उपाध्यक्ष पद के लिए नाम-निर्देशन पत्र नियमानुसार गुरूवार, दिनांक 24 फरवरी, 1983 को मध्याह्न 1 बजे से पहले सचिव, विधान सभा को दिये जा सकते हैं। नाम निर्देशन-पत्र का प्रपत्र विधान सभा के प्रत्येक माननीय सदस्य को पृथक से भेज दिया जायेगा।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । पहली, दूसरी तथा तीसरी सूचना माननीय मोहन सिंह, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री शंकर सिंह, श्री रामआसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, गोपीनाथ वर्मा, श्री मसरूर जाफरी, श्री परमाई लाल, श्री खैरूल बशर द्वारा चम्बल घाटी के डाकुओं के आत्म समर्पण के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच तनावपूर्ण वातावरण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

चौथी सूचना श्री कुंवर सिंह तेंगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी की एटा में एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है ।

पांचवी श्री हरगोविन्द वर्मा की सीतापुर, मुहमूदाबाद की दि किसान सहकारी सुगर मिल लिमिटेड के भूतपूर्व उपाध्यक्ष द्वारा मौजूदा प्रबन्धक के खिलाफ भूख हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में है ।

छठी सूचना श्री सत्यपाल सिंह की है जो लखनऊ विश्वविद्यालय के कला संकाय के सामने छात्रों के गुटो में टकराव तथा गोली चलने के सम्बंध में है ।

सातवीं सूचना, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा देवरिया के डाकतार अधीक्षक द्वारा जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक, श्री हरिकेवल प्रसाद के पत्रों को खोल कर पढ़े जाने एवं रोके जाने के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश शासन के गोपन विभाग को लिखा गया पत्र, की है ।

इसमें माननीय सदस्य केवल दो मिनट ग्राह्यता के सम्बन्ध में बोलें ।

× श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, यह एक ऐसी घटना है और इतनी महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार की दूसरी घटना नहीं घटी होगी । हमारे क्षेत्र का मामला है । कालपी थाना है, वह हमारा क्षेत्र है । उस थाने के अन्तर्गत यह घटना घटी । आज से एक वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री यहाँ मिले थे और दोनों मुख्य मंत्रियों ने समझौता किया था कि दोनों प्रदेशों की पुलिस साथ रहेगी और इस अभियान के सम्बन्ध में जो स्थिति इस घटना से सामने आयी, उससे मध्य प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं किया । मान्यवर, जब यह सदन खुलने को था, 31, को मैं यहाँ आ रहा था, जालौन पुलिस के सूत्रों से पता चला कि फूलन देवी और मानसिंह का आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश के भिण्ड में हो चुका था और जो चतुर्वेदी जी हैं, उनका फूलन देवी से सम्पर्क हो चुका था । पुलिस सूत्रों की यह सूचना थी । अब मान्यवर, मध्य प्रदेश के डी0 आई0 एस0 पी0, एक बड़े उच्चाधिकारी जालौन जिले में आते हैं, पुलिस और अधिकारियों से पता लगाते हैं कि मानसिंह पर, फूलन पर कितना इनाम है, कहाँ-कहाँ रहते हैं, और उत्तर प्रदेश की पुलिस सारी

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सूचना देती है। उसके बाद घटना घटती है। चोरी से मध्य प्रदेश पुलिस आती है और फूलन देवी के पूरे परिवार को उठा कर ले जाती है।

जो छपा है समाचार पत्रों में उसके मुताबिक श्री चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वयं पुलिस फोर्स के साथ आते हैं पहले दिन। संतोष नहीं होता है दूसरे दिन पुनः दो जीपें आती हैं। कालपी थाने के अन्तर्गत मानसिंह के परिवार को पकड़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस रोकती है, मध्य प्रदेश की पुलिस गोलियों की बौछार कर देती है। दोनों पुलिस फोर्सों के बीच गोली चलती है, संघर्ष होता है। संघर्ष के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश की पुलिस के एक इंस्पेक्टर और 6 कर्मचारियों को और जीप को कब्जे में ले लेती है। मान्यवर, पुलिस ऐक्ट, 1888 के सेक्सन 4 में दिया है कि: नथिंग इन दिस ऐक्ट शैल बी डीम्ड टु अनेबिल दि पुलिस आफ अन स्टेट टु एक्सरसाइज पावर्स एण्ड ज्यूरिसडिक्शन इन ऐसी एरिया विदिन अनदर स्टेट नाट बीग ए रेलवे एरिया, विदाउट दि कनसेन्ट आफ दि गवर्नमेंट आफ दैट अदर स्टेट।

हिन्दी में यह हुआ मान्यवर, कि केवल रेलवे में दूसरे प्रदेश का पुलिस किसी अन्य स्टेट में काम नहीं कर सकती है। जहां पर रेलवे का प्रशासन नहीं है वहां पर किन्हीं भी हालतों में दूसरे प्रदेश की पुलिस अन्य स्टेट में काम नहीं कर सकती जब तक कि वह उस प्रदेश की सरकार से जहां उस दखल देना है, अनुमति न ले ले। या तो उत्तर प्रदेश की पुलिस यह कहे कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने स्वीकृति ले ली थी। लेकिन मान्यवर, यदि ऐसा होता तो यह स्थिति पैदा ही न होती कि जिला जालौन के पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ गोलीबारी करें और पकड़ लें : स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति न थी। इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमला किया है। बार्डर की बात नहीं है, 100 किलो मीटर अन्दर घुस कर यह हुआ है। उस क्षेत्र में आतंक फैला है, जनता डरी हुई है। जालौन के जो थाने हैं, वहां पर आतंक है कि पता नहीं कि वक्त बदले की भावना से मध्य प्रदेश की पुलिस कौन सी कार्यवाही कर बैठे। उनका मारल डाउन हो गया है। ऐसी भयावह स्थिति है मान्यवर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर एक मिनट।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठे, मैंने वर्मा जी को बुला लिया है।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, केवल पांच शब्द जोड़ूंगा।

श्री अध्यक्ष—

उनको बाद में जोड़ दीजियेगा।

× **श्री राम आसरे वर्मा**

मान्यवर, इसमें कोई असहमति नहीं हो सकती यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है। अविलम्बनीय इसलिये कि घटना दो दिन पहले की है। लोक महत्व का इस

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिये कि मध्य प्रदेश की पुलिस के साथ टकराव हुआ। हमारे प्रान्त का पुलिस के ऊपर विश्वास और अविश्वास की भावना में टकराव है। दस्यु उन्मूलन आन्दोलन हुआ, उनको पकड़ने की कोशिश की गयी। नाकामयाब रहे। आत्म समर्पण कराया गया, आत्मसमर्पण हो, अच्छी बात है। आत्मसमर्पण में हमारे यहाँ के डकैतों को मध्य प्रदेश में ज्यादा अच्छी परिस्थितियां मिलीं। हमारे प्रदेश की पुलिस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके सामने वह आत्मसर्पण करें, इस घटना ने उस इलाके में ही नहीं पूरे प्रदेश में अविश्वास का वातावरण पैदा कर दिया है। दो प्रदेशों की पुलिस के बीच टकराव, हमारे प्रदेश की पुलिस पर हमला, महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, इस पर चर्चा की अनुमति दें।

× श्री मोहन सिंह--

माननीय राम आसरे वर्मा जी तथा श्री शंकर सिंह जी ने जो कहा है उसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। इनकी सरकार ने संयुक्त प्रयास शुरू किया था दस्यु उन्मूलन का। त्रिपाठी जी दोनों हाथ उठा कर दस्यु उन्मूलन कर रहे थे। आज यह सरकार दस्यु उन्मूलन टकराव से करेगी या आत्म समर्पण से करेगी। इसके बारे में सरकार के मन में दुविधा है।

मध्यप्रदेश की सरकार ने हमारे प्रदेश के डाकुओं का आत्मसमर्पण करा दिया, उनकी नकल में हमारे प्रदेश के जिला जालौन में पुलिस ने फूलन देवी को आत्मसमर्पण की पूरी तैयारियाँ कर लीं। 4 दिन बाद हो गया कि उसका आत्मसमर्पण नहीं होगा। अखबारों में छपवाने लगे कि वह कहीं इटावा में समिट गई है। उसके गिरोह का सफाया हो गया है केवल 5 आदमी उस गिरोह में रह गये हैं। मान्यवर, यदि उस गिरोह में केवल 5 आदमी रह गये हैं तो आपको जो हजारों में पी0ए0सी0 वहाँ लगी है, उस गिरोह का खात्मा क्यों नहीं करवा देते। क्या वह दस्यु उन्मूलन के टकराव से करायेगी या आत्मसमर्पण के जरिये करायेगा, एक स्पष्ट नीति होनी चाहिये। जिस वजह से आज दोनों प्रदेशों की पुलिस के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई है और पूरे प्रदेश का जन जीवन तथा सामान्य स्थिति में भय हो गया है। उन इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में एक परेशानी तथा भय का वातावरण व्याप्त हो गया है। वहाँ की जनता को भरोसा दिलाने एवं उनकी सुरक्षा के लिये इस अविलम्बनयीय लोक महत्व के प्रश्न पर मान्यवर, चर्चा करवा लें।

× संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी—

अध्यक्ष महोदय, वैसे डाकुओं का पुलिस पर विश्वास न होना, मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का एक सार्टिफिकेट है। जो घटना घटी है उस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूँ कि उस सम्बन्ध में यहाँ की पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। मान्यवर, इस सिलसिले में सूचना मिली है कि श्री चतुर्वेदी के विरुद्ध 364/342 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत थाना कालपी में की थी। मध्य प्रदेश के भिन्ड जनपद के कोतवाली

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वेक्षण नहीं किया।

के इन्चार्ज, मंगल सिंह चौहान अन्य कान्सटेबिल, अगर सिंह, हरनाम सिंह, महेश सिंह, छुटकन सिंह और एक अन्य व्यक्ति रवीन्द्र सिंह को 7/8 फरवरी, 1983 की रात को गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारियाँ उस समय हुई जब वह मान सिंह के परिवार के सदस्यों को अपहरण कर ले जा रहे थे।

जहाँ तक पुलिस की कार्यवाही का ताल्लुक है, पुलिस ने पूरी कार्यवाही की इस प्रकार पुलिस के खिलाफ अविश्वास का वातावरण सारे प्रदेश में फैल रहा है, गलत है। यदि पुलिस सक्रिय नहीं होती तो, डाकू लोग मध्य प्रदेश में जाकर आत्मसमर्पण नहीं करते। यह इस बात का सबूत है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय है और प्रभावी है। मान्यवर, कार्य स्थगन करवाया जाय, उचित नहीं है। हमारे पास सारी सूचनायें आ रही हैं, इस बारे में प्रदेश के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हो रही है। इस प्रकार इस पर चर्चा कराना जनहित में नहीं है। मैं अनुरोध करूँगा कि आप इसे अस्वीकार करें।

श्री शंकर सिंह--

जिस पुलिस अधिकारी के बारे में आपने अभी बताया कि वह जिला जालौन में पकड़े गये हैं, लेकिन उन्हें मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनका मुचलके पर रिहा किया जाना नियमानुसार उचित है, जबकि उन पर जिन दफाओं के अधीन, अपहरण व अन्य अघन्य मामलों के खिलाफ आरोप हैं?

श्री अम्मार रिजवी--

इस प्रकार के कोई सूचना हमारे पास नहीं है, केवल उनकी गिरफ्तारी से सम्बन्धित सूचना है।

×श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, 8 फरवरी को एक ही परिवार के तीन लोगों को गोली से भून दिया गया और उन्हीं में से तीन लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया गया। मान्यवर, इस अल्प अवधि में ही इस प्रकार की नर-संहार की घटनाएँ हुयी हैं और किसी भी घटना में अभी तक पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असफल रही है, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गयी है और इससे सरकार के प्रति भी विश्वास लोगों का खत्म होता जा रहा है और वहाँ के सभी लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है, इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न है और इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए शीघ्र ही चर्चा कराई जाए।

×श्री सत्यपाल सिंह--

लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है और कल वहाँ पर छात्रों के दो संघों के बीच यूनियन भवन के कब्जे को लेकर खूब संघर्ष हुआ और दोनों दलों के बीच गोली-बारी भी हुयी, जिससे कुछ लड़के घायल हुए, और लोग पकड़-कर जेल भेज दिये गये हैं और आज वह दोनों दल बहुत ही उग्ररुप धारण किये हुए हैं,

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिससे वहाँ की स्थिति विस्फोटक हो रही है और वहाँ की पढ़ाई लिखाई सब ठप हो गयी है, जिससे वहाँ का वातावरण तनावपूर्ण हो रहा है, इसलिए अनुरोध करूँगा कि इस विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए चर्चा कराई जाए।

×श्री अम्मार रिजवी—

वहाँ पर पुलिस फोर्स की व्यवस्था कर दी गयी है, कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे इस आदरणीय सदन का समय लिया जाए, सारी कार्यवाही कर दी गयी है, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना घटने की उम्मीद नहीं होनी चाहिए।

×श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खेद के साथ यह काम रोको प्रस्ताव पेश करना पड़ रहा है। श्री हरि केवल प्रसाद जो इस आदरणीय सदन के दो बार सदस्य रह चुके हैं, जिनके बारे में सुप्रिटेण्डेण्ट पोस्ट आफिस, देवरिया ने जो पत्र लिखा है, उसकी फोटो स्टेट कापी हमारे पास है, जिसे मैं पढ़ूँगा नहीं मान्यवर, क्योंकि उस पत्र को हमने सदन के पटल पर रखा नहीं है, जिसमें यह कहा गया है कि उनकी जितनी भी चिट्ठियाँ हैं, वह सब स्क्रीन की जाएं और उनको डिलीवर्ड न की जाएं, जबकि पोस्ट आफिस सेक्शन के अनुसार एक साल तक चिट्ठी न डिलीवर्ड किये जाने के प्राविजन्स हैं और यह भी उस पत्र में है कि हाथ की लिखी हुयी चिट्ठी चाहे किसी दोस्त के नाम या किसी सम्बन्धी के नाम की हो और उस पर भी सदेह हो तो उसे भी सीज कर लिया जाए। मान्यवर, इस प्रकार की यह घटना उत्तर प्रदेश के अन्दर की पहली घटना है। श्री हरिकेवल प्रसाद जी के बारे में जानकारी मान्यवर, आपको भी है और माo सदस्यों को भी है और नेता सदन को भी है, जो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। श्री हरिकेवल प्रसाद डाक्टर लोहिया व जय प्रकाश नारायण के मतों पर विश्वास करने वाले हैं और उनके आचरण में ऐसी कोई बात नहीं है, जिससे उनके द्वारा किसी प्रकार का प्रदेश की अखण्डता में गड़बड़ी पैदा होती हो।

ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार के निर्देश जारी करना यह इंगित करता है कि फिर इस प्रदेश में इमरजेंसी के बादल मंडराने शुरू हो गये हैं। जिन जनतांत्रिक सिद्धान्तों की रक्षा के लिये हम यहाँ पर आये हैं, उन पर सीधे कुठाराघात है। इससे अधिक महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता। भारतीय संविधान के अन्दर जो अधिकार दिये गये हैं, उनकी यह खुली अवहेलना है। ऐसे प्रश्नों पर, जिनका सम्बन्ध देश की 13 करोड़ जनता से है, जो नागरिक अधिकारी में जनतंत्र में विश्वास करते हैं, उन पर यह सीधा-सीधा कुठाराघात है। इसके साथ ही, मैं सत्तापक्ष को चेतावनी देता हूँ कि ऐसा मत सोचो कि आप यहाँ पर ही बने रहोगे, कल हम भी उधर बैठ सकते हैं। ऐसे कदम मत उठाओ जिससे नागरिक अधिकारों की अवहेलना हो रही है, हत्या हो रही है। इसके साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि शासन को इंगित करें कि ऐसे मामलों में पूरी तरह से वक्तव्य दें, बहस करायें और साबित करें कि उन्होंने कौन सा ऐसा ऐक्शन देखा,

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिस पर यह काला आदेश इंगित किया है। शासन पक्ष इस पर वक्तव्य दें और आप बहस करायें।

×श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ओझा जी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने प्रदेश की आबादी 13 करोड़ कर दी है। दूसरी बात यह है कि जिस खत का उन्होंने जिक्र किया है, उसके लिये शासन भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 (अधिनियम संख्या 6) की धारा 25 (1) के अन्तर्गत अधिकृत है। यह जो किया गया है, यह शासन के द्वारा जारी किया गया, कोई सन्देह नहीं है। जब भी प्रदेश में कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि ऐसे आदेश जारी करने होते हैं, तो विवश होकर जारी करने होते हैं। कुछ आरगोनाइजेशन्स, जिनको सरकार ने बैन कर दिया था, जनहित की वजह से जैसे--राज्य पुलिस कर्मचारी परिषद्, तो उसके पत्रों के सम्बन्ध में यह आदेश जारी किये गये। उनका नाम भी लिखा गया, जिनका सम्बन्ध था। यह सारा कार्य जनहित में प्रदेश की सुरक्षा और लॉ एण्ड आर्डर के लिये किया गया है, यह कोई पोलीटिकल विक्टीमाइजेशन नहीं है। इस पर यहां पर बहस का कोई आधार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

जैसा मा0 मन्त्री जी ने कहा कि पुलिस परिषद् के सम्बन्ध में यह आदेश जारी किया गया है, लेकिन मा0 ओझा जी ने जो नियम 56 की नोटिस दी है, उसमें यह कहा है कि उनकी जितनी भी डाक है, चाहे वह स्वयं अपने हाथ से लिखकर भेजें या डाक के जरिये से आये, सारे पत्रों को बैन कर दिया गया है। यदि यह पुलिस परिषद वाले पत्रों से ही सम्बन्धित होता तो मा0 मन्त्री जी का उत्तर सही हो जाता, लेकिन यह निदेश तो सारे पत्रों के सम्बन्ध में है।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप तो बोल चुके अब क्या कहना बाकी है ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने पुलिस परिषद की बात कही। स्वयं जो चिट्ठी शासन से गयी है, उसमें कहा है तथाकथित पुलिस परिषद् याना वह मानते ही नहीं है पुलिस परिषद को।

इसलिये माननीय मन्त्री जी जो पुलिस परिषद से श्री हरिकेवल जी को जोड़ रहे हैं, यह उन्होंने गलतबयानी की है।

श्री अध्यक्ष

नियम 56 की जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं उसमें से श्री शंकर सिंह श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन यादव, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री मसरुर जाफरी, श्री परमाई लाल तथा श्री खैरुल बशर, की सूचनाओं को वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूँ और बाकी को अस्वीकार करता हूँ। जिनमें से श्री सत्यराम सिंह की जो सूचना है इसको शासन को

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भेजे देता हूँ और मैं शासन से आग्रह करता हूँ कि वह इस मामले में पूरी तरह से विचार करे। श्री जनार्दन प्रसाद ओझा से सम्बन्धित जो सूचना है, उसे भी मैं शासन को भेजे देता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करे।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मुझे सुन लीजिये। महमूदाबाद शुगर मिल में—

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अब मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहां पर 25 हजार आदमी हड़ताल पर बैठे हुए हैं आमरण अनशन के लिये तो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मामला क्या हो सकता है ? यह महमूदाबाद से सम्बन्धित मामला है, मन्त्री जी बैठे हुए हैं, आप हमें सुन लें यदि आप हमें सुनेंगे नहीं तो यह हमारे साथ अन्याय है।

श्री अध्यक्ष—

मैं निर्णय दे चुका हूँ, अब आप कृपा करके बैठिये।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

हमको आप दो मिनट सुन लीजिये, मन्त्री जी भी बैठे है।

श्री अध्यक्ष—

आप इनसे बात कर लीजियेगा।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, आप हमें हाउस में सुन लीजिये यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष—

आप उनको बता दीजियेगा, हाउस में सुन लीजिये, यह क्या बात है ? वह स्वयं ही सब जानते हैं।

श्री हरगोविन्द वर्मा—

मान्यवर, आप हमें क्यों नहीं सुनेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ आपको बोलने को।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

जैसे महौली में, मिल में सैकड़ों आदमी जेल चले गये हैं वैसे ही यहाँ भी होने वाला है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये इस तरह से आपको सदन में व्यवधान नहीं करना चाहिये।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मैं तो आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। हम तो डाक्टर लोहिया के भक्त हैं, हम व्यवधान कहाँ कर रहे हैं, हम तो आपसे विनती कर रहे हैं कि महमूदाबाद क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है। माननीय मन्त्री जी भी बैठे हुए हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि

वे इस सम्बन्ध में मेरी मदद करें क्योंकि यह उनके क्षेत्र का भी मामला है। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ हाउस में दो मिनट के लिये मुझे सुन लीजिये।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर,

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, मैंने आपको नहीं पुकारा है।

श्री हर गोविन्द वर्मा

मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को यह बता देना चाहता हूँ कि महमूदाबाद में क्या हो रहा है। हमारे यहां के मन्त्री जो कि एक जिम्मेदार मन्त्री हैं उनके रहते हालांकि उन्होंने बहुत कुछ महमूदाबाद के लिये किया है और बहुत कुछ महमूदाबाद को दिया है इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूँ परन्तु उसके बावजूद महमूदाबाद में कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है, वह मैं आपको बता देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, जरा दया करें, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने बहुत सुन लिया।

श्री हर गोविन्द वर्मा—

मान्यवर, मैं बैठूंगा नहीं, चाहे आप हमें निकलवा दीजिये। मैं अनुरोध कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कृपा करके पहले आप बैठ जांय। देखिये यह माननीय सदस्यों को शोभा नहीं देता है।

माननीय सदस्य बैठ जांय।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)।×

(1 बजकर 10 मिनट अपराह्न से)

श्री रेवती रमण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री त्रिपाठी जी ने जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ढाई पौने तीन साल हो गये हैं इस शासन को बने हुए, और जो कार्य कलाप इन्होंने रखे हैं। और जो उधर के बैठने वाले हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है तो बात वैसी नहीं है, स्थिति ऐसी है कि इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज रह नहीं गयी है मुझे याद आ गया है कि जब मुगलिया सल्तनत कमजोर हो गयी थी तो दिल्ली में रोज बदलाव हुआ करता था और प्रदेशों में रोज सूबेदार बदले जाते थे। उसी प्रकार से हमारे यहां

×दिनांक 9 फरवरी, 1983 की कार्यवाही से।

केन्द्र में मन्त्री बदले जाते हैं। कई प्रदेशों में तो तीन तीन बार मुख्य मन्त्री बदले गये हैं। अखबारों में है, उत्तर प्रदेश में श्रीपति मिश्र जो एक गरीब आदमी हैं, उनका भी बदलाव होने जा रहा है। कागजों में इनकी घोषणायें बहुत हैं, ढपोरशंख की तरह लेकिन आप देखें कि जो गरीब आदमी है, आज इनके कुशासन से बहुत ही पीड़ित है। उसकी दो जून का खाना भी नहीं मिल रहा है। इन्होंने बड़े जोर से कहा है कि जो अन्त्योदय योजना थी, जिसको जनता शासन ने लागू किया था, उसको आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत लागू कर रहे हैं लेकिन वह गरीब आदमी जिसको भैंस दी जाती है वह वास्तव में तीन हजार रुपये की होती है और उसको पांच हजार रुपये में मिल पाती है। उसको बताया यह जाता है कि दस किलो दूध है लेकिन वास्तव में उसके पांच किलो दूध निकल पाता है। आप उसके ऊपर कर्जा लादते चले जाते हैं और वह रुपया दे भी नहीं पाता है, आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि यह शासन हरिजनों का शोषण कर रहा है, उनका कतले आम हो रहा है।

मान्यवर, जब बेलछी का काण्ड हुआ था तो श्रीमती इन्दिरा गांधी हाथी पर बैठकर गयी थीं लेकिन जब देबली में हरिजनों का नर संहार हुआ तो आज भी इनके कान पर जू नहीं रेंगी। यह उसी का नतीजा है कि कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में हरिजनों और मुसलमानों ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है। अभी दिल्ली में नगरपालिका और नगर निगम का चुनाव हुआ तो यह बड़ी बहादुरी के साथ कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या हुआ। वहां पर विभाजन हुआ इसीलिए जीत गये अगर वहां पर विभाजन न हुआ होता तो उधर के माननीय सदस्य इधर बैठते।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

दिल्ली में कांग्रेस की पताका फहरा गयी, रेवती रमण जी।

श्री रेवती रमण सिंह---

आप मकान बनाने के लिए अनुदान देते हैं परन्तु उससे एक भी कमरा नहीं बन सकता है। अगर आप 3-4 हजार रुपया दें तो कमरा बन भी सकता है। 15 सौ रुपये में मकान नहीं बनता है। मान्यवर, अभी ब्रिज कारपोरेशन की बात कही गयी है कि दिल्ली में उसने बहुत से पुल बनाये तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पुल तो पहले से ही थे, अगर यहां पर पुल बनाये जाते तो उससे कुछ जनता को राहत मिलती। खाद्यान्न योजना के बदले में दूसरी योजना चला दी है जिसको ग्रामीण रोजगार योजना कहते हैं।

श्री शाह---

जनता पार्टी जो काम करती थी, उसके उल्टे ही यह सरकार काम कर रही है। चाहे जनता पार्टी ने कितने ही अच्छे काम क्यों न किये हो। जो सड़कें बनायी जाती थीं, वह खाद्यान्न योजना के बदले नहीं बनायी जायेंगी। इन्होंने योजना बनायी है कि एक साल में एक हजार अस्सी किलोमीटर सड़क ये बनायेंगे। मान्यवर, 57 जिलों और उसके ब्लाकों की स्थिति आप देख लें। एक ब्लाक में पौन किलोमीटर सड़क भी नहीं आती है। क्या यही ये विकास कर रहे हैं? कहते हैं जनता पार्टी के शासन में बहुत गड़बड़ी हो गई। इसीलिये जनता पार्टी ने 3 साल के अन्दर 12 करोड़ 80 लाख टन अनाज

का उत्पादन हिन्दुस्तान में दिखाया था और जब से इनका शासन आया 12 करोड़ 40 लाख टन पर वह आ गया। अमेरिका और दूसरे मुल्कों से 210 रुपये में गेहूँ मगा रहे हैं और किसान को 130 रुपये में दे रहे हैं। यह इनकी सरकार है।

सीमेन्ट आज 62 रुपये बोरी बेच रहे हैं और कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। चीनी जो जनता पार्टी के समय में दो-सवा दो रुपये किलो बिकती थी, वही चीनी आज पांच रुपये किलो बेच रहे हैं। किसानों का गन्ना 17 रुपये 20 रुपये और 21 रुपये क्विंटल में ले रहे हैं और खांड़सारी को 6/7 रुपये में दे रहे हैं। आप रिकार्ड देख ले, हमारे समय में चीनी की क्या कीमत थी। जलाऊ लकड़ी 100 रुपये क्विंटल बिक रही है। इन्होंने कोयले का दाम भी बढ़ा दिया। इस सरकार ने प्रतिदिन मंहगाई बढ़ा करके उन लोगों का, जो अपना काम मेहनत करके और मजदूरी करके करते थे, जीवन दूभर कर दिया है।

मान्यवर, अभी कल यहाँ पर एक माननीय सदस्य बिजली की बात कर रहे थे। 3 हजार करोड़ रुपया विद्युत् परिषद् में लगा हुआ है। दो साल पूर्व जो मुख्य मन्त्री थे, जिनको कि इस शासन के लोग बड़ी सराहना करते हैं, उनके शासनकाल में 2 साल के अन्दर 863 करोड़ का घाटा विद्युत् परिषद् को हुआ है। जबसे विद्युत् परिषद् बनी है, कुल दो सौ करोड़ का घाटा हुआ जब कि केवल दो साल के अन्दर 863 करोड़ का घाटा इनके शासन काल में हुआ है। इसे आप अच्छा काम करने वाली करकार बता रहे हैं। इस सरकार ने इस प्रदेश को दिवालिया बना दिया है और विकास के नाम पर कहो भी कुछ काम नहीं हो रहा है। न सड़कें बन रही हैं, न ट्यूबवेल लग रहे हैं। इन्होंने दो साल के अन्दर 2 हजार ट्यूबवेल का छिद्रण किया है लेकिन वे फन्ड की कमी के कारण इनरजाइज नहीं हो पा रहे हैं। आई0 एम0 एफ0 से जो 5 हजार करोड़ रुपया इन्हें इसके लिये मिला था, उसमें से इन्होंने ढाई हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया और जो बचा है, उसका ये सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। माननीय सिंचाई मंत्री को ट्रांसफर और पोस्टिंग से फुरसत ही नहीं है। विद्युत् परिषद् में जहाँ इतना घाटा हो रहा है, वहाँ ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर ये ढाई-तीन हजार गांवों का विद्युतीकरण कर रहे हैं इस हिसाब से ये आने वाले 50 साल में पूरे प्रदेश में बिजली लगा पायेंगे। गांवों में जहाँ विद्युतीकरण हो भी रहा है, वह अधूरा हो रहा है।

हरिजन बस्तियों के लिये इन्होंने नियम बनाया है कि वे 3 पोल लगायेंगे। हरिजन इतने अछूत हैं कि पूरे पोल ये नहीं लगा पायेंगे। ये फर्ज अदायगी करने में लगे हुये हैं इनकी सरकार बार-बार हरिजनों की हुहाई दे रही है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

आपने अपने कार्यकाल में कितने पोल लगाये थे ?

श्री रेवती रमण सिंह—

वह तो रिकार्ड की बात है, मैं उसी से बोल रहा हूँ। आज पूरे प्रदेश में दंगों की स्थिति विस्फोटक हो गई है। आपने देखा कि मुरादाबाद और मेरठ के दंगों को देखकर शर्म से सिर झुक जाता है।

मैं उधर बैठे हुए जाहिदी साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारी सरकार थी और वे भी उसमें बैठते थे तब उन्होंने जो लखनऊ में शिया सुन्नी का दंगा हुआ था, बड़ा गुस्सा किया था लेकिन आज हजारों की संख्या में दंगे हो रहे हैं तो यह चुप बैठे हैं तो कम से कम इसके खिलाफ आवाज ही बुलंद करते। (व्यवधान) मैं श्यामलाल बाजपेयी जी की तारीफ करता हूँ कम से कम सरकार की उपलब्धियों के साथ उन्होंने यह भी कहा कि यह सरकार अपंगु है कहीं कोई काम नहीं कर पा रही है।

श्री खानगुफरान जाहिदी—

सब अपना काम कर रहे हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

यह सरकार ऐसी है जो काम करने में अक्षम है। मेरठ और मुरादाबाद में जब दंगे हुए तब प्रधान मंत्री को जाने की फुर्सत नहीं मिली लेकिन जब उन्होंने देखा कि कर्नाटक और आंध्र में उनको पार्टी का सफाया हो गया है हरिजनों तथा मुसलमान भाइयों ने उनको वोट नहीं दिया तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मेरठ और मुरादाबाद पहुँच गयीं। (लालबत्ती होने पर) मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।

आप दस्तकारों की बात करते हैं कि करोड़ों रुपया दस्तकार लोग कमा रहे हैं गलीचों और मुरादाबाद के पीतल के काम से। लेकिन आपने कभी यह नहीं देखा कि सबसे बड़ी संख्या में टी0 बी0 के मरीज पीतल के बर्तन बनाने वाले यह दस्तकार हैं जो करोड़ों रूपया सरकार को दे रहे हैं। उनकी तरक्की के लिए हमारी सरकार ने एक योजना बनाई थी मुरादाबाद में पीतल बस्ती बसाने की, लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं किया गया। वह तो केवल एक 20 सूत्री कार्यक्रम की माला जपते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रेवती रमण सिंह—

रातदिन एक ही माला जपा करते हैं उस 20 सूत्री कार्यक्रम की।

परिवहन निगम के बारे में भी बताना चाहता हूँ चूंकि समय कम है इतना ही कहूँगा कि कल ही आपके सामने मंत्री जी ने बताया कि परिवहन निगम से 50 प्रतिशत किराया बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। पिछले साल आपने 50 प्रतिशत बढ़ाया था। उनकी बसों की आज हालत क्या है इसको भी आज जरा देखें आप उसमें बैठें तो पता नहीं कि वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचती है या नहीं, कहाँ खड़ी हो जायेगी किसी को पता नहीं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री भोला पाण्डे के खड़े होकर बात करने पर) श्री भोला पाण्डे आप ठीक प्रकार से बैठें किस प्रकार खड़े हैं।

श्री रेवती रमण सिंह—

मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ। आज आप जरा देखें 22 प्रांतों में से 14 में इनकी सरकार रह गयी है कितनी जगह आप को जनता चाहती है। आपके कार्यकलाप यही रहे तो जनता आपको माफ नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती महारानी दोहरे—

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे व्यवस्था के प्रश्न से पहले ही मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर तथा उस पर माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं आपकी अत्यन्त आभारी हूँ । मान्यवर, दो दिन से इसके उपर बराबर चर्चा चल रही है मेरे मस्तिष्क में बराबर यह सवाल इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्यों के विचार सुनने के बाद उठ रहा है कि आज इस अभिभाषण के अन्दर जितनी भी योजनायें मेरी सरकार ने इस देश की प्रगति के लिए और की जनता की खुशहाली के लिए दी हैं, वह सब वाक्यो में बहुत महत्वपूर्ण हैं । मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ । लेकिन वहीं यह प्रश्न भी उठता है कि जहाँ विकास के इतने प्रोग्राम हैं क्या हम उसमें अपने इस पद का सही उपयोग कर रहे हैं जिस पर हम आसीन है ? हमारी नेता ने जो नीतियां बनाई हैं और जिस पद पर हमें बैठाया है और देश की जनता ने भारी बहुमत से हमारे कंधों पर जो उत्तर-दायित्व डाला है, क्या उसको पूरा करने में हम सक्षम हैं,

[इस समय 1 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।]

मान्यवर, मैं कहना चाहती हूँ कि आज की जो सामाजिक परिस्थिति है, विशेष-कर विरोध पक्ष के भाइयों से मैं कहना चाहती हूँ कि इस देश से विदेशियों के जाने के बाद जबसे देश की सत्ता हमारे हाथों में आयी है, तबसे बराबर एक दूसरे पर आरोपों की आवाजें गूंजती रही हैं । लेकिन जैसे कि 16 वर्ष बाद जब बच्चा अपनी युवावस्था में प्रवेश करता है, उसी प्रकार हमारे देश की स्वतन्त्रता आज नवजवान हो चुकी है, तो देश के हर सम्मानित सदस्य को मालूम होना चाहिये कि यह देश की स्वतन्त्रता का परिपक्वता का समय है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि संविधान में जो नियम हैं और संविधान की जो भावनायें हैं, उनका हम कहाँ तक पालन कर रहे हैं, उनकी कद्र कर रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा ।

मान्यवर, विरोध पक्ष से कल एक बात कही गयी थी कि सत्ता पक्ष के लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी, हरिजनों के नाम ही से इस देश की जनता को प्रभावित करती हैं तो मैं संविधान के उन पन्नों और इतिहास को दोहराना चाहती हूँ कि जिनको यह भ्रम है कि यह गलत है तो इतिहास साक्षी है कि हरिजनों के लिये लड़ाई लड़ने वाले पूज्य बाबा अम्बेदकर थे, जिन्होंने संविधान की रचना के समय मांग की थी कि गरीबी की सीमा के नीचे जो है उनको कुछ अधिकार दिये जांय इस वर्ग को मान्यता दी जाये । कांग्रेस के नेता उस समय जो शासन चला रहे थे, उन्होंने इस वर्ग के लोगों को मान्यता दी । अब प्रश्न है कि 1950 में संविधान बना और 1954 में बाबा साहेब की मृत्यु हो गयी । तो देखना पड़ेगा कि बाबा साहेब ने ही अनुसूचित जातियों के लिये मांग किया था, उन्होंने ही इस वर्ग को जिन्दा रखा है । यह भी देखना पड़ेगा कि इस संविधान के

कार्यान्वयन में किसका हाथ है। तो इसमें एक मात्र हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी एवं उसके पूर्व पं० जवाहर लाल नेहरू जी कांग्रेस के नेता थे, इन्हीं का हाथ रहा है। ! तो यह कहना कि हरिजनों का नाम लेकर उनको भ्रमित किया जाता है, बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहती हूँ कि-'भूख हमको है, आप हमें खा रहे हैं। रोग आपको है दवा हम खा रहे हैं।"

मैं सम्मानित सदस्यों से कहना चाहती हूँ कि हमारे कहे हुये इन शब्दों की ओर वह ध्यान दें। मा0 सदस्य भीखालाल ने अनुसूचित जाति के संबन्ध में कहा था, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि सच में हरिजनों का विकास काफी हुआ है। यदि नहीं हुआ है तो पुराना इतिहास देखें कि हमारे क्या अधिकार थे। मान्यवर, आज सदन में महारानी दोहरे विधान सभा में बोल रही है, यह बाबा साहेब की देन है, ओर संविधान के नियमों का कार्यान्वयन जो हो रहा है उसकी पात्र एकमात्र नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आती हूँ वह चम्बल घाटी का क्षेत्र है। मान्यवर, फूलन देवा की बात उठी थी तो मैं अपने का दुर्भाग्य कहूँ या सौभाग्य कहूँ कि मैं चम्बल घाटी के एक क्षेत्र का नेतृत्व करती हूँ। वहाँ की जनता किस तरह गुजारा करती है, उसको मैं ही जानती हूँ। हमारे विरोध पक्ष के नेताओं को वहां का भ्रमण करना चाहिये। लेकिन हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी ने चाहे वह कम्पोनेंट प्लान हो या शिक्षा की नीति हो या औद्योगिक नीति हो, चाहे धार्मिक नीति हो, सभी अंचलों में उनका विकास किया है। मैं जिस अंचल से आती हूँ वहाँ चम्बल घाटी में जो रिवाइंस है जिनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ के रहने वाले व्यक्ति अपना कैसे जीवन-यापन करते होगें।

मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से मांग की थी कि वहाँ पर चम्बल का जो पुल है बरसात में चार महीने के लिये टूट जाता है और उसकी वजह से उस एरिया के लोगों को एम० पी० के भिण्ड जिले से होकर आना पड़ता है और वहाँ से अपने इटावा में मुकदमें आदि के लिए आना पड़ता है। हम लोग जो इस सदन में इतने भारी बहुमत से चुनकर आए हैं, और दुबारा भी जिज्ञासा है कि हम फिर चुनकर आएं तो हमें जनता की परम आवश्यक मांगों की ओर अवश्य ध्यान देना होगा। हमें ऐसे एरियाओं में जाकर देखना पड़ेगा और वहाँ पर अपनी नेता प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी की नीतियों को लागू करना पड़ेगा। दो दिन से हम अखबार पढ़ रहे हैं, मेरी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और भारत की प्रधान मंत्री, बराबर यह बात कह रही हैं कि इस देश के लोग, यदि हम क्षेत्रीयता और भाषा के आधार पर चुनाव में निर्णय लेंगे तो हिन्दुस्तान कमजोर होगा, सशक्त नहीं होगा। यदि कर्नाटक और आन्ध्र की जनता जो भ्रमित हो गई है, तो दिल्ली की जनता जागरूक हो गई है।

×श्री रामस्वरूप वर्मा —

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसमें अभी तक अपने-अपने सुझाव आते थे, लेकिन मैं वस्तुपरक आलोचना करने के

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए आज खड़ा हुआ हूँ । इसलिए कि जो सरकारी दावा है और यदि वह सही है तो कुछ न कुछ उन्नति होगी और यदि विरोधी दल उसे बिलकुल नकार दे तो भी मुश्किल होगी और वह तथ्यों से विपरीत है तो सरकार को अपनी विरुदावली बन्द करके अपने को सुधारने का प्रयास करना चाहिए चाहे सदन में हो या सदन के बाहर हो । हम धन्यवाद तो दे देंगे, लेकिन सरकार ने कम से कम यह घोषित कर दिया कि 46 लाख परिवारों में से 30 लाख परिवार जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, वह गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं । सबसे बड़ा दुखः गरीबी की दारूण-मार है और यह भीषण मार इन परिवारों पर पड़ रही है । इनमें से 9 लाख परिवारों को सरकार लाभान्वित करने की बात कही है । यदि कोई दरिद्र है, उसको यदि आप स्वावलम्बी नहीं बनाएंगे तो उसकी दरिद्रता हटेगी नहीं । और उसे स्वावलम्बी बनाने की कोई योजना इसमें नहीं है, तो फिर वह लाभान्वित कैसे होगा ? यों तो यदि आप एक रुपया भी दे दें तो वह गाव्दिक रूप से भलान्वित हो जाएगा । लेकिन उसका मतलब क्या होगा ? इस योजना के लिए 23 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है और इस रुपये को यदि इन 9 लाख परिवारों में बाँट दिया जाए तो करीब 250 पड़ता है और इस हिसाब से देखें तो एक आदमी के हिस्से में केवल 50 रुपया ही आएगा । तो इस 50 रुपये में उनकी कौन सी उन्नति होगी ? तो सरकार का यह दावा निरर्थक और बेमानी है कि इस धनराशि से उनको कोई लाभ होगा, उनका कोई भी कल्याण होगा । सरकार दावा करे, एक लाख परिवार का करे या दो लाख परिवारों को करे, लेकिन उनको स्वावलम्बी बनाने का करे, तभी उनका वास्तविक अर्थों में कोई कल्याण हो सकता है ।

मैंने शोषित समाज दर्शन की तरफ की इन्सानी बस्ती बसाने की योजना के बारे में कहा था कि इसके अन्तर्गत 5 साल में 46 लाख परिवारों को अच्छी तरह बसाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने उस पर कुछ भी नहीं किया, उसको सरकार ने बिल्कुल नकार दिया । नकार दिया तो नकार दिया, लेकिन वह यह तो बताए कि आखिर फिर इस समस्या का समाधान क्या है ? अतः मैं सदन के सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वह सरकार को मजबूर करे कि यह परिवार स्वावलम्बी बनें ।

मान्यवर, कम्पोनेन्ट प्लान का बड़ी जिक्र किया गया और उसके संबन्ध में सरकार की पक्ष से उसकी बड़ी विरूदावलि गाई गई । किन्तु यह सच्चाई है कि जितना अनुदान उनको मिलता है, अनुग्रह राशि मिलती है, अनुग्रह राशि उनको कभी नहीं मिलती है, वह सारी की सारी कर्मचारियों आदि को रिश्वत देने में चली जाती है और ऐसे भी तमाम उदाहरण हैं कि जिनमें उनको रिण नहीं मिला है, फर्जी नाम उनका लिखा दिया गया है और उनके पास वसूली की नोटिसें आ गई हैं ।

जहां तक मकान बनाने की योजना है, आपने उसको इतना कमजोर बनाया है कि वह मकान शायद ही थोड़े बहुत कहीं बना पावें और वह भी 12 फुट और 8 फुट के कमरे, जो रहने योग्य नहीं रह जाते हैं । तो इस वजह से जहाँ तक अनुसूचित जनजाति

के उत्थान का सवाल है, उसमें सरकार पूरी तौर से विफल हो गयी है। इस योजना से बहुत थोड़े लोग लाभ उठा पायेंगे। मान्यवर, में सरकार से अनुरोध करूँगा कि इस योजना को स्वावलम्बी योजना के नाम से चलावें। यदि इन्सानी बस्ती शोषित समाज दल के अनुसार नहीं बना सकते, तो स्वावलम्बी योजना लागू करें। जो यह रुपया कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत व्यापार के लिए दिया जाता है, उसको तैयार माल के बिक्री की कोई जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है। जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे माल तैयार करते हैं, वह निश्चित दामों पर कहाँ पर बिके, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यह व्यवस्था पूरी तौर से निरर्थक है। इसमें कोई भी स्वावलम्बी नहीं हो सकता।

मान्यवर, आश्रम पद्धति के स्कूलों के लड़के बड़ी दुरअवस्था में हैं। वहाँ पर जो पैसा दिया जाता है, वह विद्यार्थियों की तरक्की में नहीं लगाया जाता है और विद्यार्थी बड़े कष्ट में रहते हैं। इससे अच्छा होता कि सरकार अनिवार्य शिक्षा लागू कर देती और इन्हीं प्रदेश के प्राथमिक पाठशालाओं में वह बच्चे पढ़ते। यह जो प्राथमिक पाठशालायें हैं, इसमें उनको पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था पर विश्वास करते हैं। तो मान्यवर, सरकार यह भी नहीं कर सकती, क्योंकि छूआछूत का कायम रखना भी सरकार के लिये जरूरी है। क्योंकि साथ बराबर बैठना, स्कूल की डोल-बाल्टी से पानी पीने से उच्चवर्णीय छात्रों की जाति बिगड़ जायगी।

मान्यवर, इसमें कहा गया कि हम हरिजनों के उत्थान के लिए पूरी तौर से कृत-संकल्प हैं। इन्होंने मान लिया कि 30 लाख परिवार दारुण हैं। अगर मान्यवर, 30 हजार टन गल्ला जो प्रदेश सरकार को मिला है, इन्हीं 30 परिवारों में बाँटा जाय, तो तो 10 किलो फी परिवार पड़ेगा, जो महीने भर के लिये एक परिवार के लिये नाकाफी है। कानपुर के जिलाधीश से मैंने इन दारुण दरिद्र लोगों को गेहूँ बांटने के लिये कहा था। जो गल्ला भेजा गया, वह इतना कम है कि दो किलो भी एक ऐसे परिवार को नहीं दिया जा सकता। तो मैं दारुण दरिद्रों की उन्नति करना तो दूर, ऐसे गाढ़े समय में भोजन तक भी नहीं दे सकते। आप भर पेट भोजन देने का इन्तजाम तो कर दीजिये। 3 रु0 किलो गेहूँ बाजार में बिक रहा है, जिससे वह ले नहीं सकता। 30 हजार टन केवल मंगाया गया है, तो उन्हीं को 10 किलो फी परिवार मिल पायेगा, तो और प्रदेश के दूसरे दरिद्र लोगों को सस्ता गल्ला कैसे मिलेगा। इससे सिद्ध होता है कि आपके घड़ियाली आँसू भी सूख गये हैं।

मान्यवर, यह दावा किया गया है कि किसानों के लिये 10 घंटे बिजली दी जा रही है। मैं सरकार को चुनौती देता हूँ कि वह सूबे में एक भी गाँव बता दें, जहाँ पर 10 घंटे बिजली निरन्तर दी जा रही हो। मान्यवर, चीनी के बारे में कहा गया है कि 717 लाख टन गन्ना पैदा हुआ, जिसमें से केवल 227 लाख टन पेरा गया, तो आप 3 गुना किसानों का गन्ना आरक्षित करके, केवल मिल मालिकों का हित करते हैं, किसानों का नहीं। किसानों का पूरा गन्ना पेरने के लिए मिल लगाई जानी चाहिए,

सभी किसानों का गन्ना न पेरे जाने से किसान दुःखी हैं। या तो सरकार तिगुनी मिलें लगावे या आरक्षित क्षेत्र को कम कर दे। गन्ना किसानों का 30 करोड़ रुपया इस साल मिल मालिकों पर बकाया है। कभी मिल मालिकों से आज तक किसानों को बकाया पर ब्याज नहीं दिया।

मान्यवर, गन्ने का 30 करोड रुपया बकाया है और जो किसान का बकाया है उस पर कभी उसे ब्याज नहीं मिलता है। गन्ना सोसाइटियों के जरिये गन्ना सप्लाई होता है और गन्ना सोसाइटियों पर मुकदमा नहीं हो पाता। चीनी मालिक उनको पटा लेते हैं और किसानों को ब्याज नहीं मिलता। मेरा अनुरोध है कि गन्ना सोसाइटियों से किसानों को मुक्त किया जाय और हर किसान अदालत में मुकदमा दायर कर सके। गन्ना सोसाइटियों को भंग करके किसान को सीधे गन्ना सप्लाई करने का अधिकार दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसा है समय सिर्फ डेढ़ घन्टा रह गया है। मेरा ख्याल है कि समय को घटा दिया जाय क्योंकि ज्यादा माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अगर 5 मिनट कर दिया जाय तो दूसरे सदस्य भी अपनी बात कह सकते हैं।

(किसी सदस्य ने आपत्ति नहीं की)

×श्री धरमपाल—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा प्रस्तुत माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने के लिये आपने आमंत्रित किया इसके लिये में आपका आभारी हूँ। मैं धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हुँ। 4 दिन से लगातार यह चर्चा चल रही है, मुझे अफसोस इस बात का है कि अभिभाषण पर न होने वाले भाषण से हटकर साधारण भाषण की ओर हमारे विरोध पक्ष के लोग चले गये हैं। मुख्य रुप से उन्होंने भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक दंगे और कानून व्यवस्था की बात उठायी है। मुझे आश्चर्य है कि व्यापारियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले आज भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। कल की बात हैं। कल की बात है। समस्त विरोधी दल ने गल्ला व्यापारियों को बचाने के लिये किस प्रकार का हथियार सदन में अपनाया हैं। कुछ सदस्यों ने इसके विरोध में सदन का त्याग भी किया है। मान्यवर, सांप्रदायिक दंगें बहुत बुरी चीज हैं, किसी भी सरकार के लिये कलंक होते हैं। सांप्रदाकि दंगों में न जाने कितनी बहिनों के भाई विछड़ जाते हैं, न जाने कितनी बहिनों की मांग का सिंदूर पुछ जाता है और न जाने कितनी माताओं के लाल बिछुड़ जाते हैं। यह दंगे कौन कराता है, हमें इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। जमशेद पुर में जांच हुयी, आयोग जो 1981 में बैठा था उसकी रिपोर्ट 14 जनवरी 81 के हिन्दुस्तान में निकली है। उसमें स्पष्ट रुप से लिखा

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि सांप्रदायिक दंगों में आर0 एस0 एस0 तथा भारतीय जनता पार्टी दोषी है। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन नेता, माता प्रसाद पाण्डेय की गिरफ्तारी की गयी है। अलीगढ़ के दंगें में मिस्टर नोमान जो आज भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, उनका सम्बन्ध था।

मान्यवर, यह दंगें उस समय तक नहीं रुक सकते जब तक प्रदेश की दीवालों पर यह जो नारे लिखे हैं, वह लिखना बन्द न हो जाय। आप निगाह उठाकर देखें, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, हर जगह नारे लिखें हैं कि हिन्दी हैं हिन्दुस्तान, उर्दू जाये पाकिस्तान। इस तरह नारे लिखने वाले सांप्रदायिक दगों के जिम्मेदार हैं। मुझे अफसोस है कि इस प्रकार के नारे लिखने वाले आज यहां उपस्थित नहीं हैं, वरना मालूम होता कि प्रदेश की जनता उनके बारे में क्या सोचती है। मैं कहना चाहता हूँ कि दक्षिण भारत में कनवरजन के ताम पइ आर0 एस0 एस0 और जनता पार्टी ने कुछ हिन्दुओ का कनवरजन कराया और एक भावना जाग्रत करायी कि तुम्हारा कनवरजन हो रहा है। सी0 आइ0 ए0 से मिलकर यह चलाया गया। उत्तर प्रदेश में भी धन संग्रह का एक अभियान चलाया गया और प्रत्येक जनपद से धन संग्रह हुआ। इनके नेता कहते हैं कि 5 करोड़ रुपया जमा हुआ है। तो इसकी जाँच होनी चाहिये। रसीद बुक सीज की जानी चाहिये। आज जब उर्दू का माहौल बन रहा था तब समांप्रदायिक दंगों की एक कड़ी शुरु हुयी। इसके पीछे एक भावना थी कि उर्दू को इस प्रदेश की दूसरी भाषा न बनने दिया जाय। वह यह भूल जाते हैं कि शहीद राम प्रसाद विस्मिल ने जो नारा दिया वह किसमें था।

सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना वाजुये कातिल में है।

मान्यवर, यह नारा उर्दू में है।

मान्यवर, इस प्रकार हम देखते हैं कि उर्दू ने इस देश में इन्कलाब का नारा दिया, जो देश में आजादी के लिए महान क्रान्ति बनकर रह गया है। यह नारा भी उर्दू ने दिया। उर्दू पाकिस्तानियों की हो नहीं हैं मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या राम प्रसाद बिस्मिल पाकिस्तानी थे? क्या आनन्द नारायण मुल्ला पाकिस्तानी हैं, मिस्टर फिराक गोरखपुरी क्या पाकिस्तानी हैं या मुसलमान हैं? क्या कृष्ण चन्दर मुसलमान हैं? दयाशंकर नसीन मुसलमान है? ये वे लोग हैं जो उर्दू की वजह से अपना नाम रोशन कर सके, और महान हो सके!

मान्यवर, अभी हाल के सांप्रदायिक दंगों के विरोध पक्ष यह कह रहा था कि पी0 ए0 सी0 जिम्मेदार है जबकि पी0 ए0 सी0 जिम्मेदार नहीं थी। बल्कि यह सब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कारण हुए। मेरे महान साथी जो आजकल इनके बगल में बैठे हुए हैं, चौधरी चरण सिंह की मीटिंग में गए हुए थे। देवरस अभी हाल में लखनऊ आये हुए थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यह पी0 ए0 सी0 को किस प्रकार से जिम्मेदार ठहराते हैं?

मान्यवर, जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी कानून व्यवस्था वहीं कही जाती है जिस राज्य की 16 साल की नवयुवती

जेवरों से लदी हुई आयो रात को पार हो जाय। राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस सम्बन्ध में कदम उठाया था। दस्यु उन्मूलन के नाम पर बहुत से दस्युओं का सफाया किया गया है, किया जा रहा है। कानून व्यवस्था को ज्ञात यही नहीं चाहती कि इन काउन्टर हो? हमारी सरकार दस्यु उन्मूलन करना चाहती है किन्तु यह विरोध पक्ष वाले कहते हैं कि सरकार उन्हे संरक्षण दिये हुए हैं। जबकि सरकार इनके सफाये की फिक्र में है। इन थोड़े से शब्दों के साथ हें अपनी बात समाप्त करते हुए विरोधी पक्ष के सदस्यों से यह आशा करुँगा कि वे व्यापारियों को संरक्षण नहो देगें। भगवान इनको सदबुद्धि देगा।

× श्री धनीराम वर्मा —

मान्यवर, विधान सभा में जो राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है वह तो निश्चित ही है कि वह किसान और मजदूर विरोधी सरकार ने तैयार किया था। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम सर्वोतुमुखी विकास करेंगे प्रदेश का। लेकिन मान्यवर, सर्वोतुमुखी विकास न होकर सर्वोतमुखी विनाश प्रदेश को होता दिखाई देता है। भ्रष्टाचार आज चरम सीमा पर है। प्रगति की दर बहुत धीमो है और पुलिस के जुल्म और अत्याचार इतने बढ़ गये हैं कि सारा प्रदेश त्राहि-त्राहि कर उठा है। आज छठी पंचवर्षीय योजना चल रही है यह निश्चित ही कहा जाता है कि 40 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनमें से 10 प्रतिशत लोगों को इस छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को रेखा से ऊपर उठा देंगे और इस प्रकार से 30 प्रतिशत ही गरीबी की रेखा से नीचे रह जायेंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि आज गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों का प्रतिशत 40 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। यही नहीं विकास की दर इतनी धीमी है कि वह केवल 2.7 है यदि यही विकास दर है तो निश्चित तरीके से सैकड़ों वर्ष तक हमारा देश और प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता है इस प्रकार से जिस हालत में मजदूर और किसान जी रहा है उसी हालत में वे जीने को मजबूर रहेगा।

आज प्रदेश की पूंजी और देश की पूंजी का 80 प्रतिशत भाग केवल 20 प्रतिशत ऐसे लोगों के हाथों में जो पूंजीपति हैं, चला गया है। 20 प्रतिशत लोग जो गरीब हैं उनके पास केवल प्रदेश और देश की पूँजी का केवल 45 प्रतिशत है। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि निश्चित तरीके से गरीब-गरीब होता चला जा रहा है और अमीर-अमीर होता चला जा रहा है। कृषि की पैदावार नहीं बढ़ रही है, इसका मुख्य कारण है नकली खाद का इस्तेमाल और भावों में तेजी। खाद की कीमतें पिछली सरकार से इस वर्ष दुनी कर दी गयी हैं। डीजल के दामों में उत्यधिक वृद्धि हो गयी है, सिचाई की दरें डयोढ़ी कर दी गयी हैं। 15 प्रतिशत के बजाय सवा 22 प्रति बिजली की दर अभी हाल ही में बढ़ा दी। इस तरीके से आप देखें कि देश के बजट में इस कृषि का 50 प्रतिशत हिस्सा है। तो यदि कृषि की तरक्की नहीं होगी तो बजट की धनराशि में वृद्धि नहीं होगी और जब तक बजट की धनराशि में वृद्धि नहीं होगी तब तक देश और प्रदेश का विकास नहीं किया जा सकता है।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर यह जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार चला रही है इससे कांग्रेस (आई) के लोगों की नाजायज तरीके के लाभ पहुँचाया जा रहा है। हमारे जिले में सेक्शन 216 में 233 केसेज पेंडिंग पड़े हुये हैं। हमारे यहाँ एक ए0 डी0 जे0 सो पहले से हैं और एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्त की है जो कांग्रेस (आई0) के महामन्त्री हैं। इनको प्रति केस को सुनवायी के लिये 3 हजार रुपया दिया जाता है। इस तरह से आधा रुपया हर पहली तारीख को इनको प्राप्त होता है, कुल मतों को मिलाया जाये तो साढ़े 3 लाख रुपया इनको पहली तारीख को मिल जाता है। इस तरह से कांग्रेस (आई) के लोगों को लाभ पहुँचाया जाता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हुआ। आप कृपया बैठे।

श्री धनीराम वर्मा—

बाल्टी बाबा के जमाने में 60 ट्रक गेहूँ, जो खाद्य वस्तु निगम का था, दिल्ली के बाजार में बेच दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें।

श्री धनीराम वर्मा—

कछपुरा में 3 निरीह लोगों की जो हत्या हुई हैं उसमें एक मिनिस्टर का और वहाँ के एस0 एस0 पी0 का हाथ है। इनको हटाया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपा कर बैठिये।

डाक्टर ब्रजकिशोर मिश्र—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये जो अपना धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और उसका समर्थन करता हूँ। मैंने माननीय नेता, विरोधी दल के भाषण को बड़े ध्यान से और गहरायी से सुना। मैं यह नहीं समझ पाया कि उनकी दृष्टि में सरकार ने कौन सा काम अच्छा किया है।

(व्यवधान)

एक सदस्य

अच्छा कोई काम किया ही नहीं है।

डाक्टर ब्रजकिशोर मिश्र—

आजादी के 25 सालों में, दो साल का समय जो विरोध पक्ष को शासन चलाने का मिला, उसमें आपने देश और प्रदेश को बरबाद कर दिया। आपके किये हुये कामों को ठीक करने में हमें कितनी कठिनाइयां आ रही हैं, उसका अहसास आपको नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिसको सरकार ने टच न किया हो। आखिर आप (विरोध पक्ष) देश की किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आपको मंशा क्या है? इस सरकार ने कौन सा काम प्रदेश के हित में ऐसा है, जो नहीं

किया है निर्बल वर्ग के उत्थान के लिये, हरिजनों के उत्थान के लिये तरह-तरह की कई योजनायें बनायी हैं। आप बात-बात में गाँधी जी का नाम इंगित करते हैं, मैं किसी के संबन्ध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, चौधरी चरणसिंह और माननीय अटल जी के बारे में भी कुछ नहीं कहूँगा, पर मैं यह अवश्य कहूँगा कि इस देश का उत्थान करने वाले स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कोसी से कम हैं, क्या इस देश को सही दिशा देने वाली प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी किसी से कम हैं ?

सिर्फ जबान से कह देना और करना, दोनों में बड़ा फर्क है। आप सत्ता में कल थे, किन रीतियों और रिवाजों का प्रचलन आपने किया है, यह उत्तर प्रदेशकी जनता से छिपा नहीं है। हमने जनता को आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आजादी दी। एक वह समय था जब हरिजन आपके बगल में बैठता था तो आप नफरत करते थे और आज उन्हीं की दुहाई देते हैं। मेरठ, मुरादाबाद की चर्चा करते हैं लेकिन आप को छिपरौली की याद नहीं है जब हरिजनों को वोट डालने के लिए मोहताज कर दिया। हरिजनों के लिए आवास, हरिजन विद्यार्थियों के लिए फीस, विधान के अन्दर, 81-82 को जोड़ दीजिये, हमने व्यवस्था की तो आप कहते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता है। आप कहते हैं छात्रावास नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, और जब हम बजट के माध्यम से प्रावि-धान करते हैं तो आप कहते हैं यह उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालान मुख्य मंत्री हाउस में नहीं हैं लेकिन जो दिशा उन्होंने दी, जो राहत मजदूरों-किसानों को दी, आज उसी को नकल मिश्रा जी कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यिष्ठाता --

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़ के गन्ना किसानों की हालत बड़ी खराब है। इधर के किसान गन्ने पर अपना जीवन निर्भर करते हैं। प्रदेश और केन्द्र में हमारी सरकार है फिर भी मैं नहीं समझता कि किन परि-स्थितियों में गन्ने के तीन भाव लिखे जा रहे हैं। जो कस्टोडियन मिलें हैं 14 रुपये लिख रही हैं कोआपरेटिव की 22.50 और पब्लिक सेक्टर की 20.50 लिख कर 14 रुपये लिख रही हैं। गन्ने के किसानों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हालत बहुत खराब हो जायेगी। मैं आप से आग्रह करूंगा कि जब दोनों जगह, प्रदेश तथा केन्द्र में हमारी ही सरकार है तो।

(व्यवधान)

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने रखा है मैं उसका तहे दिल से सुक्रिया अदा करता हूँ।

श्री श्याम नारायण तिवारी —

महाहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का आपने मुझे जो अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। आज हमारे प्रदेश में गन्ना किसानों में घोर असंतोष

है। लाखों लाख रुपया गन्ने का भुगतान नहीं किया गया है। किसी भी कीमत पर उन्हें मूल्य मिलना चाहिए। 1978-79 में खुले बाजार में चीनी का जो भाव था आज उसके मुकाबले में ज्यादा है। यह कहा जा सकता है कि आज गन्ने का मूल्य उस समय से ज्यादा है। पिछले साल रिकार्ड पेराई गन्ने की हुई और गरमी के महीने में, जून तक मिलें चलाने के आदेश दिये गये थे, जबरदस्ती चलवाई गई यह बात भी सही है। जो भी हो, उत्तर प्रदेश के किसानों को गन्ने का मूल्य दिया जाना आवश्यक है। सवाल है पैसा कहाँ से आये। इससे पक्ष और विपक्ष के लोग अवगत हैं कि कीमत के भुगतान के संबन्ध में दिक्कते क्या हैं ? पैसा कहाँ से आये। प्रधान मन्त्री की बात अखबार में देखने को मिली, मितव्ययिता के सम्बन्ध में, सादगी के बारे में वह कुछ कर रही हैं।

शासन पक्ष के लोग इस सम्बन्ध में क्या करेगें यह मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी इनसे कुछ कम नहीं हैं। हमको पार्क रोड पर मकान चाहिये, हमें वेतन की बढ़ोतरी चाहिये, पेंशन की बढ़ोतरी चाहिये। पैसा कहां से आयेगा। जब तक चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और यदि राष्ट्रीयकरण न हो सके तो इस सम्बंध में जब तक प्रारम्भिक कदम उठाए नहीं जाते तब तक क्या गन्ने का उचित मूल्य दिया जा सकता है ? भुगतान के सम्बन्ध में उचित कदम उठाये जा सकते हैं ?

(व्यवधान)

[समय 2 बजे से]

हमारे देश में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का प्रश्न संसद में आया। प्रोसीडिंग मौजूद है, देख लीजिये। देश की बड़ी-बड़ी, हस्तियों ने मुखालफत की। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, फैसला खिलाफ गया। पार्लियामेंट भंग हुई, चुनाव हुये। अन्त में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। मान्यवर, राष्ट्रीयकरण हुये बिना यह मामला हल नहीं हो सकता। 14 बैंकों के राष्ट्रीकरण के सम्बन्ध में क्या रुख अपनाया। था, विपक्ष के नेता चीनी मीलों के राष्ट्रीयकरण की बात कहेंगे ?

कही जाती है भ्रष्टाचार मिटाने की बात। भ्रष्टाचार क्या मिटेगा, कुहरे की तरह घना होता जा रहा है। समाज में व्यक्तिगत संपति का वर्चस्व है। चाहे जिस तरीके से, चोरी से, डकैती से, चोर बाजारी से संपति अर्जित की गयी हो। हमारे वारिस समाज में प्रतिष्ठा पायेंगे। जिन लोगों ने, चाहे उन्होंने जितनी भी इमानदारी वर्ती हो, संपत्ति अर्जित नहीं की तो उनके लड़के समाज में सम्मान नहीं पा सकते। (अपमानित होता है) दो मिनट मान्यवर, और।

श्री अधिष्ठाता

आप दो मिनट में समाप्त कर दीजिये।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

भ्रष्टाचार मिटाने के लिये व्यक्तिगत संपत्ति हटानी चाहिये यह समाजवादी कदम होगा। माननीय चौधरी साहब का समाजवाद सुहाता नहीं। फिर भ्रष्टाचार के लिये रोना क्यों ? यदि 20 सूत्री कार्यक्रम को ही सर्वांगीण रूप से लागू कर दिया गया होता तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कर्नाटक और आंध्र में क्षेत्रवाद पराजित होता, उत्तर

प्रदेश का जातिवाद पराजित होता, मेरठ वगैरह में सम्प्रदायवाद नहीं चल पाता परन्तु शासन के लोग भी 20 सूत्री के प्रति संजीदे नहीं हैं। यह लोग तो जिस पत्तल में खाते उसे फाड़ रहे हैं।

दिल्ली के वोटरों ने किस प्रकार से अपनी मेन्च्योरिटी को प्रदर्शित किया है। यदि आपने 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के बारे में सर्वांगीण योजना बनाई होती तो प्रगति और होती। मेरा मत है कि यह तो समाजवाद के लिये उठाये गये कदमों में [illegible] कदक है (शोर) श्रीमती इन्दिरा गांधी ही ऐसे कदम उठा सकती हैं। श्रीचरण सिंह समाजवाद के विरोधी हैं, राष्ट्रीयकरण के विरोधी हैं। (शोर) दिल्ली के अन्दर इस देश की जनता ने दिखला दिया है। देश के अन्दर अव्यवस्था पैदा करने का षडयंत्र कामयाब नहीं होगा (शोर) मुझे पूरा विश्वास है।

श्री अधिष्ठाता--

आप समाप्त कीजिये। समय हो गया।

श्री श्याम नारायन तिवारी--

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

(शोर)

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर, जो कि श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जी ने प्रस्तुत किया है, का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, पहले तो मैं पूरे सदन तथा अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, तथा उन्हें बधाई देता हूँ। उन्होंने दिल्ली में बड़ी कोशिश करके उत्तर प्रदेश के लिये बजट में ज्यादा पैसा लिया और वह पैसा पिछले बजट से 14.2 प्रतिशत ज्यादा है। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस बजट में हरिजनों के लिये कुछ विशेष कार्यक्रम बनाये हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी का मैं इसलिये भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पहाड़ों के लिये जो रुपया बजट में रखा है, वह पूरे हिमाचल प्रदेश के बजट के बराबर है इसलिये मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ, कांग्रेस (ई) का सदस्य होने के नाते भी मैं इसका समर्थन करता हूँ। मान्यवर, राज्पाल जी के अभिभाषण में, हमारे प्रदेश में 50 लाख परिवार गरीबी की रेखा के नीचे हैं उनमें से 5 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊँचा उठाने के कार्यक्रम की बात कही गई है।

मान्यवर, नेता विरोधी दल बोल रहे थे इस सदन में, जो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश कार्यक्रम कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह दिल्ली को क्यों भूल गये, जहां अभी-अभी चुनाव हुए हैं। कर्नाटक तथा आंध्र-प्रदेश में कांग्रेस (ई) हारी है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उनको वहाँ कितना मिला। इस प्रकार हारने तथा जीतने से उनको क्या मिल रहा है। मान्यवर, इस सदन में कल हमारे भाई, श्री रियासत हुसैन एक बड़ा लम्बा-चिट्ठा मंहगाई के ऊपर पेश कर रहे थे, उन्होंने एक चिट्ठा पेश किया 1977-78 के बीच का तथा 1977-83 के बीच का चिट्ठा पेश कर रहे थे। मैं पूछना चाहता

है कि वे यदि 1977 से पहले का तथा 1980 के बीच का चिट्ठा पेश करते तो बड़ी कृपा होती, तब यह पता चलता। जब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार थी, तब मंहगाई का पता चलता। वह अपनी बात को भूल गये।

मान्यवर, मैं श्री अम्मार रिज़वी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने बाहर भी सेतु निगम के द्वारा बहुत काम किया। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में जल परिवहन की भी व्यवस्था है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं मैं इसका समर्थन इसलिये भी करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के यूनानी तथा आयुर्वेदीक चिकित्सालय जो हैं, उनका उन्होंने प्रान्तीयकरण कर दिया है। श्रीमन्, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह देश काफी तरक्की कर रहा है। प्रधान मन्त्री जी के नेतृत्व में ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू किया गया है, उसमें हरिजनों के उत्थान के बहुत कार्यक्रम रखे गये हैं।

श्रीमन्, आपने लाल बत्ती जला दी है। मैं सिर्फ दो-तीन बातें और कहना चाहूँगा। गन्ना किसानों का जो बकाया है, उस विषय मे मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द उनका भुगतान कर दें। दूसरी बात, मेरे क्षेत्र में शारदा सहायक से एक नाला निकाला गया है, जो आगे जाकर गोमती नदी का सा रुप ले लेता है।

श्रीमन्, तीसरी बात मेरे क्षेत्र में, बख्शी तालाब में तालाब में एक नये तहसील की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसे लागू कर दें। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्य महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, का समर्थन करता हूं।

× श्री राम स्वरुप निम--

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना भाषण दिया है, उसमें उन्होंने अपनी बात को हरिजन के उत्थान से शुरु किया है और जो आंकड़े दिये हैं कि 46 लाख परिवार में से 30 लाख परिवार आज ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हरिजन आज गरीब से गरीबतर होता चला जा रहा है। मान्यवर, अभी एशियाड खेल इस देश में हुए। माननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश के करोड़ों रु0 इस खेल तमाशे में खर्च करके देश की सम्पत्ति को बर्बाद किया है। अगर यही पैसा इन गरीबों के उत्थान में लगाया गया होता तो इन गरीबों और हरिजनों की स्थिति ही नहीं सुधरती बल्कि देश और प्रदेश की स्थिति में भी सुधार होता निश्चित रुप से। सारे अभिभाषण के अन्दर कहीं पर भी इसको उल्लेख नहीं किया गया है जो आरक्षण कोटा 10 साल के अन्दर पूरा करने का वायदा इस सरकार ने किया था, इसलिये अब यह सरकार बताये कि कहाँ तक इसने कोटा पूरा कर लिया है ? इसीलिये मैं कहता हूँ कि इस सरकार की लोकप्रियता झूठे नारों और झूठे वायदों से नहीं बढ़ सकती है और उनसे गरीबो भी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए जब तक यह सरकार हर क्षेत्र में कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनायेगी तब तक इन गरीबों और हरिजनों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है।

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरे यह सरकार गल्ला किसानों और गन्ना किसानों के हित के बारे में बहुत ढिढोरा पीटती है, परन्तु जब गेहूँ किसान के घर पर होता है तब तो यह उसके गेहूँ का रेट 40 रु0 50 रु0 लगाती है और जब गेहूँ उनके घर से चला जाता है तब यह सरकार 200 और ढाई सौ के भाव से बाहर से मंगाती है। इस प्रकार की तो यह नीति है, इससे कहां देश और प्रदेश का किसान और मजदूर आगे बढ़ सकता है। कानून और व्यवस्था की बात आप करते हैं। इस सम्बन्ध में अनेक घटनाएं हमारे और आपके सामने रोजाना गुजरती हैं। टकरु साहब का आपकी निगाह के सामने क्या हुआ, सभी को मालूम है। इस सम्बन्ध में एक शब्द भी अभिभाषण में इस आशय का नहीं जोड़ा गया है कि इस ओर यह सरकार क्या कारगर उपाय करने जा रही है, ऐसी स्थिति में जहां सरकार की हालत स्वयं ऐसी हो, वह भला किसानों और मजदूरों और हरिजनों के प्रति क्या कर सकती है ? इसलिये मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार झूठे नारों और झूठे प्रचार से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूंगा जैसा कि अभी हमारे एक भाई ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को समाजवाद के नाम से चिढ़ है, यह बात नहीं है, उनका कहना है कि समाजवाद केवल कोरे नारा से नहीं आ सकता है। समाजवाद लाने के लिये कोई सक्रीय कार्यक्रम बनाने होंगे लेकिन यह सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है।

सन् 75-76 में कुछ हरिजनों को आवासी मकानों के लिए भूमि उपलब्ध कराई, जिसकी भूमि थी उनका मुआवजा भी दिया, लेकिन फिर इस सरकार ने उन हरिजनों से भूमि छीनकर पुनः उन भू-स्वामियों को वापस कर दी। तो इस सरकार की करनी और कथनी में कितना फर्क है, इसके कई उदाहरण हमारे आपके सामने हैं।

आपके सामने कर्नाटक का उदाहरण है।

श्री अधिष्ठाता —

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें।

(श्री राम स्वरुप निम के पुनः खड़े रहने पर)

अब आप जो कुछ भी कहेंगे लिखा नहीं जायगा। मैंने श्री बरार को बुला लिया है।

श्री जयदीप सिंह बरार —

आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद।

मैं यह समझता था कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का दिशा निर्देश होता है। उसे पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि उसमें सरकार की नीतियों का स्पष्ट दिशा निर्देश दिया हुआ है। मैं समझता था कि जो संशोधन दिये गये हैं, उसमें दिशा परिवर्तन की बात कहीं गयी होगी, लेकिन इन संशोधनों से दिशा परिवर्तन के बजाय दिशा भ्रम हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं है।

(व्यवधान)

इसका कारण यह है कि आज तक हम लोग क्षेत्रीयवाद और जातिवाद से जूझते

थे। अब एक नया वाद पैदा हो गया है, निर्वाचन क्षेत्रीय वाद, अब इसकी भी समस्या उत्पन्न हो गयी है। यहां पर केवल नीतिगत प्रश्नों पर ही चर्चा होनी चाहिये।

विरोध पक्ष को बड़ा अच्छा मौका मिलता है, विरोध करने के लिये। उसके लिये जो अभूतपूर्व प्रतिभा उन्होंने दिखायी है, उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूँ। परन्तु उससे कोई तथ्य निकल सके, ऐसा नहीं है। अगर उनको अभिभाषण लिखने का मौका मिल सके तो स्वस्थ्य व्यक्ति भी पढ़ते-पढ़ते अस्वस्थ्य हो जायगा। इस अभिभाषण में स्पष्ट नीति की घोषणा की गयी है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के 46 लाख परिवारों में से 30 लाख परिवार गरीबी की रेखा से नीचे हैं, सबकी चिन्ता इस पर स्वाभाविक है। इसमें जो दिशा निर्देश दिया है, उसके अनुसार 15 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर इस छठी पंचवर्षीय योजना में उठा लेना, निश्चित रुप से सराहनीय कार्य है।

इस प्रदेश की जनसंख्या आज से 30 वर्ष पहले 5 करोड़ थी, जब कांग्रेस ने कार्य भार सम्भाला था। आज माo विरोध पक्ष को भी मानना पड़ेगा कि 5 करोड़ की संख्या गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुकी है। बाकी के लिये जो चिन्तित है, उसका मुख्य कारण है बढ़ती हुई आबादी। जब तक उस पर अंकुश नहीं लगायेंगे, उसके लिये पक्ष और विपक्ष मिलकर उपाय नहीं करेंगे, और एक आम राय नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी दल इन समस्याओं से थोड़े समय में जूझने और हल करने में सक्षम नहीं हो पायगा।

विद्युत उत्पादन में जो प्रगति हुई है, 5 घण्टे के बजाय 8-10 घण्टे बिजली देने की कोशिश की गयी है, यह सराहनीय है। लेकिन हम इससे सन्तुष्ट नहीं है अधिक से अधिक समय तक बिजली देने के लिये हम प्रयत्नशील हैं, स्पष्ट घोषणा है।

गन्ना किसानों के बारे में आंकड़े देखें। 470 करोड़ रु0 के बकाये में से 30 करोड़ रु0 बाकी रह गया है। यह गन्ना मूल्य का सिर्फ 6 प्रतिशत है। इसके लिये चिन्तित हम भी हैं परन्तु--

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जयदोप सिंह बरार--

माननीय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

गन्ना मूल्य जो 6 प्रतिशत बाकी है, वह 1/--रु0 प्रति क्वि0 की दर से आता है। आज पंजाब और हरियाणा का हवाला हमेशा देते आये हैं। इस वर्ष हमने उससे अधिक गन्ना मूल्य रखा है।

विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत जो अधिकार सब सदन के मा0 सदस्यों को मिले, जिनसे वे वंचित थे, अगर उन्होंने इसका स्वागत किया होता तो अच्छा होता।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया, अब आप बैठें।

श्री जयदीप सिंह बराबर—

श्रीमान्, अब मैं अन्तिम बात कहना चाहता हूं कि जिस आधारभूत लोकतन्त्र का गला सन् 1978 में घोंटा गया था और जिला परिषद् व विकास खण्डों को भंग किया गया था, उसको हमने पुनः जीवित किया है। इसके साथ में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती महारानी दोहरे—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है क्योंकि महिला सदस्य बहुत कम मात्रा में हैं। वे किस तरह से जनता का सहयोग प्राप्त करके सौभाग्य से इस सदन में आ गयी हैं और वे अपनी बात यहां कहना चाहती हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें। इसमें व्यवस्था नहीं है। आप खुद बोल चुकी हैं अभी।

श्री केदारनाथ सिंह

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण सदन में किया, उसमे हरिजनों के बारे में गरीबी रेखा से ऊपर करने के सम्बन्ध में जो तमाम बातें कही गयी हैं, वह कुछ नहीं। इनके बारे में जो स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना बनी तो हम समझते हैं कि सत्तापक्ष की ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव पास कराने के लिये हरिजनों के नाम पर जो कि पहले ही पृष्ठ पर उल्लिखित है उनके अभिभाषण में, उस पर ज्यादा बल दिया है। लेकिन मान्यवर, हरिजनों पर जो पैसा खर्च करने का प्राविधान किया गया है महामहिम राज्यपाल ने जो किया है, वह सराहनीय है लेकिन मान्यवर, एक बात जो मेरी समझ में आयी है, वह यह है कि हम नहीं जानते हैं कि भगवान है भी यह नहीं-

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

है, है-है भाई भगवान है, यह तो सब मानते हैं।

श्री केदार नाथ सिंह—

यदि है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, भगवान को भी समदर्शी माना जाता है। हमें पता नहीं आप मानते हैं या नहीं। परिस्थिति हमें मजबूर करती है कि हम कभी-कभी दुख से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि भगववान यदि समदर्शी होते तो इतनी विषमता क्यों हैं? शासन का समदर्शी होना तो दूर की बात है, एक चीज हम कबूल करते हैं कि एक ऐसी चीज है जो आज भी समदर्शी है और वह है क्षुधा और वह है भूख। वह न तो किसी को ज्यादा लगती है और न किसी को कम। वह गरीब, अमीर हरकौम सत्तापक्ष वालों को और विपक्ष वालों को समान भाव से लगती है। परन्तु इससे पीड़ित केवल गरीब लोग होते हैं। भूख किसी को नहीं पहचानती है। गरीबी रेखा से नीचे जाने वाली हर कौम व जाति के लोग प्रदेश में है। खुशी है कि हरिजन की भूख प्रत्यक्ष रूप से शासन ने पहचानने का कम से कम स्वांग रचा परन्तु पीड़ित अन्य लोगों को नहीं अनुभव किया।

मान्यवर, अन्त्योदय योजना का प्रदेश के प्रत्येक गांव के अन्दर पांच परिवार को गरीबी रेखा से जो नीचे अपना जीवन यापन करने वाले व्यक्ति थे,

उनको उठाने के लिये योजना बनाई थी। और यह सरकार कहती है कि उसका हमने सबस्टीट्यूट स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के माध्यम से दिया है। लेकिन मान्यवर, इसमें एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हुआ है और वह यह है कि स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना सीमित दायरे में सिकुड़ कर रह जा रही है। वह दायरा इतना छोटा रह जाता है जो कि मात्र हरिजनों तक ही सीमित हो जाता है। परन्तु जब क्षुधा से अतड़ियां जलने हरिजनों के अलावा जो और प्रदेश में अन्य जाति के तमाम लोग है और जो गरीबी की रेखा के नीचे अपनी जीवन यापन कर रहे हैं तो क्षुधा से उनकी भी अतड़ियां टूट रही हैं। यह योजना प्रदेश में केवल इने-गिने गांवों में ही चल रही है। यह योजना केवल इने-गिने जिलों के विकास खण्डों तक ही लागू की गयी है। अब आप इसके विस्तार का अन्दाज लगा लें कि अन्त्योदय योजना के मुकाबिले में इसकी तुलना किस तरह की जा सकती है—

अन्त्योदय योजना में खर्च की गयी धनराशि को देखे और जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान इन्होंने बनायो है उसमें जो धनराशि का प्राविधान किया गया है, उसको आप देखे तो आपको मालूम हो जायेगा। अन्त्योदय योजना जिसको जनता सरकार ने चलाया था, उससे कितने परिवार लाभान्वित होते थे और इनकी जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है उससे कितने परिवार लाभान्वित होते हैं, तो इसी से अन्तर स्पष्ट हो जायेगा। गरीग प्रदेश के अन्दर गरीबी रेखा से नीचे के अन्य जाति के परिवार को भी देखें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है, जल्दी समाप्त करें।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं जल्दी ही समाप्त करता हूं दूसरी चीज यह है कि गन्ना के बारे में, जो कीमतों के बारे में संकट आता है वह रोटेशन से आता है। 5-6 साल में आता है। कभी भी इसके दूरगामी हल निकालने की चेष्टा नहीं की जाती है। शासन केवल वर्तमान सत्र पर ही नजर डालता है। इससे गन्ना किसानों की समस्या हल होने वाली नहीं है।

श्री सुन्दर सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को जिसे श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने रखा है, उसका समर्थन करने के लिये मुझे जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, भारतीय संविधान के अन्तर्गत जब राष्ट्र निर्माताओं ने लोकतन्त्र और धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी, उस समय मैं समझता हूं कि संविधान निर्माताओं को यह आशा नहीं थी कि विरोधी दल के लोग संविधान की इस प्रकार से धज्जियां उड़ायेंगे। यह संविधान निर्माताओं का कतई ख्याल नहीं था। मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं और इन लोगों ने 20 सूत्री कार्यक्रम की धज्जियां उड़ायी हैं। इनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम रह गया है और वह है इस शासन को बदनाम करना। इस शासन ने जिस प्रकार से गरीब जनता को प्रगति के

रास्ते पर अग्रसर किया है और औद्यगिक वातावरण बनाया है और जिस प्रकार का स्वच्छ प्रशासन दिया है, उससे समस्याये हल हुई हैं, यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप अपनी पार्टी को नहीं बचा सके। जनता पार्टी आयी और देश की जनता को आशा बन्धी थी कि बहुत बाड़ा परिवर्तन लायेंगी. लेकिन आपने खुद संघर्ष किया और देश में अराजकता पैदा कर दी और जो इमरजेन्सी की उपलब्धियां थीं, उनको आपने नष्ट कर दिया और आज आप आंकड़े मंहगाई के पेश करते हैं। जब जनता सरकार आयी थी तो उस समय अन्न का भंडार था, सोने का भंडार था परन्तु जनता शासन ने उनको नष्ट कर दिया। आपके तीन नेता--मोरार जी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम थे, वे आपस में एक नहीं हो सके। राज नारायण ने कहा कि जनता पार्टी नई नवेली दुलहन है और इन लोगों ने उसके साथ बलात्कार कर डाला। जनता पार्टी स्वयं टूट गयी। उसके दिल के टुकड़े हो गये। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। रेवती रमण जी आप अभी दल बदल कर आये है। इनको बड़ी चिन्ता है। इन्होंने उसके टुकड़े कर डाले। आज कहाँ गया वह हेमवती नन्दन बहुगुणा जिसको कहा जाता था हिमालय का चन्दन, हेमवती नन्दन आज उस चन्दन की खुशबू कहां आज कैसे उसमें बदबू आने लगी ? आज राजनारायण की इत्र की शीशी कहाँ गई ? इनके दामन पर सैकड़ों दाग लगे हुये हैं। मान्यवर, मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हू--

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट मैं अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सुन्दर सिंह—

मान्यवर, साम्राज्यवादी देश अमेरिका के विरुद्ध जब एक छोटा सा राष्ट्र, नन्हा सा देश अपने आत्मबल और मनोबल के ऊपर वियतनाम में उसका मुकाबला कर रहा था जिसके पास केवल मुठ्ठी भर ही नौजवान थे। उस समय नन्हे से राष्ट्र के एक गरीब किसान से एक विदेशी पत्रकार ने पूछा था कि होचीमिन ने तुम्हारे देश को नष्ट कर दिया और यह देश युद्ध से बरबाद हो गया। तुम गरीब हो और तुम्हें आजादी भा मिल रही है। उस पत्रकार के जवाब में गरीब किसान ने कहा था कि यह सही है कि हम होचीमिन के पहले हम दीन थे, हीन थे लेकिन आज हम भले ही दीन तो हैं लेकिन हीन नही हैं। एक गरीब किसान के अन्दर यह भावना थी। मैं कहना चाहता हूं कि इन्दिरा गांधी की उपलब्धियों को आप भले ही नकार जांय, एशियाड की सफलता पर आंसू बहाये, भले ही हमारी सामरिक नीतियों से, अस्त्र-शस्त्र से आत्म-निर्भर होने से आप नकार जांय लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि जब इन्दिरा गाँधी रूस जाती हैं, ब्रिजनेव के पास गई तो उस समय हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान सामने होता है, इस देश के स्वाभिमान को इन्दिरा गांधी ने बनाकर रखा है। जनता पार्टी के शासनकाल में जिमी काल्टर की माँ के जूते की नाप आपके एम्बसेडर पालकीवाला ने लिया। इसलिये आपमें यह कहने का साहस नहीं होना चाहिए कि इन्दिरा गांधी का शासन ऐसा है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसलिये मैं इन शब्दों के साथ आपका आभार प्रकट करता हू और धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, मैंने किताब पढ़ी और उनके भाषण को ध्यान से पढ़ा। इस पुस्तक में गन्ने के बारे में कहा गया है। 30 करोड़ रुपया किसानों का मिलों पर बकाया है। मान्यवर, बढ़नी केन यूनियन है। यह साहनी जी का क्षेत्र है उसकी हालत यह है कि उसमें जो आमदनी है उससे दुगुना खर्चा है। आपने सड़कों की बात कही। जनता पार्टी की सरकार ने जो सड़कें बनाई थीं, उनमें केवल खड़न्जे बनाने और उन्हें बिछाने का ही आप काम कर दें तो वह काफी होगा। पांडेय जी का क्षेत्र है। वह तो इन लोगों के लिये मक्का मदीना हो गया है। तीन महीने के अन्दर 6 बार वहां पर हेलीकोप्टर उतरा और सातवीं बार मुख्य मन्त्री का उतरने वाला है। सात बार नहीं, कई बार उतारे लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है।

स्याही से उम्मीदों की तस्वीर बनाते हो,
गर खू से बनाओ तो तस्वीर असल होगी।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है। उसकी हालत बहुत खराब है। आज सुबह श्रीमती शुक्ला अपना रोना रो रही थीं और कह रही थीं नियम 301 में कि गोरखपुर के चौराहे में 4 गुन्डों ने उन्हें घेर लिया था।

और अपनी सुरक्षा की मांग कर रही थीं। श्रीमन् शाक्य जी को नीला थोथा खिला दिया गया और एस0डी0एम0 ने उनकी पिटाई की। एक और बात जो इस सदन की मर्यादा की है इस सदन में मामला आया था माता प्रसाद पांडेय जी की लड़ाई का आज जो माननीय मुख्य मन्त्री है, वह उस समय इस कुर्सी पर विराजमान थे, उस पर चर्चा हुई सारे मामले को देखा गया और उसकी जांच हुई जांच में दरोगा दोषी पाया गया लेकिन सी0आइ0डी0 इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट दी थी, वह रिपोर्ट बदल दी गयी और उस इंस्पेक्टर को वहां से हटा दिया गया। अभी माननीय दोहरे जी कह रही थीं कि क्षेत्रीयता पनप रही है इन्दिरा गांधी ने, दक्षिण में जो पार्टियां जीती उनको क्षेत्रीय पार्टियों का इलेक्शन बता दिया। परसों जब मोहन सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने सही बात कही एन0टी0 रामाराव कलाकार थे और मुख्य मन्त्री बन गये और उनको आपने पार्टी बना दिया लेकिन आपका बेटा जो पायलेट था, एक ही रात में देश का नेता बन गया तो क्या एन0टी0 रामाराव नेता नहीं बन सकते हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

आप एन0टी0 रामाराव के पास चले जाईये मेरे दोस्त आप भी कलाकारों की तरह बाल बढ़ा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय बाजपेयी जी यहां पर सूची तैयार नहीं हो रही है।

× श्री भोला पाण्डेय--

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के जनमानस के लिए और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो इस सरकार को निर्देश दिया है वह मैं समझता हूं कि आने वाले इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैंने विरोधीपक्ष के लोगों को सुना, ऐसा लग रहा था कि विरोध पक्ष के लोग सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं बल्कि एक निराशावादी और रूढ़िवादी व्यक्ति के रूप में विरोध कर रहे हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने हरिजनों के उत्थान के लिए जो बताया है वह निश्चितरूप से मैं समझता हूं कि समाजवादी संरचना को मजबूर करने का बहुत बड़ा कदम है उन्होंने इससे एक नया निर्देश सरकार को दिया है।

किसानों के बारे में सरकार बचनबद्ध है किसानों की जो आवश्यक आवश्यकतायें हैं, चाहे वह सिचाई की हो, बिजली की हो या खाद की हो, उसके लिए सरकार द्रुतगति से कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस सम्बन्ध में दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की इन लोगों ने आलोचना की। इन लोगों के जमाने में खाद्यान्न योजना चल रही थी, इनकी सरकार ने इसको खाओ और चरों की संज्ञा दी। मान्यवर, इस राष्ट्रीय ग्रामीण योजना से बहुत बड़ा विकास का काम हो रहा है। आप चले जाइये ब्लाकों के अन्दर वहां देखिये एक ब्लाक में लगभग 600 नौजवानों को जो बेरोजगार है, उनको रोजगार देने की बात है जो कि आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। यह इन नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। इसका विरोध करना न्यायसंगत नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य जरा शांत रहे।

श्री भोला पाण्डेय--

श्रीमन्, जो हमारा सपना है जनता के कल्याण का उसे हमारी सरकार मजबूरी से पूरा करने की कोशिश कर रही है। हम सत्ता को जनता तक पहुँचा रहे हैं खेत खलिहान में जो काम करता है उस तक सत्ता हम पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए तो कम से कम विरोधपक्ष को बधाई देनी चाहिये कि जनता के कल्याण की उससे उनका भला होगा।

मान्यवर, अभी गन्ना किसानों के बारे में कहा गया कि उनका पैसा बकाया है तो कितने शर्म की बात है कि यह आरोप लगा रहे हैं जबकि गन्ना किसानों का 470 करोड़ रुपये में से 440 करोड़ रुपये सरकार ने अदा कर दिये हैं और केवल 30 करोड़ रुपया बाकी है जिसको भी देने की सरकार योजना बना रही है।

मान्यवर, अराजकता और साम्प्रदायिकता की बात कही गयी। मुझे याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग कल बोल रहे थे तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वह हैं जिनके सिद्धान्त रहे हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के। तो

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं दिया।

आज उनकी स्थिति है कि किसी समय में वह कहा करते थे कि गऊ माता की जै। उस नारे से जब उनके स्वार्थ की सिद्धी नहीं हुई तो कहने लगे भारत माता की जै और जब इससे उनके स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई तो कहने लगे राज माता सिंधिया की जै। इस प्रकार जब यह लोग राष्ट्रीय नारे को बदलते रहते हैं तो पता नहीं यह लोग कब क्या बदल सकते हैं और कब क्या कर सकते हैं तो इनका क्या विश्वास किया जाये।

माान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्य मन्त्री चाहे कुवेत की यात्रा पर रहे हों या दिल्ली में रहे हों लेकिन यह सरकार जनता के और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये कटिबद्ध है और आने वाले समय में, विशेषकर, नवजवानों के विकास के लिये यह सरकार कटिबद्ध है। इन शब्दों के साथ मान्यवर, जो आपने धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद प्रकट करता हूं और श्री राजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

× श्री अकबाल हुसैन

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से यह विदित होता है कि इस सरकार ने निर्बल लोगों के लिये कुछ नहीं किया है। मान्यवर, पिछले साल मुख्य मन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो निर्बल वर्ग के लोगों को पट्टे और कब्जे देने की बात यहां सदन में जो घोषणा किया था कि हर महीने पहले शनिवार को जहां निर्बल वर्ग के लोगों को कब्जा नहीं मिला है वहां कब्जा दिलाने के लिये परगनाधिकारी के साथ क्षेत्रीय विधायक स्थल पर जाकर कब्जा दिलायेंगे। यह अच्छा कार्यक्रम था लेकिन इस सरकार ने उसका भी कार्यान्वयन नहीं किया। इसी प्रकार चकबन्दी में बची जमीन और सीलिंग से निकली जमीन जो निर्बल वर्ग को देनी थी, उस पर बड़े बड़े लोग काबिज हैं और लाखों रुपये की फसल काट रहे हैं। इसलिये जहां निर्बल वर्ग को लाभ पहुँचाने की बात आती है तो उसका कार्यान्वयन नहीं होता है और शासन में जो सामंतशाही बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वह निर्बल वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं। मान्यवर, हमारे जनपद में बलरामपुर तहसील में हजारों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर बड़े बड़े लोग काबिज हैं और हमारे एवं राजस्व मन्त्री के कहने के बावजूद आजतक मैं एक भी पट्टा हमारे क्षेत्र में नहीं किया गया है।

मान्यवर, अब मैं 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम कौन कहे एक सूत्री कार्यक्रम पर ही प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन नहीं कर रहे हैं तो इस प्रदेश के सबसे निर्बल वर्ग के लोगों का यह क्या करेंगे ?

मान्यवर, जहां तक कृषि उत्पादन की बात है, आज हाहाकार मचा हुआ है। गोंडा में खाद्यान्न उपलब्धता की स्थिति इतनी खराब है कि लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। पचपेड़वा तथा गैसड़ी आदि क्षेत्रों की जनता बहुत ज्यादा पीड़ित है, वहाँ

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर आज चावल और गेहूं की बहुत कमी है। ऐसी व्यवस्था आपने कर रखी है कि उसमें कभी खाद्य विभाग द्वारा और कभी सहकारिता विभाग द्वारा लोगों के लिए परेशानी पैदा की जाती है। इन दोनों विभागों में परस्पर कोई तालमेल नहीं है, जिससे इन दोनों विभागों से जनता खाद्यान्न के मामले में बहुत ज्यादा परेशान है।

जहाँ तक गन्ना काश्तकार की समस्या है, तुलसीपुर में पहले 7 लाख टन गन्ना हुआ था और जब प्रधान मन्त्री ने पिछले वर्ष को उत्पादकता वर्ष घोषित कर दिया तो उन्होंने उन्ने का उत्पादन और ज्यादा किया, तो उसको लेकर उनके सामने बड़ी भारी समस्या पैदा हो गई है कि वह अपना गन्ना कहाँ बेचे। उनका सट्टा सही नहीं हुआ है।

पिछली सरकार ने जो क्षेत्रीय असमानता दूर करने की बात कही थी, उसका इस अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है। उससे सभी को लाभ हो सकता था। इसके साथ जो एक लाख की योजना प्रति विकास खण्ड में विधायकों को दी गई थी, उसका भी इसमें कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। कानून और व्यवस्था की स्थिति भी बराबर बिगड़ती जा रही है, और उसको सुधारने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया है। इसी तरह से हमारे मनकापुर में

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय बिलकुल समाप्त हो गया है, आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अब आप हमारी बिना अनुमति के बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जाएगा। आप विराजें।

× श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के भाषण में धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे भी दो मिनट मौका दिया है। मैं एक ही इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज चार दिन से इस अभिभाषण पर और धन्यवाद के प्रस्ताव पर बहस चल रही है, जिसकी यह पोथी आपके सामने है। यदि यह अभिभाषण उस अभिभाषण में जोड़ दिया जाता तो महामहिम का अभिभाषण 20 पृष्ठों में होता। यह लोग धैर्य धारण नहीं कर पाये एक प्रति सुनने के लिये और उसके लिये उत्पात मचाए हुए हैं, तो यदि 25 प्रतियां होतो तो क्या गति होती। मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि यदि यह सभी संशोधन उसमें शामिल कर लिये जाते तो कम से कम यू0 पी0 का भविष्य उज्जलतम हो जाता, लेकिन उसके बाद हम और क्या करते हैं। यह प्रति संशोधन को उसमे जोड़ दी जाती तो इनकी और हमारी क्या जरूरत होती, इस चीज पर यह विचार करें। इन शब्दों के साथ इनको हम नमस्कार करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी सद्बुद्धि आए और यह ठीक समय से सही बात बोलें।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता---

अब बदन सिंह जी, लेकिन केवल दो मिनट।

श्री बदन सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन रखे हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभिभाषण की यह पूरी पुस्तक मैंने पढ़ी है, लेकिन प्रदेश की बहुत सी समस्याओं के निराकरण के लिए इसमें मूल रूप से कोई सुझाव नहीं दिया गया है। इस अभिभाषण में यह कहा गया है कि इस वर्ष के अन्त तक यातायात के साधनों को उपलब्ध कराने के लिए 1860 किलोमीटर सड़कें हम बनायेंगे।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस शासन ने कोई सड़क नहीं बनायी है, जो सड़क जनता शासन और लोकदल के शासन में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनाई गयी थी, इन्होंने केवल गिट्टीमात्र का थोड़ा सा उस पर काम किया है और वह केवल लोकदल और जनता शासन के काम मिटाने के लिए किया है। जनता शासन और लोकदल के शासन में बनी हुई सड़कों पर जो बोर्ड लगे हुए थे, उनको मिटा कर इस सरकार ने अपने बोर्ड लगा दिये हैं। इस चिट्ठी में यह लिखा हुआ है कि यह वर्ष बाढ़ और सूखे के लिये यह प्रदेश संकटमय रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखे को रोकने के लिये कोई प्रयास इस सरकार ने किया? इस सरकार ने बाढ़ और सूखे को रोकने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया और न इसको रोकने के लिये अभी तक यह सरकार सोच सकी। मान्यवर, इन्होंने यह कहा कि सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये शासन उत्तरोत्तर प्रयत्नशील रहा। मान्यवर, ये किसी भी माइनर के टेल तक पानी नहीं पहुँचा सके। मान्यवर, ट्यूबवेलों के एलाटमेंट के बारे में यह सरकार असंतुलित भावना बरत रही है। सत्ता पक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में बड़ी संख्या ट्यूबवेलों का एलाटमेंट किया जाता है और विरोधी दल के विधायकों के क्षेत्रों में केवल 10-12 ट्यूबवेलों तक सीमित रह जाते हैं। मान्यवर, इस भेदभाव की नीति को समाप्त होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मान्यवर, नेता विरोधी दल के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

× श्रीमती कमला साहनी---

मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। मान्यवर, जो विरोधी दल के लोग मगर के आंसू कह रहे थे, मैं इस पर आश्चर्य प्रकट कर रही हूं मान्यवर, 1979-80 में गरीबों और निर्बलों के उत्थान के लिए 83 लाख का प्रावधान था। हमारी सरकार ने इसको 23 करोड़ में बदल कर, जो प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, इसके लिये इनको धन्यवाद देने के बजाय, सिर्फ आलोचना के अलावा, ये क्या चाहते हैं, यह पता नहीं चलता है। मान्यवर, हमारे प्रदेश का कमजोर वर्ग जो गरीबी की सीमा से नीचे है, हमारी सरकार ने उनका उत्थान किया। मान्यवर, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के द्वारा हमारी सरकार हर कमजोर वर्ग के

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है। मान्यवर, अभी तक हरिजनों को सिर्फ हाई स्कूल पास करने के बाद आगे शिक्षा जो विद्यार्थी प्राप्त करते थे, उनको छात्रवृत्ति मिलती थी, लेकिन अब जो जूनियर हाई स्कूल के छात्र हैं, उनके लिये भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था हो गयी है, मान्यवर, इससे हमारे गरीब वर्ग के लोगों का उत्थान हो सकेगा। मान्यवर, लोकतंत्र की हत्या इन विरोध पक्ष में बैठे हुए लोगों द्वारा होती रही है। मान्यवर, इन्होंने जिला परिषद् का सत्यानाश किया और सारी कमेटियों को भंग किया। हमारी सरकार ने गाँव सभाओं का चुनाव कराया। हमारी सरकार प्रदेश के उत्थान के लिये हर सम्भव प्रयास कर रही है। दक्षिण भारत में जब हमारी सरकार हार गयी, तो इन लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई और जब दिल्ली में हमारी सरकार विजयी हुई, तो इनका राग अलापन बन्द हो गया। मान्यवर, आपने जो हमको बोलने के लिए समय दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

(इस समय 2 बजकर 54 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

×श्री विजय सिंह राना—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी अनुकम्पा की जो मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की जो पीली चिट्ठी मुझको मिली है, उसमें न तो कोई तिथि है और न इसमें कोई हल्दी-तेल का कोई चिन्ह है।

सिवाय थोथे भाषण के अलाक यह कुछ नहीं। ऐसा अभिभाषण आज के पहले नहीं मिला था। यह लक्ष्यहीन है, सारहीन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने स्वयं इसको पढ़ना पसन्द नहीं किया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारे सामने बैठी हुयी सरकार के नीति निर्देशक तत्वों का निर्देशन करता है। लेकिन इस प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रही है और न कभी रही है। हर डेढ़ महीने में सरकार और मुख्य मन्त्री बदलते हैं। हर प्रदेश की सरकार बनती है जनता की भावनाओं के अनुकूल, विधायकों के बहुमत के अनुकूल लेकिन इस प्रदेश की सरकार की गठन न जनता की भावनाओं के अनुकूल होता है और न विधायकों के बहुमत के अनुकूल और न प्रधान मन्त्री के समर्थन पर ही सरकार बनती है। अन्य तत्व जो दिल्ली में हैं, अरुण नेहरु और राजीव गांधी, उनके अनुसार सरकार बनती है। इस प्रदेश के विधायक चाहे जितना चिल्लायें न उनके कहने से सरकार बनती और न उनके कहने से मन्त्री बन सकते हैं और न हट सकते हैं। अपनी व्यवस्था के ऊपर खुद इनको अफसोस है कि हमारे कहने से प्रदेश में कुछ हो नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इसमें देखें 4-5 समस्याओं के बारे में ही बताया गया है। शिक्षा के नाम पर एक आयोग का गठन किया जायगा। अनिवार्य शिक्षा की बात बहुत दिनों से चल रही है लेकिन इसमें उसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। हरिजन एवं समाज कल्याण का बहुत चर्चा की जाती है। हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में कोई कर्मचारी काम कर रहा है या नहीं, यह

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखने की बात है। रोज अखबारों में निकल रहा है। ए0डी0ओ0 और बी0डी0ओ0 के लिये खुले आम 15 हजार रुपया लिया जा रहा है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में हरिजन एवं समाज कल्याण के नाम पर थैली भरने का काम चल रहा है, शायद यही अंतिम योजना है।

अध्यक्ष महोदय, आपने इसके अन्दर देखा होगा, कृषि के नाम पर कहा गया है लेकिन हमारे देश की सरकार दूसरे देशों से प्रदेश के लिये अन्न मंगाकर जनता की पूर्ति करेगी। मान्यवर, हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। अगर यह प्रदेश की सरकार नियमित ढंग से कृषि की तरफ ध्यान दे तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यह प्रदेश अकेले ही सारे हिन्दुस्तान को खाना खिला सकता है। लेकिन इस देश की सरकार बाहर से अनाज मंगाने जा रही है। मैं कहता हूं इससे बड़ी निकम्मी सरकार और कोई नहीं होगी। यह अनाज की पूर्ति भी नहीं कर सकती है।

दूसरी बात मैं मान्यवर, यातायात की कहना चाहता हूँ। कुल मिलाकर 1 हजार 860 किलोमीटर सड़कें बनायेंगे जिसमें से 460 कि0मी0 सड़कें पहाड़ी क्षेत्रों में बनेंगी। इस प्रदेश की सरकार जो सड़कें बनायेगी वह मन्त्री और उप मन्त्रियों के यहां बनायेगी, एम0एल0ए0 के क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ। मेरे जिले में ढाई साल में कुल मिलाकर एक एम0एल0ए0 के क्षेत्र में एक या दो कि0मी0 सड़क से ज्यादा सड़क नहीं बन पायी है। ऐसा शासन हमने कभी देखा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग ढ़ाई साल के बाद जनता के बीच में जब पहुंचेगें तो जनता आप से पूछेगी कि लोकदल और जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया था और तुम खाली हाथ लेकर आये हो। अध्यक्ष महोदय, इससे भी आगे मैं बिजली के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री विजय सिंह राना --

ये केवल नारा इन्दिरा गांधी का लगाते हैं। महात्मा गांधी के नाम की दुहाई बार बार दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने महात्मा गांधी के नाम का कोई स्टेडियम बनवाया, कोई सड़क बनवायी या कोई चीज बनवायी ? आप जवाहर लाल नेहरु और इन्दिरा गांधी के नाम पर सड़कें, स्टेडियम आदि बनवाते हैं और महात्मा गांधी के नाम की दुहाई देते हैं।

श्री अध्यक्ष

आपका समय समाप्त हुआ। आप बैठें।

श्री विजय सिंह राना--

बिजली देहातों को नहीं मिलती है। मेरे क्षेत्र में 2 घन्टे बिजली दी जा रही है। इससे ज्यादा रद्दी भाषण मैंने देखा नहीं है।

श्री अध्यक्ष --

आप बैठें।

×श्री लोकमणि शर्मा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत अभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय श्री राजेन्द्र त्रिपाठी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं इसलिए हृदय से समर्थन करता हूं कि इसमें जिन नीतियों का उल्लेख किया गया है, यह वही नीतियां और दृश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए पूज्य महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ा गया था और आजादी प्राप्त की गयी थी जिसमें इस प्रदेश पर भी बड़े-बड़े बलिदान हुए थे। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में वर्गहीन समाजवादी समाज की स्थापना करने, उस समाजवाद की नीतियों के बारे में एवं प्रदेश के बहुमुखी विकास के बारे में जिन नीतियों का उल्लेख किया है, जिसके कारण मैं इसका हृदय से समर्थन करता हूं। जहां तक समाजवाद का प्रश्न है, प्रदेश में आज लगभग 30 लाख लोग, जो परिगणित जातियों से हैं, छोटे वर्ग से हैं, साधनहीन हैं—ऐसे हैं, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन 30 लाख लोगों में 15 लाख लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्राविधान है। उसमें से करीब 9 लाख लोग इस वित्तीय वर्ष में गरीबी की रेखा से ऊँचे उठ जायेंगे।

मान्यवर, इन गरीबों के लिए हमारे शासन की ओर से जो सीलिंग की भूमि है, काश्त आदि हेतु इन्हें आवंन्टित की जा रही है और शासन का यह प्रयास है कि सभी आवन्टियों को उनकी अबंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाय। कुछ लोग इन निर्बलों की आवन्टित भूमि पर कब्जा कर लेते हैं तो उन्हें सख्ती से शासन द्वारा छुड़वाकर उस पर अबन्टी को कब्जा दिला दिया जाता है। इस तरह के अनाधिकार कब्जेदारों पर, दुबारा कब्जा करने पर, शासन द्वारा अजमानती दंड का प्राविधान किया गया है।

जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध है, 9वीं और 10वीं कक्षा तक गरीब हरिजन छात्रों के लिए छात्रवृत्ति अनिवार्य कर दी गयी है। आवास सुविधा हेतु ग्रामीण आवास परिषद का गठन किया गया है। इससे ग्रामीण गरीब लोगों को सस्ते दामों में आवास निर्माण में सुविधा मिलेगी। इसी प्रकार विद्युतीकरण व पेयजल की योजना को तेजी से चलाने का वर्णन इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में किया गया है। मान्यवर, गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाने के उद्देश्य से एकीकृत ग्राम्य विकास योजना प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत गरीबों को रोजगार देकर गरीबी की रेखा से उठाने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, कृषि की प्रगति के लिए किसानों को अब 9 से 10 घन्टे बिजली मिल रही है जबकि पिछले वर्ष यह केवल 5 से 7 घन्टे ही मिलती थी। प्रदेश में औद्योगिक प्रगति की दर प्रदेश में उद्योगों का जाल बिछाने के कारण बहुत तेज हो गयी है। मान्यवर, पर्यावरण पर वृक्षों के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए वन सम्पदा को बढ़ाने का इसमें उल्लेख किया गया है, इसके आधार पर 21 करोड़ वृक्षों के रोपण के लक्ष्य के विपरीत 22 करोड़ वृक्ष लगा

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये गये हैं और आगामी वर्ष के लिए इसमें 42 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूँ।

मान्यवर, नेता विरोधी दल ने अपने बहुत विस्तृत भाषण में, और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में, जो मैं यहाँ बैठकर 3 दिन में सुन रहा हूं, उसमें हमारे मन्त्रियों पर, और हम लोगों पर एवं हमारे दल पर निर्दयतापूर्वक प्रहार किया है और किसी को भी नहीं बख्शा है। मैं तो मान्यवर, इस नीति का उपासक हूँ कि दूसरे पर आरोप लगाने से पहले उस व्यक्ति को स्वयं पहले अपने को देखना चाहिए। मान्यवर, इन्होंने साम्प्रदायिकता को बढ़ाने, चोरी, डकैती, हत्याकांड, अनुशासनहीनता आदि समस्त दोषों के आरोप हम व हमारे दल पर लगाये हैं यह कहते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अन्तर है, ऐसा जान होता है कि माननीय नेता विरोधी दल और विरोध पक्ष के सदस्य शुद्ध नीतियों के उपासक और दूध के धुले हैं। संस्कृत में एक श्लोक है।

पक्षी नाम काक चाण्डाल पशुनाम गबस्थता
मनी नाम कौवे चाण्डाल सर्व चाण्डाल निर्दंक।

मान्यवर, यह आज हम पर हरिजन विरोधी होने की बात कहते हैं और खुद आज हरिजन हिमायती बन गये हैं यह जो सारे आरोप हैं, इन्होंने हम और हमारे दल पर निर्दयतापूर्वक लगाये हैं।

मेरा निवेदन यह है कि आपकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। मैं 7-8 वर्ष पहले चौधरी चरणसिंह जी के एक भाषण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस देश और प्रदेश की महिलायें सड़कों के किनारे, रास्तों पर शौच के लिये बैठती हों, उनके लिये शौचालय तक की व्यवस्था न हो, यह कितनी लज्जा की बात है। पर जब इस प्रदेश में और देश में उनकी ही सरकार बनी, वे कुछ समय तक प्रधान मंत्री के पद पर भी रहे, पर एक भी शौचालय उनके समय में औरतों के लिये नहीं बना। इससे ही मालूम होता है कि कथनी और करना में कितना अन्तर होता है।

हम पर हरिजन विरोधी होने का दोष आरोपित किया जाता है, पर यह विरोध पक्ष वाले किस तरह से उनको प्रताड़ित करते हैं, यह सभी जानते हैं। यह लोग उनको वोट तक डालने नहीं देते। इस सदन के 426 माननीय सदस्य हैं, अगर सभी अपने-अपने कर्त्तव्यों का ठीक तरह से पालन करें, अपनी-अपनी आत्मा का सुधार करें, तो प्रदेश का उद्धार निश्चित रूप से हो सकता है, हरिजनों का भी भला हो सकता है, गरीबों का भी उत्थान हो सकता है। यह भ्रष्टाचार भी दूर हो सकता है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे माननीय साथियों को सद् बुद्धि प्रदान करे ताकि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से कर सकें। अन्त में-मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(समय 3 बजकर 3 मिनट) श्री रुद्र प्रताप सिंह—

×श्री रुद्रप्रताप सिंह

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया।

×वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर रखे गये माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैंने भी अपना संशोधन रखा है उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, मैं आपके सामने और पूरे सदन के सामने एक चुनौती देना चाहता हूं, जिसके पास दिल हो, जिसके पास शक्ति हो, जिसके पास बुद्धि हो, वह माई का लाल खड़ा हो जाये और मेरी चुनौती का स्वीकार करे।

मान्यवर, जुलाई, 81 में मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा था कि हमारे यहाँ एक गाँव में हरिजनों के लिये कोई बस्ती नहीं है। उसके लिये मैं अपने यहाँ के जिलाधीश से 21 बार मिला, 33 बार एस० डी० एम० से मिला, एक प्रश्न भी यहाँ लिखकर दिया, पर हाय हरिजनों के प्रति आँसू बहाने वाली यह सरकार, आज तक हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया गया।

हमारे यहाँ एक गांव के लिये हरिजनों के लिये बस्ती बनाने हेतु जो सीमेंट, ईटा, आदि दिया गया था, वह सब बेच कर इनके अधिकारी लोग खा गये। यहाँ पर प्रश्न किया 4 माह बाद उत्तर मिला कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं नहीं समझता कि आपकी हैसियत क्या है ? अगर हिम्मत हो तो कहीं पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी और हरिजन कल्याण मंत्री जी चल कर देखें कि कहीं पर भी हरिजनों के लिये कुछ किया गया है ? अगर हमारी बात गलत हो तो जो सजा आप देंगे, मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन चल कर देखने की आपकी हिम्मत नहीं है।

हमारे जिले में नदी के कटान से हर गाँव का आधा हिस्सा कट रहा है। मैंने चिट्ठी लिखी, मगर कोई परवाह नहीं कर रहा है जब इन्हीं के विधायक और माननीय नेता अपने अधिकारियों को मार खा रहे हैं तो हमारी बात क्या है ? हमारे पास प्रमाण हैं। लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। इतना ही कहना चाहता हूँ कि शाक्य जी हैं, और ये हैं। जाई० ए० एस०, पी० सी० एस० जब इनके खिलाफ कुछ करते हैं, तब उठते हैं या जब इनके खिलाफ कुछ करते हैं, तब उठते हैं। आई० ए० एस० और पी० सी० एस० हमारे प्रदेश का शासन चलाते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में 35 वर्षों के शासन में 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा नहीं दे पाये। और आज कहते हैं कि हम जनप्रिय हैं। इनका कहना है कि जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर तो मैं कहता हूं कि चीनी बिकेगी न 5 पर न 7 पर, आप जायेंगे मुर्दा घाट पर।

आज सभी कर्मचारियों को, जैसा कि आन्ध्र में हुआ है, सेवा की आयु 55 वर्ष करें जिससे लाखों लाख लोग नौकरी में आयेंगे।

22 अरबरुपये से एशियाड के नाम पर खर्च करने वाली यह सरकार हमारे देहात के गांवों में बच्चों को खेलने के लिए 100 गज, 60 गज फील्ड नहीं दे सकती और कामना यह करेगी कि हम विश्व के इतिहास में कीर्तिमान बनायेंगे। इसलिए मान्यवर, कम से कम दो काम कर दें—एक हरिजनों के सम्बन्ध में इन्क्वायरी करा दें और दूसरा किरासिन की व्यवस्था करा दें। इन शब्दो के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती किशोरी शुक्ला—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं

आपकी आभारी हूं। और धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। 2-3 दिन से मैं इसकी चर्चा सुन रही हूं। मुझे एक बात का दुःख है, एक कहावत है गांवों में सूप बोले तो बोले चलनी का बोले जिसके 72 छेद। इस तरह से उस तरफ के लोग ऐसी बातें जो करते हैं, वह निन्दनीय हैं।

(व्यवधान)

(विपक्ष की ओर से कुछ कहे जाने पर)

(हंसी/व्यवधान)

इस पक्ष और उस पक्ष के लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि दोनों इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद जब 35 सालों के आजादी में जहाँ अंग्रेजी हिन्दुस्तान छोड़ कर चले गये।

(व्यवधान)

श्री चेतराम गंगवार –

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ी घोर, आपत्ति जनक बात कही है और अशोभनीय है और असंसदीय है।

(व्यवधान)

ऐसी बात कही कि व शूर्पनखा हैं ? जिनकी नाक कट गई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष––

मैं उसे देख लूंगा और निकलवा दूँगा कार्यवाही से।

श्री चतराम गंगवार––

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह बात कही जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष––

यह कहा नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहती हूं कि।

श्रीमती किशोरी शुक्ला––

मैं एक महिला हूँ और एक महिला ने ही आपको जन्म दिया है। अगर आप एक नारी का सम्मान नहीं करते तो भारत की भूमि पर एक बोझ बनकर रह जायेंगे। भारत की नारी को अंग्रेज भी सम्मान देते थे। आप लोगों ने जो मखौल के रूप में कहा उसके लिये मैं आपकी आभारी हूँ। आप लोगों का काम ही यही है कि महिलाओं को अपमानित करें। हमारी नेता और भारत की प्रधान मन्त्री भी एक महिला ही हैं।

मान्यवर, पुनः मैं अपने मैटर पर आ रही हूं। हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के इन 35 सालों में आपको क्या नहीं मिला ? उस पक्ष में बैठने वालों अपने

बड़े नेताओं से पूंछिये। कौन ऐसा नेता है जो महात्मा गांधी की दी हुई आजादी के नीचे नहीं पला, नेहरू परिवार के संरक्षण में नहीं पला। चाहे उस पक्ष में बैठ जाते हो, चाहे इस इस पक्ष में बैठ जाते हो इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि आजादी की लड़ाई लड़ी गयी। एक होकर आजादी की लड़ाई देश के अन्दर लड़ी गयी। देश आजाद हुआ। आजादी की लड़ाई में हिमालय से लेकर कन्या कुमारी तक तिरंगा लहराया गया। हुये तो हिन्दुस्तान के अन्दर पहले झंडा पंडित जवाहर लाल नेहरू का पकड़ाया गया। इंदिरा गांधी जी आपके बीच में है। मैं चैलेन्ज के साथ कहती हूँ कि प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी विश्व की नेता हैं। ब्रटेन की प्रधान मंत्री, थेचर ने कहा कि विश्व की सम्मानित प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी हैं।

आपने हरिजनो की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार हो या केन्द्र सरकार हो, बजट देती है जिलों को। जिलो में यह कार्य होते हैं। आपको मालूम नहीं है कि यह विकास कसे होता है। जिलाधिकारी से, जिला विकास अधिकारी से, विकास खण्ड अधिकारी से सम्पर्क करिये, तब आपको मालूम होगा। मैं यह सुनने के लिये तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में 374 निर्बल वर्ग के आवास बनाये गये हैं जिनका उद्घाटन मैंने स्वयं किया है। हमारे देश में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का नेतृत्व है, उनकी मंशा है कि देश के किसानों का विकास हो। उन्होंने यह जिम्मेदारी हमको और आपको दोनों को दी है। जब दोनों मिलकर उनको गरीबी की रेखा से ऊपर लायेंगे तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश का विकास होगा। एक बात मा0 मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि सिचाई विभाग से पानी हमारे सहजनवां क्षेत्र की जनता को नहीं मिल पा रहा है। हजारों एकड़ खेत पानी के बिना सूख गये हैं। हमारे क्षेत्र की जनता स्वाती बन्द हेतु पपीहे की तरह पानी की एक बूंद के लिये तरस रही है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि पड़ताल न कराई जाये जिससे लगान न ले। मान्यवर, इन्द्रासन राम इग्जीक्यूटिव इंजीनियर की लापरवाही के कारण हजारों एकड़ खेत सूख गये और लाखों जनता भुखमरी का शिकार हो गयी। मान्यवर, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इंदिरा गांधी की नीतियों पर चलें। उत्तर प्रदेश सरकार की, केन्द्राय सरकार की आलोचना न करें, सदन में भाषण न दें। क्षेत्र में एकजुट होकर काम करें तो कोई कारण नहीं है कि विकास न हो। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

श्री विद्यासागर नौटियाल

श्रीमान्, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, यह धन्यवादी सरकार है। महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया, उस पर श्री राजेन्द्र त्रिपाठी जो ने धन्यवाद दिया, मिश्रा जी धन्यवाद दे रहे हैं। इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी आयेंगे तथा इन सबको धन्यवाद देकर चले जायेंगे। कुछ समय पहले यहाँ पर राजा राम बैठते थे, किन्तु वह चले गये लक्ष्मण को साथ लेकर। अब खड़ाऊं का राज चल रहा है। अब भरत जी तथा हमारे गुरु वशिष्ठ जी हैं। माननीय विधायक गण, जब अपना कोई प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के पास भेजते हैं तो वह ऊपर लिखते हैं सचिव, नीचे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। सचिव क्या करें, इसमें कुछ

नहीं है। श्रीमान्, यह अनिश्चय की सरकार है। 18 नवम्बर को मैंने माननीय मुख्य मंत्री के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र दिया था। कि मैं माननीय मुख्य मंत्री जी के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे भेंट करने का अवसर दिया जाय। चूंकि टिहरी बाँध के अन्दर बहुत ज्वलंत समस्यायें पैदा हो गई हैं, टिहरी बाँध का निर्माण कार्य जारी है, लोगों को हटाना भी जारी है, सरकार के पास उनको विस्थापित करने के लिये कोई दूसरी योजना नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री जी के दफ्तर में मैं, 9 दिसम्बर को गया था मुझे बताया गया कि हमने प्रार्थना-पत्र उनको दे दिया था, उसपे आज तक उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। मैं फिर जनवरी में उनके पास गया कि कोई फैसला नहीं हुआ, फरवरी माह में मैं उनके पास गया, किन्तु आज तक इस पर माननीय मुख्य मंत्री अपना कोई फैसला नहीं कर पाये। वह एक विधायक को मिलने का अवसर दे सकते हैं या नहीं। मान्यवर, यह पूरी सरकार इस तरह से चल रही है। श्रीमान् भगवान ने भी बहुत पक्षपात किया कि सदबुद्धि सत्ता पक्ष को दे दी और हम निर्बुद्धि बैठे हैं।

मान्यवर, दिल्ली में यू0 पी0 भवन के अन्दर भी अलग-अलग भवन बना दिये गये। एक भवन में मंत्रीगण तथा बड़े-बड़े अधिकारी रहेंगे और दूसरे में विधायकगण रहेंगे। यदि किसी विधायक को टेलीफोन करना है तो उसे नीचे आना पड़ता है तथा घण्टों रुकना पड़ता है परन्तु माननीय मन्त्रियों के कमरों में टेलीफोन लगा दिये गये हैं। श्रीमन्, मैंने सुना है कि आई0 ए0 एस0 अधिकारी को राज्पाल महोदय ने राजभोज दिया तथा एस0 डी0 एम0 को माननीय मुख्य मन्त्री ने राजभोज दिया। श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सरकारी अधिकारियों से कहा है कि वे लोग विधायकों की बात न मानें। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसी सदन के अन्दर सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि हमें डी0 एम0 ने हड़काया, एस0 पी0 ने धमकाया और हमारी जान खतरे में हैं। विधायकों की बात न मानने के लिये माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अधिकारियों से बीसों मिटिगों में कह दिया है।

श्रीमन्, हमारी जितनी हाउस कमेटीज हैं, विभागों के अन्दर। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पिछले तीन वर्षों से उनकी कितनी मिटिग हुई हैं? मान्यवर, बिजली का एक बड़ा संकट है। बिजली विभाग की जो हाउस कमेटी है, उसकी कितनी मिटिगें हुई हैं? यह सरकार अधिकारियों के द्वारा चलाई जा रही है। माननीय मुख्य मन्त्री जी को खामखाँ गलत फहमी हो रही है कि सरकार को मुख्य मन्त्री चला रहे हैं।

श्री अध्यक्ष

आपका समय समाप्त हो गया

× **श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी**—

मा0 अध्यक्ष महोदय, ऐसे अवसर पर जो आपने मुझे बोलने का आदेश दिया जिसके लिए मैं आपका अति आभारी हूँ, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

हूँ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से और माननीय मुख्य मन्त्री जी भी बैठे हैं, उनसे भी जबकि मेरी आयु के समापन का समय है, के संबन्ध में कहना चाहूँगा, तो कृपाकर के इसको सुन लें। श्रीमन् मुझे ऐसा लगता है कि इस असेम्बली में अब बड़ी अनुशासन की कमी है (शोर) हमारे इस आचरण का असर दूसरों पर क्या पड़ेगा और इसका अनुकरण हमारे विद्यार्थी व अन्य लोग करेंगे, जिसका असर इस प्रदेश पर अच्छा नहीं पड़ेगा। हम सभी लोग यदि अपनी मर्यादा के अनुसार चलेंगे क्योंकि हमारा काम जन-सेवा का है हमने और आपने काफी सेवा की है। (शोर) कृपया शांति बनाये रक्खें, और हमको भी अपनी बात कहने का अवसर दें। अगर प्रक्रिया नियमावली के अनुसार जो हमने और आपने इस सदन में पास का है, चले तो मैं समझता हूँ कि जो इस प्रकार आरोप और प्रत्यारोप का वातावरण बन जाता है, तो वह न बने, कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे हम लोग यहाँ के कार्य का संचालन सुचारु रूप से कर सकें।

जैसा कि मा0 मुख्य मन्त्री जी के बारे में अभी कहा गया, वह यहां पर मौजूद हैं, उन्होंने जो अथक प्रयास किये हैं, वह हम सब के सामने हैं। स्वराज्य प्राप्ति के बाद से आज आबादी दूनी हो गयी है, उसी हिसाब से इसमें खर्च भी बढ़ा है और उसी हिसाब से समस्याएं भी बढ़ा हैं और उनका समाधान करना भी उसी हिसाब से बढ़ा है, जिसमें कुछ त्रुटि भी रह सकती है, ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कहीं भी विकास कार्य हुए ही नहीं हैं और यह भी नहीं है कि जितना होना था, उसमें कुछ रह नहीं गया है। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, जहाँ पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत तमाम विकास कार्य हुए हैं और इस बात का अभिभाषण में भी जिक्र किया गया है, उनमें से कुछ बातों को मैं रखा चाहता हूँ, उन बातों में मैं पहले शिक्षा की तरफ आता हूँ। कृपया शांति से सुनें।

(व्यवधान)

जो मैं कह रहा हूँ, उसको सुनें। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, वह बहुत ही अच्छा रहा। जैसे इसी सत्र में दो आयोग बनाये गये हैं, जो शिक्षकों का चयन करेंगे। हरिजन छात्रों के लिये 10 वी तक की पढ़ाई वालों को छात्रवृत्ति दी जायगी।

श्री अध्यक्ष —

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

मान्यवर, मैं जो कहना चाहता था, अभी मैंने कहा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही विश्वविद्यालय पूर्वांचल में है, वही शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करता है, गोरखपुर का। उसमें कृषि संकाय नहीं है, उसकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था सरकार करे। दूसरा यह है कि संस्कृत शिक्षा के लिये अधिक से अधिक व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री मसरुर जाफरी—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। आप जो स्कूल चला रहे हैं 14, उसमें कितने हरिजन चपरासी रखे हैं ?

श्री अध्यक्ष

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

मैं यह चाहता हूँ कि संस्कृत की शिक्षा जो चल रही है, उसमें तेजी कर दी जाय तो हमारे आचरण पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। संस्कृत की भी प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिये। सबसे पहले मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आप सब संस्कृति मय हो जायं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक चीज करनी है, अगर मा0 मुख्य मन्त्री जी चाहेंगे तो हो जायगी। लड़कियों की भरती बी0 एड0 में, जिस रूप से लड़कों की भरती होती है, उसी हिसाब से होती है जिससे लड़कियां कम आ पा रही हैं। वे कुछ ऐसा प्रयत्न करें कि लड़कियां अधिक संख्या में प्रवेश पा सकें। इसी के साथ ही मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और आप से आशा करता हूँ कि इसी प्रकार देश की सेवा करते रहें।

(श्री अध्यक्ष द्वारा 'नेता, सदन" को पुकारे जाने पर।)

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

(घोर व्यवधान)

श्री खैरुल बशर—

भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में जो ऑल इण्डिया, रिकगनाइज्ड पार्टी है मैं उसका एक मात्र सदस्य हूँ, क्या उसके विचार इस सदन में नहीं आ पायेंगे? आपने मुझे बोलने का मोका नहीं दिया।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

(घोर व्यवधान)

श्री खैरुल बशर—

मैं इस काली सरकार का कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूँ, राज्यपाल के भाषण का मुंहतोड़ जवाब दे सकता हूँ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, मैं आपको बोलने की आशा नहीं दे रहा हूँ।

श्री खैरुल बशर—

आप मुझे निकलवा दीजिये। आप 5 मिनट का समय मुझे नहीं दे सकते?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है, आप बैठिये ।

(खौरुल बशर के खड़े रहने पर)

माननीय सदस्य, आप कृपा करके बाहर जाईये । माननीय सदस्य, मैं आप से कह रहा हूँ कि आप कृपा करके बाहर जाईये ।

श्री खौरुल बशर—

मान्यवर, मेरे अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई तरीका नहीं है । आपको मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, कृपा करके आप बैठें ।

(श्री खौरुल बशर के खड़े रहने और बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कृपा करके आप बैठिये । मैं आप से कह रहा हूँ कि आप बैठिये ।

श्री खौरुल बशर—

मैं आपसे इस संबन्ध में व्यवस्था चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी व्यवस्था को सुन लिया है, यह कोई व्यवस्था नहीं है । आप बैठें । यह कोई तरीका नहीं है इस प्रकार से बोलने का ।

श्री खौरुल बशर—

यह कौन सा तरीका है । मैं पूरे सदन में एक मात्र मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी का हूँ और उसको आप बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके आप बैठें ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मन्त्री जी के बाद इन्हें दो मिनट का समय दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई नियम नहीं है .यह कोई परिपाटी नहीं है, यह कोई परम्परा के अनुकूल बात नहीं है, यह शोभा नही देता है । आप पहले कहते तो और बात थी । आपने कल कहा भी था परन्तु मैं आपको मौका नहीं दे सका, इसलिये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कृपा करके आप बैठें ।

श्री खौरुल बशर—

मैंने कल आपको लिख कर दिया था, परन्तु आपने कहा कि आप कल बोलियेगा परन्तु आपने आज हमें मौका नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री खैरुल बशर -

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है उसे आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, कृपा करके आप बैठें।

(सत्ता पक्ष के सदस्य द्वारा पास जाकर कुछ कहे जाने पर)

श्री खैरुल बशर—

धत्। मैं धमकियों में आने वाला नहीं हूं आपने हरदेव को भेज कर हमें धमकी दिलायी है। इस सदन में आपके सामने हमारे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आप कृपा करके बैठें। मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री खैरुल बशर—

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मुख्य मन्त्री के बोलने के बाद मुझे बोलने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—

कृपा करके बैठिये।

(व्यवधान)

श्री खैरुल बशर—

(सत्तापक्ष की ओर इंगित करते हुए) मान्यवर, पहले इनको आप शान्त कीजिये।

(श्री खैरुल बशर अपने स्थान पर बैठ गये)

× मुख्य मन्त्री (श्रीपति मिश्र)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर हो रही चर्चा में भाग लेना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन पहली तारीख से प्रारम्भ हुआ। पहले 1 और 2, उसके बाद 7, 8, 9 और आज 10 तारीख है। सबसे पहले मैं इस सदन में दो दिन उपस्थित न हो सका और मैं यह मानता हूं।

कि इस सदन के गौरव और इसकी परम्परा को देखते हुए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कि सदन में आता और भाग लेता। दो दिन भाग न लेने के जो कारण थे, वह स्वभावतः ऐसे थे जिनकी वजह से मैं मजबूरन अनिवार्य कारणों से न आ सका और मैं उसके लिए माननीय सदन से डेमोक्रेटिक परम्पराओं का ध्यान में रखते हुए खेद प्रकट करता हूं।

एक सदस्य—

जो कार्य किया है उसे भी बता दें।

श्री श्रीपति मिश्र—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नहीं था, लेकिन मेरे दल के विधायक,

---

× वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री और अन्य हमारे सहयोगी मंत्रियों ने जो बाते माननीय विरोधी दल के सदस्यों ने उनके नेताओं ने और नेता विरोधी दल ने कही हैं, उनके द्वारा बहुत कुछ मुझको सुनने को मिला और मालूम हुआ और मुझे अपने कक्ष में रहकर भी सुनने का मौका मिला परन्तु सब की बातों का उत्तर देना इतने समय के अन्दर सम्भव नहीं है, लेकिन मैं उन समस्याओं को मुख्यत: 4 प्रमुख बातों की सुर्खियों के अन्तर्गत समझता हूँ और उनके अन्दर उनका उत्तर जो कुछ भी, मैं यह नहीं कह सकता कि सन्तोष हो या मैं नहीं कह सकता कि वह सर्वथा उचित है जो उत्तर मेरी समझ में है और मेरे शासन के समझ में है आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। शान्ति और व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा हुई। उस में कुछ उदाहरण भी दिए गए और कुछ साधारण भी, कुछ दूसरी प्रमुख बातें भी बतायी गयी। शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में 4 बातें मुख्यत: उठायी गयी हैं और बहुत सी बाते कही गयी। एक तो मेरठ को लेकर कही गयी, मेरठ कान्ड को लेकर, दूसरी बात सचिवालय में जो घटना हुई, उसको लेकर कही गयी, तीसरी आजमगढ़ के झगड़े को लेकर कही गयी और चौथी इटावा के झगड़े को लेकर कही गयी। शान्ति व्यवस्था के बारे में मुख्य रूप से इन बातों को कहा गया।

श्री बैरुल बसर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

एस0एस0पी0 ने वहां पर घुसकर मारा।

श्री अध्यक्ष

आप बैठे। कौन सा व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्री श्रीपति मिश्र

माननीय सदस्य ने व्यवस्था का नाम लेकर आजमगढ़ की बात कही, मैंने आजमगढ़ के झगड़े की बात कही है, बकी तो का नहीं कही है। दूसरी चीज इस शान्ति व्यवस्था के अलावा जो यहां पर उठायी गयी, उनमें से प्रमुख रूप से गन्ना, उसके दाम, उनका पूरा न दिया जाना या उसके बकाया को न दिया जाना, इनकी समुचित व्यवस्था न होना आदि के सम्बन्ध में उठायी गयी हैं।

और तीसरे कानून और सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित बात सामने लायी गई जिसमें कहा गया कि विकास के कार्य जो भी यह सरकार चलाना चाहती है, जिसके लिये सरकार ने प्रावधान किया है, वह उचित रुप से नही होते हैं और नौकरशाही के हाथ में सरकार खेलती है, साथ ही वह अपने प्रभुत्व से कार्य नही करती है, यह आरोप हमारे ऊपर लगाये गये। साथ ही साथ कुछ अन्य बातें भी कही गई और कुछ ऐसी शब्दावली जो कि सदा सर्वदा इधर से भी और उधर से भी कही जाती है, जिसका अर्थ तो बहुत होता है लेकिन जिसका रुप स्पष्ट नहीं हो पाता है। कहा जाता है कि सामाजिक व्यवस्था नहीं आयेगी जब तक कि ठोस कदम नही उठाये जायेंगे, आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए, का बुनियादी बात होनी चाहिए जिसके अन्तर्गत कार्यक्रम बनाये जाने चाहिए, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया। जाहिर है कि इसका भी निराकरण होना चाहिए। मैं उसके लिये कोशिश करुंगा कि उसके बारे में भी कुछ कहूं और उसके बारे

में कुछ कंक्रीट और स्पेसिफिक सेफ किस तरह से दिया जाय और उसके सम्बन्ध में किस तरह के कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

बीच-बीच में बहुत सी बातें कहीं गई और अभी एक माननीय साथी ने कहा कि हमारी उपलब्धियां, काम करने की क्षमता, काम करने की ताकत क्या है। यह तो बहुत बड़ी बात है, मैं इसका क्लेम नहीं करता लेकिन कुछ माननीय सदस्य मुझे ऐसे भी मिले जिन्होंने यहां पर यह कहा कि वे मुझसे मिलने आये थे लेकिन मिलते ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं उनके कागज पर सचिव के लिये लिख देता हूँ, यह उन्होंने देख लिया, इतने नजदीक से वे मुझे मिले लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं मिलता ही नहीं। 6 बजे से 8 बजे तक प्रतिदिन मिलने का समय है। सुबह साढ़े आठ बजे से साढ़े दस बजे तक सबको मिलता हूँ और विधायकों को अलग से मिल लेता हूँ। एक छोटी सी बात इस एक अदना कार्यकर्ता के लिये जो सामने खड़े होकर आपसे बोल लेता है, उसके लिये गलत न कहकर सही तो आप बोल ही सकते हैं।

अब मैं मेरठ के बारे में कहना चाहता हूँ। एक अत्यन्त दुखदायी घटना मेरठ में हुई। कोई भी आदमी जिसमें जरा सी भी इन्सानियत की बू होगी वह इस घटना की निन्दा करेगा, कर रहा है और करता रहेगा। वह इस बात की कामना करेगा कि इस तरह की घटना न होने पाये। जिस तरीके का वाकया हुआ, घटना के क्या कारण थे, कैसे घटना हुई, कब तक हुई इन सब बातों पर विशद विवेचना नहीं हो सकती क्योंकि यह सारा मसला न्यायिक जांच में दिया गया है एक उच्च न्यायालय के जल के तहत में। लेकिन कुछ बातें जिन पर कोई विचार कहना या बनाना उस परिधि में नहीं आयेगा, यथासम्भव मैं उनको आपके सामने रखना चाहूंगा। 6 तारीख को एक घटना हुई, एक मृत्यु हुई, एक हत्या हुई। उसके बाद 11 तारीख तक यह घटनायें छुटपुट तरीके से कहीं-कहीं होती रहीं। लेकिन 11 तारीख तक भी आमने सामने किन्हीं वर्गों में कोई घटना इस तरह की नहीं हुई है। कुछ ऐसी भी घटनायें हुई हैं जहां फायरिंग भी हुई लेकिन 6 तारीख से लेकर 11 तारीख तक ही हुई। उसके पश्चात् फिर एक तरह से शान्ति हो रही। हो सकता है जाहिरा शान्ति रही हो, अन्दरुनी शान्ति न रहा हो लेकिन जाहिरा शांति रही।

इसके बाद स्कूल खुले, कालेज खुले सीनेमाघर खुले और जिन दिनों यह घटनायें हुई उन दिनों बाहर से आने वाली बसें आती जाती रहीं यातायात साधारण रूप से चलता रहा। पूरे शहर में एक समय में कभी कर्फ्यू नहीं लगा, कभी किसी पार्ट में लगा तो कभी किसी पार्ट में लगा। पूरा मेरठ कभी दंगे से प्रभावित नहीं हुआ और ऐसी भी कोई घटना नहीं हुई कि बाहर से आने वाला या रिक्शा में जाने वाला यात्री इस दुर्घटना से प्रभावित हुआ हो। इसके पश्चात् फिर त्योहार आये 28 ता0 का एक त्योहार समाप्त हुआ। 29 और 30 के बाद दुर्भाग्य है प्रशासन का दुर्भाग्य है हम लोगों का और दुर्भाग्य है जनता का फिर से एक आपत्ति आ गयी और वह 30 ता0 से 3 ता0 तक चलती रही और इसमें जो दुर्घटना हुई वह पिछले जो दुर्घटना हुई थी, उससे ज्यादा खतरनाक और तकलीफदेह हुई। गोलियां चलीं तथा लोगों की मृत्यु हुई। 3 ता0 के बाद फिर घटना बन्द हो गयी।

मैं इसकी विवेचना न करके इतना कहूँगा कि इस बीच तरह-तरह के विचार सामने आये और शासन ने प्रयत्न किया कि यह घटना या दंगे और न बढ़ने पायें और रुकें, हर आदमी की हालत ठीक रहे लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, उसमें जो प्रशासनिक कार्यवाही थी वह की गयी। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, चार-चार सदस्यगण वहाँ गये और रहे। उन्होंने उसको देखा। हमारी काँग्रेस की अध्यक्ष भी वहाँ गयी, एक बार नहीं तीन-तीन बार गयीं उन्होंने पूरा प्रयास किया। हमारे केन्द्र के गृहमंत्री वहाँ आये, केन्द्र के गृह सचिव वहाँ आये। जो प्रशासनिक अधिकारी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा तथा राजनैतिक व्यक्ति जो उसे डिफ्यूज करने के लिये सक्षम था, मौके पर गया। ऐसा भी नहीं है कि शासन ने केवल प्रार्थना की बल्कि जिन लोगों से खतरा था कि झगड़ा फैलेगा उनके आने से शासन ने अपने ऊपर परेशानी मोल लेकर उनको रोका। पी0 ए0 सी0 और प्रशासन के खिलाफ कुछ बातें कही गयीं। प्रशासन ने पूरा प्रयास किया कि हालत न बिगड़े और बीच-बीच में जो सूचना मिली और जो समझ में आया कि इनसे नुकसान हो रहा है या शांति नहीं हो पा रही है, इनकी कमजोरियों की वजह से तो उन अधिकारियों का बीच-बीच में स्थानांतरण भी किया गया और दूसरे आदमियों को उनकी जगह भेजा गया। पी0 ए0 सी0 के अलावा केन्द्र से सेंट्रल रिजर्व पुलिस, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स बुलायी गयी ताकि हर तरह से हर इनसान की जानमाल की रक्षा हो सके। शासन की तरफ से आंकड़ा कुछ दिया गया कि इतने लोगों की वहाँ मौतें हुई। मगर कुछ साथियों का अन्दाजा है कि नहीं, इससे ज्यादा मौतें हुई। आज इसकी जांच हो रही है वह सामने आयेगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ।

एक बात विशेषरूप से कही गयी पी0ए0सी0 के खिलाफ शिकायत की गयी और माननीय नेता विरोधीदल के भाषण में यह बात आयी कि शासन ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। मैं माननीय नेता विरोधी दल से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा अगर उनके मन में यह बात पैदा हुयी हो तो मैं प्रार्थना करुंगा कि अपने मन से वह यह बात निकाल दें कि शासन इन्सानियत की रक्षा के लिये कभी भी किसी बात को न अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाता है और न कभी बनायेगा।

मान्यवर, पी0 ए0 सी0 हमारी एक आर्गनाइज्ड फोर्स है इस प्रदेश की। इसको आर्गनाइज्ड करने में किसी एक कौम, किसी एक जाति या किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं रहा है। इसका आर्गनाइजेशन साधारणतः जैसे हर फोर्स बनायी गयी है उसी तरह से इसका भी निर्माण हुआ है और आज कई वर्षों से यह फोर्स यहाँ है। इसने प्रान्त के अन्दर और बाहर जैसे पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु दिल्ली, राजस्थान हर जगह यहाँ की पी0 ए0 पी0 ने जाकर काम किया है और कहीं-कहीं से इसकी प्रसंशा भी हुयी है जिसके पत्र आये हैं। लेकिन मैं पी0 ए0 सी0 के कारनामों को डिफेन्ड नहीं करना चाहता हूं, यदि कोई गलती उससे हुयी है तो उसकी जाँच होगी और जाँच में जो सामने आयेगा, जो जिम्मेदार इसके लिये होंगे, उनको कड़ाई से सजा दी जायेगी।

मान्यवर, कुछ बातें मेरे बारे में कही गयीं, तो मेरे व्यक्तिगत् रुप से या मुख्य

मन्त्री के रुप से मेरी कोई धारणा यह नहीं है कि मैं किसी प्रशासनिक अधिकारी या फोर्स को इसलिये बचाने की कोशिश करुं कि वह शासन का एक अंग है बल्कि मेरी धारणा यह है कि प्रशासन को सुचारु रुप से जनहित में चलाने के लिये मैं प्रयास करुं और शासन का यही प्रयास होना चाहिये। इसके अतिरिक्त जो कार्य करेगा वह दंडनीय होगा और शासन उसको नहीं बचायेगा।

मान्यवर, मेरठ में जो हुआ उसको छिपाने की कोई बात नहीं है। मैं आपसे आज एक निवेदन करुंगा कि मेरठ का दंगा हुआ, उसके बाद सभी सदस्य जानते हैं कि इस प्रदेश में मेरठ के अलावा अनेकों जिले ऐसे हैं जो अत्यन्त संवेदनशील जिले हैं, जहाँ ऐसी बातों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यदि आप इजाजत दें तो मैं कहूँ कि शासन का प्रयास, शासक दल के विधायकों का और मन्त्रियों का प्रयास एवं आपके दल के लोगों का प्रयास, आम जनता का प्रयास एवं सभी के सहयोग से इसमें जरुर मदद की कि मेरठ के दंगे के बाद, कई संवेदनशील जिले होते हुये भी, यह चिंगारी दूसरी जगह नहीं पहुँची और सारी जगह शांति रही।

मान्यवर, दशहरा, मुहर्रम, दिवाली आदि त्योहार एक ही तारीख पर पड़े और कहीं-कहीं एक सड़क पर दशहरे में खुशी का जुलूस और दूसरी तरफ मोहर्रम का मातमी जुलूस, दोनों जुलूस एक साथ निकले, तो मैं मान्यवर, आपसे गुजारिश करुंगा कि ऐसा होते हुये भी कहीं से कोई बात नहीं हुयी। मान्यवर, एक बात कही गयी कि ईश्वर हैं कि नहीं, तो मैं तो कहूँगा कि ईश्वर जरुर है, नही तो मुझ जैसा अकिंचन व्यक्ति सारी जगहों पर शांति कैसे बनाये रखता। मान्यवर, 60 वर्षों पहले ऐसी स्थिति 1924 में पहले पहल आयी थी, हम तो 1924 के बाद के पैदा हुये हैं. श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी जैसे लोग 1924 के हैं, कि इन्हीं तिथियों में एक साथ त्यौहार पड़े और ब्रिटिश हुकुमत में, इलाहाबाद में सन् 192[illegible] में सबसे बड़ा दंगा हुआ था उससे बड़ा दंगा आज तक नहीं हुआ, लेकिन आपके सहयोग जनता के सहयोग और ईश्वर के सहयोग ने इसको एवाइड किया।

मेरे दिल में एक अभिलाषा थी, मैंने अपने संसदीय कार्य मंत्री से यहां आने पर पूछा भी था कि क्या किसी ने विरोधी दल की तरफ से इसका भी हवाला दिया है कि मेरठ में दंगा हुआ, लेकिन उसके बाद दशहरा, होली और दिवाली के त्यौहार बहुत शान्ति से गुजरे। लेकिन मुझे अफसोस हुआ यह जानकर, जब उन्होंने कहा कि इसका जिक्र हमारे दल के लोगों ने तो किया था, लेकिन विरोधी दलों की ओर से इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं आपसे आशा करता था कि आप इसका भी जिक्र करेंगे।

श्री मोहन सिंह—

हम लोगों के करने की क्या जरूरत थी जब चीजों का श्रेय भगवान पर है।

(समय 4 बजकर 2 मिनट)

श्री श्रीपति मिश्र—

हाँ भगवान को श्रेय है और इस बात का भी उनको श्रेय होता कि आप उसका जिक्र करते। दूसरे यहाँ पर वाराणसी कांड के बारे में जिक्र आया। उसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर पाँच चोरी इसके पहले हो चुकी हैं मूर्तियाँ और मंदिरों की और उन पाँच चोरियों में शायद ही (व्यवधान) किसी का पता थोड़ा बहुत ही लग सका।

उनका थोड़ा बहुत पता भी नहीं लग सका। इतना पता जरूर चला कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है। इस वर्तमान घटना के साथ-साथ एक ऐसा वातावरण पैदा हुआ उस शहर में (व्यवधान) जो आपने कहा है कि यह पंडितों ने किया है तो उनकी वजह से यह वातावरण पैदा हुआ है। चेन्ना रेड्डी के जमाने में जब मंदिरों को लेने की बात आई थी और इसके लिए एक अध्यादेश बना था, तो उस समय जनमत यह था कि यदि इन मंदिरों को कोई सरकार छीनेगी, तो हम उसे छीनने नहीं देंगे और उसका हाथ काट लेंगे। लेकिन जिनको आप पंडित या उन मंदिरों का मालिक कहते हैं, उन्हीं के कर्त्तव्यों या किन्हीं अन्य के कर्त्तव्यों ने जिन्होंने उन पर लांछन लगाने की कोशिश की, उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर इस बात का कहा कि सरकार इन मंदिरों को ले ले और वह उसका सुचारू प्रबन्ध करे। आम जनता इमेज देखती है, काम देखती है, उसकी निगाह हमसे और आपसे कम तेज नहीं है। इसके साथ-साथ हम लोगों ने प्रयास किया, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सी० बी० आई० को इसे देने का फैसला हो गया था। सी० बी० आई० की माँग थी और सी० बी० आई० को उसे देने का फैसला हो गया था और मैं आपसे कहता हूँ हम इधर हैं और आप उधर हैं लेकिन कभी आपको और कभी हमको इस प्रदेश की पुलिस और शासकों को उनके साथ रहकर उनके कार्य को अच्छा करने का प्रयास करना पड़ेगा। मैं उसी वक्त सोच रहा था कि सी० बी० आई० को जाएगा तो क्या पोजीशन होगी। उस समय हमारे अधिकारियों ने कहा कि हमें सूत्र मालूम है, हम लोग कोशिश करके इसका पता लगा लेंगे। इस पर मैंने उनको बुलाकर उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि देखो आप इसे केवल मुझको प्रसन्न करने के लिए तो नहीं कह रहे हो, यदि आपको सही-सही सूत्र मालूम हैं तो आप इसका तुरन्त पता लगाए, क्योंकि एक दिन बाद, दूसरे दिन इसे सी० बी० आई० जाँच के लिए ले लेगा। मैंने उनसे कहा कि आप जाँच करके इसका पता लगाने की कोशिश करें।

तो मैं जहाँ उनकी गलती के लिए उनकी आलोचना करता हूँ, आज उनकी प्रशंसा करने के लिए तैयार हूँ कि उसने इस पर इस सारे मामले में सारे का सामान—चाँदी का और सोने का, उसी रूप में जिस रूप में गायब हुआ था, बरामद हुआ और एक अंधेले का सामान भी गायब नहीं था। एक बार फिर प्रशासन ने यह दिखाया है कि दुष्ट दुर्घटना तो कर सकते हैं, चोरी तो कर सकते हैं, लेकिन शासन और शासन के कर्मचारी उस दुर्घटना को रोक सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं और चोरी का सामान बरामद कर सकते हैं और चोरों को सामने लाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ-साथ, जैसा मान्यवर, मोहन सिंह जी ने कहा, ईश्वर को धन्यवाद दें, तो मैं उनसे कह रहा हूँ कि पुनः ईश्वर या शिवजी को धन्यवाद दीजिए जो लपेटा हुआ पत्तूर, नाम लिखा हुआ पत्तूर, उसी तरह टेढ़ा-सीधा नाम लिखा हुआ वापस आ गया।

अब यह एक तीसरी बात इटावा की आई। दो बातें उसके सम्बन्ध में कही गयी। एक तो माननीय नेता विरोधी दल के भाषण में ही मैंने कहीं देखा कि माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा और माननीय नेता विरोधी दल, विद्वान परिषद्, ये मुझसे शाम को 9 बजे मिले थे और माननीय नेता विरोधी दल ने मुझसे यह भी कहा कि मैं मिश्रा जी के स्वभाव से परिचित हूँ, और उनको जानकारी होती, तो जरूर इसका जिक्र

करते, इससे यह लगता है कि पुलिस और प्रशासन चुस्त नहीं है, उसने इस घटना की सूचना नहीं दी और हवाला उन्होंने दिया कि आज ही नहीं, पहले भी इस प्रकार की घटनाओं की सूचना बहुत देर में आया करती थी। मैं सूचना देना चाहता हूँ कि मुझको सूचना थी, उस पर मैं कार्यवाही भी कर रहा था। मैं उससे दुःखी भी था, लेकिन हमारे आपके व्यक्ति गत, हमारे आपके सारे अच्छे व्यवहार के बाद भी, मैं यह जानता ही था कि आप इस सदन के और उस सदन के नेता हैं, और मुझसे मिलने आये हैं। मैं जानता था कि इसके बताने पर मेरे ऊपर और क्या आफत आयेगी, इसलिए मैं चुप रहा। तो इस तरह से कोई भी बात ऐसी नहीं थी जो मैं जानता नहीं था। प्रशासन ने अपने समय पर उसकी सूचना दी थी। उसकी कार्यवाही की जा रही थी और स्वतः मैं यहाँ से गया, बलराम सिंह यादव जी को मैं ले गया, उनका वह क्षेत्र था, उसी क्षेत्र से वह चुनाव लड़े थे, वह मंत्री होते या नहीं होते, अगर विधान सभा के सदस्य होते, तब भी, उनके क्षेत्र में घटना हुई थी, इसलिए वह वहाँ पर गये और रणजीत सिंह जुदेव जी, वह उस इटावा के हमारे इंचार्ज मंत्री थे, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के इसलिए उनको भी मैं साथ ले गया जो वहाँ से सम्बन्धित थे, उनको साथ ले जाने का मैंने प्रयत्न किया, वहाँ गये, जहाँ यह घटना हुई।

इस घटना की जाँच हो रही है। जिस जगह यह वारदात क्या हुआ, मैं वहां पर गया, अत्यन्त दर्दनाक वाक्या है, सामने बड़ा घर है, दिखाई पड़ता है और पीछे से जाने का रास्ता है। अभाग्यवश पीछे से जो दरवाजा है, बन्द नहीं है, उस दरवाजे से जाकर, जहाँ पर ज्ञान सिंह का कत्ल हुआ, छत पर एक झोपड़ी में वहाँ पर जाने पर, वहाँ उनके बच्चों से मिला और उस वृद्धा से मिला, जो मुझे उसने बताया, उसको मैंने गौर से सुना, जो कुछ हो सकता था, मैंने उसकी कार्यवाही की और उसने स्पष्ट रूप से जो नाम मेरे सामने बताया, वह भी मैंने सुना। इसके बाद मैं वहाँ से चला आया। मान्यवर, उस सम्बन्ध में यह कहा गया है कि वहाँ का पुलिस का कप्तान, उसके बारे में कहा जाता है कि वह किसी नेक्से गैंग को पालता है।

यह आरोप यहाँ भी लगाया गया है। यह सही है कि उसके ट्रांसफर के लिये एक, दो बार आदेश हुये थे लेकिन इस आदेश के बावजूद भी वह रोका गया, यह बात सही है। यह घटना जो घटी है, यह किस तरह की घटना है अभी इसकी जांच चल रही है। इसके सम्बन्ध में 5 आदमियों के प्रति नामजद रिपोर्ट भी हुयी है। 3 पकड़े गये हैं, दो अभी तक नहीं पकड़े गये है या बाकी और लोगों के प्रति सन्देह है तो उसकी भी जांच हो रही है। पूरी जांच के पश्चात् जो भी इसमें दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ कार्यवाही सख्त से सख्त की जायेगी और आपने जो यह आरोप लगाया है कि किसी गैंग को कोई पुलिस का एस0 पी0 पालता है तो यह आरोप जो सदन में लगाया गया है, इस आरोप को आधार मानकर मैं इसकी जाँच कराऊँगा और निराकरण कराने का प्रयास करूंगा। अगर यह बात सही है तो वह पुलिस फोर्स में रहने लायक नहीं है। अगर यह आरोप गलत है तो ठीक है वह जैसे कार्य कर रहा है करे। इसकी जांच निश्चित रूप से की जायगी।

मान्यवर आजमगढ़ की घटना की बात कही गयी। 25 तारीख को घटना हुयी थी। उसके बाद लोग मुझसे मिले और जैसे ही वहाँ के लोग मुझसे मिले, वहाँ के

विधायक, माननीय राजकुमार राय भी प्रतिनिधि मंडल के साथ आये और कहा कि हमारे यहाँ के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, समय दीजियेगा। मैंने कहा, आप फौरन, जब उनको फुरसत हो मिला दीजिये, मैं मिलूंगा। मैं उनसे मिला, बातें हुयीं और सारी बातें होकर निर्णय हो गया और फैसला हो गया। वह संतुष्ट होकर यहाँ से गये। सुबह वह फिर मिल कर गये। वह कहकर गये कि हड़ताल वापस हो जायगी और कार्य सुचारु रूप से चलेगा। 4 तारीख को बीच में छुट्टियाँ हो गयीं। 4 तारीख को मीटिंग शुरू हुयी, वह शांति पूर्वक चल रही थी, मैं आपसे कोई बात अलग नहीं रखना चाहता। सदन से ज्यादा स्पष्ट और साफ बात करने का स्थान और कोई, किसी मुख्य मंत्री के लिये कोई दूसरा नहीं है। मैं इसे पवित्र मानकर कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से 7 तारीख को गया। इसके पहले 4 तारीख को जब घटना हुयी और 5 को पता चला तो मैंने अपने यहाँ के एक वरिष्ठ, पुराने और बहुत अनुभवी, अपने मंत्रिमंडल के एक सहयोगी माननीय बल्देव सिंह आर्य जी को तत्काल वहाँ भेजा। वह गये, मौका देखा और उन्होंने बात की लोगों से मिले। मैंने यह वादा किया कि मैं स्वतः आऊंगा और सात तारीख को मैं स्वतः गया। वहाँ जाने पर, पहले यह था कि डाक बंगले पर बात करेंगे लेकिन उनके प्रतिनिधि आये और कहा कि डाक बंगले पर नहीं आप हमारे यहाँ चलिये हम संघर्ष समिति की ओर से चाय पर निमंत्रित करते हैं। यह बात होते हुये भी आप इन प्रशासनिक कठिनाइयों को महसूस कर लें अनुभव कर लें इतने उत्तेजना पूर्ण वातावरण में भी मैं उनके निमंत्रण को स्वीकार करके गया।

मैं तारीफ करना चाहता हूँ संघर्ष समिति के सदस्यों की, संघर्ष समिति के प्रधान थे, उनसे बहुत ही अच्छे वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वहाँ बातें हुयीं और वहाँ कोई ऐसी अशोभनीय या तर्क पूर्ण बात नहीं हुयी। समस्या का समाधान हुआ। कार्यवाही की गयी। उसकी जांच जैसा कि आप जानते हैं उच्चत्तम न्यायालय के जज द्वारा करने का निर्णय लिया गया।

क्षमा करें, उच्च न्यायालय के निवृतमान जज से उसकी जांच कराने का निर्णय लिया। इसके साथ ही साथ दो अधिकारियों को वहां से स्थानांतरित किया गया। जांच के बाद जो कार्यवाही होगी, वह अवश्य की जायेगी। लेकिन आम भावना को लेकर जो विरोध हुआ जिसकी तरफ से तोड़-फोड़ हुई--एक बात यह जरुर कहनी पड़ेगी कि वकीलो और लोगों को विश्वास था कि सादी वर्दी में वहां पुलिस थी। लेकिन यहाँ के आये पुलिस के लोगों का यह कहना है कि हम कतई नहीं गये पहले। दिन की घटना के बाद हम कतई निकले नहीं। यह वर्जन और दो वर्जन सामने हैं एक तीसरा वर्जन भी सामने आयेगा जांच होगी तो पता लगेगा कि क्या सही है क्या नहीं।

एक घटना यह बतायी गयी और मैं उसमें आप सभी लोगों से सहयोग चाहता हूँ क्योंकि यह घटना आपके लिए, हमारे लिए और हम सबके लिए संकट का विषय है। चालीस हजार रुपए प्रतिदिन की रोडवेज इनकम आजमगढ़ में थी लेकिन आज 10-15 दिन से, जब से वहां व्यक्तिगत चालकों को उसमें बन्द की गयी सख्ती से कार्यवाही हुई तो वहां की इनकम 40 हजार रुपये प्रति दिन से बढ़कर 90 हजार रुपए प्रतिदिन हो गयी है, यानि कि एक दम से 50 हजार रुपए प्रतिदिन की आय में इजाफा हो गया है।

इस तरह से व्यक्तिगत विशेष लोगों की जेबों में यह कमाई जा रही थी। मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि कितना नुकसान हुआ। 10 दिन से 50 हजार रुपये प्रतिदिन का फायदा हो रहा है। इसी तरह से अन्य जिलों में जहां यह कार्यवाही हुई है 52 प्रतिशत इनकम बढ़ी है तो एक रास्ता पता लगा। या तो प्राइवेट बसों को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाय या उनको चलाया जाय, या सरकार उनसे कुछ अंश ले। किस तरह से उनका समाधान कर यू0पी0एस0आर0टी0सी0 की इनकम बढ़ सकती है। लेकिन यह कोई छोटे लोग नहीं हैं यह लाखों-लाखों के मालिक हैं, उनके पास मजबूत हाथ है तो यह जो सब हैं, उनको रोकने के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ। किसी का भी हाथ हो, कोई भी हो, मैं आपका आह्वान करता हूँ। इसको दूर करने में आप सहयोग करें। कोई भी प्राइवेट बस यहां नहीं चलने देंगे अगर ऐसे किसी मामले में आप हमारे सहयोगी होंगे और हमारे साथ आप भी कदम उठाकर चलेंगें तो हमें काफी बल मिलेगा।

इसके अलावा अब मैं शांति व्यवस्था के अंतिम चरण में आकर दूसरी बात करना चाहूँगा। शासन की यह कन्टीन्यूटी है। एक शासन यहां चल रहा था कांग्रेस के मुख्य मंत्री ढाई वर्ष से यहाँ थे, उनका शासन चल रहा था, छः महीने से एक दूसरे मंत्री यहाँ आये उनका शासन चल रहा है, पर कांग्रेस शासन है। कांग्रेस कार्यक्रम को किसी उपलब्धि को, किसी प्राप्ति को, अलग नहीं किया जा सकता है। तीन वर्ष में जो कुछ अच्छा हुआ है या जो कुछ बुरा हुआ है, वह सारी जिम्मेदारी कांग्रेस के मुख्य मन्त्री जब तक यहाँ रहेंगे, उन पर होगी। कांग्रेस के मुख्य मन्त्री आज 3 वर्ष से शासन कर रहे हैं। जब तक यह कांग्रेस का मन्त्रिमंडल यहाँ है, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जरा इसको तौल कर देख लीजिए। दस्यु उन्मुलन का जो प्रयास भूतपूर्व मुख्य मन्त्री ने प्रारम्भ किया और उस प्रयास के जो फल निकलने थे वह पूरे फल उसके निकले। आप देख लें कि उसके बाद 22 फीसदी की कमी डकैतियों के मसले में हुई है।

सामूहिक हत्या की बात कही गयी। मैं कहना चाहता हूँ कि दो सामूहिक हत्यायें इधर हुई, शायद एक का ही जिक्र यहाँ किया गया, हो सकता है किसी ने दूसरी का भी जिक्र किया हो। एक घटना मुरादाबाद की भी है जिसमें 5 आदमियों की हत्या हुई। इसमें एक ही जाति के एक परिवार के 3 व्यक्तियों तथा 2 लड़कों की हत्या की गयी। इस परिवार पर 10 कत्ल के मुकदमें चल चुके थे और चल रहे हैं। इसके अलावा जिन 5 आदमियों की हत्या हुई है, वह कत्ल में नामजद मुलजिम हैं। उनके भाई का कत्ल करने में यह मुलजिम थे। यह घटना व्यक्तिगत दुश्मनी की घटना है जिसको किसी तरह रोका जाना सम्भव नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूँ। प्रशासन क्या है? अच्छा प्रशासन क्या होता है? प्रशासन एक ढाँचा है और उसमें अनेक पुर्जे काम करते हैं। अगर हर पुर्जा सही ढंग से काम करता है तो उसका अर्थ यह होता है कि प्रशासन अच्छा है। मेरठ के कुछ हिस्सों को छोड़ कर, या एक दो जिलों को छोड़ कर, प्रदेश के किसी भी जिले में कर्फ्यू नहीं लगा। किसी भी जिले में रात का तीसरा शो बन्द नहीं हुआ। 12 और 1-1 बजे

रात तक आने जाने की सुविधा जनता को प्राप्त रही। अगर यह सब रहा है तो आपको यह स्वीकार करना चाहिये कि प्रशासन ठीक है।

एक सदस्य —

माननीया किशोरी शुक्ला जी से पूछ लीजिये क्या हुआ . .

(हंसी)

श्री श्रीपति मिश्र —

अब मैं कुछ विकास और गन्ने के बारे में कहना चाहूँगा। गन्ने के सम्बन्ध में जो समस्या है उससे मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पिछले वर्ष जो भाव 20.50 रुपये और 21.50 रुपये का हमने दिलवाया था, वही भाव इस वर्ष भी रखे हैं और हम दिलवा रहे हैं। आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि गन्ने की कीमत चीनी की कीमत से जुड़ी हुई है। चीनी मिल मालिक कहते हैं कि यह भाव गन्ने का हम नहीं दे सकते। मगर आपके बल से आपकी हिम्मत से, अपने साथियों की ताकत के आधार पर हम इस वर्ष भी 20.50 और 21.50 रुपये की कीमत गन्ना किसानों को दिलवा रहे हैं। जो प्राइवेट मिलें हैं वे सभी यह कीमत दे रही है। 5 मिलें ऐसी हैं जो केन्द्र द्वारा परिचालित हैं उनके सम्बन्ध में भी हमारी वार्ता चल रही है।

मैं आप से कहना चाहता हूँ कि केन्द्र से संचालित जो मिले हैं उनसे भी हम 20.50 और 21.50 दिलायेगें।

श्री मोहन सिंह—

ये हम को दिला दें तो हम इसको धन्यवाद देगे।

श्री श्रीपति मिश्र—

मोहन सिंह जी, अगर हम 87 का प्रबन्ध करेंगे तो इन 5 का भी प्रबन्ध करेंगे। हमारी वार्तायें हो चुकी हैं और वह निश्चित रुप से पूरा किया जायेगा। आप जानते हैं 717 या 727 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ है। हमारे पास बहुत बड़ा चीनी का स्टाक होने जा रहा है आगे। सारी समस्यायें हमारे सामने हैं लेकिन उनके होते हुए भी किसानों को हानि न हो, इसलिए हमने यह भाव रखा है।

श्री जनार्दन प्रसाद जोशा —

मान्यवर, जो आश्वासन दिया है, मेरी निश्चित जानकारी है कि प्राइवेट स्वामित्व में चलने वाली मिलें सरदार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया और आनन्द नगर में जैपुरिया की, आज भी 21.50 नहीं दे रही है।

श्री श्रीपति मिश्र—

मैंने आपसे अभी निवेदन किया और मोहन सिंह जी ने भी कहा कि पूरा दिला दें तो धन्यवाद देगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पूरा दिलाऊँगा, पूरा दिलाऊँगा, पूरा दिलाऊँगा।

(तालियां) (व्यवधान)

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष —

आप बैठें, मैं आपको समय नहीं दे रहा हूँ।

श्री श्रीपति मिश्र—

वर्ष 1981-82 में 470.81 करोड़ रुपया गन्ने के दाम का देय था और इस कांग्रेस के शासन ने 441.35 करोड़ रुपया अदा किया। यह सही है कि लगभग 25 करोड़, यह दिसम्बर तक के आंकड़े हैं. इसके बाद भी कुछ अदा किया गया है, आज भी बकाया है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एमाउण्ट लगभग पौने पाँच सौ करोड़ रुपया देय था उसमें से लगभग साढ़े चार सौ करोड़ दिया और जो बकाया है वह भी हम देंगे। हमारा यह प्रयास है कि हमने ज्यादा से ज्यादा दे दिया है और जो बाकी रह गया है वह दिलाने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन, कितना समय और लेंगे आप ? ठीक पाँच बचे बजट प्रस्तुत होना है।

श्री श्रीपति मिश्र—

दो मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, समय का अभाव है, आखिर में मैं कहना चाहता हूँ, उद्योग, योजना और बिजली। उद्योग के सिलसिले में किसी भी बात को अगर लें तो मैं केवल एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि उद्योग को बिजली की कोई कटौती नहीं हुई। पिछले 35 वर्षों में 4 प्रतिशत से 8 सौ करोड़ को जो औद्योगिक परियोजनायें थीं, वह इस वर्ष जाकर 34 सौ करोड़ की हुई हैं और हमारी योजनायें जो पिछले वर्ष 1202 करोड़ की थीं वह 1375 करोड़ की हुई।

जो 10 प्रतिशत से साढ़े चौदह प्रतिशत बढ़ी है।

श्री मोहन सिंह—

आपने जो प्रस्ताव किया था उसमें कितना कटा है।

157 करोड़ कटा है।

श्री श्रीपति मिश्र—

मा0 मोहन सिंह जी समय नहीं है आपको दिखाता। किसी भी प्रान्त का जो प्रस्तावित होता है उसके अनुसार कभी नहीं मिलता। मैं यह बताना चाहता हूँ कि पहली बार वृद्धि हुई है। 1,085 करोड़ का पहले था जो 10 प्रतिशत की वृद्धि होकर 1202 करोड़ आया है। 1202 करोड़ की वृद्धि होकर 1375 करोड़ हुआ और अब साढ़े चौदह करोड़। अंत में एक बात कहकर मैं समाप्त करुँगा आप देखें सबसे कम, किसी भी प्रदेश से आप देखें, सबसे कम लेबर डिस्प्यूट हुये हैं, सबसे कम काम के दिनों का नुकसान हुआ है, सबसे कम हड़ताले हुई हैं। यह इस बात का साक्ष्य है कि औद्योगिक वातावरण यहाँ सबसे अच्छा बना है। समय के अभाव में बहुत सी बातें हैं, जिनका जबाब नहीं दे सकता हूँ। इतना कहूँगा कि जो भी बात भाषण में आयी है, नोट किया है, कार्यवाही करुँगा। निश्चित रूप से जहाँ कोई ठीक रास्ता मुझको नहीं दिखाई पड़ेगा, जिस मा0 सदस्य का भाषण है, उनको बुलाकर राय, सलाह करुंगा और कोई न कोई रास्ता निकालने का प्रयास करुँगा। (ताली)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

रानी खेत मिल चार महीने से बन्द पड़ी है। उसको चलाने के लिये मा0 मुख्य मन्त्री जी क्या कर रहे हैं, बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठे।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मजदूर बाहर हैं। बच्चे भूंखो मर रहे हैं। मंत्री जी से मैं कई बार मिला। उस पर क्या कर रहे हैं, बता दें।

(व्यवधान)

श्री रियाज़त हुसेन—

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को आजमगढ़ का जो दंगा हुआ था, उसको जिस खूबी के साथ समाप्त किया, उसके लिये बधाई देता हूँ परन्तु निवेदन करुंगा कि आजमगढ़ का जो इशू है, क्या आप उस पर विचार करेंगे ? आज हर अदालत में एक हेड मुहर्रिर होता है जोकि पुलिस के अन्तर्गत होता है। कोर्ट मुहर्रिर कहते हैं, उसे जिस समय तक अदालत के मुतालिक हो, उस समय तक डिस्टिक सेसन के अन्तर्गत रखने का विचार करेंगे।

श्री खैरुल बशर—

बुनकरों की हालत बहुत ही दयनीय होती चली जा रही है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

पांच बजे तक समाप्त करना है। टाइम का एडजस्टमैंट करना पड़ेगा। पांच बजे बजट प्रस्तुत करना है। पौने पांच बजे तक समाप्त कर लें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जबसे सन् 80 के चुनाव के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, आज तक बहुत से प्रश्न इस सदन में विपक्ष से या सत्ता पक्ष से उठे थे। पहली बार माननीय मुख्य मन्त्री जी ने प्रयास किया है कि उनका उत्तर दें। धन्यवाद देता हूँ।

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं प्रशासन के बारे में। हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्रशासन बिगड़ता है और अच्छा भी होता है, सब कुछ होता है। 2-3 बातें जो हमारे विधायकों ने कहीं हैं, उन्हीं को मानकर विवेचना करना चाहता हूँ। सबसे पहले उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय श्याम लाल वाजपेयी जी का। उन्होंने सबसे ज्यादा कहा और हमने भी कहा है। लेकिन सत्ता पक्ष इस बात को कहता है कि पुलिस प्रशासन तंत्र जिन अधिकारियों के हाथ में हैं, वे बहुत भ्रष्ट हैं और नकारा हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जब कभी इटावा में कोई मर्डर हुआ तब मुलायम सिंह जी गये। मैं आपको सूचना देता हूं कि वह गये थे। उन्होंने एक चार्ज और लगाया कि श्री मुलायम सिंह जी के कारनामों को दबा रहे हैं। श्रीमन्, आप सुनते रहें।

श्री श्यामलाल वाजपेयी—

श्रीमन्, उन्होंने कहा, गये थे। हत्या के कितने दिन बाद गये थे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

हत्या के दूसरे-तीसरे दिन पहुँचे थे। श्रीमन्, यह हमारे अध्यक्ष का क्षेत्र हैं। श्री मुलायम सिंह विधान परिषद के हमारे नेता विरोधी दल भी हैं। माननीय वाजपेयी जी, उन्होंने 0 दिसम्बर, 1980 को प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गाँधी को एक पत्र लिखा, जिसका एक्नालेजमेंट भी वहाँ से आ चुका है। उसकी एक प्रति उन्होंने माननीय मुख्य मन्त्री जी को भी भेजी तथा राज्यपाल महोदय जी को भी भेजी। उसमें दिया गया है कि मैंने मुख्य मन्त्री से और सार्वजनिक रूप से बयान दिया तथा यह अनुरोध किया है कि मेरा तथा श्री बलराम सिंह जी के आरोपों के खिलाफ जाँच कम से कम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जाय। दो वर्ष के अन्दर 10 बार श्री मुलायम सिंह जी की जांच सी0 आई0 डी0, 10-10 डी0 वाई0 एस0 पी0 कर चुके हैं तथा उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी हूँ लेकिन फिर भी हम नहीं कहते हैं कि जाँच न करें। माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहते हैं तो जाँच कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि राजनैतिक जीवन में स्वच्छता रहनी चाहिये। यदि हम स्वच्छ नहीं रहेंगे तो भ्रष्टाचार और ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, यह मेरी मान्यता है।

श्रीमन्, इस बात को मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि यह जो योजनायें और विकास की चीजें हैं, लोग नीतियों के बारे में कहते हैं, हमारी नीतियों और आपकी नीतियों में कार्यान्वयन करने का अन्तर है। इसके अलावा एक चीज और है नीतियों को नियति। आप लिप सर्विस देना चाहते हैं। धन खर्च करते हैं, योजना प्रदेश में आयी, लेकिन आपने दखल किया, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले भूतपूर्व राज्य मन्त्री श्रीमती प्रेमवती तिवारी जी ने कहा कि इन चीजों को जहाँ तक पहुँचना चाहिये था वहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं। सरकारी आँकड़े बन जाते हैं, इस प्रकार अधिकारी ठग रहे हैं। श्री गोरे लाल शाक्य जी ने कहा कि वहाँ जो एस0 एस0 पी0 है, वह इतना भूखा है कि सबूत होने के बावजूद भी कातिल से रुपया लेकर छोड़ दिया। इसके बावजूद भी आप यह कहते हैं कि जांच करायेंगे। मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप उसको गलत जगह ट्रांसफर कर दीजिये, आप उसे अच्छी जगह पर ट्रांसफर कर दीजिये, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से एलीगेसन्स हैं तब आपको इस पर विचार करना ही होगा।

श्री बिहारी लाल जी ने कहा कि जो पैसा पहाड़ों में योजनाओं के लिये जाता है उसका आधा तो अधिकारियों के जेब में चला जाता है आर आधा पैसा योजनाओं पर खर्च किया जाता है।

मान्यवर, श्री सोमांश प्रकाश जी ने कहा कि भ्रष्टाचार ब्रह्म की तरह हो गया है। श्रीमन, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपये का गबन करने पर एक प्रोजेक्ट इन्जीनियर को आपने ही निकाला था किन्तु आप की ही सरकार ने उसे पुनः नियुक्त कर दिया श्री सुरेन्द्र कपिल देव जी ने बिजली के लगातार बढ़ती हुयी दरों के प्रति चिंता व्यक्त की और यही चिंता हमने भी व्यक्त की। इसी प्रकार राजकुमार जी ने अपनी जान के जाने की बात कई दफा दोहराई और यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनका झगड़ा और किसी से नहीं है माननीय मंत्री जी से है और माननीय मंत्री जी ने

स्वयं अपने आदमियों द्वारा गोली हमारे ऊपर चलवाई। माननीय मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हम स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं। अगर सच-मुच आप स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं तो भ्रष्ट आदमियों को तत्काल हटाए जाने की व्यवस्था कीजिए। श्रीमन्, मुईद अहमद साहब ने कहा कि जहां तक तानाशाही का बात है, वह किसी रूप में यहां है, यह बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, हम भी यही कहते हैं, इसी नीति के कारण विकास कार्यों में गति नहीं आ रही है और न ही आप उसको निर्धारित क्षमता को पहुँच सकते हैं।

श्रीमन्, राज्य मन्त्री, श्री शिवराज सिंह जी यहां बैठे हैं। आई0 आर0 डी0 के द्वारा जो किसानों को बुग्गी दी जा रही है, वह साढ़े चार हजार की कीमत के हिसाब से दी जा रही है, जबकि ओपेन मारकेट में रु0 32 सौ, 33 सौ रु0 की है। इसी प्रकार से डीजल इंजिन के जो प्राईस आपने फिक्स किये हैं, वह ओपेन मार्केट से नेट एक हजार रु0 ज्यादा है। ऐसा करने से किसानों का हित होगा या अहित, बल्कि इस प्रकार से जनता को तंग करने के यह प्रयास हैं। श्रीमन्, आपके थाने नीलाम होते हैं। आपके डी0 जी0 अलीगढ़ गये वहाँ के एस0 एस0 पी0 के बारे में बात-चीत के दौरान मालूम हुआ कि वह थाने नीलाम करते हैं, तो डी0 जी0 चुप हो गये। बजाए कोई ऐक्शन लेने के, वह चुप क्यों हो गये? श्रीमन्, आप चुप क्यों हो गये? इस तरह पुलिस पर नियन्त्रण नहीं कर सकते हैं और प्रशासन दिन पर दिन बिगड़ता ही जायेगा। एक बात और मैं कहता हूँ कि इटावा के राजवीर सिंह के परिवार का कत्ल हुआ। उनके परिवार के एक सदस्य मा0 मुख्य मंत्री जी से मिलना चाहते थे और वह यहाँ 6 तारीख को यहाँ आ रहे थे कि उन्हें इटावा स्टेशन पर रोक लिया गया।

अलीगढ़ में 6 महीने से ए0 आर0 नहीं है। अलीगढ़ में लखनऊ का ए0 आर0 10 दिन काम करने जाता है। तो कोई न कोई बात तो है ही। मैं चाहता हूँ कि इस पर आप विचार करें। आप अपने दल को एक कमटी बना दें और फिजिकल वेरीफिकेशन जरुर करायें, सब योजनाओं का। आपको मानना चाहिये कि ऐसा हो सकता है कि कार्यान्वित करने में कहीं कोई गलती हो। इसके बाद यह गलती समझ में आयगी। आप कहेंगे कि हम कमेण्ट करते हैं। मैंने धन्यवाद के प्रस्ताव में जो संशोधन दिया है, वह वही है, जिसका समर्थन आप सब ने किया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे संशोधनों को स्वीकार करें। यह परिपार्टी होगी, आप जिस बात को जुबान से कह गये, उसे स्वीकार करें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सत्ता पक्ष के और विपक्ष के मा0 सदस्यों का आभार प्रगट करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत ही भावपूर्ण और विचारपूर्ण भाषा में अपने सुझाव शासन के समक्ष रखे और अपनी भावनायें प्रगट कीं। समय की अवधि मा0 नेता, विरोधी दल के लिये नही रहती है लेकिन हम जैसे छोटे लोगों को एक निश्चित समय में उन तमाम बातों का, उनके प्रस्ताव को और उनके लम्बे संशोधनों को निस्सारता कहने में मजबूरी होता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मा0 नेता, सदन मा0 मुख्य मंत्री जी ने कुछ मुख्य बिन्दुओं पर, जिन पर शासन का ध्यान मा0 सदस्यों ने आकर्षित किया था, अपने विचार प्रगट कर दिये हैं और शासन की नीति-रीति भी स्पष्ट कर दी

है। इससे मेरा काम हल्का हो जाता है। मुझे इस सन्दर्भ में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

एक बात जो मा0 नेता, विरोधी दल ने अपने भाषण के शुरु में कही कि उनको बड़ा दर्द था कि इन्दिरा कांग्रेस की सरकार ने जो कल्याणकारी राज्य की थीथी घोषणा की है। उनका यह कहना था कि शासन की कथनी और करनी में अन्तर है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक ऐसा दल है, जिसकी कथनी और कथनी में कभी कोई अन्तर नहीं रहा है।

(लाल बत्ती जल जाने पर)

अरे मान्यवर, लाल बत्ती तो अभी से ही जल गयी।

श्री अध्यक्ष—

आप जल्द समाप्त करें, मैंने आपको याद दिलायी है। 5 बजे बजट प्रस्तुत होना है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ऐसा दल है जिसकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं रहा है। आजादी की लड़ाई से लेकर पंच वर्षीय योजनाओं द्वारा प्रगति के प्रवाह तक जीता-जागता प्रजातंत्र का आदर्श नमूना प्रस्तुत है। जब यह सत्ता में आये थे तब जिला परिषद् व क्षेत्रीय समितियों को तोड़कर प्रजातन्त्र की हत्या कर दी थी, हमने उन्हें फिर से कायम कर दिया है।

(सत्ता पक्ष द्वारा मेजों की थपथपाहट)

आप पुलिस की बात करते हैं। आपको उन पुलिस जनों की तारीफ करनी चाहिये थी, जिन पुलिस जनों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी प्रदेश की कानून व्यवस्था की रक्षा की है। स्व0 मूलचन्द्र, राजपाल सिंह, कृष्ण बिहारी शुक्ल, सिद्दिकी आदि पुलिस शौर्य के आदर्श उदाहरण की हमें तारीफ करनी चाहिये।

मान्यवर, इस बात को इसलिये भी कहना चाहता हूँ कि गरीबी की रेखा के नीचे वालों को ऊपर उठाने में वर्तमान शासन प्रयत्न शील है इसमें इन्हें कमी दिखाई पड़ा है एक बात जो उन्होंने कही है, उसे वह लोग कहेंगे ही क्योंकि जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसे इन्दिरा जी ने दिया है, उसका तो ये लोग विरोध ही करेंगे। इनके मन में बार-बार यह आता है कि ये कांग्रेस वाले अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। इससे विरोध का भविष्य अंधकारपूर्ण हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

ठीक है मान्यवर, इसके साथ ही मैं नेता विरोधी दल से और जिन सदस्यों ने संशोधन के प्रस्ताव रखे हैं, उनसे अपना प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करता हूँ और यह कहता हूँ कि वे प्रदेश की प्रगति में हाथ बटायें, प्रदेश को आगे बढ़ने में मदद करें और अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

1—प्रदेश में विद्युत् आपूर्ति, पूर्णतया असन्तोषजनक है, और कृषकों को उनके कार्य हेतु 6 घन्टे प्रतिदिन के हिसाब से विद्युत् आपूर्ति न होने पर भी शासन ने एक पक्षीय निर्णय लेकर विद्युत् दरों में बढ़ोत्तरी की है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

2— प्रदेश में गन्ना कृषकों का करोड़ों रुपया चीनी मिलों से भुगतान कराने में प्रदेश को सरकार असफल रही है, जिसके फलस्वरूप गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति उत्तरोत्तर खराब होती जा रही है। इस वर्ष कृषकों को ४-9 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना बेचना पड़ रहा है। गन्ना कृषकों को मिलने वाले मूल्य में तथा उनके द्वारा लगाई गयी उत्पादन लागत में सामंजस्य स्थापित करने में यह सरकार असफल रही है, और यही नहीं यह सरकार केन्द्र सरकार द्वारा नियन्त्रित प्रदेश में गन्ना मिलों से निर्धारित मूल्य दिलाने में भी असमर्थ रही है।

3—प्रदेश के विभिन्न निगमों जैसे-राज्य विद्युत् परिषद्, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य चीनी निगम में प्रतिवर्ष अरबों रुपये का घाटा हो रहा है, जो शासन की अक्षमता का द्योतक है।

4—प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ते साम्प्रदायिक तनाव है। मेरठ जैसे नगर में महीनों स्थिति अनियंत्रित रही, सैकड़ों आदमियों को जान से हाथ धोना पड़ा, तथा करोड़ों लोगों को सम्पत्ति से भी हाथ धोना पड़ा।

5—सदन के बार-बार आश्वासन देने के बाद भी स्थानीय निकायों के चुनाव सम्पन्न नहीं कराए जा सके।

6—प्रदेश के समस्त विकास कार्य ठप्प हो चुके हैं। जनता सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी विकास योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियां समाप्त होती जा रही हैं।

7—सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की स्थिति अत्यन्त असन्तोषजनक है। एक दल विशेष के लोग इस व्यवस्था से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में अनाज वितरण का कोई व्यवस्था नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। जिन्हें यह सरकार नियंत्रित करने में बिल्कुल असफल रही है। सरकार की अक्षमता के फलस्वरुप प्रदेश में भूख और ठण्ड से हजारों लोग मर गये।

8—प्रदेश के मन्त्रि मण्डल में अनेक मन्त्रियों के संरक्षण में प्रदेश की पुलिस अपराधिक प्रवृत्ति की होती जा रही है।

9—प्रदेश में चिकित्सालयों में जीवनोपयोगी दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, और निजी प्रैक्टिस पर इस सरकार द्वारा हटाया गया प्रतिबन्ध गरीबों के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है और प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

10—प्रदेश में चल रही सिंचाई परियोजनाएं धनाभाव के कारण पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिससे अधिष्ठानों पर व्यर्थ में करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष व्यय करना पड़ रहा है।

11— प्रदेश में गत वर्ष का बजट स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी अभी तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जनपदों में नहीं भेजी गयी हैं, जिसके कारण कोई भी विकास का कार्य वित्तीय वर्ष के दौरान सम्पन्न नहीं हो सका है।

12— प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उत्तरोत्तर बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं सचिवालय तक में कर्मचारियों द्वारा सरकार के विरुद्ध खुला विद्रोह किया गया है।

13—प्रदेश के करोड़ों नवयुवक बेरोजगार बन गये हैं। सरकार की ओर से कोई कारगर उपाय, बेरोजगारी की समस्या से जूझने का नहीं सुझाया गया है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष —

शेष संशोधन जो उपस्थित किये हुये माने गये थे वे भी अस्वीकार समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 1 फरवरी, 1983 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत कुल सात सूचनायें प्राप्त हुई हैं वो इस प्रकार हैं। पहली सूचना श्री राम स्वरुप वर्मा जी की है जिसे मैं पढ़े दे रहा हूँ कि वह कानपुर से लेकर मेरठ तक के पश्चिमी जिलो में आलू के खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना, श्री सत्यपाल सिंह की मुरादाबाद मण्डल के लक्सर व नजीबाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच डकैतों द्वारा लूटमार तथा दो व्यक्तियों की हत्या किये जाने के संबन्ध में है। तीसरी सूचना, श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री मसरुफ जाफरी, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री परमाई लाल तथा श्री खैरुल बशर की लखनऊ विश्वविद्यालय में गोली चलने के सम्बन्ध में है। पाँचवी सूचना, श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की जिला देवरिया के ग्राम खुखुन्दू में श्री ओम प्रकाश राय की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना, श्री रियासत हुसैन की मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच जालौन में उत्पन्न तनाव के सम्बन्ध में है। सातवी सूचना श्री थम्मन सिंह की, लखनऊ नया बाजार पर सरकार और बैंकों का 52.7 लाख रुपये के बकाये के संबंध में है।

मैंने इन सभी सूचनाओं को देखा है और श्री राम स्वरुप वर्मा की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है और बाकी को अस्वीकार किया है। श्री थम्मन सिंह की सूचना को मैंने शासन को भेज दी है और उसका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है तकि उसका उत्तर आ सके।

श्री राम स्वरुप वर्मा —

यह वक्तव्य कब देगें ? कल दिलवा दीजिए।

वित्त मंत्री श्री ब्रह्मदत्त—

15 फरवरी के बाद किसी दिन रख दें।

बजट साहित्य के वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी 5 बजे आय-व्ययक प्रस्तुत होगा। वित्तीय वर्ष 1983-84 का आय व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है। महिला सदस्य तथा नीचे लिखे जिलों के माननीय सदस्यगण क्रमशः 'हां' तथा 'नहीं' सभा कक्ष में अपनी प्रतियां प्राप्त करने का कष्ट करें।

'हां' सभा कक्ष में

महिला सदस्य उत्तर काशी, टेहरी गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, जाहजहां-पुर, लखीमपुर खीरी सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुलतानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, देवरिया, तथा आजमगढ़, जिले।

'नहीं' सभा कक्ष में

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, कानपुर, फतेह-पुर, इटावा, फर्रुखाबाद बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जालौन, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़ बुलन्दशहर, गाजियाबाद मेरठ, मुजफरनगर, सहारनपुर, देहरादून तथा श्री ए० सी० ग्राइस।

वित्तीय वर्ष 1983-84 का आय-व्ययक

(समय 5 बजकर 5 मिनट)

वित्तमंत्री श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं वर्ष 1983-84 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठे। बजट की प्रतियाँ बाँटी जांय।

(बजट की प्रतियाँ बांटी।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, समय से बजट प्रस्तुत करने का जो निश्चय हमारी सरकार ने किया था उसका निर्वाह करते हुये गत 3 वर्षों की भांति पुनः मुझे वर्ष 1983-84 का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुये हर्ष है। इस प्रकार योजना के कार्यान्वयन में जो विलम्ब होता था वह दूर हो गया है। इस वर्ष भी अधिकांश स्वीकृतियां अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही जारी कर दी गयीं। मुझे विश्वास है कि गत वर्षों की भाँति माननीय सदस्यों के सहयोग से बजट समय से ही पारित होगा। फिर भी, अप्रत्याशित परिस्तियों के निवारणार्थ मैं दो महीने का लेखानुदान भी प्रस्तुत कर रहा हूँ।

आर्थिक समीक्षा

प्रदेश 1979-80 से लगातार दैवी आपदाओं के प्रकोप से पीड़ित रहा है। वर्ष

1980-81 में जहाँ भीषण बाढ़ से 46 जिले प्रभावित हुये, वहाँ वर्ष 1981-82 में भी 33 जिले प्रभावित हुये। वर्ष 1982-83 में प्रदेश पर सूखा, ओला वृष्टि व बाढ़ तीनों का प्रहार हुआ। इस प्रकार पिछले 4 वर्षों से इन आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन और संसाधनों पर पड़ा है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हमने आर्थिक क्षेत्र में समुचित प्रगति की है।

राज्य की अर्थ व्यवस्था पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों के समग्र प्रभाव को राज्य आय अनुमानों से आंका जा सकता है। पुनरीक्षित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1970-71 के स्थायी भावों पर कुल राज्य आय 1979-80 में 4,560 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 1980-81 में 5,651 करोड़ रुपये हो गई। उपलब्ध सूचना के आधार पर वर्ष 1981-82 में राज्य की कुल आय 5,871 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय जो वर्ष 1979-80 में 426 रुपये थी, वर्ष 1980-81 में बढ़कर 515 रुपये हो गई। वर्ष 1981-82 में प्रति व्यक्ति आय 522 रुपये सभावित है।

प्रचलित भावों पर राज्य आय वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में क्रमश: 10,283 करोड़ रुपये रही। तथा 13,955 करोड़ रुपये रही वर्ष 1981-82 में यह 14,732 करोड़ रुपये आंकी गई है। प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1979-80 एवं 1980-81 में क्रशमः 962 और 1,2 2 रुपये रही जबकि वर्ष 1981-82 में 1,309 रुपये अनुमानित है।

वर्ष 1980-81 में खाद्यान्न उत्पादन 249.48 लाख मीट्रिक टन था। वर्ष 1981-82 में ओला व असामयिक वर्षा के कारण कुछ गिरावट आई और उत्पादन 244.27 लाख मीट्रिक टन हुआ जो वर्ष 1979-80 की तुलना में 52.3 प्रतिशत अधिक है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1979-80 में 169.1 था जो वर्ष 1980-81 और 1981-82 में बढ़कर क्रमश: 172.5 व 190.8 हो गया। अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि में तापोय विद्युत गृहों का प्लान्ट लोड फैक्टर 38.9 प्रतिशत रहा जबकि इसी अवधि में वर्ष 1981 में यह 36.7 प्रतिशत था। इसी प्रकार उक्त अवधि में कुल विद्युत उत्पादन 9,369.3 मिलियन यूनिट हुआ जबकि वर्ष 1981 में 8,436.6 मिलियन यूनिट था।

जैसा कि आपको विदित ही है, छठी पंचवर्षीय योजना का आकार 6,200 करोड़ रुपये है। प्रथम दो वर्षों में 2,130.51 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है तथा वर्ष 1982-83 में अनुमानित व्यय 1,212.15 करोड़ रुपये का है। इस प्रकार वर्ष 1982-83 के अन्त तक कुल व्यय 3,342.66 करोड़ रुपये अर्थात् कुल परिव्यय का 54 प्रतिशत हो जायेगा। कृषि एवं संवर्गीय कार्यक्रम तथा उद्योग के क्षेत्र में प्रथम तीन वर्षों में व य कुल व्यय का क्रमश: 57 तथा 58 प्रतिशत रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष रूप म प्राथमिकता दी गई है और छठी पंचवर्षीय योजना के लिये निर्धारित 570 करोड़ रुपये के परिव्यय के विरुद्ध वर्ष 1982-83 तक अनुमानित व्यय 314.08 करोड़ रुपये हो जायेगा जो कुल परिव्यय का लगभग 55.1 प्रतिशत है।

विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों का विवरण मैं यथा स्थान करूंगा।

वार्षिक योजना

1983-84 की वार्षिक योजना 1,375 करोड़ रुपये की होगी जो कि 1982-83 की योजना के आकार से 173 करोड़ रुपये अधिक है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों/-जनजातियों के विकास के लिये मिलने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता लगभग 25 करोड़ रुपये होने की आशा है। पर्वतीय क्षेत्र में 1983-84 में 140 करोड़ रुपये की धनराशि विकास हेतु व्यय की जायगी जो 85 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता से व 55 करोड़ रुपये राज्य के साधनों से पोषित की जायगी। वार्षिक योजना का मुख्य भाग ऊर्जा, सिंचाई, यातायात के साधनों को सुधारने व गरीब तथा पिछड़े वर्गों के उत्थान के कार्यक्रमों पर व्यय किया जायगा।

20 सूत्री कार्य-क्रम

माननीया प्रधान मंत्री द्वारा उद्घोषित 20 सूत्री सर्वांगीण कार्यक्रम को प्रदेश में एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। इसके समुचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु व्यापक व्यवस्था की गई है। राज्य स्तर पर कार्यक्रम की समीक्षा तथा अनुश्रवण हेतु मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति को पुनर्गठित किया गया है। जनपद स्तरीय समीक्षा हेतु मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों को जिले आवंटित किए गए हैं तथा जनपद स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत 21 करोड़ पौधों के रोपण के वर्ष 1982-83 के लक्ष्य को नवम्बर, 1982 के पहले ही पूरा कर लिया गया है। स्वैच्छिक परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले वर्ष 1.59 लाख स्टरलाइजेशन की उपलब्धि के विपरीत इस वर्ष नवम्बर तक 1.95 लाख स्टरलाइजेशन किये जा चुके हैं। इस वर्ष 4,249 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने के लक्ष्य के विपरीत नवम्बर तक 1,599 श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया। 3,675 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विपरीत नवम्बर 1982 तक 1583 ग्रामों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराई गई। हरिजन बस्तियों में 1,308 कुओं का निर्माण इस वर्ष सितम्बर के अन्त तक किया गया तथा 7,305 हैण्ड पाइप लगाये गये। 13,000 ग्रामीण एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लक्ष्य के विपरीत नवम्बर, 1982 तक 6,529 उद्योगों को स्थापित किया जा चुका है। वर्ष 1981-82 में 5,153 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया। नवम्बर, 1982 तक प्रदेश के 49,194 ग्रामों तथा 19,414 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

वर्ष 1983-84 में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 4,500 समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। 3,500 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है तथा वृक्षारोपण का लक्ष्य लगभग दुगुना कर 40 करोड़ से भी अधिक कर दिया गया है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत अगले वर्ष 6.20 लाख स्टरलाइजेशन का लक्ष्य निर्धारित है।

संशोधित सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अक्तूबर, 1982 तक प्रदेश में 2.64 लाख एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जा चुका है जिसमें से 2.36 लाख एकड़ भूमि का

बन्दोबस्त 1.93 लाख व्यक्तियों को कर दिया गया है। इनमें से 1.43 लाख व्यक्ति अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं जिन्हें 1.40 लाख एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इन आवंटियों को वर्ष 1981-82 में 42.60 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी थी जबकि वर्ष 1982-83 में 96.24 लाख रुपये का प्राविधान है और अनुमान है कि इस धनराशि के वितरण से लगभग 25,000 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। गांव सभा भूमि के आवंटियों को कब्जा दिलाने के लिए विशेष अभियान के फलस्वरूप 18.09 लाख व्यक्तियों को 6.41 लाख हेक्टेयर भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया गया है। प्रदेश में अभी तक पात्र पाये गये 15.03 लाख व्यक्तियों को आवास स्थल आवंटित किये जा चुके हैं।

जियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण

प्रदेश के नियोजित विकास को सुदृढ़, लोकप्रिय एवं प्रभावशाली बनाने तथा स्थानीय आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का समावेश करते हुए "नीचे से नियोजन' किये जाने की कल्पना को साकार करने हेतु जिला योजनाओं की संरचना की गई। इस नवीन व्यवस्था से प्रभावित होकर बिहार व हिमांचल प्रदेश सरकारों के प्रतिनिधि मण्डलों ने जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया। प्रदेश के लिये यह बड़े गौरव की बात है कि योजना आयोग, भारत सरकार ने अन्य प्रदेशों को भी उत्तर प्रदेश की भांति नियोजन व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण प्रणाली के अपनाने का परामर्श दिया है।

वर्ष 1982-83 की भांति 1983-84 के लिये भी जिला योजनाओं की संरचना जनपदों द्वारा की गयी है। वर्ष 1983-84 की योजना में लगभग 387 करोड़ रुपये की धनराशि जिला सेक्टर हेतु निर्दिष्ट की गई है जिसमें से लगभग 67 करोड़ रुपये पर्वतीय क्षेत्र जिला सेक्टर की योजनाओ के लिये हैं।

विकेन्द्रित नियोजन व्यवस्था में अभी विभागों व जनपदों को पर्याप्त अनुभव प्राप्त करना है। इसके क्रियान्वयन में कुछ कठिनाइयां भी आई हैं, जिनका तत्परता से निराकरण किया जा रहा है। साथ ही वित्तीय, प्रशासनिक एवं प्राविधिक स्वीकृतियां जारी करने की वर्तमान प्रक्रिया के सरलीकरण पर भी विचार किया जा रहा है। नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण में वास्तव में राज्य मुख्यालय से जिलों व गांवों को अधिकारों का विकेन्द्रीकरण निहित है। मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि कुछ क्षेत्रों में अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ आशंकायें हैं किन्तु मेरा दृढ़ विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया और अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का कोई और विकल्प नहीं है।

पर्वतीय विकास

पर्वतीय क्षेत्र की विशेष समस्याओं के समाधान तथा पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1983-84 के लिये 140 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

वर्ष 1983-84 में मुख्यत: अवस्थापना सुविधा का व्यवस्था के अतिरिक्त परिवारोन्मुख कार्यों के साथ-साथ इकोलाजो एवं पर्यावरण के सुधार पर अधिक बल दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं को व्यवस्था के लिये सामान्य शिक्षा, ग्रामीण सड़कों, जनस्वास्थ्य, पेय जल, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं निर्बल वर्ग आवास तथा पुष्टाहार कार्यक्रम का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। इस वर्ष 540 ग्रामों में पेय जल सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इकोलाजी/ पर्यावरण में सुधार हेतु वर्ष 1983-84 में वनीकरण एवं भूमि संरक्षण तथा समेकित जल संग्रह प्रबन्ध को योजना कार्यान्वित की जायेगी।

देहरादून में होटल मैनेजमेंट कैटरिंग संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। मशरूम उत्पादकों को अधिक सुविधायें दी जा रेहो हैं। वर्ष 1983-84 में जल निगम की निष्क्रिय योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिये 25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। एच0 एम0 टी0 द्वारा रानीबाग, जिला नैनोताल में घड़ी निर्माण के लिये लगाये जा रहे कारखाने के लिये भूमि उपलब्ध करा दी गई है। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा जिला अल्मोड़ा में एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव है जिसके लिये भूमि का चयन किया जा रहा है। अखिल भारतीय लघु स्तरोय घड़ो निर्माण सोसाइटी द्वारा भी स्विस कम्पनो के सहयोग से देहरादून में एक कारखाना लगाये जाने का प्रस्ताव है जिसकी लागत लगभग 30 करोड़ रुपये होगी।

कृषि उत्पादन

वर्ष 1982-83 में कुल 260 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, परन्तु दैवी आपदाओं से खरीफ को फसल अत्यधिक प्रभावित होने के कारण लगभग 20 प्रतिशत फसल के नष्ट होने का आशंका है। रबी के लक्ष्य को पूर्ति हेतु अधिक उपजदायी प्रजातियों का प्रयोग, उर्वरकों का अधिक से अधिक प्रयोग एवं पौध सुरक्षा उपायों पर विशेष बल दिया जा रहा है। वर्ष 1983-84 के लिये खाद्यान्न का लक्ष्य 274 लाख टन निर्धारित किया गया है।

प्रदेश के कुल 172 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में से 77 लाख हेक्टेयर वर्षा पर निर्भर है। शुष्क कृषि के विकास हेतु इससे सम्बन्धित तकनोको ज्ञान एवं उपयुक्त कृषि निवेशों की व्यवस्था पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश को जलवायु के आधार पर 4 कृषि प्रक्षेत्रो में विभाजित किया गया है और प्रत्येक प्रक्षेत्र को जलवायु, भूमि आदि की दशा को ध्यान में रखकर रबी व खरीफ की फसलो के लिये उपयुक्त प्रजातियों का चयन किया गया है तथा इंटरक्रापिंग विधियों एवं समोचीन उर्वरकों के मापदण्ड बनाये गये हैं।

दलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रीष्म की मूंग तथा अगैती अरहर के साथ मूंग की फसल लेने एवं आधुनिक कृषि तकनीको को लोकप्रिय बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में वर्ष 1980-81 में तिलहन का उत्पादन 15.64 लाख टन था जो वर्ष 1981-82 में वढ़कर 19.43 लाख टन हो गया। वर्ष 1983-84 के लिये 23 लाख टन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

गोमती नदी जलसमेट की योजना प्रारम्भ की गयी है जिसमें 3,200 हेक्टेयर कन्टूर बाँडिग, 900 हेक्टेयर समतलीकरण, 1,380 हेक्टेयर डिटेन्शन डैम, चेक डैम एवं गली प्लगिंग, 640 हेक्टेयर वनीकरण इत्यादि का कार्य पूरा किया जायेगा।

विभागीय कृषि प्रक्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये प्रयास किये जायेंगे। प्रक्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि शत-प्रतिशत उपयोग में लायी जायेगी। फसलवार प्रति हेक्टेयर उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित कर लिये गये हैं ताकि इन प्रक्षेत्रों से अधिकाधिक उन्नतशील बीज कृषकों को उपलब्ध कराये जा सकें। प्रति हेक्टेयर व्यय की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी गई है।

कृषि के सर्वांगीण विकास के लिये राज्य कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के सहयोग से प्रदेश की समस्त कृषि शोध योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेगी और प्रदेश में कृषि की उपज बढ़ाने के लिये आधुनिक प्रणाली व यन्त्रों को अपनाये जाने के लिये राज्य सरकार को परामर्श देगी।

पशु पालन एवं दुग्ध विकास

पशु धन विकास आर्थिक दृष्टि से दुर्बल एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये अतिरिक्त आय का स्रोत है। वर्ष 1983-84 में पशु पालन विकास के कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावशाली बनाने एवं सभी पशु-प्रजनन सम्बन्धी सुविधायें सुलभ कराने का विशेष प्रयास किया जायेगा।

प्रदेश में अनुसूचित जाति के आर्थिक उत्थान के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत मिनी डेरी, संकर बछिया, सूकर इकाई, बकरी पालन इकाई तथा कुक्कुटपालन इकाई आदि की स्थापना से वर्ष 1983-84 में 6,000 व्यक्तियों को लाभान्वित कराने का लक्ष्य प्रस्तावित हैं।

प्रवेश में समन्वित दुग्धशाला विकास के लिए दुग्ध क्षेत्रों में सहकारी दुग्ध समितियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु "आनन्द पद्धति" के अनुसार कार्य किया जा रहा है। प्रदेश के 25 जनपदों में "आपरेशन फ्लड-2" कार्यक्रम का कार्यान्वयन इंडियन डेरी कारपोरेशन की सहायता से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम पर आगामी 7 वर्षों में लगभग 60 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन व सहकारी दुग्ध संघों की आर्थिक स्थिति देखते हुए मार्च, 1982 तक उनको दिए गए ऋण को अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया है तथा देय ब्याज को बट्टे खातें में डाल दिया गया है। आशा हैं इससे इनको आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने में सहायता मिलेगी।

ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों में पेय जल व्यवस्था निर्बल वर्ग आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना तथा पुष्टाहार योजना कार्यक्रम ग्रामीण अंचलो में कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में अभावग्रस्त बेरोजगार व्यक्तियों के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने तथा उसके माध्यम से स्थाई परिसम्पत्ति के सृजन के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चलाई जा रही है।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना हेतु प्रति विकास खण्ड 8 लाख रुपये के व्यय का प्राविधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड 600 परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। इस वर्ष दिसम्बर तक 2.12 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस वर्ष नवम्बर तक लघु सिचाई के माध्यम से 4.75 लाख हेक्टेयर सिचन क्षमता सृजित की जा चुकी है। बुन्देलखण्ड के पठारी क्षेत्रों में निजी नलकूपों के निर्माण की भारी लागत व कठिनाइयों को देखते हुये लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है जिसकी अधिकतम सीमा 25 हजार रुपये रखी गई है। यह सुविधा भी दी गई है कि बोरिंग असफल होने पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

प्रदेश में पंचायती राज की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये इस वर्ष राज्य सरकार ने चिरप्रतीक्षित गांव पंचायतों के निर्वाचन सम्पन्न कराये। संगठित 74,102 गांव सभाओं के निर्वाचित प्रधानों में 8632 महिलायें तथा 5,285 हरिजन वर्ग के हैं। नव निर्वाचित अधिकांश प्रधान नवयुवक हैं और उनमें विकास के कार्यों के प्रति आस्था है। राज्य सरकार कृतसंकल्प है कि पंचायती राज संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप को पुनर्जीवित तथा पुनर्गठित किया जाय। गांव पंचायतों का निर्वाचन राज्य सरकार के प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।

सहकारिता

कृषि ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 1983-84 में सहकारी समितियों द्वारा 250" करोड़ रुपये के अल्पकालिक ऋण तथा उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा 70 करोड़ रुपये की दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। विगत वर्ष दैवी आपदाओं के कारण जिला सहकारी बैंकों की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वसूली में कमी आने से सहकारी बैंकों को ऋण उपलब्ध कराने की क्षमता को बनाए रखने हेतु नान ओवर ड्यूज कवर के लिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से 13 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये हैं।

दैवी आपदाओं के कारण कृषकों से सहकारी ऋणों की वसूली न करने तथा उनके अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक को 7.00 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं।

सार्वजनिक वितरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार दुकानें सहकारी समितियों द्वारा चलाई जा रही हैं जिसके परिणामस्वरुप चीनी, मिट्टी का तेल एवं खाद्यान्न की ग्रामीण जनता के लिये उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है।

विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण गोदाम परियोजना एवं सहकारी शीतगृह योजना चलाई जा रही है। ग्रामीण गोदाम परियोजना के अन्तर्गत 1,885 गोदाम निर्मित किये जा चुके हैं तथा शीतगृह परियोजना के अन्तर्गत 21 शीतगृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 1983-84 के लिए 300 करोड़ रुपये मूल्य के उर्वरक वितरण तथा 150 करोड़ रुपये की कृषि उपज के विपणन का लक्ष्य रखा गया है।

वन

प्रदेश की आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि में वनों का अपना विशेष स्थान है। इस राज्य में वनों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से समस्त उपलब्ध सीमान्त भूमि और गांवों की सामुदायिक बेकार भूमि पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही सामाजिक वानिकी प्रायोजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 42 जनपदों में वर्ष 1982-83 में 14,500 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण लक्ष्य के विरुद्ध माह सितम्बर, 1982 के अन्त तक 14,791 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया जा चुका है। सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिये विशेष अनुश्रवण यूनिट की स्थापना की गयी है। नर्सरियों व पौधशालाओं की देख-रेख के लिये विशेष स्टाफ की व्यवस्था की जा रही है। सामाजिक वानिकी के कार्यक्रम की सराहना विश्व बैंक की टीम ने बार-बार की है। हमारा प्रयास यही है कि सामाजिक वानिकी के माध्यम से जहां एक ओर अधिक से अधिक क्षेत्रफल वनों के अन्तर्गत लाया जाय वहीं दूसरी ओर जनता को कोई कठिनाई भी इस कारण अनुभव न हो।

वन उपज के विदोहन में ठेकेदारी प्रथा की बुराइयों को शीघ्रता से समाप्त करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश वन निगम के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करते हुये वर्ष 1982-83 के वर्किंग सीजन में समस्त क्षेत्रीय वृत्तों में वन उपज के विदोहन का कार्य वन निगम को सौंप दिया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में समस्त विकास खण्ड स्तर पर 2 हेक्टेयर पौध लगाने का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आगामी वर्ष में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक हेक्टेयर क्षेत्र की नर्सरी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

हाल ही में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में जलौनी लकड़ी की समस्या उभर कर आई थी। इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार ने 27 वृक्ष प्रजातियों के पातन को वृक्ष संरक्षण अधिनियम से मुक्त किया जिन्हें काश्तकार अपने खेतों की मेड़ों अथवा खेतों में रोपित करते हैं। इस प्रकार के वृक्षों का लकड़ी के अभिवहन की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया गया है और अब खण्ड विकास अधिकारी द्वारा काश्तकार बयान हल्फी के आधार पर स्थानीय बनराजि अधिकारी से काश्तकार को ट्रांजिट पास मिल जाया करेगा। जलौनी लकड़ी और इमारती लकड़ी की शहरों में आपूर्ति की व्यापक व्यवस्था वन निगम के माध्यम से की जा रही है।

सिंचाई

कृषि के विकास में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के लगभग 1/2 लाख हेक्टेयर शुद्ध कृषित क्षेत्र में से मार्च, 1982 के अन्त तक राज्य के सिंचाई संसाधनों से 95.37 लाख हेक्टेयर को सिंचन क्षमता सृजित की जा चुका था। अनुमान है कि मार्च, 1983 के अन्त तक इसमें 3.40 लाख हेक्टेयर की वृद्धि होगी।

इस समय 27 वृहद् सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है जिनकी कुल लागत 1,704. 18 करोड़ रुपये है। वर्ष 1982-83 के अन्त तक इन योजनाओं पर 967. 78 करोड़

रुपये का व्यय अनुमानित है। 19 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर भी कार्य हो रहा है जिनकी कुल अनुमानित लागत 81.05 करोड़ रुपये है। इसमें से मार्च, 1983 के अन्त तक 59.36 करोड़ रुपये का व्यय होने की आशा है। पुरानी नहरों के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पूर्वी यमुना नहर, ऊपरी गंगा नहर, आगरा नहर आदि योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 26.75 करोड़ रुपये की लागत का मौदहा बांध, 55 करोड़ रुपये की लागत की कनहर सिंचाई योजना तथा अन्य योजनायें निर्माणाधीन हैं। पूर्वी क्षेत्र में 299.20 करोड़ रुपये की लागत की सरयू नहर परियोजना व पश्चिमी क्षेत्र में 135.01 करोड़ रुपये की लागत की मध्य गंगा कैनाल योजना पर कार्य तेजी से चलाया जा रहा है।

राजकीय नलकूपों के कार्यकलापों में सुधार लाने के दृष्टिकोण से सरकार ने एक समिति गठित की थी जिसकी सिफारिशों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए हैं। नलकूपों के रख-रखाव पर व्यय की जाने वाली धनराशि की सीमा बढ़ा कर 3 हजार रुपये प्रति नलकूप प्रति वर्ष कर दी गई है। अनुरक्षण खण्ड का स्टाफिंग पैटर्न भी निर्धारित कर दिया गया है। नलकूपों के कमाण्ड क्षेत्र और थोकों के पुनरीक्षण के आदेश दिये गये हैं। वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु कैपेसिटर्स लगाने की व्यवस्था की जा रही है तथा पानी की चोरी रोकने के लिये विद्युत मीटर भी लगाए जा रहे हैं। मोटर, स्टार्टर आदि के मरम्मत की व्यवस्था सुदृढ की जा रही है तथा मोटरों, पम्पों आदि की आरक्षित संख्या भी बढ़ाई जा रही है जिससे यांत्रिक खराबी के कारण नलकूपों की बन्दी की अवधि घटाई जा सके।

प्रदेश की प्रगति की गति को तीव्र करने की दिशा में राज्य संसाधन जुटाने के लिये विदेशी संगठनों से पूंजी प्राप्त कर केन्द्रीय सहायता में वृद्धि करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना विश्व बैंक व अन्तर्राष्ट्रीय फण्ड फार एग्रीकल्चरल डेवलपमेन्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई है जिसके अन्तर्गत इन संगठनों द्वारा नई तकनीक से लगभग 2,200 नये नलकूप बनाने व 750 नलकूपों को सुधारने के लिये एक कार्यक्रम चार वर्षों में कार्यान्वित किया जायेगा जिसमें लगभग 175 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इस परियोजना के लिये विश्व बैंक द्वारा 9.1 करोड़ डालर व कृषि विकास कार्यक्रम के लिये आई0एफ0ए0डी0 द्वारा 3.5 करोड़ डालर दिये जायेंगे। इससे राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता में 8.82 करोड़ डालर जोकि लगभग 82 करोड़ रुपये हैं, की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। इस परियोजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नलकूपों को विशेषकर उन स्थानों पर लगाया जायेगा जहां छोटी जोत के किसानों का बाहुल्य हो और जहां सिंचाई के निजी स्रोतों का विकास नहीं हुआ है।

ऊर्जा

ताप विद्युत के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार आया है। अप्रैल-दिसम्बर, 1982 की अवधि में गत वर्ष की तुलना में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्युत कटौती समाप्त करते हुए अब ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10 घन्टे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। मुझे हर्ष है कि विद्युत परिषद् को कर्मचारीगण का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है और आपसी सम्बन्ध मधुर रहे हैं।

500 मेगावाट की दो यूनिट वाली आनपारा 'ब' परियोजना को येन पूंजी से सम्बद्ध किया जा रहा है जिससे सीमित परिव्यय में ही इसका निर्माण कार्य शीघ्र सम्भव हो सकेगा।

बढ़ती हुई विद्युत् मांग की पूर्ति के लिए 2,653.5 मेगावाट के जलीय तथा 2,710 मेगावाट के तापीय परियोजना पर तेजी से काम जारी है। वर्ष 1980-85 योजनावधि में 1,824 मेगावाट क्षमता की वृद्धि अपेक्षित है। इसमें से 544 मेगावाट क्षमता सृजित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सिंगरौली बृहद् तापीय परियोजना से 300 मेगावाट की प्राप्ति भी अपेक्षित है।

110 मेगावाट की पारिछा स्थित दो तापीय इकाइयों का कार्य समाप्ति पर है और आशा है कि प्रथम इकाई मार्च, 1983 में चालू हो जायेगी।

ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के विकास के कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के दृष्टिकोण से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एनर्जी काम्पलेक्स स्थापित किये जायेंगे जिनके अन्तर्गत कम्युनिटी बायो-गैस संयंत्र, विंड मिल्स, सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, सोलर ग्रेन ड्रायर, सोलर डिस्टीलेशन यूनिट, सोलर फोटोवाल्टाइक सिस्टम आदि स्थापित किये जायेंगे। जिला सुल्तानपुर में मजवारा गांव, रायबरेली में दाउदनगर तथा इलाहाबाद में पत्थर ताल गांव का चयन एनर्जी काम्पलेक्स स्थापित करने के लिये कर लिया गया है।

केन्द्रीय योजना आयोग के संरक्षण में पूरे देश में कुल पांच समन्वित ऊर्जा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें से एक लखनऊ में मोहनलालगंज में है। केन्द्रीय अतिरिक्त ऊर्जा आयोग द्वारा सुल्तानपुर, रायबरेली व देवरिया में विंड मिल, फोटोवाल्टाइक पम्प, बायो-गैस प्लान्ट आदि अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

उद्योग

उत्पादन में वृद्धि, प्रदेश में उपलब्ध तकनीकी जन शक्ति का पूर्ण उपयोग, अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन एवं कृषि तथा उद्योग के समन्वय से पिछड़े क्षेत्रों का तेजी से विकास राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के मुख्य स्तम्भ रहे हैं।

शासन द्वारा गठित हाई पावर कमेटी, उद्योग बन्धु तथा लघु उद्योग बन्धु द्वारा प्रभावी समन्वयन, परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा तथा उद्यमकर्त्ताओं की कठिनाइयों के निराकरण की दिशा में अथक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में 22 ऐसे जनपद हैं जिनमें एक करोड़ रुपये से ऊपर की लागत के बड़े उद्योग नहीं हैं तथा 11 ऐसे जनपद हैं जहां 25 लाख रुपये से ऊपर की लागत वाले एक भी भारी या मध्यम उद्योग नहीं हैं। इन क्षेत्रों में केन्द्रीय/संयुक्त/राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं की स्थापना के लिये सभी सुविधायें प्राथमिकता के आधार पर दी जा रही हैं। निश्चित अवधि में किसी भी तहसील में पहली बार लगने वाली एक करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली औद्योगिक इकाई, जिसको पाइनियर इकाई कहा गया है तथा 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली पहली इकाई जिसको प्रेस्टिज इकाई कहा गया है, को विशेष पूंजीगत उपादान, बिक्रीकर में छूट तथा अन्य सुविधायें प्रदान की गई हैं। बिक्रीकर से छूट की सुविधा

विनिर्दिष्ट नई औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध होगी। औद्योगिक विकास के लिये वातावरण तैयार करने की दिशा में यह एक अहम कदम है।

केन्द्रीय सेक्टर की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनायें प्रदेश में स्थापित करने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। बाम्बे हाई और साउथ बसीन से प्राप्त प्राकृतिक गैस पर आधारित जो 4 बड़े उर्वरक कारखाने उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने हैं उनके लिए भारत सरकार ने स्थानों का चयन कर लिया है। यह कारखाने जिला बरेली में आंवला, जिला बदायूं में बबराला, जिला सुल्तानपुर में जगदीशपुर तथा शाहजहांपुर में स्थापित किए जायेंगे। रक्षा मंत्रालय द्वारा हवाई जहाज के उपकरण बनाने के जिस कारखाने को प्रदेश में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था उसके लिए जिला सुल्तानपुर में कोरवा नामक स्थान पर राज्य सरकार ने भूमि उपलब्ध करा दी है और परियोजना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। गोण्डा जनपद में आई0टी0आई0 एलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के उपकरण बनाने के प्रस्तावित कारखाने की लागत लगभग 150 करोड़ रुपये है और इसके लिए भी भूमि उपलब्ध करा दी गई है। पौड़ीगढ़वाल में भारत एलेक्ट्रानिक्स द्वारा एक कारखाना प्रतिरक्षा उपकरणों के बनाने के लिए लगाना निश्चित किया गया है और इसके लिए स्थल का चुनाव किया जा रहा है। भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आयल इंडस्ट्रीज डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा एरोमैटिक काम्प्लेक्स जिला अलीगढ़ में 850 करोड़ रुपये की लागत से लगाया जाना है जिसके लिए 1,500 एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स द्वारा जगदीशपुर जिला सुल्तानपुर में हाई टेन्शन इंसुलेटर बनाने का जो कारखाना लगाया जा रहा है उसके लिए भी भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है और परियोजना पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।

प्रदेश में सार्वजनिक तथा सहकारिता क्षेत्रों में स्थापित की जा रही 12 कताई मिलों में से 7 मिलों में वर्ष 1983-84 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की 8 कताई मिलों की क्षमता 2 लाख तकुओं से बढ़ाकर 4 लाख तकुवे की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निजी क्षेत्र में भारी उद्योग स्थापित किये जाने के प्रयासों के फलस्वरूप गुरजपुर में डी0 सी0 एम0 टोयोटा मोटर गाड़ी तथा एस्कार्ट याहामा मोटर साइकिल कारखानों के लिये भूमि उद्यमकर्ताओं को दी जा चुकी है तथा इसी स्थान पर 1,500 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित की जा रही है।

आर्थिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग को औद्योगिक विकास के माध्यम से लाभान्वित करने के लिये दस्तकारी, हरकरघा तथा अन्य ग्रामीण उद्योग धन्धों के लिये पूंजी निवेश की प्रक्रियाओं को उदार बनाया गया है। प्रत्येक विकास खण्ड में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 100 लघुतर औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने तथा ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत 75 व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड प्रत्येक विकास खण्ड में 50 कुटीर उद्योग स्थपित करने के लिये उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध करायेगा। हथकरघा वस्त्रों की प्रोसेसिंग का दूसरा प्लान्ट झांसी में लग रहा है। रेशमी धागों व वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाने के लिये वाराणसी

में रेशम विकास परियोजना शुरू की जा रही है जिसके अन्तर्गत 5,000 करघों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जायगी।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

राज्य सरकार द्वारा निरन्तर यह प्रयास किया गया है कि चीनी मिलों द्वारा किसानों का अधिकतम गन्ना पेरा जाय और चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को दिए जाने वाले मूल्य लाभकारी हों। पेराई सत्र 1979-80 में चीनी मिलों द्वारा कुल 155.18 करोड़ रुपये ही गन्ना मूल्य दिया गया था, परन्तु पेराई सत्र 1980-81 में 286.81 करोड़ रुपये दिया गया और पेराई सत्र 1981-82 में यह धनराशि बढ़ कर 470.81 करोड़ रुपये देय हुई है, जिसमें से दिसम्बर, 1982 के अन्त में केवल 29.46 करोड़ रुपये अवशेष रहे, जिसके भुगतान किये जाने का प्रयास जारी है। अधिकाधिक गन्ने की पेराई सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 1981-82 की ग्रीष्म ऋतु में भी कम रिकवरी होने के बावजूद चीनी मिलों ने बराबर काम किया और कुल 20.60 लाख टन चीनी पैदा की, जो स्वयं में एक कीर्तिमान है।

चालू पेराई सत्र 1982-83 में यद्यपि भारत सरकार के न्यूनतम गन्ना मूल्य वर्ष 1979-80 के 13 रुपये कुन्तल के ही स्तर पर रखा है, राज्य सरकार द्वारा चीनी मिलों के गेट पर प्राप्त होने वाले गन्ने के लिए प्रदेश के पश्चिमी एवं मध्य भाग में 21.50 रुपये प्रति कुन्तल तथा पूर्वी भाग में 20.50 रुपये प्रति कुन्तल मूल्य किसानों को दिलाया जा रहा है।

चीनी उद्योग के विकास के लिए न केवल चीनी मिलों की संख्या में बल्कि वर्तमान मिलों की क्षमता में भी वृद्धि की जा रही है। पिछले दो वर्षों में 2 सहकारी चीनी मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है, 3 अन्य सहकारी मिलें वर्ष 1983-84 से उत्पादन आरम्भ कर देंगी तथा 5 अन्य मिलों का निर्माण प्रगति पर है। एक मिल का आधुनिकीकरण तथा दो मिलों का क्षमता विस्तार किया जा चुका है, 2 मिलों की क्षमता में विस्तार इसी वर्ष पूरा हो जायेगा व 3 मिलों का क्षमता विस्तार प्रगति पर है। राज्य चीनी निगम की 3 इकाइयों का आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार प्रगति पर है तथा किच्छा इकाई की क्षमता का विस्तार शीघ्र पूरा हो जाने की आशा है।

सम्पूर्ण नगर (लखीमपुर खीरी) तथा पूरनपुर (पीलीभीत) में नई सहकारी चीनी मिलों को लगाने के लाइसेन्स भी प्राप्त हुए हैं और उनका भी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। तीन नई आसवनियों की स्थापना भी की जा रही है।

गुड़ एवं खांडसारी के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु तत्सम्बन्धी नीति को और उदार किया गया है ताकि गन्ने की खपत समय से होने के साथ-साथ गन्ना किसानों को इनसे भी उचित मूल्य मिल सके। प्रदेश से बाहर गुड़ के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं और किसानों को अपने निजी गन्ने को खड़े कोल्हुओं से पेर कर गुड़ बनाने की सुविधा उपलब्ध है। चीनी मिलों के आरक्षित क्षेत्र में 40 किलोमीटर अर्द्ध-व्यास के बाहर 29 जिलों में 485 नई खांडसारी इकाइयों के लाइसेन्स स्वीकृत करने की व्यवस्था की गई है तथा लाइसेन्स प्राप्त खांडसारी इकाइयों के आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पुनर्वासन के

लिये भी सुविधाएं दी गई हैं। खांडसारी पर चालू पेराई सत्र में लेवी भी नहीं लगाई जायेगी।

परिवहन

परिवहन के क्षेत्र में सरकार का प्रयास है कि बसों की संख्या और सेवा का स्तर बढ़ाकर अधिक से अधिक यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाय। बसों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ निजी बस मालिकों से अनुबन्ध पर बसें लेकर चलाई जाने वाली बसों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जायगी। नये बस स्टेशनों का निर्माण और पुराने स्टेशनों की बेहतरी के लिये भी प्राविधान किया जा रहा है। चार नई क्षेत्रीय तथा 15 नई डिपो कार्यशालाओं का निर्माण एवं पुरानी दो क्षेत्रीय तथा 16 डिपो कार्यशालाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का प्रस्ताव है जिससे कि बसों की मरम्मत आदि में लगने वाले समय में बचत हो सके और बस सेवा में गुणात्मक सुधार हो। प्रबन्धकीय व्यवस्था में भी सुधार के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

सड़कें तथा पुल

राज्य में मार्च, 1982 के अन्त तक लगभग 64,000 किलोमीटर लम्बी पक्की सड़कें थीं। आशा है कि इस वर्ष 1,860 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 1,660 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण व सुधार तथा 77 नये पुलों का निर्माण पूरा हो जायेगा। अत्यधिक वर्षा तथा बाढ़ के कारण बाढ़-ग्रस्त सड़कों की विशेष मरम्मत के लिये केन्द्रीय सरकार की सहायता से लगभग 16.40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

वर्ष 1983-84 में सड़कों एवं पुलों के लिये निर्धारित 97.29 करोड़ रुपये के अनन्तिम परिव्यय में से लगभग 46 करोड़ रुपये जिला सेक्टर के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के लिये रखे गये हैं। राज्य सेक्टर के परिव्यय के अन्तर्गत 1,180 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण, 950 किलोमीटर वर्तमान सड़कों का सुधार व पुनर्निर्माण तथा 45 नये पुलों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है आगामी वर्ष में जिन महत्वपूर्ण पुलों का पूरा किया जाना प्रस्तावित है, उनमें जिला इलाहाबाद में झांसी-मिर्जापुर मार्ग पर टोंस नदी पर पुल, जिला बाराबंकी में लखनऊ-बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी पर पुल, जिला रायबरेली में सूची-नयनडीह मार्ग पर सई नदी पर पुल, जिला पीलीभीत में बरेली-बीसलपुर मार्ग पर देवहा नदी पर पुल तथा जिला जौनपुर में लखनऊ-वाराणसी मार्ग पर सई नदी पर पुल उल्लेखनीय हैं। राज्य सेतु निधि से भी विभिन्न जिलों में 8 पुलों के बनवाये जाने का प्रस्ताव है जिन पर वर्ष 1983-84 में 2.40 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला फर्रुखाबाद में कन्नौज के समीप गंगा नदी पर एक पुल बनाने का भी प्रस्ताव है।

लखनऊ शहर के चारों ओर एक रिंग रोड के निर्माण का निर्णय लिया गया था। इस सड़क के निर्माण कार्य पर चालू वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया गया है और वर्ष 1983-84 में इसके महत्वपूर्ण अंश को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये 43 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1,925 नये उपकेन्द्रों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 165 सब्सीडियरी हेल्थ सेन्टर, 2[illegible] नये एलोपैथिक औषधालय, 100 आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालय तथा 35 नये होमियोपैथिक औषधालय स्थापित करने का विचार है। जिला तथा अन्य राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों में स्थापित रोगी शैय्याओं में 200 शैययाओं की वृद्धि की जायेगी।

आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर व वाराणसी में विश्व बैंक की सहायता से द्वितीय भारत जन संख्या परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के अन्तर्गत अगले वर्ष इन जिलों में 440 उप केन्द्र, 330 उप केन्द्र महिला स्वास्थ्य निरीक्षिका के आवास गृह सहित, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 3 उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 7 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, 4 पोस्ट मार्टम सेन्टर, 13 आपरेशन सेन्टर व 1 मैटरनिटी सेन्टर निर्मित होने की आशा है।

प्रदेश की जनता को श्रेष्ठतम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित किये जाने वाले संजय गांधी स्मारक आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण प्रारम्भ हो गया है।

शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 1982-83 में 533 प्राइमरी एवं 152 मिडिल स्कूल खोले गये। हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है। वर्ष 1983-84 में 421 प्राइमरी और 130 मिडिल स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है।

प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों की मरम्मत के लिये कुल धनराशि को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.16 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विद्यमान भवनहीन प्राइमरी तथा मिडिल स्कूलों में से वर्ष 1983-84 में 636 प्राइमरी तथा 281 मिडिल स्कूलों के भवन-निर्माण प्रस्वावित हैं। निर्बल वर्ग के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु आकर्षित करने के लिये वर्ष 1983-84 में 1,732 विद्यालयों में बुक-बैंक स्थापित किया जाना तथा 79,610 बच्चों को पोशाक दिया जाना प्रस्तावित है। प्राइवेट हाई स्कूल/इन्टर कालेजों तथा डिग्री कालेजों में अच्छे अध्यापकों की उपलब्धता हेतु क्रमशः दो चयन आयोगों का गठन किया चुका है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुलाई, 1982 में ओबरा, नोयडा तथा महोबा में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज खोला जा चुका है। जुलाई, 1983 में जलेसर (एटा) तथा देवबन्द (सहारनपुर) में एक-एक राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

शासन ने यह निर्णय लिया है कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के नवीन पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण

संस्थाओं की पुरानी पेंशन योजना से आवृत्त पेंशन भोगियों को भविष्य में पेंशन पर राहत के किस्तें उसी तिथि और उसी दर से दी जायें जिस तिथि और दर से राजकीय पेंशनरों को दी जाती हैं।

प्राविधिक शिक्षा

प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के विकास एवं प्रसार पर विशेष बल दिया जा रहा है। स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर पर लखनऊ में एक इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी स्थापित करने का प्रस्ताव है। अहमदाबाद, कलकत्ता एवं बंगलौर की भांति लखनऊ में केन्द्रीय शासन के माध्यम से एक इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है।

प्रदेश में 18 जनपद ऐसे हैं जहाँ पर डिप्लोमा स्तर के तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रदेश के विकेन्द्रीकृत औद्योगिक विकास को गति देने हेतु इन जनपदों में आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये नये पालीटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

विज्ञान एवं पर्यावरण

उत्तर प्रदेश राजकीय वेधशाला, नैनीताल में खगोल शास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य हेतु 4 मीटर ब्यास वाले दूरबीन का निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु 3 सर्वे स्टेशन भी स्थापित किये गये हैं।

विज्ञान एवं पर्यावरण प्राद्योग परिषद् द्वारा एक प्लेनेटेरियम-कम स्पेस म्यूजियम तथा एक साइन्स एवं टेक्नोलाजी म्यूजियम की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।

रिमोट सेंसिग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग तथा सुनियोजित प्रबन्ध हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सेटेलाइट रिमोट सेंसिग का कार्य पूरा हो चुका है तथा इस क्षेत्र में एरियल रिमोट सेंसिग तकनीक के प्रयोग पर कार्य किया जा रहा है।

हरिजन कल्याण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उत्पीड़ित व्यक्तियों को सहायता एव उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। उत्पीड़न के फलस्वरुप परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर सहायता की धनराशि 5,000 रुपये और न कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर 1,000 रुपये से बढ़ाकर दोनों मामलों में 10,000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार स्थायी शारीरिक अक्षमता के सम्बन्ध में भी सहायता धनराशि 1,000 रुपये से बढ़ा कर 10,000 रुपये की गई है। उत्पीड़न के अन्य मामलों में भी सहायता की धनराशि बढ़ा दी गई है। इसके अतिरिक्त उत्पीड़ित परिवारों के पुनर्वासन हेतु भी एक योजना बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत जीविकोपार्जन के लिये सहायता दी जायेगी और आश्रित सदस्यों को मेन्टीनेन्स एलाउन्स का भी भुगतान किया जायगा।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के माध्यम से हरिजन छात्रों के लिये छात्रावास निर्माण की योजना है जिसके अन्तर्गत 10 छात्रावासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा 19 छात्रावासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण हो जाने की आशा है। हरिजनों की

आवास दशा सुधारने के लिये मैदानी क्षेत्र में 2,000 रुपये व पर्वतीय क्षेत्र में 3,000 रुपये को भवन सामग्री के रूप में सहायता अनुदान की जाती है तथा क्रमश: 500 व 600 रुपये की सामग्री स्थल विकास के लिये हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है। छः नये आश्रम टाइप विद्यालय इस वर्ष स्थापित किये जा रहे हैं। इस प्रकार आश्रम टाइप स्कूलों की संख्या 34 हो जायेगी जिनमें शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास एवं भोजन तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था है।

आवास एवं नगर विकास

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुये हर्ष है कि राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के सदस्यों को उनके निजी मकान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सैद्धान्तिक निर्णय ले लिया गया है। इस सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनायी जा रही है किन्तु योजना के कार्यान्वयन हेतु आय-व्ययक में प्रतीक प्राविधान कर लिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति तक निजी आवास उपलब्ध कराने की योजना स्वीकार कर ली गई है। इसे कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाये जा रहे हैं।

वर्ष 1982–83 में मलिन बस्ती सुधार योजना का विस्तार 23 नगरों में किया जा रहा है जिससे 1,69,300 व्यक्तियों के लाभान्वित होने का अनुमान है।

वित्तीय वर्ष 1983—84 में आवास परिषद् द्वारा 2,400 एकड़ भूमि अध्याप्त करने, 750 एकड़ भूमि पर विकास कार्य पूर्ण करने तथा विभिन्न आय वर्ग के 19,000 भवन पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त 19,000 भवनों में से 14,100 भवन 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के लिये निर्मित किये जायेंगे।

स्वायत्त शासन

स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को देखते हुये यह सम्भव नहीं था कि वे बगैर वर्तमान कर की दरों में वृद्धि किये अथवा अतिरिक्त कर लगाये शासन द्वारा समय-समय पर सार्वजनिक सुविधाओं के लिये दिये गये ऋण की अदायगी कर सकें। अतः 31 मार्च, 1981 तक का उन पर बकाया ऋण 83-82 करोड़ रुपये अनुदान में परिवर्तित करने तथा 23-82 करोड़ रुपये का देय बकाया ब्याज बट्टे खाते में डाले जाने का निर्णय लिया गया है क्षेत्र समितियों पर 31 अक्टूबर, 1982 तक बकाया सम्परीक्षा शुल्क 50.94 लाख रुपये बट्टे खाते में डाल दिया गया है तथा यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में इन समितियों से कोई सम्परीक्षा शुल्क न लिया जाय।

प्रदेश के सभी नगरों में नागरिकों को अपने शुष्क शौचालयों को जल-प्रवाही शौचालयों में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रोत्साहन स्वरूप शासन ने शौचालयों की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान तथा 50 प्रतिशत ऋण दिये जाने का निर्णय लिया है।

श्रम

वर्ष 1982 के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने और शान्तिपूर्ण ढंग से समस्याओं के निराकरण के लिये द्विपक्षीय वार्ता तथा त्रिदलीय सम्मेलनों के आयोजनों

को विशेष रुप से प्रोत्साहित किया गया जिसके अनुकूल परिणाम निकले और सामान्यत: प्रदेश में औद्योगिक शान्ति बनी रही ।

वर्ष 1983-84 में नये श्रम कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जायगी । श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन हेतु 5 नये श्रम निरीक्षक कार्यालयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये वर्ष 1982-83 में प्रदेश के विभिन्न 14 जिलों में प्रशिक्षण एवं मार्ग-दर्शन केन्द्रों की स्थापना की गई है ।

खाद्य एवं आवश्यक वस्तुयें

यद्यपि इस वर्ष अतिवृष्टि के कारण खाद्यान्न के उत्पादन पर काफी हद तक कुप्रभाव पड़ा फिर भी यह संतोष का विषय है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में इस समय मिट्टी का तेल, चीनी, सीमेंट, डीजल, कोयला, खाद्य तेल, नियंत्रित वस्त्र, गेहूँ, चावल तथा मैदा आदि सभी वस्तुयें उपभोक्ताओं को सार्वजानिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अथवा खुले बाजार में सुगमतापूर्वक प्राप्त हो रही हैं । जनवरी में गेहूँ के मूल्यों में कुछ तेजी आ रही थी । स्थिति से निपटने के लिए जहां सामान्य रूप के प्रति मास 40 हजार टन गेहूँ सस्ते गल्ले की दुकानो के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता था वहां जनवरी के महीने में गेहूँ व होल मील आटा के रूप में कुल लगभग 80 हजार टन खाद्यान सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराया गया । फरवरी के लिए 70 हजार टन का आवंटन प्राप्त किया गया है और सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से गेहूँ की उपलब्धि बढ़ाई जा रही है ।

अप्रैल-मई, 1982 में असामयिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त गेहूँ भी 138 रुपये प्रति कुन्तल की दर से खरीदा गया । इस वर्ष कुल 13.79 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गयी । किसानों को धान का सही मूल्य दिलाने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में हलर के नये लाइसेंस दिए जाने पर लगी रोक उठाई गई तथा चावल मिलों से अग्रिम लेवी लेना स्वीकार किया गया । फलस्वरूप धान के लिए किसानों को इस वर्ष समर्थन मूल्य से भी अधिक मूल्य खुले बाजार में प्राप्त हो रहा है । जनवरी, 1983 तक 4.16 लाख मीट्रिक टन चावल की वसूली भी लेवी के रूप में हुई ।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए जनवरी से नवम्बर, 1982 तक प्रदेश में 27,863 छापे मारे गए, 1,815 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, 972 लाइसेन्स निलम्बित किये गए, 310 लाइसेन्स निरस्त किये गये और लगभग 5.26 करोड़ रुपये की सामग्री पकड़ी गई ।

शांति एवं व्यस्था

प्रदेश में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । अपने सामान्य कर्त्तव्यों के अतिरिक्त पुलिस ने सूखा तथा बाढ़ में भी जनता की सहायता की है । अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं । जहाँ वर्ष 1980 में डकैती और राहजनी के क्रमशः कुल मामले 3,365 व 6,175 थे, वहां 1982 में यह घटकर 2,061 व 4,470 ही रह गए । नवम्बर, 1982 के अन्त तक अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रों से लैस दुर्दान्त दस्यु गिरोहों से पुलिस की मुठभेड़ों में 659 डाकुओं का सफाया किया गया और 5,679 डाकू पकड़े गए एवं उनसे भारी मात्रा में शस्त्र तथा कारतूस बरामद किए गए । बारह प्रमुख दस्यु दलों का सफाया किया गया । इस अभियान

में ग्राम सुरक्षा समितियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अवैध शस्त्र बनाने वाले 190 कारखाने पकड़े गए। डकैतों की गतिविधियों की सूचना देने हेतु प्रदेश के डकैती ग्रस्त दस जनपदों में पुलिस के लिए अतिरिक्त वायरलेस उपकरणों की व्यवस्था की गई हैं।

रेल अपराध की प्रभावी रोक-थाम के लिए जी0 आर0 पी0 का झांसी में एक नया अनुभाग स्थापित करने का निश्चय किया गया है।

राजस्व प्रशासन

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, वर्ष 1982-83 में ओला वृष्टि, सूखा, बाढ़ व अतिवृष्टि सभी प्रकार की दैवी आपदाओं का प्रकोप रहा। ओला वृष्टि से 43 जिलों के 24,852 गांव व 19.24 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि प्रभावित हुई। सूखा से 46 जिले प्रभावित हुये तथा 24.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में खरीफ की फसल नहीं बोई जा सकी। बाढ़ से 44 जिलों के लगभग 32,000 गांव व 33.09 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हुई 10.18 लाख मकान क्षतिग्रस्त हुये, 562 व्यक्तियों तथा 2,517 पशुओं की जीवन हानि हुई। प्रभावी क्षेत्रों में तात्कालिक राहत पहुँचाने के लिये वसूली स्थगित की गई। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त एवं पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान की सीमा दुगनी करके क्रमश: 200 रुपये व 400 रुपये कर दी गयी। तत्कालिक राहत कार्यों के लिये जिलों को 17.80 करोड़ रुपये आवंटित किये गये। इसके अतिरिक्त क्षति-ग्रस्त सड़कों, कुंओं, सिचाई साधनों, सरकारी भवनों इत्यादि की मरम्मत व दवाइयां इत्यादि के लिये लगभग 48 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।

सरकारी कर्मचारियों को सुविधायें

राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान कर दी है कि वह अपने सेवाकाल में एक बार अपने परिवार के सदस्यों के साथ निर्धारित व्यवस्था के अनुसार देश में कहीं भी जा सकते है।

शासन ने यह अनुभव किया कि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार प्रोन्नति आदि की व्यवस्था के बावजूद बहुत से संवर्गों में वृद्धि-रोध की समस्या अब भी बनी हुई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि जिन संवर्गों में वृद्धि-रोध है, उन्हें उस संवर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये निर्धारित अवधि के बाद चयन वेतनमान दिया जाय। यह एक क्रान्तिकारी कदम है जिससे चर्मचारियों को प्रोन्नति न मिलने के फलस्वरूप जो कुंठा की भावना रहती है, वह बड़ी सीमा तक दूर हो जायेगी। सामान्य कोटि के कर्मचारियों जैसे चपरासी, ड्राइवर, कुशल कर्मचारी, लिपिकीय कर्मचारी, सम्प्रेक्षक, आशुलिपिक आदि तथा अध्यापकों, अभियंत्रण सेवा एवं एलोपैथिक चिकित्सकों के बारे में शासनादेश प्रसारित किये जा चुके हैं और अन्य सेवाओं के बारे में शीघ्र ही आदेश पारित करने का प्रयास किया जा रहा है।

द्वितीय वेतन आयोग ने उत्तराखण्ड के तीन जिलों में कर्मचारियों को अनुमन्य सीमान्त विशेष वेतन के प्रश्न का विस्तृत परिक्षण करने के उपरान्त उस वेतन सीमा के आधार पर दिये जाने की संस्तुति की थी। शासन की जानकारी में यह बात लाई गई है कि सीमान्त विशेष वेतन की कुल धनराशि (उक्त विशेष वेतन पर अनुमन्य महंगाई

भत्ते को जोड़कर) में कुछ स्तरों पर कुछ कमी हो गई है। शासन ने सीमान्त विशेष वेतन की दरों को इस प्रकार संशोधित करने का निर्णय लिया है किसी भी स्तर पर दिनांक 1 जुलाई, 1979 से पूर्व अनुमन्य सीमान्त विशेष वेतन और उस पर मिलने वाले महंगाई भत्ते को जोड़कर जो कुल धनराशि किसी कर्मचारी को मिल रही थी, उसमें कोई कमी न हो। सीमान्त विशेष वेतन की संशोधित दरें दिनांक 1 अप्रैल, 1983 से प्रभावी होंगी।

सेवा-निवृत्ति पर देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अभी तक केवल अधिवर्षता पर सेवा-निवृत्ति होने वाले सरकारी सेवकों को उपलब्ध थी। अब शासन द्वारा अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा अन्य प्रकार से सेवा-वृत्ति होने वाले तथा सरकारी सेवा से पृथक होने वाले सरकारी सेवकों को भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय प्रबन्ध

राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981-82 में 119.12 करोड़ रुपये की शुद्ध धनराशि संग्रहीत करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके विपरीत शुद्ध उपलब्धि 185 करोड़ रुपये रही। वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 में और भी अधिक धनराशि संग्रहीत होने की आशा है। विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थागत वित्त स्रोतों से अधिकाधिक धनराशि जुटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष अक्तूबर तक विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संस्थागत वित्त के माध्यम से 349 करोड़ रुपये संस्थागत वित्त की स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी थी और अनुमान है कि वर्ष के अन्त तक 948 करोड़ रुपये की धनराशि संस्थागत वित्त स्रोतों से जुटा ली जायेगी। प्रदेश में कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों के समुचित विस्तार में सहकारी वर्ष जुलाई, 1981 से 30 जून, 1982 तक ए0 आर0 डी0 सी0 द्वारा 90 करोड़ रुपये से अधिक की पुनर्वित्त सहायता उत्तर प्रदेश की योजनाओं में उपलब्ध करायी गई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों, गांव पंचायतों और गांव सभाओं की सयुक्त समितियों को उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम द्वारा ग्राम्य विकासीय परियोजनाओं के लिये स्वीकृत ऋण के सम्बन्ध में 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1987 तक निष्पादित बंधक पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन फीस से छूट दी गयी है।

बिक्रीकर विभाग में चल रही स्वतः कर निर्धारण योजना को इस वर्ष और अधिक उदार बनाते हुए 10,000 रुपये तक वार्षिक कर देयता वाले उन छोटे व्यापारियों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है जिनके यहां सर्वेक्षण के समय छोटी-मोटी अनियमितायें पाई जाती हैं। आशा की जाती है कि इससे छोटे स्तर के अनेक व्यापारी लाभान्वित होंगे। इस योजना के अन्तर्गत व्यापारी को कर निर्धारण हेतु बिक्रीकर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार कर एवं करेतर देयों का अवशेष 30 सितम्बर, 1982 को 371.81 करोड़ रुपये था और इसी तिथि को उन ऋणों का ब्याज सहित

अवशेष जिनका लेखा विभागाध्यक्षों द्वारा रखा जाता है 93 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार ने इन देयों की जांच के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि न वसूल होने योग्य देयों को पृथक किया जा सके तथा शेष देयों की वसूली के लिए प्रभावशाली प्रयास किए जा सकें जिससे संसाधनों में वृद्धि हो सके।

बिक्री कर के पुराने बकाए की वसूली में प्रगति लाने तथा बकायेदारों को पुराने बकाए को अदा करने के लिए शासन द्वारा कुछ सुविधायें प्रोत्साहन स्वरुप 1 जून, 1982 से 30 नवम्बर, 1982 तक के लिए दी गई थीं, जिसमें 20,705 मामले तय किए गए।

वर्ष 1981-82 में इस प्रदेश का प्रति व्यक्ति आयोजनेतर राजस्व व्यय लगभग 160 रुपये था जो कि बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे कम था। फिर भी कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए और विकास कार्यों के लिए अधिकाधिक धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासनिक व्यय में हर संभव मितव्ययिता करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य से पदों के सृजन, स्टाफ कारों के क्रय तथा उनके उपयोग के सम्बन्ध में यथासंभव मितव्ययिता करने के आदेश जारी किए गए हैं ताकि राजकीय व्यय में मितव्ययिता का वातावरण सृजित किया जा सके।

आय-व्ययक अनुमान 1983–84

अब मैं माननीय सदस्यों की सूचना हेतु आगामी वित्तीय वर्ष के आयव्ययक अनुमानों के सम्बन्ध में संक्षेप में स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। अनुमानतः आगामी वर्ष का प्रारम्भ 40.13 करोड़ रुपये के घाटे से होगा। संचित निधि में वर्ष के दौरान राजस्व एवं पूंजी लेखों को मिलाकर कुल 3,806.79 करोड़ रुपये की प्राप्तियां अनुमानित हैं, जिनके समक्ष कुल 4,018.42 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। इस प्रकार संचित निधि में वर्ष के लेन-देनों के फलस्वरूप कुल 211.63 रुपये का घाटा अनुमानित है, जिसकी आंशिक पूर्ति लोक लेखे में 132.47 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्तियों से हो जानी सम्भावित है। वर्ष की शेष 79.16 करोड़ रुपये की कमी के फलस्वरूप 40.13 करोड़ रुपये का ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष वर्ष के अन्त में बढ़ कर (—) 119.29 करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है।

आगामी वर्ष में 119.29 करोड़ रुपए के अनुमानित घाटे को फिलहाल सरकारी देयों, बकाए की वसूली में और अधिक दक्षता लाकर, आयोजनेतर व्यय में मितव्ययिता करके, अल्प बचत योजना के अन्तर्गत अधिक संग्रह करके, कर तथा करेतर राजस्व प्रशासन में अधिक दक्षता लाकर तथा करों के ढांचे को युक्तियुक्त करके पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

अन्त में, मैं मंत्रि-परिषद् के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा, जिनके सहयोग और परामर्श से तथा जिनके विभागों की सहायता से बजट समय से पुनः प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने के काम और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उनके लिये मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी

गयी सहायता के लिये भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

वित्तीय वर्ष 1983-84 के एक भाग के लिये लेखानुदान

वित्त मन्त्री श्री ब्रह्मदत्त –

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1983-84 के एक भाग के लिये लेखानुदान प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष –

अब हम उठते हैं, और 14 तारीख को 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 59 मिनट पर सोमवार 14 फरवरी, 1983 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
10 फरवरी, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश

नत्थी "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 61[illegible]र।)

31 सूत्रीय मांगें

1—भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आर0 पी0 श्रीवास्तव उनके स्टेनों ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अधीक्षक जिला अस्पताल तथा उनके एकाउण्टेण्ट चौहारी शरण श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ अधीक्षिका मिसेज डा0 पी0 बनर्जी एवं डा0 गोयल तथा वे अन्य चिकित्साधिकारी एवं कर्मचारी जो सेव, मैट्रन गोदाम, मछरदानी कांड तथा सैनिक पेंशननरों से घूस नियुक्ति में अनियमितता, एवं घूस लेने, मरीजों की मौत के जिम्मेदार तथा नकली दवा वितरण के दोषी पाए गए है इन सभी को निलम्बित कर इन्हें दण्डित किया जाए। मरीजों की मौत के दोषी लोगों को पुलिस को सौंप कर उन पर हत्या का मामला चलाया जाए। मार्च 80 के दवा घोटाले के भी इन्हें दोषी है।

2—वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 एम0 एन0 श्रीवास्तव एवं उनके स्टेनों हरीराम श्रीवास्तव तथा डिप्टी सी0 एम0 ओ0 डा0 जिलानी को घूस तथा सेव घोटाला एवं मरीजों के प्रति उत्तरदायित्व हीनता बरतने के आरोप में निलम्बित कर इनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही किया जाये।

3—वर्ष 81-82 में प्राप्त बजट में व्यापक गोलमाल तथा धन का दुरुपयोग विभिन्न पदों और स्तर पर किया गया है दवाओं तथा काटन गाज और सर्जिकल उपकरणों की खरीद सम्बन्धी सभी रिकार्ड जब्त किया जाय। व्यापक गोलमाल मिलेगा सम्बन्धित अधिकारियों एवं एकाउन्टेण्ट के पूरे क्रियाकलाप का जांच हो।

4—वर्ष 81-82 की अवधि में हुये स्थानान्तरण तथा उन्हें प्रभावी बनाने एवं निरस्त करने की पूरी जांच किया जाये। जिला से प्रदेश स्तर तक इसमें निर्धारित माप दण्ड तथा आदेशों की अवहेलना तथा घूस खोरी हुई है। कम से कम 5 लाख रुपया का घूस इस मामले में मु0चि0 अधिकारी से अति0 निदेशक डा0 शर्मा तथा स्वा0 विभाग के अन्य अधिकारियों ने लिया है, पूर्ण जांच कर इन्हें दण्डित किया जाये।

श्री शर्मा के रहते विभागीय स्तर की कोई जांच निष्पक्ष सम्भव नहीं है, उन्हें निलम्बित किया जाये।

5—अति0 निदेशक श्री आर0 सी0 शर्मा के विरुद्ध मार्च 80 के दवा घोटाले में दोहरे माप दण्ड अपनाने तथा भ्रष्ट लोगों को बचाकर निजी लाभ उठाने की जाँच कराई जाये। जांच के पूर्व उन्हें निलम्बित किया जाये।

6—भ्रष्टाचार में विलम्ब तथा लम्बे समय से कार्यरत लोगों की प्रमुख भूमिका है।

5 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी लोगों का अविलम्ब स्थानान्तरण अन्य जनपदों और मण्डलों में किया जाये इस प्रतिबन्ध के साथ कि 5 साल के पूर्व उन्हें पुनः इस जनपद में नहीं जाने दिया जायेगा।

अनेक ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी है जो 10 से 12 वर्षों से यहीं है उन्हें हटाया जाये। अनेक ऐसे लोगों के गत वर्ष स्थानान्तरण हुये थे मगर विभाग में फैले भ्रष्टाचार

के सहारे बहुत से स्थानान्तरित किये गये लोग स्थानान्तरण निरस्त करा लिये। ऐसे लोगों की भी काफी संख्या है जो कागजी खानापुरी कर 10-12 वर्षों से यहां है इन सभी का स्थानान्तरण किया जाये और 5 साल से पहले इस जनपद में आने पर रोक लगाया जाय।

8 - महिला अस्पताल की मछरदानी तथा प्राइवेट वार्ड के पैसों के गबन से संबंधित सभी रिकार्ड सील कराये और उसकी खुली जांच उच्च स्तरीय कराये।

9—जिन पर मरीजों की मौत या शासनादेश की अवहेलना के आरोप है उन सभी को यहां से हटाया और निलम्बित किया जाये।

10 - स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार, अधिकार के दुरुपयोग, कर्तव्य हीनता, घूस खोरी, दवाओं में घटिया खरीद कर लाखों रुपया हड़पने, शिकायतों की जाँच में अधिकार का दुरुपयोग, एवं दोहरे मापदण्ड की तथा शासनादेश की अवहेलना आदि की व्यपकता तथा इससे सम्बन्धित उच्च पदस्थ अधिकारियों आदि को देखते हुये सम्पूर्ण मामले की जाँच किसी उच्च न्यायाधीश अथवा विधान सभा के सदस्यों की सर्वदलीय समिति द्वारा खुले जांच की व्यवस्था किया जाये। खुली जाँच वे वक्त अनेक साक्ष्य प्रस्तुत होगा। साक्ष्यों एवं अभिलेखों से इन सभी घोटालों को प्रमाणित किया जायेगा। सम्बन्धित सभी शिकायतों के अभिलेख जप्त कर सुरक्षित किया जाये।

11 - जिला एवं महिला अस्पताल में भर्ती सभी साधारण मरीजों की दवाओं की पूर्ण आपूर्ति किया जाये। स्टाक में दवाएं उपलब्ध न होने पर उनकी आपूर्ति हेतु स्थानीय खरीद (लोकल) किया जाये।

12--जब तक भर्ती मरीजों की आवश्यकता की (दवा सम्बन्धी) पूर्ण व्यवस्था न हो जाये तब तक वाह्य कक्ष (आउ आउट डोर) के मरीजों हेतु लोकल पर्चेजीगं रोक दी जाये।

बाह्य कक्ष के मरीजों हेतु लोकल पैर्जिग अधिकशं फर्जी मरीज हेतु होती है। वस्तुतः इन दवाओं का नकदीकरण करके लोग पैसे कमाते है। इसमें जिला अस्पताल के एकाउ टेण्ट आदि के भी सेयर रहते है जो फर्जी बिलों के भुगतान करते है।

13- जिला चिकित्सा के इनडोर (भीतरी विभाग) के मरीजों को तत्काल आवश्यक दवाओं की आपूर्ति हेतु वहाँ अलग स्टोर और स्टाक की व्यवस्था किया जाए। आवश्यक होने पर इनडेन्ट की दवाएं खरीद की तत्कालीक व्यवस्था भी वहां होनी चाहिये।

इस वक्त की व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है और मरीजों को दो तीन दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो गम्भीर रोगियों के लिये घातक होता है।

14—इनडोर का इंमरजेन्सी व्यवस्था अलग भीतरी विभाग में किया जाना चाहिये इस हेतु स्टाक को व्यवस्था किया जाना चाहिये।

15—खून, मल, मूत्र आदि की परीक्षण की व्यवस्था महिला अस्पताल हेतु व अलग किया जाना चाहिए वहां एक्सरे को व्यवस्था भी किया जाए।

16-विभागीय विदुत उत्पादन हेतु जनरेटर को व्यवस्था कर रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये।

17—सफाई, रोशनी, पानी की उचित व्यवस्था किया जाए। कर्मचारियों को संख्या बढ़ाई और शौचालयों की स्थिति सुधारी जाए।

18—भर्ती मरीजों की फल दूध आदि पौष्टिक आहार की व्यवस्था हो।

19—मरीजों से पैसा लेना रोका जाना चाहिये। अखबार में प्रकाशित समाचारों के अनुसार मु0 चि0 अ0 डा0 यम0 यन0 श्रीवास्तव मरीजों से आपरेशन टेबुल पर सौदा करते है, ऐसी स्थिति में यह समझना आसान है कि अन्य चि0 क्या व्यवहार करेगें। फीमेल और लेवर तथा प्रसूती गृह, सर्जिकल, हड्डी, मेडिकल वार्ड आदि के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायतें आम बात है। इसे रोका जाना चाहिए तथा घूस लेने वालों को दण्डित किया जाए।

20 सभी दवा वितरण केन्द्रों पर रोटेशन डियूटी की व्यवस्था किया जाए। सी0 एम0एस0 डी0 स्टोर के फारमिस्ट को अविलम्ब हटाया जाए तथा चीफ फारमिस्ट की जांच को तीन वर्षों 1 जनवरी, 1980 से अब तक की रिपोर्ट की पूर्ण जांच कर दोषी व्यक्तियों तथा दवा बेंचने वालों को दण्डित किया जाए।

21—जिन लोगों का प्रमोशन हो उन्हें नियमानुसार अन्य मण्डल को स्थान्तरित किया जाए और उन पर भी 5 वर्ष की अवधि लागू किया जाए।

22—प्रशिक्षित स्टाफ नर्से, सिस्टर तथा ट्यूटर आदि की संख्या बढ़ाकर मरीजों की उपचार की उचित व्यवस्था किया जाए।

23—मरीजों की शिकायतों की जांच की तत्काल व्यवस्था किया जाए ताकि उनकी जीवन रक्षा हो सकें। सभी वार्डो में आक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

24—मरीजों से सीरींज, पट्टी, गाज आदि खरीदवाना बन्द किया जाय।

25—इमरजेंसी तथा रात्रिकालीन उपचार व्यवस्था भीतरी विभाग को लुंज-पुंज रहती है, इसे सुधारी जाए।

26 - ट्थर आदि आवश्यक दवाओं की पूर्ण व्यवस्था जिला एवं महिला अस्पताल में किया जाए। अक्सर इसकी कमी की आड़ में मरोजों से लम्बी रकम वसूली जाती है।

27—हाल के दवा घोटाले में स्थानीय पत्र द्वारा लगाये गये आरोपों की तत्काल जाँच कराई जाए। बहदुरी प्राथमिक केन्द्र के लिस कर्मचारी की मरी माँ के नाम दवा देने और खरीदने का आरोप है, उसकी जांच किया जाए और दोषी व्यक्ती का दंडित किया जाएगा।

28—जुलाई 81 से अब तक की अवधि में जिला एवं महिला चिकित्सालय की कितनी चारपाइयां कडंम कहकर निकाली गई व क्या हुई इसकी पूर्ण जांच किया जाये। आम चर्चा है कि फर्जी मण्डम की आड़ में अच्छी किस्म की चारपाइयां मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एम0 एन0 श्रीवास्तव ने अपनी देवरिया स्थिति क्लिनीक में भिजवा दी है, इसकी पूर्ण जांच किया जाए।

29—गोरखपुर जनपद में स्थित सभी (31) प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर 1 अप्रैल, 1981 से अब तक अलग-अलग प्रत्येक स्वा0 केन्द्र पर कुल कितनी दाइयों की ट्रेनिंग इस अवधि में हुई है इसकी पूर्ण खुली जांच निम्नन मुद्दों पर की जाए। किस केन्द्र पर कितनी दाइयों का प्रशिक्षण हुआ, उनका नाम पूरा पता तथा उनको कितना पैसा दिया गया और प्रशिक्षण पर अन्य मदों पर क्या खर्च हुआ इसका भौतिक स्तरीय जांच किया जाए। इसके साथ ही इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर उक्त अवधि के औरीअन्टेशन कैम्पस के सन्दर्भ में भी पूर्ण जांच किया जाय। भारी गोलमाल की चर्चा है जंगल कौड़िया का मामला प्रकाशित हो चुका है।

30—मुख्य चि0 अ0 गोरखपुर के सभी भुगतानों को इनकी जांच पूरी होने तक रोकने की व्यवस्था करें क्योंकि सुना है कि यह शीघ्र सेवा मुक्त हो रहे है।

महिला चि0 की मच्छरदानी कांड सम्बन्धी वरिष्ठ अधीक्षिका कार्यालय के पूरे रिकार्ड को समिति के प्रतिनिधियों के समक्ष सील किया जाए और उसकी उच्च स्तरीय खुली जांच समिति के प्रतिनिधियों के समक्ष किया जाए इसमें भारी जालसाजी की गई है।

31—पहली मार्च 81 से 30 अप्रैल, 82 तक की अवधि में मुख्य चि0 अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी स्तर से जितने बिलों के भुगतान हुये है (दवा काटान-पट्टियां प्रशिक्षण आदि के नाम पर) उन सभी बिलों को तथा स्टाक बुक एवं कैश बुक को अविलम्ब कब्जे में लेकर सील किया जाए और इसके स्टाफ की तत्काल जाँच किया जाए परिवार नियोजन में लाखों रुपया का घपला हुआ है इसकी पूरे जनपद स्तर में खुली जांच कराई जाये।

नत्थी "ख"

देखिये तारांकित प्रश्न संख्या—10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 618—पर

1. सामान्य पंजीकृत क्रेताओं की भांति विधायकों को भी क्रमशः उच्च आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के भवनों एवं भूखण्डों हेतु निर्धारित पंजीकरण धनराशि क्रमशः रु0 7,000/-,5,000/- तथा 1,000 -जमा करनी होती है और मध्यम आय वर्ग भवन हेतु आय की सीमा रुपये 18,000/-वार्षिक निर्धारित है एवं उच्च आय वर्ग के भवन व भूखण्ड हेतु आय सीमा में किसी प्रकार की सीमा निर्धारित नहीं है।

2. आवेदक या इसके परिवार अथवा आश्रित के पास उस नगर में जहाँ भवन/भूखण्ड का आवंटन होना है, अपना भवन अथवा आवासिक भूखण्ड नहीं होगा तथा उ0 प्र0 अन्य किसी नगर अथवा शहरी सीमा में एक से अधिक भवन/भूखण्ड नहीं होना चाहिये।

3. आवेदक तथा उसके परिवार के पास उस समय तथा भविष्य में भी परिषद द्वारा आवंटित की जाने वाली सम्पत्ति को, सम्मिलित करते हुये, अरवन लैण्ड सीलिंग एण्ड रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1976 में निर्धारित सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं होनी चाहिए।

4. विधायकों को शासकीय आदेश दिनांक 24.8.81 के अनुसार दौर की वरीयता के आधार पर लाटरी पद्धति द्वारा सम्पत्ति का प्रदेशन किया जायेगा।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1 को उत्तर पीछे पृष्ठ 633 पर)

सूची

संलग्नक सं0 1

श्री के0पी0सिंह, वरिष्ठ नियोजक को लखनऊ/आगरा विकास प्राधिकरण में मार्च 1979 से अगस्त 19 1 तक वेतन मान [रु॰ 1400-1800] में भुगतान किया गया। वेतन, मँहगाई भत्ता एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता का विवरण निम्नवत है :

माह व वर्ष			वेतन	मँहगाई भत्ता	अतिरिक्त मँहगाई भत्ता	प्रतिनियुक्ति भत्ता
1			2	3	4	5
			लखनऊ - विकास प्राधिकरण			
1.	मार्च	1979	1560/-	24/-	387/-	250/-
2.	अप्रैल	1979	1560/-	24/-	387/-	250/-
3.	मई	1979	1560/-	24/-	387/-	250/-
4.	जून	1979	1560/-	24/-	387/-	250/-
5.	जुलाई	1979	1560/-	24/-	387/-	250/-
6.	अगस्त	1979	1560/-	24/-	387/-	250/-
7.	सितम्बर	1979	1620/-	24/-	387/-	250/-
8.	अक्टूबर	1979	1620/-	24/-	387/-	250/-
9.	नवम्बर	1979	1620/-	24/-	387/-	250/-
10.	दिसम्बर	1979	1620/-	24/-	387/-	250/-
11.	जनवरी	1980	1620/-	24/-	387/-	250/-
12.	फरवरी	1980	1620/-	24/-	387/-	250/-
13.	मार्च	1980	1620/-	24/-	387/-	250/-
14.	अप्रैल	1980	1620/-	24/-	387/-	250/-
15.	मई	1980	1620/-	24/-	520/-	250/-
16.	जून	1980	1620/-	24/-	520/-	250/-
17.	जुलाई	1980	1620/-	24/-	520/-	250/-
18.	अगस्त	1980	1620/-	24/-	520/-	250/-
19.	सितम्बर	1980	1680/-	24/-	520/-	250/-
20.	अक्टूबर	1980	1680/-	24/-	520/-	250/-
21.	नवम्बर	1980	1680/-	24/-	520/-	250/-
22.	दिसम्बर	1980	1680/-	24/-	520/-	250/-
23.	जनवरी	1981	1680/-	24/-	520/-	250/-
24.	फरवरी	1981	1680/-	24/-	520/-	250/-
25.	मार्च	1981	1680/-	24/-	550/-	250/-
26.	अप्रैल	1981	1680/-	24/-	550/-	250/-
27.	मई	1981	1680/-	24/-	550/-	250/-
28.	जून	1981	1680/-	24/-	550/-	250/-
29.	जुलाई	1981 से 21 जुलाई 1981 तक	1138.60	16.26	372.58	169.35

सूची संलग्नक सं02

आगरा विकास प्राधिकरण

1	2	3	4	5
30. 22 जुलाई 1981 से 31 जुलाई 1981 तक	541.93	मँहगाई भत्ता अंतरित सहायता	227.10	80.65
31. अगस्त 1981	1680/-	अति0मँहगाई भत्ता व अन्य सम्मिलित हो	704.00	250/-

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 633 पर)

ई0 एस0आर0 शर्मा अधीक्षण अभियन्ता, षोडस मण्डल, उत्तर प्रदेश जल निगम, वाराणसी द्वारा गोरखपुर वि0/या0 शाखा के कार्य क्षेत्र में वर्ष 78–79–80 एवं 81 में निर्मित नलकूपों में प्रयोग की गयी पी0 ग्रेबिल की जांच आख्या।

मुख्य अभियन्ता (प्र0/नि) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ के अधीशा0 गोपनीय पत्रांक 80/मु0 अ0 (प्र/नि)–गो दिनांक 12–5–82 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार अधोहस्ताक्षरी प्रश्नगत जांच करने के सम्बन्ध में माननीय विधान सभा सदस्य, श्री नन्द किशोर सिंह, से दिनांक 18–5–82 को देवरिया के निकट बल टिकरा गांव में स्थित स्कूल में मिले। मिलने पर मैंने उनसे निवेदन किया कि वे मुझे उन नलकूपों का नाम बता दें जिनमें लाल कुआं की पी0 ग्रेबिल के स्थान पर नौतनवा की पी0 ग्रेबिल प्रयोग में लाई गयी है। परन्तु माननीय विधान सभा सदस्य श्री नन्द किशोर जी ने मुझे बताया कि इस सम्बन्ध में गाजीपुर जनपद के गोविन्दपुर में स्थित नलकूप को देखूँ एवं इसके अतिरिक्त आजमगढ़, गाजीपुर एवं देवरिया के आस-पास के तीन या चार अन्य नलकूपों को भी देखा लूँ तथा तकनीकी आधार पर वांछित आख्या प्रस्तुत करुँ। इसके पश्चात अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित सात नलकूपों में प्रयोग की गयी पी0 ग्रेविल की सेम्पिल्स जमीन से लगभग 1–1/2 से 3.0 मीटर गहराई से स्वयं प्राप्त किये।

	जमीन से गहराई जहां से सेम्पिल ली गयी।
1– पैकोली नलकूप नं0–1 जनपद देवरिया	1.5 मीटर।
2– नथुवा नलकूप नं0–1 जनपद गोरखपुर	3 मीटर।
3– सांरजम नलकूप नं0–1 जनपद देवरिया	2 मीटर।
4– भौवापार नलकूप नं0–1 जनपद गोरखपुर	1.5 मीटर।
5– गगहा नलकूप नं0–1 जनपद गोरखपुर	1.4 मीटर।
6– गोविन्दपुर नलकूप नं0–1 जनपद गाजीपुर	1.5 मीटर।
7– घोसी नलकूप नं0–2 जनपद आजमगढ़	1.5 मीटर।

उपरोक्त के अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी ने नौतनवा एवं बुटवल में जाकर वहां की पी0 ग्रेविल की सैम्पिल प्राप्त की तथा इसके पश्चात लालकुआं। (हल्द्वानी) जाकर वहां की पी0 ग्रेविल की सैम्पिल प्राप्त की।

उपरोक्त सभी सैम्पिलों को बारीकी से देखा गया, तथा नौतनवा लालकुआं एवं नथुवा नलकूप की सैम्पिलों को दस किलोग्राम प्रति सैम्पिल प्राप्त करके बी0 एच0 यू0 वाराणसी के सिविल इन्जीनियरिंग विभाग द्वारा इन तीनों सैम्पिलों की विस्तृत जांच कराई गयी। इस सम्बन्ध जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई उसका सार इस प्रकार है :—

बी0 एच0 यू0 वाराणसी द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट में पी0 ग्रेविल के तीनों नमूनों की ग्रेडिंग को सी0 मीडिएम बताया गया है तथा तीनों नलकूपों की पी0 ग्रेविल की कठोरता भी एक जैसी बतायी गयी है जो यद्यपि आई0 एस0 एस0 में दी गयी सीमा से कम है परन्तु प्रदेश में लालकुआं की पी0 ग्रेविल ही उत्तम मानी जाती है तथा इसी का प्रयोग नलकूप बनाने में होता आ रहा है। तीनों नमूनों की पोरासिटि 37 प्रतिशत से अधिक बताई गयी है जो आई0 एस0 एस0 के अनुसार ठीक है।

उपरोक्त के अतिरिक्त क्ले (Clay) की प्रतिशत नौतनवा के नमूने में 0.1 प्रतिशत एवं नथुवा के नमूने में 0.6 प्रतिशत तथा लालकुआं के नमूने में शून्य दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि नलकूप में ग्रेविल डालने से पहले अच्छी तरह पानी से नहीं धुलाई (Wash) की गया।

इसके अतिरिक्त नौतनवा एवं नथुवा की पी0 ग्रेविल के नमूनों का (Flakiness Index) एवं (Eregation Index) लालकुआं के नमूने से अधिक बताया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि नथुवा नलकूप की पी0 ग्रेविल का ग्रेडिंग और अच्छी तरह होना चाहिए था। नौतनवा एवं नथुवा की पी0 ग्रेविल की सैम्पिलों में से एक-आधा दाना हाथ से जोर लगाने पर टूट गया परन्तु ऐसे दानों की संख्या नगण्य (Negligible) थी।

इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि नलकूप लगभग 150 मीटर गहरे बनते हैं परन्तु पी0 ग्रेविल की सैम्पिल 1.5 से 3 मीटर की गहराई से ही ली गयी है क्योंकि अधिक गहराई से सैम्पिल लेने से नलकूप को क्षति पहुँचने की पूर्ण सम्भावना होती है।

उपरोक्त जांच आंकड़ों से यह पता चलता है कि लालकुआं की पी0 ग्रेविल में भी चपटे एवं लम्बोतरे दाने होते हैं हालांकि नौतनवा की पी0 ग्रेविल में ऐसे दानों का प्रतिशत कुछ अधिक होता है। प्रश्नगत नलकूपों से ली गयी सम्पिल में भी कुछ दाने चपटे एवं लम्बोतरे पाये गये है। पी0 ग्रेविल में लम्बोतरे एवं चपटे दानों का प्रतिशत इस बात पर निर्भर होता है कि पी0 ग्रेविल की किस हद तक वांछित छलनियों द्वारा पूर्णतः ग्रेडिंग हुई है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह पता चलता है कि प्रश्नगत् व नलकूपों में प्रयोग में लाई गयी पी0 ग्रेविल में कोई मिश्रण हुआ प्रतीत नहीं होता है।

ह0/-
एस0 आर0 शर्मा,
अधीक्षण अभियन्ता,
षोडस मण्डल, उ0 प्र0
जल निगम, वाराणसी।

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 639 पर)

बाढ़ के समय कठेला चिकित्सालय भेजी गई दवाइयों की सूची

1.	टैबलेट एस0 जो0	1000 टैबलेट
2.	टैबलेट एस0डी0	1000 टैबलेट
3.	कैपसूल टेटरासाइक्लीन	1000 कैपसूल
4.	कैपसूल क्लोरोस्टेप	1000 कैपसूल
5.	टैबलेट एसपिरिन	1000 टैबलेट
6.	टैबलेट पैरासीटामाल	1000 टैबलेट
7.	कैपसूल लेड्रामाइसीन 150 किलोग्राम	100 कैपसूल
8.	टैबलेट बी0 वी0	1000 टैबलेट
9.	टैबलेट बी0 काम्प्लेक्स	1000 टैबलेट
10.	सेप्ट्रान ससपेनसियन	5 पीएच
11.	आई आयन्टमेंट	5 ट्यूबस
12.	इंजेक्शन एस0 पी0	10 वैल्स

नत्थी "च"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—33 का उत्तर पीछे पृष्ठ 647 पर)

वर्ष 1979–80 की सम्परीक्षा में निम्नलिखित आडिट आपत्ति की गई

1—रोकड़ बही एव बैंक अतिशेष का मिलान न किया जाना ।

2—पालिका के अधिकारियों पर 410 रु0 के अग्रिम की स्वीकृतियों का अनुपलब्ध रहना ।

3 आय की मदों में आय का ह्रास एवं विविध बकायों की वसूली न होना ।

4—वर्ष 1974–75, 77–78, 78–79 के बकाये सम्परीक्षा शुल्क का रु0 15,030–00 का भुगतान न होना ।

5—म्यूनिसिपल मैनुअल के पृष्ठ 325 एवं 326 पर अंकित नियमों के अनुसार पालिका का न्यूनतम कार्यकारी शेष प्रत्येक 5 वर्षों में परिवर्तनीय था जिसे नहीं किया गया ।

6—पालिका परिधि में लगे बिजली के मीटरों जमानत जमा पत्रावली का न दिखाया जाना ।

7—कर्मचारियों/अधिकारियों को दिये गये ऋणों की वसूली में उदासीनता ।

8—परिसम्पत्ति पर दायित्व के आधिक्य को कम न करना ।

9—पालिका के पास लाखों रुपये भुगतानों एवं ऋणों का बकाया पड़ा होना ।

10—नजूल पंजी में अतिक्रमण प्रमाण-पत्र का न दिया जाना और नजूल बकाये की धनराशि रु0 12,098–83 पैसे की वसूली 31–3–80 तक न की जाना ।

11—पालिका द्वारा वजट प्राविधान किये जाने के उपरान्त भी राजकीय ऋणों की स्थिति संतोषजनक न होना ।

12--स्वीपर्स कल्याण निधि में गत अनेक वर्षों से इसमें ब्याज के अतिरिक्त न तो, कोई आय हुई थी और न कोई व्यय ही किया गया था जिससे निधि को स्थापना का उद्देश्य यहीं समाप्त हो रहा था।

13--जलकर मई 75 से पालिका द्वारा लागू किया गया था लेकिन वसूली का कार्य अत्याधिक विलम्ब से वर्ष 1979-80 से प्रारम्भ किया गया जो आपत्तिजनक था।

(क) गृहकर एवं जलकर की माँग वसूली पंजिकाओं का योग एवं अवशेष का ठीक न होना।

(ख) पालिका में एक पूर्ण कालिक मीटर मैकेनिक होने के उपरान्त भी वर्ष 1979-80 में हजारों मीटर का बन्द अथवा खराब होना तथा पानी के मूल्य की वसूली औसत रीडिंग पर की जाने के कारण राजस्व की हानि।

(ग) म्यूनिसिपल लेखा नियम 54 के अनुसार गृह संयोजन पंजी में वांछित प्रमाण-पत्र का अंकित न किया जाना जिससे जल संयोजन की स्थिति की शुद्धता का सत्यापन न हो पाना।

(घ) वर्ष 1979-80 में गृह संयोजन कराने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की कोई पँजी (एम0 ए0 सी0 20) न रखी जाना एवं जलमूल्य की भारी बकाया धनराशि की वसूली का न किया जाना।

14--मातृत्व एवं शिशु कल्याण हेतु प्रदत्त भूमि एवं मकान का तथा केन्द्र की सामग्री का दुरूपयोग किया जाना।

15--1963-64 से 1979-80 तक सार्वजनिक निर्माण लाईसेन्स के चालानों पर न्यायालय द्वारा किये गये जुर्मानों की धनराशियों का 50 प्रतिशत (रु0 11,533-05) न प्राप्त किया जाना।

16--सिनेमा शो टैक्स देरी से लगाये जाने के कारण पालिका को भारी आर्थिक हानि ?

17--डीजल मशीन पुर्जों का अनियमित रूप से क्रय।

18--पालिका द्वारा निर्माण कार्यों से सम्बन्धित पंजिका का न बनाया जाना। एक कार्य में ब्रिक बर्क्स को तुड़वाया गया था लेकिन इससे प्राप्त ईटों/ईटों के टुकड़ों को कोइ भण्डार प्रविष्ठ न कर ठेकेदार को लाभ दिया जाना। निर्माण कार्य की लागत का शेड्यूल आफ रेट्स से मिलान न किये बिना भुगतान किया जाना।

19--भविष्य निधि लेखों का अपूर्ण रहना।

20--भण्डार पंजिकाओं में वस्तुओं की कीमत एवं दरों का न दर्शाया जाना।

21--पालिका की दस चुंगी चौकियों पर बिना तराजू, पलड़े के कार्य किया जा रहा था इन्हें अनियमित रूप से समाप्त कर दिया था जिसकी जांच करायी जाय।

नत्थी "छ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या--38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 655 पर)

नगरपालिका हरदोई

[1982-83]

1--जनता को 1015 कालरा निरोधक टीके लगाए गए।

2—2110 घरों का विसंक्रमण, 372 कुओं के पानी का प्रति सप्ताह विसंक्रमण कराया गया तथा 100 सार्वजनिक कुओं को खुदाई कराई गई।

3—सभी कच्चे व पक्के नालों को वर्षा पूर्व सफाई कराई गई।

4—नगर में 6 बार विशेष फसाई अभियान चलाया गया।

5—गन्दा पानी रुकने वाले स्थानों पर बेटेक्स का छिड़काव कराया गया।

6—35 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए।

7—गर्मी के मौसम में पर्चे बंटवा कर जनता को संक्रामक रोगों से बचने के लिए उपाय बताए गए।

नगरपालिका सन्डीला

[1982–83]

1—अतिवृष्टि के समय नगर के प्रमुख आठ नालों तथा नगर की सभी नालियों जिनमें मुख्य रूप से स्टेट बैंक से सोरा कोठी होते हुए गल्ला मण्डी तक जाने वाला नाला, माकूम कुआं से होकर ईदगाह से आगे जाने वाला नाला, इमलिया बाग का नाला तथा टनर नाला की सफाई कराई गई।

2—गल्ला मण्डी स्थित खान्तारा तालाब जिसका पानी दूर तक भर गया था एवं गेउड़ी तालाब का पानी तथा सकलहला तालाब से आई0 आर0 इन्टर कालेज तक भरे हुए पानी को निकलवाया गया।

3—नगर के मड़ई मूसापुर, महताबखाना, राजाहाता, गाड़ी अड्डा, पुल्लन टोला, अशरफ टोला, किसान टोला, मलकाना मोहल्लों में विशेष सफाई अभियान चला कर सफाई कराई गई।

4—नगर के सभी 80 पेय जल कुओं में ब्लीचिंग पाउडर डलवा कर विसंक्रमित कराया गया तथा नागरिकों को 1700 हैजा निरोधक टीके लगवाए गए।

5—34 खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गए।

6—समय-समय पर प्रचार माध्यम से जनता को शुद्ध तथा ताजी वस्तुएं उपभोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 660 पर)

परिषद के तखनक स्थित वृत्त एवं खण्ड/मुख्यालय के कार्यालयों 3 से 5 वर्ष तक अवधि में कार्यरत अवर अभियन्ताओं के नाम एवं तिथि

अवर अभियंता का नाम		मुख्यालय/वृत्त/खंड कार्यालय का नाम	
सर्वश्री			
1.	सी0 वी0 शुक्ला	वि0 वि0 ई0—1	इन्दिरा नगर 4.1.77 से
2.	के0 वी0 सिंह	,,	,, 7.8.77 से
3.	आर0 पी0 सिंह	,,	,, 24.5.77 से
4.	आर0 के0 सिंह	,,	,, 26.5.77 से
5.	राजेन्द्र प्रसाद	,,	,, 19.5.77 से

अवर अभियन्ता का नाम सर्वश्री,	मुख्यालय/वृत्त/खण्ड	कार्यालय का नाम
6. ए0 के0 शर्मा	,, ,,	13.12.78 से
7. आर0 के0 मिश्रा	,, ,,	10.5.79 से
8. एस0 सी0 पाठक	,, ,,	25.7.79 से
9. एस0 सी0 चक्रवर्ती	,, ,,	8.5.79 से
10. एस0 सी0 राय	,, ,,	31.3.79 से
11. पी0 एस0 शर्मा	,, ,,	5 वर्ष
12. वी0 के0 अग्रवाल	,, ,,	3 वर्ष
13. सी0 पी0 थापर	,, ,,	5 वर्ष
14. टी0 के0 सिन्हा	,, ,,	3 वर्ष
15. एन0 एस0 कुरेशी	,, ,,	3 वर्ष
16. एस0 के0 कल्याण	वि0 नि0 ई0—5 ,,	5 वर्ष
17. बी0 एस0 शर्मा	,, ,,	5 वर्ष
18. एच0 एन0 सिंह	,, ,,	5 वर्ष
19. डी0 आर0 शर्मा	,, ,,	5 वर्ष
20. जे0 प्रसाद	,, ,,	5 वर्ष
21. एस0 डी0 बन्दोपाध्याय,	वि0 नि0 ई0—5 ,,	5 वर्ष
22. एस0 एन0 वर्मा	,, ,,	5 वर्ष
23. श्रीधर भान्डेकर	,, ,,	5 वर्ष
24. बशीर अहमद	वि0 नि0 ई0—7 ,,	5 वर्ष
25. एस0 के0 शुक्ला	,, ,,	5 वर्ष
26. मोहम्मद अजीम	,, ,,	3 वर्ष
27. रोशन लाल	,, ,,	3 वर्ष
28. आर0 एस0 वर्मा	,, ,,	3 वर्ष
29. सुमेर सिंह	,, ,,	3 वर्ष
30. आर0 डी0 अग्रवाल	कार्य खण्ड—3, राजाजीपुरम	5 वर्ष
31. ए0 के0 कुलश्रेष्ठ	कार्य खण्ड-3, राजाजीपुर	5 वर्ष
32. आर0 ए0 वर्मा	,, ,,	5 वर्ष
33. विजय गोयल	,, ,,	5 वर्ष
34. ए0 के0 मिश्रा	,, ,,	5 वर्ष
35. एम0 एस0 सिद्दीकी	,, ,,	5 वर्ष
36. एस0 एन0 अल्वी	,, ,,	5 वर्ष
37. प्रवीन कुमार	वि0 वि0 ई0–8 ,,	5 वर्ष
38. आर0 एन0 श्रीवास्तव	,, ,,	5 वर्ष
39. दिनेश सिंह	,, ,,	5 वर्ष
40. अनूप कुमार	,, ,,	5 वर्ष

अवर अभियन्ता का नाम सर्व श्री	मुख्यालय/वृत्त/खन्ड	कार्यालय का नाम	
41. एम0 पी0 अस्थाना	,,	,,	3 वर्ष
42. एस0 पी0 अग्रवाल	,,	,,	3 वर्ष
43. छोटे लाल	वि0 वि0 ई0–6	,,	5 वर्ष
44. वी0 के0 गोयल	,,	,,	5 वर्ष
45. महावीर सिंह	,,	,,	3 वर्ष
46. अतुल मुखर्जी	,,	,,	3 वर्ष

नत्थी "झ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 665 पर)

"नत्थी"

सामग्री का नाम	टेण्डर निकालने के पत्रांक का निनांक	न्यूनतम टेंडर देने वाली फर्म का नाम	क्रय की गयी सामग्री का मूल्य
1	2	3	4
पी0 ग्रेविल			
वर्ष 1980	टेंडर निकाले नहीं गये वरन् मण्डल को अन्य शाखाओं को स्वीकृति दर पर खरीद की गयी।		रु0 1,45,337.50
वर्ष 1981	-तदैव-		रु0 2,14,444 00
वर्ष 1982	4-एम-8/4 दि0 7-1-82	मेसर्स राज एण्ड कम्पनी, आजमगढ़	रु0 71,116.00
	1 टेण्डर निकालने की प्रक्रिया में कुछ त्रुटियां रह जाने के कारण अधीक्षक अभियन्ता, मोडल मंडल, उत्तर प्रदेश जल निगम, वाराणसी के आदेशानुसार शाखाअधिकारी द्वारा टेंडर अस्वीकृत कर दिये गये एवं पुनः टेंडर प्राप्त होने तक केवल तुरन्त कार्यों की आवश्यकता हेतु ही मंडल की अन्य शाखाओं की स्वीकृति दर पर खरीद की गयी।		
पम्प व मोटर			
वर्ष 1980	1-1114/एम-8 126 दिनांक 15-10-79	मैं0 राडलाज प्रा0 लि0, लखनऊ	रु0 27,450.00
	2-1114/एम-8/126 दिनांक 15-10-79	मैं0 शकुन इंजीनियरिंग, लखनऊ	रु0 29,680.00

1	2	3	4
	3- -तदैव	मै0 राडलाज प्रा0 लि0, लखनऊ	रु0 29,390.00
	4- -तदैव	-तदैव-	रु0 40,010.00
	5- -तदैव-	-तदैव-	रु0 33,355.00
	6- -तदैव-	-तदैव-	रु0 29,200.00
	7- -तदैव-	-तदैव-	रु0 44,610.00
	8- -तदैव-	-तदैव-	रु0 43,030,00
	9- तदैव-	मै0, मार्स इंजीनियरिंग, कानपुर	रु0 39,400.00
वर्ष 1980	10- 1114/एम 8/126 दिनांक 15-10-79	मै0 पम्प एन्ड मशीनरी, दिल्ली	रु0 31,705.00
	11- 1447/ए 48/199 दि0 4–12-79	मै0 राडलाज प्रा0 लि0, लखनऊ	रु0 36,325.00
	12- -तदैव-	तदैव	रु0 34,300.00
	13- 169/एम0 8/37 दिनांक 24-1-80	मै0 मार्स इंजीनियरिंग, कानपुर	रु0 40,750.00
	14- -तदैव-	मै0 शकुन इंजीनियरिंग, लखनऊ	रु0 26,000.00
	15- -तदैव-	-तदैव-	रु0 28,980.00
	16- 510/एम-8/85 दिनाँक 28-2-80	मै0 राडलाज प्रा0 लि0, लखनऊ	रु0 48,195.00
		योग वर्ष 1980-	रु0 5,62,380.00
वर्ष 1981	1- 2312/एम-8/191 दिनांक 1-11-80	मै0 राडलाज प्रा0 लि0 लखनऊ,	रु0 31,975.00
	2- -तदैव-	-तदैव-	रु0 34,675.00
	3- 2098/एम-8/182 दिनांक 29-9-80	-तदैव-	रु0 50,525.00
	4- -तदैव-	-तदैव-	रु0 41,400.00
	5- -तदैव-	-तदैव-	रु0 36,575.00
	6- 166/एम-8/7 दिनांक 29-1-81	-तदैव-	रु0 30,460.00
	7- -तदैव-	मे0 जी0 के0 एसोसिएट, लखनऊ	रु0 33,400.00
	8- -तदैव-	-तदैव-	रु0 34 ,100.00
	9- -तदैव-	मै0 स्टैन्डर्ड इंजीनियरिंग, मिर्जापुर-	रु0 22,840.00
	10- 971/एम-8/74 दिनांक 24-6-81	मै0 राडलाज प्रा0 लि0, लखनऊ	रु0 37,800.00
	11- -तदैव-	-तदैव-	रु0 45,000.00
	12- -तदैव-	-तदैव-	रु0 44,300.00
		योग वर्ष 1981-	रु0 4,43,050.00

1	2	3	4
	दिनांक 24-3-82		
वर्ष 1982	1- 488/एम-8/54/	मै0 राइलाज प्रा0 लि0, लखनऊ	रु0 65,460.00
	2- -तदैव-	-तदैव-	रु0 53,500.00
	3- -तदैव-	-तदैव-	रु0 72,400.00
		वर्ष योग 198 :	रु0 1,91,360.00

टी0 एण्ड पी0

वर्ष 1980	उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम के स्वीकृत रेट पर या निर्माताओं द्वारा निर्धारित दरों पर अधिकृत विक्रेताओं से खरीद की गयी	–	रु0 47,087.00
वर्ष 1981	-तदैव-	–	रु0 1,12,074.00
वर्ष 1982	-तदैव-	–	रु0 1,02,161,00

रिंग मशीनों की मरम्मत

वर्ष 1980	कोटेशन आमंत्रित/प्राप्त किये गये	–	रु0 28,720.00
वर्ष 1981	-तदैव-	–	रु0 41,648.00
वर्ष 1982	-तदैव-	–	रु0 17,149,00

कान्टीजेन्सीज

वर्ष 1980	आवश्यकतानुसार कोटेशन निकाले गये	–	रु0 18,576.00
वर्ष 1981	-तदैव-	–	रु0 15,155.00
वर्ष 1982	-तदैव-	–	रु0 8,618.00

नत्थी (अ)

देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 90 का उत्तर पीछे पृष्ठ 666 पर।

क्रम सं0	रिंग मशीन का नाम व वर्ष	रिंग मशीन द्वारा बनाये गये नलकूप के स्थान	रिंग मशीन के इंचार्ज अवर अभियन्ता का नाम	अवधि
1	2	3	4	5
1–आर0 सी0–600/27		गाजीपुर जनपद		
(अ) 1982		महराज गंज नलकूप नं–2	डी0	
		पुलिस लाइन नलकूप	श्री जी0 डी0 वर्मा	जनवरी
		सादियाबाद नलकूप नं0-2	1981 से अगस्त	
		मैनपुर नलकूप नं0	1981 तक	
		नन्दगंज नलकूप नं-2		
		देवकली नलकूप नं-2		

1	2	3	4	5
		आजमगढ़ जनपद		
		मधुबन नलकूप नं-2	श्री बच्चा सिंह	सितम्बर 1981 से अक्टबर 1981 तक
		गाजीपुर जनपद		
		वासपुर नलकूप नं-2		
		गौरी बाजार नलकूप		
		गाजीपुर जनपद		
		खोदाईपुर नलकूप	श्री0एस0एम0 आर0 रिजवी	नवम्बर 1981 से दिसम्बर 1981 तक
		रुई मन्डी नलकूप		
	(ब) 1982	गाजीपुर जनपद		
		सादात नलकूप नं0–2	श्री एस0 एम0 आर0 रिजवी	जनवरी 1982 से अप्रैल 1982 तक ।
2–एल0 एम0 पी0 रिंग मशीन				
	(अ) 1981	आजमगढ़ जनपद		
		आजमगढ़ नलकूप नं0–2	श्री बच्चा सिंह	जनवरी 1981 से अगस्त 1981 तक तथा नवम्बर 1981 से दिसम्बर 1981 तक
		मधुवन नलकूप नं0–2		
		जगदीश पुर नलकूप नं0–2		
		मोहम्मदाबाद गोहना नलकूप नं0–2		
		गाजीपुर जनपद		
		जलालाबाद नलकूप नं0-2	श्री बच्चा सिंह	जनवरी 1981 से अगस्त 1981 तक तथा नवम्बर 1981 से दिसम्बर 1981 तक
		गाजीपुर जनपद		
		कासिमाबाद नलकूप नं0-2	श्री एस0 एम0 आर0 रिजवी	सितम्बर 1981 से अक्टूबर 1981 तक
	(ब) 1982	गाजीपुर जनपद		
		सैदपुद नलकूप		
		भड़सर नलकूप नं0-2	श्री बच्चा सिंह	जनवरी 1981 से अब तक ।
		आजमगढ़ जनपद		
		मऊनाथ भंजन नलकूप नं–4		

नत्थी "ट"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का उत्तर पीछे पृष्ठ 667 पर ।)

संलग्नक–1

षोडष मंडल, उ0 प्र0 निगम, वाराणसी के अन्तर्गत शाखावार क्रमशः तीन साल, चार साल एवं पांच साल से अधिक समय से कार्यरत सहायक अभियन्ताओं का विवरण ।

क्रम सं0	शाखा का नाम	सहायक अभियन्ता का नाम		
		3 वर्ष से अधिक	4 वर्ष से अधिक	5 वर्ष से अधिक
1—द्वितीय निर्माण शाखा, वाराणसी।		...	श्री0 बी0 के दुबे	...
2—द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा आजमगढ़।	श्री ए0 आर0 खां श्री सुधीर कुमार	...	...	....
3—अस्थाई निर्माण शाखा गोरखपुर।	श्री बच्चा प्रसाद	...		....

संलग्न–2

षोडष मन्डल जल निगम, वाराणसी के अन्तर्गत शाखावार क्रमशः 3 साल, 4 साल एवं 5 साल से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ताओं का विवरण।

क्रम संख्या	शाखा का नाम	अवर अभियन्ता का नाम		
		3 साल से अधिक	4 साल से अधिक	5 साल से अधिक
		सर्व श्री		
1—द्वितीय निर्माण शाखा, वाराणसी।	1—लक्षमण मिश्रा 2—वी0 के0 त्रिपाठी 3—अजय कुमार	श्री फुलेना प्रसाद	एस0 सी0 मिश्रा आर0 के0 सिंह	....
		सर्व श्री		
2—द्वितीय अस्थाई निर्माण शाखा आजमगढ़।	1—हरे राम सिंह यादव 2—नामवर सिंह 3—बच्चा प्रसाद सिंह 4—एस0 एस0 हुसेन	श्री फेंकू प्रसाद श्री विजय बहादुर		....
		सर्व श्री		
3—अस्थाई निर्माण शाखा, गोरखपुर।	1—सै0 अदीउल हसन रिजवी 2—रामायण राय 3—कुज बिहारी लाल 4—रवि प्रकाश श्रीवास्तव 5—ए0 एन0 चौरसिया 6—एन0 एन0 उपाध्याय	श्री शिवजी तिवारी	के0 पी0 मिश्रा श्री डी0 पी0 पान्डे	

नत्थी "ठ"

(देखिए आतरांकित प्रश्न संख्या 109 का उत्तर पीछे पृष्ठ 673 पर।)

क्रम संख्या	वर्ष 1982–83 में इन्सफेलाइटिस ग्रस्त जनपदों के नाम	कितनी बी0 एच0 सी0 भेजी गयी
1—	गोरखपुर	54 मी0 टन
2—	देवरिया	73 मी0 टन
3—	बस्ती	75 मी0 टन

4-	आजमगढ़	40 मी0 टन
5-	लखीमपुर खीरी	18.75 मी0 टन
6-	लखनऊ	2·75 मी0 टन
7-	सीतापुर	7 मी0 टन
8-	कानपुर	5 मी0 टन
9-	बाराबंकी	12·5 मी0 टन
10-	प्रतापगढ़	12·5 मी0 टन
11-	पीली भीत	0.9 मी0 टन
12-	मुरादाबाद	(आवश्यकतानुसार उनके पास वी0 एच0 सी0 पहले के उपलब्ध थी अतः उन्होंने बी0 एच0 सी0 नहीं प्राप्त की।

नत्थी "ड"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-118 का उत्तर पीछे पृष्ठ 676 पर।)

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम व पद	अवकाश पर रहने की अवधि	अवकाश स्वीकृत किए जाने का सन्दर्भ
1	2	3	4
1	श्री एस0 पी0 गुप्ता, मुख्य अभियन्ता	दि0 5-2-79 से 17-2-79 तक	241/प्र 1/ए-39, दिनांक 22-2-79
2	—श्री जे0 के0 तनेजा, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	दि0 11-6-79 से 30-6-79 तक	666/प्र-1/ए-202, दिनांक 4-6-79
		दि0 18-12-30 से 10-1-81 तक	237/प्र-1/ए-202, दिनांक 16-3-81
3	—श्री गौर चन्द्र राय, क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता	दि0 30-6-82 से 21-7-82 तक	985/प्र-1/ए-9, दिनांक 2-8-82
		दि0 28-7-82 से 24-8-82 तक	10/4/प्र-1/ए-9, दिनांक 30-8-82
		दि0 25-8-82 से 5-10-82 तक	1497/प्र-1/ए-9, दिनांक 2-12-82
4	—श्री एस0 के0 शर्मा, मुख्य अभियन्ता	दि0 14-5-79 से 14-7-79 तक	515/प्र-1/एजी-3, दिनांक 12-5-79
		दि0 15-7-79 से 7-8 79 तक	925/प्र-1/एजी-3, दिनांक 6-8-79
		दि0 28-7-80 से 4-8-80 तक	1288-प्र-1/एजी-3, दिनांक 19-12-80
5	—श्री पी0 सी0 त्यागी, मुख्य अभियन्ता	दि0 10-11-79 से 22-11-79 तक	753/प्र-1/ए-106, दिनांक 22-7-80
		दि0 25-4-80 से 16-5-80 तक	753-प्र-1/ए-106, दिनांक 22-7-80

	दि0 1-7-80 से 15-780 तक	1003/प्र-1/ए-106, दिनांक 25-9-80
6—श्री सीताराम अग्रवाल, अपर मुख्य अभियन्ता	वि0 2-8-82 से 7-8-82 तक	1114/प्र-1/एजी-37, दिनांक 8-9-82
	दि0 11-12-82 से 27-12-82 तक	82/प्र-1/एजी-37, दिनांक 28-1-83
7—श्री शहंशाह हुसैन, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 19-12-79 से 5-2-80 तक	248/प्र-1/ए-219, दिनांक 19-3-80
	दि0 29-7-81 से 4-8-81 एवं दि0 5-8-81 से 18-8-81 तक	411/ -1/ए-219, दिनांक 7-4-82
	दि0 22-3-82 से 20-3-82 तक	649/प्र-1/ए-219, दिनांक 31-2-82
	दि0 19-5-82 से 25-5-82 तक	857/प्र-1/ए-219, दिनांक 13-7-82
	दि0 24-8-82 से 4-9-82 तक	1508/प्र-1/ए-219, दिनांक 3-12-82
	दि0 27-9-85 से 1-10-82 तक	47/प्र-1/ए-219, दिनांक 19-1-83
8—श्री बी0 एस0 माथुर, अधिक्षण अभियन्ता	दि0 1-5-79 से 30-6-79 तक	654/प्र-1/एजी-66, दिनाक 1-6-79
9—श्री आर0 एन0 गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 31-5-82 से 12-6-82 तक	929/प्र-1/एजी-106, दिनांक 22-7-82
11—श्री अनिल कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 1-6-82 से 7-6-82 तक	925/प्र-1/एजी-144, दिनांक 21-7-82
12—श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 16-2-79 से 17-9-79 तक	1185/प्र-1/एजी-122, दिनांक 17-10-79
	दि0 7-6-81 से 12-6-81 तक	753/प्र-1/एजी-122, दिनांक 24-7-81
13—श्री वीरेन्द्र कुमार (प्रथम) अधीक्षण अभियन्ता	दि0 7-3-79 से 13-3-79 तक	498/प्र-1/एजी-47, दिनांक 26-4-79
	दि0 23-4-79 से 5-5-79 तक	493/प्र-1/एजी-47, दिनांक 26-4-79
	दि0 8-5-80 से 12-6-80 तक	1181/प्र-1/एजी-47, दिनांक 18-11-80
	दि0 24-5-81 से 1-6-81 तक	979/प्र-1/एजी-47, दिनांक 29-8-81

14—श्री हरिशंकर चौरसिया, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 9-6-79 से 7-7-79 तक	795/प्र-1/एजी-44, दिनांक 6-7-79
	दि0 23-10-79 से 9-11-79 तक	1288/प्र-1/एजी-44, दिनांक 2-11-79
	दि0 11-5-81 से 5-6-81 तक	296/प्र-1/एजी-44, दिनाँक 5-3-82
15—श्री चन्द्र शेखर मालवीय, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 24-5-81 ते 3 7-82 तक	960/प्र-1/एजी-7, दिनांक 28-7-82
16— श्री एस0 पी0 अरोरा, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 13-9-80 से 18-9-80 तक	1168/प्र-1/ए-171, दिनांक 14-11-80
	दि0 17-11-80 से 6-12-80 तक	231/प्र-1/ए-171 दिनांक 12-3-81
	दि0 5-7-82 से 6-7-82 एवं दि0 5-8-82-से 4-9-82 तक	1001/ -1/ए-171, दिनांक 8-8-82
17—श्री फूल चन्द्र जैन, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 20-4-82 से 30-6-82 तक	दिनांक 25-10-82 को
	दि0 1-7-82 से 9-7-82 तक	अवकाश स्वीकृत
	दि0 10.7.82 से 18-7-82 तक	
	दि0 19-7-82 से 21-8-82 तक	
18—श्री सोमेश चन्द्र बनर्जी, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 9-7-81 से 10-7-81 तक	1370/प्र-1/एजी-83, दिनांक 5-12-81
	दि0 15-10-81 से 26-10-81 तक	11/प्र-1/एजी-83, दिनांक 6-1-82
	दि0 17-5-82 से 7-6-82 तक	959/प्र-1/एजी-83, दिनांक 28-7-82
19—श्री वाई0 एन0 चतुर्वेदी, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 3-2-82 से 18-2-82 तक	303/प्र-1/एजी-113, दिनांक 11-3-82
	दि0 18-5-82 से 1-7-82 तक	712/प्र-1/एजी-11 , दिनांक 14- -82
20—श्री वी0 पी0 जिन्दल, अधीक्षण अभियन्ता	दि0 22.12-81 से 16-1-82 तक	263/प्र-1/एजी-135, दिनांक 27-2-8
	दि0 5-5-82 से 12-6-82 तक	1054/प्र-1/एजी-135, दिनांक 28-8-82
21—श्री वीरेन्द्र कुमार (द्वितीय) अधीक्षण अभियन्ता	इन्होंने दिनांक 5-8-81 से 5-9-81 तक उपार्जित अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। विधान सभा प्रश्न के उत्तर में अंकित कारणों से इनका निलम्बन किया गया था निलम्बन समाप्त होने के उपरान्त इन्होंने दिनांक 15-3-82 को कार्यभार ग्रहण किया।	

नत्थी "ढ़"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–123 का उत्तर पीछे पृष्ठ 678 पर।)

जनपद जौनपुर में वर्ष 1981 में निर्माणाधीन ग्रामीण गोदामों की सूची :—

एन0 सी0 डी0 सी0 योजना—

1—सर्वोमऊ	अपूर्ण
2—दहेम	अपूर्ण
3—हरीपुर	,,
4—मुस्तफाबाद	,,
5—मोठाक	,,
6—पपरावन	,,
7—बर्रसठी	,,
8—बरेठी	,,
9—असवा	,,
10—पैसारा	,,
11—वेलाब	,,
12—कबुलपुर	,,
13—पिलखिनी	
14—राजपुर नं0 3	,,
15—रसूलहा	,,
16—लक्ष्मीपुर	,,
17—मारिकपुर (पट्टी जियाराव)	,,
18—घाघरपुर	,,
19—सपही	,,
20—रामनगर	,,

विश्व बैंक ग्रामीण गोदाम परियोजना—

1—जगापुर	पूर्ण
2—धराव	अपूर्ण
3—छातीडीह	पूर्ण
4—विजयगिर	,,
5—कुकुहा	,,
6—जयगहा	,,
7—जमदहा	अपूर्ण
8—छतौरा	पूर्ण
9—बेलापार	,,
10—रामनगर विधमौआ	अपूर्ण
11—तरतो	पूर्ण
12—बाशीपुर	,,
13—कसियाव	
14—तुलापुर खुर्द	,,
15—बांकी	अपूर्ण
16—कोरहा	,,
17—केवटली कलां	,,

नत्थी "त"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—143 का उत्तर पीछे पृष्ठ685···पर)

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित भवनों का विवरण

क्रम सं0	भवनों का प्रकार (टाइप)	वर्ष 1979-80 लक्ष्य	वर्ष 1979-80 उपलब्धि	वर्ष 1980-81 लक्ष्य	वर्ष 1980-81 उपलब्धि	वर्ष 1981-82 लक्ष्य	वर्ष 1981-82 उपलब्धि
1	साइज एण्ड सर्विसेज	2600	913	1000	377	1627	321
2	ई0 डबल्यू0 एस0	1151	1119	3200	1001	1845	871
3	एल0 आई0 जी0	764	563	1200	241	878	347
4	एम0 आई0 जी0	221	180	400	46	269	142
5	एच0 आई0 जी0	20	19	200	14	50	
	योग	4756	2794	6000	1679	4669	1681

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाएं निम्नवत् है :—

(1) अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना,
(2) कानपुर रोड नगर प्रसार योजना,
(3) मोतीझील योजना,
(4) स्लम क्लीयरेन्स,
(5) ऐशबाग योजना
(6) भीखमपुर

नत्थी "थ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या—172 का उत्तर पीछे पृष्ठ695···पर।)

31 सूत्रीय मांगे

1—भूतपूर्व मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आर0 पी0 श्रीवास्तव उनके स्टेनों ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अधीक्षक जिला अस्पताल तथा उनके एकाउण्टेण्ट पौहारी शरण एवं वरिष्ठ अधीक्षका मिसेज डा0 पी0 बनर्जी एवं डा0 गोयल तथा वे अन्य चिकित्सा-अधिकारी एवं कर्मचारी जो सेव, मैट्रन गोदाम, मछरदानी कांड तथा सैनिक पेंशनरों से घूस नियुक्ति में अनियमितता, एव घूस लेने, मरीजों की मौत के जिम्मेदार तथा नकली दवा वितरण के दोषी पाए गए है इन सभी को निलम्बित कर इन्हें दंडित किया जाए। मरीजों की मौत के दोषी लोगों को पुलिस को सौंप कर उन पर हत्या का मामला चलाया जाए। मार्च 80 के दवा घोटाले के भी इनमें दोषी है।

2—वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 एम0 एन0 श्रीवास्तव एवं उनके स्टेनों हरीराम श्रीवास्तव तथा डिप्टी सी0 एम0 ओ0 डा0 जिलानी को घूस तथा सेव घोटाला एवं मरीजों के प्रति उत्तरदायित्व हीनता बरतने के आरोप में निलम्बित कर इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही किया जाए।

3—वर्ष 81-82 में प्राप्त बजट मे व्यापक गोल माल तथा धन का दुरुपयोग विभिन्न मदों और स्तर पर किया गया है दवाओं तथा काटन गाज और सर्जिकल उपकरणो की खरीद सम्बन्धी सभी रिकार्ड जब्त किया जाय। व्यापक गोल माल मिलेगा सम्बन्धित अधिकारियों एवं एकाउन्टेन्ट के पूरे क्रियाकलाप का जांच हो।

4—वर्ष 81-82 की अवधि में हुए स्थानान्तरण तथा उन्हें प्रभावी बनाने एवं निरस्त करने की पूरी जाँच किया जाए। जिला से प्रदेश स्तर तक इसमें निर्धारित माप दंड तथा आदेशों की अवहेलना तथा घूस खोरी हुई है। कम से कम 5 लाख रुपया का घूस इस मामले में मु0 चि0 अधिकारी से अति0 निदेशक डा0 शर्मा तथा स्वा0 विभाग के अन्य अधिकारियों ने लिया है, पूर्ण जाँच कर इन्हें दंडित किया जाए। श्री शर्मा के रहते विभागीय स्तर की कोई जाँच निष्पक्ष सम्भव नहीं है, उन्हें निलम्बित किया जाए।

5—अति0 निदेशक श्री आर0 सी0 शर्मा के विरुद्ध मार्च 80 के दवा घोटाले में दोहरे माप दंड अपनाने तथा भ्रष्ट लोगों को बचाकर निजी लाभ उठाने की जाँच कराई जाए जाँच के पूर्व उन्हें निलम्बित किया जाए।

6— भ्रष्टाचार में विलम्ब तथा लम्बे समय से कार्यरत लोगों को प्रमुख भूमिका है। 5 साल से अधिक समय से कार्यरत सभी लोगों को अविलम्ब स्थानान्तरण अन्य जनपदों और मंडलों में किया जाए इस प्रतिबन्ध के साथ कि 5 साल के पूर्व उन्हें पुनः इस जनपद में नहीं जाने दिया जाएगा।

7— अनेक ऐसे अधिकारी एवं कर्मचारी है जो 10 से 12 वर्षों से यहीं है उन्हें हटाया जाए। उनके ऐसे लोगों के गत वर्ष स्थानान्तरण हुए थे मगर विभाग में भ्रष्टाचार के सहारे बहुत से स्थानान्तरित किये गये लोग स्थानान्तरण निरस्त करा लिए। ऐसे लोगों की भी काफी संख्या है जो कागजी खानापुरी कर 10-12 वर्षों से यहीं है इन सभी का स्थानान्तरण किया जाए और 5 साल से पहले इस जनपद में आने पर रोक लगाया जाय।

8—महिला अस्पताल को मछरदानी तथा प्राइवेट वार्ड के पैसों के गबन से सम्बन्धित सभी रिकार्ड सील कराए और उसकी खुली जांच उच्च स्तरीय कराएं।

9—जिन पर मरीजों की मौत या शासनादेश को अवहेलना के आरोप है उन सभी को यहां से हटाया और निलम्बित किया जाए।

10—स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार, अधिकार के दुरुपयोग, कर्तव्य हीनता, घूसखोरी दवाओं में घटिया खरीदकर लाखों रुपया हड़पने, शिकायतों की जाँच में अधिकार का दुरुपयोग, एवं दोहरे माप दन्ड तथा शासनादेश की अवहेलना आदि को व्यपकता तथा इससे सम्बन्धित उच्च पदस्थ अधिकारियों आदि को देखते हुए सम्पूर्ण मामले को जांच किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा विधान सभा के सदस्यों की सर्वदलीय समिति द्वारा खुले जांच को व्यवस्था किया जाए। खुली जांच के वक्त अनेक साक्ष्य प्रस्तुत होगा। साक्ष्यों एवं अभिलेखों से इन सभी घोटालों को प्रमाणित किया जाएगा। सम्बन्धित सभी शिकायतों के अभिलेखों को जप्तकर सुरक्षित किया जाए।

11—जिला एवं महिला अस्पताल में भर्ती सभी साधारण मरीजों की दवाओं की पूर्ण आपूर्ति किया जाए। स्टाक में दवाएं उपलब्ध न होने पर उनकी आपूर्ति हेतु स्थानीय खरीद (लोकल) किया जाए।

12—जब तक भरती मरीजों की आवश्यकता को (दवा सम्बन्धी) पूर्ण व्यवस्था न हो जाय तब तक बाह्य कक्ष (आउट डोर) के मरीजों हेतु लोकल पर्चेजींग

रोक दी जाए। बाह्य कक्ष के मरीजों हेतु लोकल पर्चेजिंग अधिकांश फर्जी मरीज हेतु होती है। वस्तुतः इन दवाओं का नकदी करण करके लोग पैसे कमाते है। इसमें जिला अस्पताल के एकाउन्टेन्ट आदि के भी सेयर रहते है जो फर्जी बिलों के भुगतान करते है।

13—जिला चिकित्सा के इनडोर (भीतरी विभाग) के मरीजों को तत्काल आवश्यक दवाओं की आपूर्ति हेतु वहां अलग स्टोर और स्टाक को व्यवस्था किया जाय। आवश्यक होने पर इनडेन्ट की दवाएं खरीद की तत्कालीक व्यवस्था भी वहां होनी चाहिए। इस वक्त को व्यवस्था त्रुटिपूर्ण हैं और मरीजों को दो तीन दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जो गम्भीर रोगियों के लिए घातक होता है।

14—इनडोर का इमरजेन्सी व्यवस्था अलग भीतरी विभाग में किया जाना चाहिए इस हेतु स्टाक को व्यवस्था किया जाना चाहिए।

15—खून, मल, मूत्र आदि को परीक्षण को व्यवस्था भी किया जाए।

16--विभागीय विद्युत उत्पादन हेतु जनरेटर की व्यवस्था कर रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

17—सफाई, रोशनी, पानी को उचित व्यवस्था किया जाए। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई और शौचालयों को स्थिति सुधारी जाए।

18—भर्ती मरीजों की फल दूध आदि पौष्टिक आहार की व्यवस्था हो।

19--मरीजों से पैसा लेना रोका जाना चाहिए। अखबार में प्रकाशित समाचारों के अनुसार मु० चि० अ० डा० यम० यन० श्रीवास्तव मरीजों से आपरेशन टेबुल पर सौदा करते है, ऐसी स्थिति में यह समझना आसान है कि अन्य चि० क्या व्यवहार करेगें फीमेल और लेवर तथा प्रसूती गृह सर्जिकल हड्डी, मेडिकल वार्ड आदि के सम्बन्ध में इस प्रकार को शिकायतें आम बात है। इसे रोका जाना चाहिए तथा घूस लेने वालों को दन्डित किया जाए।

20--सभी दवा वितरण केन्द्रों पर रोटेशन डियूटी को व्यवस्था किया जाए। सी० एम० एस० डी स्टोर के फारमिस्ट को अविलम्ब हटाया जाए तथा चीफ फारमिस्ट की जांच को तीन वर्षों। जनवरी, 1980 से अब तक रिपोर्ट को पूर्ण जांच कर दोषी व्यक्तियों तथा दवा बेंचने वालों को दन्डित किया जाय।

21--जिन लोगों का प्रमोशन हो उन्हें नियमा नुसार अन्य मन्डल को स्थान्तरित किया जाए और उन पर भी 5 वर्ष को अवधि लागू किया जाए।

22--प्रशिक्षित स्टाफ नर्से सिस्टर तथा ट्यूटर आदि की संख्या वढ़ाकर मरीजों को उपचार की उचित व्यवस्था किया जाए।

23—मरीजों को शिकायतों को जांच की तत्काल व्यवस्था किया जाय ताकि उनकी जीवन रक्षा हो सकें सभी वार्डो में आक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए।

24--मरीजों से सीरींज पट्टी, गाज आदि खरीदवाना बन्द किया जाए।

25--इमरजेंसी तथा रात्रिकालीन उपचार व्यवस्था भितरी विभाग लुंज पुंज रहती है, इसे सुधारी जाए।

26--ट्थर आदि आवश्यक दवाओं की पूर्ण व्यवस्था जिला एवं महिला अस्पताल में किया जाए। अक्सर इसकी कमी की आड़ में मरीजों से लम्बी रकम वसूली जाती है।

27—हाल के दवा घोटाले में स्थानीय पत्र द्वारा लगाए गए आरोपों की तत्काल जांच कराई जाए। बहदुरो प्राथमिक केन्द्र के लिस कर्मचारी की मरी मां के नाम दवा देने और खरोदने का आरोप है, उसकी जाँच किया जाए और दोषी व्यक्तियों को किया दंडित जाएगा।

28--जुलाई 81 से अब तक का अवधि में जिला एवं महिला चिकित्सालय की कितनी चारपाइयां कडंम कहकर निकाली गई व क्या हुई इसकी पूर्ण जांच किया जाये आम चर्चा है कि फर्जी मण्डम को आड़ में अच्छा किस्म को चारपाइयां मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 एम0 एन0 श्रोवास्तव ने अपनी देवरिया स्थित क्लिनोक में भिजवा दी है, इसको पूर्ण जांच किया जाये।

29—गोरखपुर जनपद में स्थित सभी (31) प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर 1 अप्रैल, 1981 से अब तक अलग-अलग प्रत्येक स्वा0 केन्द्र पर कुल कितनी दाइयों की ट्रनिंग इस अवधि में हुई है इनकी पूर्ण खुली जांच निम्नन मुद्दो पर को जाये। किस केन्द्र पर कितनी दाइयों का प्रशिक्षण हुआ, उनका नाम पूरा पता तथा उनको कितना पैसा दिया गया और प्रशिक्षण पर अन्य मदों पर क्या खर्च हुआ इसका भौतिक स्तरीय जांच किया जाये। इसके साथ हो इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर उक्त अवधि के औरीअन्टेशन कैम्पस के सन्दर्भ में भी पूर्ण जांच किया जाय। भारी गोलमालकी चर्चा है जंगल कौड़िया का मामला प्रकाशित हो चुका है।

30 - मुख्य चि0 अ0 गोरखपुर के सभी भुगतानों को इनकी जांच पूरी होने तक रोकने की व्यवस्था करें क्योंकि सुना है कि यह शोघ्र सेवा मुक्त हो रहे है।

महिला चि0 की मछरदानी कांड सम्बन्धी वरिष्ठ अधीक्षिका कार्यालय के पूरे रिकार्ड की समिति के प्रतिनिधियों के समक्ष सील किया जाये और उसकी उच्च स्तरीय खुली जांच समिति के प्रतिनिधियों के समक्ष किया जाये इसमें भारी जालसाजी की गई है।

31--पहली मार्च 82 से 30 अप्रैल, 82 तक की अवधि में मुख्य चि0 अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी स्तर से जितने बिलों के भुगतान हुये है (दवा काटान-पट्टियां प्रशिक्षण आदि के नाम पर) उन सभी बिलों को तथा स्टाक बुक एवं कैश बुक को अविलम्ब कब्जे में लेकर सील किया जाये और इसके स्टाक की तत्काल जांच किया जाये परिवार नियोजन में लाखों रुपया का घपला हुआ है इसको पूरे जनवद स्तर में खुली जांच कराई जाये।

नत्थी "द"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-176 का उत्तर पीछे पृष्ठ 695 पर)

जिला कोआपरेटिव सोसाइटीज इम्पलाइज यूनियन द्वारा संचालित हड़ताल के समर्थन में जनपद गोरखपुर के सचिवों की मांगे एवं उनपर कृत कार्यवाही का विवरण।

1. विकास खण्ड जंगल कौडिया में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (सह)) श्री डी0 डी0 सिंह के कार्यवाहियों से सचिव वर्ग क्षुब्ध है।
2. सचिवों की प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने के पश्चात भी अभी तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया और न उन्हें प्रोवीडेन्ट फण्ड की सुविधा ही दी जा रही है।
3. सचिवों की गलती पर जांच कराया जाती है परन्तु अधिकारिमों के कुकृत्यों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।
4. सहकारिता विभाग में दमनात्मक रवैया अख्तियार किया जा रहा है।
5. सचिवों के हित का कोई काम नहीं किया जाता है।
6. सचिवों की सुरक्षा न करके त्रसित कर रकम उगाही की जाती है।
7. सचिवों के वेतन का भुगतान समय स नही किया जाता है तथा मंहगाई भत्ता अतिरिक्त मंहगाई भत्ता नकदीकरण की सुविधा नहीं दी जाती है।
8. मेडिकल/उपार्जित अवकाश की सुविधा नहीं दी जा रही है।

कृत कार्यवाही

1. पहली मांग श्री डी0 डी0 सिंह सहायक विकास अधिकारी (सह0) जंगल कौडियाल के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में थी। स्थानान्तरण हो चुका है।
2. दूसरी मांग स्थाईकरण एवं प्रोवीडेन्ट फण्ड के सम्बन्ध में है। सचिवों ने अभी तक जमानत नामा दाखिल नहीं किया है। कैडर अथारिटी द्वारा प्रसारित निर्देशों के तहत कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण स्थाईकरण सम्भव न हो सके हैं। जहाँ तक प्रश्न प्राविडेन्ट फण्ड का है इस प्रकार का कोई प्राविधान कैडर अथारिटी के नियमावली में नहीं है।
3. तीसरी माँग स्पष्ट न होने के कारण इस पर कार्यवाही नहीं जा सकती है किस अधिकारी द्वारा प्रताड़ित किया जाता है यह स्पष्ट नहीं है।
4. चौथी मांग में दमनात्मक रवैये का उल्लेख है। इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। यूनियन ने भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है।
5. पांचवी माँग जो सचिवों के हित से सम्बन्धित है इसमें यह स्पष्ट करना है कि प्रशासन हमेशा सचिवों का ध्यान देता चला आ रहा है सचिवों के हित के लिए ही सामूहिक जीवन बीमा योजना चलाई गई है।
6. छठी माँग सचिवों की सुरक्षा से सम्बन्धित है। नियमानुसार समितियों के चौकीदार रखने का प्राविधान है तथा अधिकांश समितियों में सुरक्षा की दृष्टि से चौकीदार

की नियुक्ति हो गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही सामूहिक बीमा योजना का प्राविधान कर दिया गया है।

7. सातवीं मांग मंहगाई भत्ता, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं नकदीकरण के सम्बन्ध में है, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना है कि केडर द्वारा प्रसारित नियमावली एवं नियमों में उपरोक्त बातों का उल्लेख नहीं है। समय से वेतन देने के सम्बन्ध में समस्त शाखा प्रबन्धकों को निर्देश दे दिया गया है कि वह हर माह की 10 तारीख तक गत माह का वेतन उनके बचत खाता में ट्रान्सफर कर दें।

8. आठवीं मांग मेडिकल एवं उपार्जित अवकाश से सम्बन्धित है। चूंकि नियमावली में मेडिकल एवं उपार्जित अवकाश का प्राविधान किया गया है इस प्रकार उन्हें इसकी सुविधा प्रदान की जा रही है।

9-3-83

P. O. No. H.O. 59 विधान सभा दि० 5-12-83